गांधी स्मारक ग्रंथ माला का चतुर्थ पुष्प

महाप्रयाण

(राजनैतिक इतिहास)

सीताराम गोस्वामी

(ले० अगस्त ब्यालीस, बापू का नर लोक देवलोक, रजाकार पतन आदि आदि)

प्रथम संस्करण

मयूर-प्रकाशन
स्वाधीन प्रेस, झांसी।

मूल्य २॥)

प्रकाशक:—
मयूर-प्रकाशन, झांसी ।

प्रथमावृत्ति—१९४९

मूल्य-दो रुपया आठ आना

मुद्रक—
द्वारिकाप्रसाद मिश्र 'द्वारिकेश'
स्वाधीन प्रेस, झांसी ।

समर्पण

गांधी स्मारक ग्रंथ माला

का

चतुर्थपुष्प

श्री सीताराम भास्कर भागवत के कर कमलों में

सादर सानुराग

समर्पित

सिविल लाइन
झांसी

सीताराम गोस्वामी
रमेश न्यूज एजेन्सी
झांसी

आभार

उन सभी पत्र पत्रिकाओं का मैं आभारी हूँ जिनके अपार सहयोग से मैंने यह संग्रह प्रस्तुत किया है।

आभारी

सीताराम गोस्वामी

राष्ट्रपिता
के जीवन की संक्षिप्त झांकी

विश्ववंद्य महामानव, शांति-साधक, अहिंसा के अमरदूत, मोहनदास करमचन्द गांधी, अठारह सौ उनहत्तर के दो अक्टूबर को पोरबंदर गांव के एक वणिक परिवार में पैदा हुए। पोरबंदर का दूसरा नाम सुदामापुर है, वह राजकोट से १२० मील पर अवस्थित है। तीन पीढ़ियों से गांधी जी के पूर्वज काठियावाड़ के विभिन्न देशी राज्यों में प्रधान-मंत्री के पद पर काम करते आये थे। गांधीजी के पिता करमचन्द उर्फ काबा गांधी कुछ दिन राजकोट के, और बाद बांकनेर स्टेट के प्रधान मत्री थे। काबा गांधी की चार शादियां हुई थीं, पर एक के बाद एक का देहान्त होता गया। उनकी अन्तिम पत्नी पुतलीबाई महात्मा गांधी की मां थी। महात्मा गांधी अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। इनके कुल तीन भाई और एक बहन थी। आप सब वैष्णव थे।

इनके पिता को धन-संग्रह की आकांक्षा न थी, फलतः उनकी मृत्यु के बाद उनकी संतानें साधारण स्थिति में ही पलती रहीं। अपने पिता के सम्बन्ध में गांधीजी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है—'मेरे पिता बिलकुल निष्पक्ष और निष्ठुर नियमानुवर्ती थे···मां साधुता की अमिट छाप मेरे स्मृति पट पर छोड़ गई है। उसके स्वभाव में धर्मवृत्ति अत्यन्त

अंतरंग रूप में थी।' गांधीजी का बाल्यजीवन पोरबंदर में गुजरा। इनकी उम्र लगभग सात वर्ष की होगी जब इनके पिता पोरबंदर से राजकोट चले गये। वहां प्राइमरी स्कूल में गांधीजी दाखिल किये गये। आप बराबर साधारण विद्यार्थी थे। इस स्कूल के बाद आप पास के एक दूसरे स्कूल में गए और फिर हाईस्कूल में। उस समय आपकी उम्र १२ साल की हो चुकी थी। गांधीजी ने आत्मकथा में लिखा है—"इस कालान्तर्गत मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोला, न शिक्षक से और न साथियों से। मैं बड़ा संकोची था और अकेले रहना पसन्द करता था। मेरी किताब और पढ़ाई ही मेरे साथी थे।" वास्तव में स्कूल की किताबों को छोड़कर बाहरी किताबों से उन्हें बिलकुल दिलचस्पी न थी। उस समय कुछ भ्रमणशील नाट्य कम्पनी वहां आई थीं और 'श्रवण की पितृभक्ति' नाटक दिखाया था। इसका गांधीजी पर काफी प्रभाव पड़ा। उन्हें "हरिश्चन्द्र" नाटक देखने का भी मौका मिला था। इस नाटक ने इनके दिल पर कब्जा कर लिया। यह कथा इनके दिमाग में चक्कर काटती रही। "हरिश्चन्द्र" की तरह सत्यव्रती प्रत्येक व्यक्ति क्यों नहीं होते?"—यही प्रश्न वे दिन रात अपने आपसे करते। हरिश्चन्द्र की सत्यनिष्ठा और उनकी परीक्षाओं के आदर्श ने उन्हें प्रेरणा दी। श्रवण और हरिश्चन्द्र इनके लिए दो जीवित सत्य थे।

१३ वर्ष में पति

तेरह वर्ष की अवस्था में गांधी जी की शादी कस्तूरबा से हुई। उस समय गांधीजी हाईस्कूल में ही पढ़ रहे थे। अपनी शादी के सम्बन्ध में गांधीजी ने आत्मकथा में लिखा है—'हम दोनों हमउम्र ही थे, पर अतिशीघ्र ही मैंने पति का अधिकार ग्रहण कर लिया···ऐसे अनुपयुक्त बाल्य-विवाह के समर्थन के लिए मैं कोई नैतिक तर्क नहीं देखता। मेरे विवाह के समय एक पैसा या पाई की कीमत में छोटे छोटे पर्चे मिला करते थे। उनमें दाम्पत्यप्यार, मितव्ययिता, बाल्य-विवाहादि विषयों की

चर्चा रहती थी। जब कभी मैं ऐसे पर्चे पाता उन्हें एक एक पेज पढ़ जाता उनमें जो चीजें मुझे पसन्द आतीं उन्हें व्यवहार में लाना और जो नापसन्द होती उन्हें भूल जाना मेरी आदत सी हो गई थी। पत्नी के प्रति जीवनपर्यन्त प्यार और विश्वास, पति के कर्तव्य रूप इन पुस्तिकाओं में वर्णित थे। और वे स्थायी रूप से मेरे चित्त में मुद्रित हो गए।"

गांधीजी द्वारा स्कूली जीवनमें की गई चोरी की दो कथाएँ उनकी आत्मकथा में वर्णित हैं। गांधीजी और उनके एक सम्बन्धी धूम्र पान के आदी हो गए, किन्तु उन्हें पैसा न था। उनके चाचा, जो सिगरेट पीकर फेंक देते थे गांधीजी उन सबको चुन चुन के पिया करते थे, किन्तु यही काफी न था और यह हर हमेशा मिलता भी नहीं था। अतएव वे नौकर के पाकेट-खर्च से पैसे चुराते और उनसे सिगरेट खरीद कर पीते थे। किन्तु बड़ों के सामने वे सिगरेट नहीं पी सकते थे। चुराए हुए पैसों से कुछ सप्ताह काम चला। अब उन्हें अपनी स्वतन्त्रता का अभाव खटकने लगा। बड़ों की आज्ञा के बिना वे कुछ नहीं कर सकते, यह उन्हें असह्य हो गया। अन्ततः उनने आत्महत्या करने की ठानी, किन्तु विष कहां से मिले! धतूरे के बीज में ज़हर होता है, ऐसा उन्होंने सुना था अस्तु वे धतूरे की खोज में जंगल को गए। शाम का वक्त उपयुक्त समझा गया। वे एक मन्दिर में गए, मन्दिर-दीप में घी डाला, भगवान के दर्शन किए और एक निर्जन स्थान में गए, किन्तु उनका साहस जाता रहा। उन्हें भय हुआ, कि अगर तुरन्त हम न मरे? अन्ततः आत्महत्या का विचार धूम्रपान और चोरी की आदत के परित्याग में परिणित हुआ। उस समय उनकी उम्र १२ या १३ साल की होगी। गांधीजी आत्मकथा में लिखते हैं—"जब से मैं वयस्क हुआ हूँ धूम्रपान की कभी इच्छा नहीं हुई और सदा सर्वदा इस आदत को जङ्गली, घृणित और हानिकारक समझता आया हूँ।" दूसरी चोरी पन्द्रह साल की अवस्था में हुई थी। इस बार उन्होंने सोने का एक टुकड़ा चुराया था, अपने भाई के २५) रु० का कर्ज चुकाने के लिए। किन्तु इस चोरी से

इन्हें इतनी अधिक मनःचिन्ता हुई कि इन्होंने कभी चोरी न करने की प्रतिज्ञा की और अपने पिता से लिखित रूप में दोष स्वीकार कर माफी मांगी। उस समय इनके पिता बीमार थे। गांधीजी की दोष स्वीकृति को पढ़कर उनकी आंखों से कई मोती दाने लुढ़क पड़े। "प्यार के उन 'मोती-दानों' ने" गांधीजी लिखते हैं, "मेरे दिल को प्रशस्तकर मेरे सभी पाप धो डाले। जिन्हें इस प्यार का अनुभव है वही उसकी कीमत जान सकते हैं। मेरे लिए यह 'अहिंसा' की मूर्त शिक्षा थी। जब यह अहिंसा सर्वाङ्गी हो जाती है तो इससे स्पर्श होने वाली वस्तुओं का काया कल्प हो जाता है। इसकी शक्ति का कोई शेष नहीं।"

पिता की मृत्यु

गांधी जी की उम्र जब सोलह साल की थी, इनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की रुग्णावस्था में आपने हर हमेशा उनकी सेवा शुश्रूषा की। एक बात वह अपने जीवन में कभी नहीं भूल सके, वह यह कि पिता की मृत्यु के समय वे वहां उपस्थित न थे। यह चिन्ता उन्हें बराबर सताती रही। उस काल रात्रि के १०॥ या ११ बजे तक वे पिता के पास मौजूद रहकर उनकी सेवा करते रहे थे। उनके चाचा ने आकर उन्हें उस क्षण छुट्टी दी; वे सीधे शयन–गृह में चले गए। पांच छः मिनट बाद ही नौकर ने आकर दरवाज़ा खटखटाया और स्तम्भित हो आपने सुना कि सब कुछ समाप्त हो चुका था। उन्हें घोर ग्लानि और पश्चाताप हुआ कि वे पशु-वित वासना से अन्धे न हो गए होते, तो पिता से अन्तिम घड़ी के वियोग की वेदना से व्यथित न होते। सेवा करते हुए उनके बाहुपाश में पिता की मृत्यु होती।

इस सम्बन्ध में गांधी जी ने आत्मकथा में लिखा है, 'यह एक दाग़ है जिसे मैं न धो सका, न भूल सका। मैं बराबर यही सोचता आया हूँ कि यद्यपि माता पिता में मेरी श्रद्धा असीम थी, मैं उनके लिए सब कुछ

करने को समर्थ हो सकता था। तथापि मौके ने उसका अभाव प्रकट कर दिया, जो अक्षम्य है; कारण उस घड़ी मैं वासना के पंजे में था। अतएव सर्वदा ही मैंने अपने को विश्वासी पर वासना-युक्त पति समझा है। वासना जाल से मुक्त होने में मुझे काफी वक्त लगा। कई परीक्षाओं के बाद मैं वासना पर अधिपत्य पा सका।

रामनाम

छः या सात वर्ष की उम्र से सोलह की उम्र तक इन्हें धर्म की कोई शिक्षा न मिली। धर्म को छोड़कर प्राय: अन्य सभी विषयों की पढ़ाई स्कूल में होती थी। भूत-प्रेत का भय इन्हें हमेशा चिन्ता देता। रात को घर से बाहर निकलने की हिम्मत इन्हें न होती। इनके परिवार की पुरानी दासी रम्भा इन्हें बहुत प्यार करती थी। इस भय के त्रास-हित उसने उन्हें "रामनाम" की रट लगाने को कहा। इस तरह वाल्यावस्था से ही आपने "रामनाम" का जप शुरू किया। बचपन की यह सीख बेकार न गई। गांधी जी के विचार से, उस भली औरत की सीख ही इनके लिए समर्थ सिद्ध हुई।

सब धर्मों के प्रति सहानुभूति

राजकोट में ही इन्हें हिन्दू-धर्म की सब शाखाओं एवं अन्य समवर्ती धर्मों के प्रति प्रारम्भिक सहानुभूति और उदारता हुई। कारण, इनके माता पिता हवेली में दर्शन को जाते साथ ही शिव और राम के मन्दिर में भी। वे अपने बच्चों को भी वहां दर्शनार्थ भेजा करते थे। जैन सन्त, मुसलमान और पारसी बन्धु बराबर गांधी जी के पिता से मिलने जाते और अपने अपने धर्म विषयक बातचीत करते। गांधी जी पिता के सेवक थे, अस्तु, ऐसे वार्तालाप के समय वे अक्सर मौजूद रहते थे। इन सब चीजों से ही इनमें सब धर्मों के प्रति उदारवृत्ति का जन्म हुआ किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उस समय इन्हें भगवान में विश्वास नहीं था।

पर एक तत्व इनके अन्त: में घर कर गया था, कि नैतिकता ही सब चीजों का आधार है और सत्य नैतिकता का सार। सत्य ही उनका एक-मात्र उद्देश्य हुआ।

इङ्गलैण्ड की यात्रा

१८८७ में आपने अहमदाबाद केन्द्र से प्रवेशिका परीक्षा पास की और भावनगर कालेज में एक साल पढ़ चुके थे कि उसी समय इनके परिवार के एक हितैषी ने इस बात पर बहुत ज़ोर दिया कि बैरिस्टरी पढ़ने के लिए गांधी जी को इंगलैण्ड भेजा जाय। आर्थिक और अन्य कठिनाइयों को छोड़कर भी इनकी माता की कतई इच्छा न थी कि आप इंगलैण्ड जायें। किन्तु आपके मदिरा, स्त्री और मांस स्पर्श न करने की शपथ खाने पर माता का विरोध दूर हुआ। इसी बीच आपके विदेश जाने पर आपके जाति वालों ने आपत्ति की। किन्तु आपने उनकी एक न सुनी। इस पर जाति के मुखियों ने फतवा दिया 'आज से यह लड़का जाति-च्युत समझा जायगा; जो कोई भी इसे मदद करेगा या इसे छोड़ने जहाज तक जायगा, उस पर १।) जुर्माना होगा। गांधी जी पर इसका ज़रा भी प्रभाव न पड़ा। बम्बई से चार सितम्बर को वे जहाज पर रवाना हुए! उस समय आपके एक लड़का हो चुका था।

अब इनके कठिन दिन शुरू हुए। परदेश, विचित्र परिस्थिति और वातावरण के अनुकूल अपने को नियन्त्रित करना इनके लिए कठिन हो गया। आखिरी सितम्बर में आप सौदम्पटन पहुंचे। आपने सोचा था कि सफेद फ्लानेल की पोशाक ही उपयुक्त होगी, अस्तु जहाज से उतरने के समय आपने ऐसी ही पोशाक पहनी थी। इन्हें अत्यन्त ही शर्मिन्दगी हुई जब उन्होंने अपने को अकेले ही इस पोशाक में पाया। इनके पास चार परिचय पत्र थे। जहाज पर एक सह यात्री ने इन्हें विक्टोरिया होटल में ठहरने की सलाह दी थी। डा० पी० जे० मेहता, जिन्हें आपने

सौदम्पटन से तार दिया था, सन्ध्या आठ बजे आपसे मिलने आये। गांधी जी को फ्लानेल में देखकर डा० मेहता मुस्कराये। वह शनिवार का दिन था। डा० मेहता ने आपसे बताया कि होटल में अत्यधिक खर्च पड़ता है। सोमवार को आप और आपके सहयात्री जूनागढ़ के वकील श्री युत मजुमदार वहां से हटकर दूसरे कमरे में रहने चले गये। उनके एक सिंधी मित्र ने उनके लिए यह कमरा ले रखा था। किन्तु वहां भी आप को शान्ति न थी। अपने घर और देश की याद ही इन्हें सदा सताती रहती। मां का प्यार इन्हें बरबस व्याकुल कर देता। हर रात ये रोते रहते, घर की स्मृतियां इन्हें कभी सोने नहीं देतीं। अंग्रेज़ी शिष्टाचार से आप बिलकुल अनभिज्ञ थे। प्रत्येक पल इन्हें सतर्क रहना पड़ता। निरा-मिष भोजन की प्रतिज्ञा इनके लिए एक अतिरिक्त असुविधा थी। इंगलैंड आपके लिए असह्य था, पर भारत लौटने का विचार भी मुमकिन नहीं। अब जब आ गए थे तो तीन वर्ष समाप्त कर जाना उचित था।

एक अंग्रेज भद्र पुरुष

भोजन की समस्या इनके लिये अत्यधिक कठिन थी। एक मित्र मांस खाने के लिए निरन्तर आपसे बहस करते और आप बराबर अपनी 'प्रतिज्ञा' का हवाला दे चुप रह जाते। इनका मित्र जितना ही इनसे तर्क करता, इनका विरोध उतना ही प्रबल होता। नित्य ही अपनी प्रतिज्ञा के रक्षार्थ आप भगवान से प्रार्थना करते। ऐसी बात नहीं कि इन्हें भगवान का कोई ज्ञान हो, पर एक विश्वास था जो बल देता गया। धाई रम्भा से ही आपको यह विश्वास मिला था। दिन-प्रतिदिन 'निरामिषता' में आपका विश्वास बढ़ता ही गया। इसी बीच आपने इस विषय की कई पुस्तकें खरीद ली थीं। इनमें भोजन सम्बन्धी सुधार लाने की जो इनके मित्रों का प्रयास था एवं उनमें जो प्यार निहित था, आप प्रशंसा करते थे। आपने निर्णय किया कि निरामिष भोजन के अतिरिक्त एक

नम्र और सभ्य समाज के उपयुक्त और जो अन्य गुण हैं, उन्हें प्रयोग में लाने की चेष्टा करूंगा। इसलिये ही आपने 'एक भद्र अंगरेज' बनने की चेष्टा की।

बम्बइया-कट कपड़े, जो आप पहनने आये थे, उसे अंग्रेजी समाज के लिये आपने अनुपयुक्त समझा। आर्मी-नेवी स्टोर्स से नये कपड़े बनवाये चिमनी पौटनुमा एक हैट ९ शिलिंग में खरीदा और दस पाउन्ड में एक ईवनिंग सूट बनवाया। यह सूट बोन्ड स्ट्रीट से बनवाया था, जो उस समय लन्दन के फैसनेबल जीवन का केन्द्र था।

जैसे यही सब कुछ काफी न था इन्होंने और चीजों की ओर ध्यान दिया, जो 'अंग्रेजी सज्जन' बनने के लिए आवश्यक थीं। आपने नृत्य-शिक्षा लेने का निर्णय किया और एक कोर्ष के लिए तीन पाउन्ड फीस दाखिल की। किन्तु इसके लिये लय और तालकी गति मुश्किल थी। ये पियानों को ठीक ठीक पकड़ नहीं पाते। अस्तु नृत्य-गति का अनुकरण इनके लिये नामुमकिन था। पश्चिमी संगीत से दिलचस्पी रखने के लिये आपने वायलिन सीखने का निर्णय किया। तीन पाउण्ड की एक वायलिन खरीदी और कुछ पैसे फीस में भी खर्च किये। वक्तृता की शिक्षा लेने आपने तीसरा शिक्षक रखा। किन्तु बहुत शीघ्र ही इन्होंने सबको छोड़ दिया। इनके अन्दर यह धारणा काम कर रही थी, कि ये इंगलैंड बैरिस्टर होने आये हैं, और अगर उनकी चारित्रिक विशेषता इन्हें सज्जन बना दे; तो और भी बेहतर। इस सम्बन्ध में आपने लिखा है—'यह उत्तेजना तीन ही महीने तक रही किन्तु पोशाक सम्बन्धी नियमावलम्बन वर्षों तक जारी रहा। इसके बाद ही मैं विद्यार्थी हो चला।" आप एक-एक पैसे का हिसाब रखते थे। खर्च सोच-विचार कर करते। प्रति रात सोने के पहले रोज का हिसाब लिख शेष का अन्दाज लगा लेते थे। इस सम्बन्ध में आपने आत्मकथा में लिखा है -

तबसे यह आदत मुझमें बराबर बनी रही। मैं जानता हूँ इसके फल स्वरूप ही मैं जन कोष के लाखों रुपये का व्यय मितव्ययिता से कर सका। जिस किसी आन्दोलन का मैंने नेतृत्व किया है, उन्हें घाटे के बजाय मुनाफा ही हुआ है। प्रत्येक युवको मेरे जीवन से यह शिक्षा लेनी चाहिये। उनके पास जितना पैसा आता है और जितना जाता है, प्रत्येक का हिसाब उन्हें रखना चाहिये और अन्ततः वे देखेंगे कि मेरी तरह उन्हें भी लाभ होगा।

खर्च कम करने के लिए वे अपना काम स्वयं करने लगे। अपनी रसोई स्वयं पकाते एवं अपना कपड़ा खुद ही साफ किया करते थे। जहां तक सम्भव था सादी और सीधा जिन्दगी बिताने की आपने हर कोशिश की। कारण इन्हें अपने संघर्षशील भाई की याद बराबर चिन्ता में डाल देती, जो सदा सर्वदा इनकी आर्थिक मांग पूरी करते रहते। इसी बीच आपने लन्दन की प्रवेशिका परीक्षा पास करने का निर्णय किया। अंग्रेज़ी में आप कमज़ोर थे और यह ख्याल इन्हें निरन्तर सताता रहता। इनके एक मित्र ने इन्हें सलाह दी कि अगर सचमुच आप एक कठिन परीक्षा पास करने का सन्तोष पाना चाहते हैं तो इन्हें यह परीक्षा पास करनी ही चाहिये। आपकी सादी जिन्दगी ने आपको पढ़ने का काफी समय दिया और आसानी से आप यह परीक्षा पास कर सके। उचित समय में आपने कानूनी परीक्षा भी आसानी से पास की और दस जून, अट्ठारह सौ इक्कानबे ईस्वी में आप बैरिस्टरी करने लगे, ११ को हाईकोर्ट के सदस्य बने और १२ को घर के लिये रवाना हो गए।

गांधी जी अत्यन्त संकोची थे और जब-तक आप इङ्गलैंड में रहे आपका संकोच बना रहा। मित्रों से भी जब कभी मिलने जाते चार-पांच व्यक्ति के वहां उपस्थित रहने से आप चुप्पी साध जाते। घर वापस आने के वक्त उन्हें प्रकट भाषण देने का अंतिम अवसर मिला। सदा की भांति इस बार भी आप हास्यास्पद बने। एक वाक्य से आप अधिक न बोल

सके। इस निरन्तर संकोच से, गांधी जी कहते हैं, उन्हें शब्द-मितव्ययिता की सीख मिली। स्वभावतः विचारों को संयम रखने की उनकी आदत हो गई। दक्षिण अफ्रीका में, बहुत अंशों में वे इस संकोच पर विजय पा सके।

इङ्गलैंड में गांधी जी की एक औरत से मित्रता हो गई थी। उसके सम्बन्ध का एक मनोरंजक जिक्र गांधी जी की आत्म कथा में है।

अन्य भारतीय विद्यार्थियों की तरह गांधी जी ने अपने को भी अविवाहित करार दे रखा था, यद्यपि उस समय आप एक सन्तान के पिता भी हो चुके थे। अवश्य ही इस छद्मपरिचय से आप खुश न थे और यह तो इनके आत्म–संयम और पराङमुखता का फल है कि आप गहराई में डूबने से बच गये।

सर्व प्रथम होटल में इनकी एक बूढ़ी विधवा से मुलाकात हुई। वह मध्यवित्त आय की औरत थी। विशेष अवसर पर वह गांधीजी को निमंत्रित कर अपने यहां ले जातीं, इनके संकोच को हटाने में इनकी मदद करती, जवान लड़कियों से इनका परिचय कराती, उनके साथ बातचीत कराती विशेषकर एक खास युवती इस बातचीत के लिए चुन ली गई थी। अक्सर ये दोनों घण्टों अकेले बातचीत करने को छोड़ दिए जाते। पहले तो गांधीजी को यह मुश्किलप्रद लगता, उन्हें काफी संकोच होता, किन्तु आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हो गया कि वे बड़ी उत्सुकता से रविवार की प्रतीक्षा करते एवं उस युवती से बातचीत करना वे काफी पसन्द करने लगे। धीरे–धीरे नित्य प्रति वह और अपना जाल फैलाती ही गई, जब एक दिन गांधीजी को बोध हुआ कि अब भी सम्हलने का मौका है। और एक दिन उन्होंने अपने सम्बन्ध की सारी बातें सत्य–सत्य उसे लिख भेजीं। इस तरह उन्हें छुटकारा मिला और अब मौका मिलने पर अपने विवाहित होने की चर्चा करने में वे ज़रा भी नहीं हिचकते।

गीता का प्रभाव

इंगलैंड में द्वितीय वर्ष के उत्तरार्द्ध में इनकी मुलाकात दो ब्रह्मवादियों से हुई; उसके बाद ही आपने गीता का पाठ आरम्भ किया। आपने गीता, बुद्ध और मुहम्मद की शिक्षा के एकीकरण की चेष्टा की। आत्मत्याग ही आपको सबसे बड़ा धर्म नज़र आया।

वकील बनना आसान है, पर वकालत करनी मुश्किल। आपने कानून पढ़ा था किन्तु कानून का प्रयोग करना नहीं पढ़ा था। आपने फिरोजशाह मेहता की कहानी सुनी थी जो कानून-कोर्ट में सिंह-गर्जना करते थे। कानून-सम्बन्धी दक्षता और नैपुण्य इन्हें प्राप्त होगा यह तो अलग की बात रहे, इन्हें तो भय था कि इस पेशे से वे अपनी जीविका भी निभा सकेंगे या नहीं। जो कुछ हो, आपसे किसी ने कहा था कि सचाई और परिश्रम ही पर्याप्त है। इस तरह आशा-निराशा—की मिश्रित भावना ले वे एस० एस० आसाम से बम्बई उतरे।

गांधी जी के बड़े भाई जहाजपर उन्हें लेने आये थे। गांधीजी अपनी मां से मिलने को अति व्याकुल हो उठे। वहीं उन्हें मां की मृत्यु का समाचार मिला। गांधी जी के भाई यह नहीं चाहते थे कि विदेश में उसे कोई गहरा सदमा सहना पड़े। पिता की मृत्यु से भी अधिक इन्हें माता की मृत्यु का दुःख हुआ। किन्तु आपने उसे इस तरह सहन किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं।

बम्बई में जिन मित्रों से आपका परिचय हुआ था उनमें कवि रायचन्द ने गांधी जी को अत्यधिक प्रभावित किया था। कवि की उम्र २५ वर्ष से ऊपर न थी। उन्हें लोग 'शतबधनी' भी कहा करते थे। अन्य गुणों के अतिरिक्त उनके प्रगाढ़ शास्त्रज्ञान, निष्कलंक चरित्र और आत्म-उपलब्धि की ज्वलन्त इच्छा ने गांधी जी को अत्यधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने एक बार कहा था कि वर्तमान के तीन व्यक्ति उनकी

जिन्दगी पर गहरी छाप छोड़ गये, उन्हें अत्यधिक आकर्षित कर गये; -कवि रायचन्द वैयक्तिक सम्पर्क से, टाल्सटाय और रस्किन अपनी पुस्तकों से।

बम्बई में वकील के रूप में

गांधी जी ने पहले-पहल बम्बई में वकालत शुरू की; किन्तु सफलता न मिली। चार पांच महीने से अधिक आप बम्बई में नहीं रह सके। कारण, खर्च बढ़ रहा था और आमदनी उतनी होती नहीं थी। Small Cause Court में आपको एक मुकदमा मिला। आप मुद्दई-पक्ष के वकील थे : तीस रुपये की फीसपर काम करने को तैयार हुए थे। मुकदमे की जिरह शुरू हुई। मुद्दालह के गवाह से सवाल करने को उठे, पर कुछ बोल न सके। उन्हें जैसे चक्कर आने लगा। कोई सवाल ही उन्हें नहीं सूझता। अपनी असमर्थता कबूल करते हुए आपने मुद्दई को फीस का रुपया वापिस कर दिया और सलाह दी कि वह पटेल साहब से अपने पक्ष की बहस कराये।

तबसे आप फिर कभी तब तक कोर्ट न गये जब तक कि आप दक्षिण अफ्रीका न चले गये। बम्बई में एक और मुकदमा इनके हाथ में आया था। उसमें आपको सिर्फ अर्जी तैयार करनी थी। आपको विश्वास हुआ कि आप यह काम अच्छी तरह कर सकते हैं।

तत्पश्चात् यह तय हुआ कि गांधी जी राजकोट में ही रहेंगे। उनके बड़े भाई जो स्वयं वकील थे उन्हें अर्जी तैयार करने का काम दिया करेंगे। इस तरह आप प्रति मास औसत ३००) रु० की आय करने लगे।

एक बार गांधी जी के भाई ने गांधी जी से राजकोट के राजनीतिक दूत से अपनी सिफारिश करने को कहा। गांधी जी इस व्यक्ति से इंगलैण्ड से ही परिचित थे। अनिच्छा रहते हुए भी भाई की खातिर आप उससे मिलने गये। पर दूतने गांधी जी को अभद्रता पूर्वक वहां से

निकल जाने को कहा। गांधी जी ने जब उससे कुछ सुनने को कहा तो उसने चपरासी से उन्हें निकाल देने की आज्ञा दी। इससे गांधी जी को काफी चोट पहुंची। उस दिन से उनके जीवन की धारा ही बदल गयी।

इसी बीच आपको दक्षिण अफ्रीका जाने का मौका मिला। पोरबंदर के एक खोजा व्यवसायी का दक्षिण अफ्रीका में आयात-निर्यात का कारोबार था। तत्सम्बन्धी एक मुकदमे की देखरेख करने के लिए उसने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका जाने का 'आफर' दिया। गांधी जी जाने को तैयार हुए और एप्रिल १८९३ को दक्षिण अफ्रीका को चल पड़े। उस समय गांधी जी के दूसरा लड़का हो चुका था।

दक्षिण अफ्रीका से ही गांधी जी का राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ आप जिस मुकदमे के सिलसिले में वहां गये थे, उसका फैसला कोर्ट में नहीं वरन् आपसी समझौते से तय किया। इस देश में भारतवासियों को जो लांछना सहनी पड़ती, जो ग्लानि भुगतनी पड़ती उसने ही आपकी देशप्रियता को जागरूक किया; आपमें सुप्त नेता को जाग्रत किया। आप लगातार बीस वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में ही रहे। बीच-बीच में कभी कभी भारत भी चले आते थे। यहां जाति और वर्ण सम्बन्धी भयंकर प्रतिबन्ध के खिलाफ आपने ऐतिहासिक संग्राम का नेतृत्व किया। क्या क्या यातनाएँ न सहनी पड़ीं। आज़ वक्त तो इतनी मार पड़ी कि ये बिल्कुल मरणासन्न हो चुके थे। श्रेष्ठातिश्रेष्ठ नेता होने के लिए गांधी जी को पग-पग पर महान् कुर्बानियां देनी पड़ीं। दक्षिण अफ्रीका से ही सर्वप्रथम दुनियां को 'सत्याग्रह' का ज्ञान हुआ।

फ्राक कोट और मुरेठा पहने गांधी जी नेटाल पहुँचे। ट्रान्सवाल के अंतर्गत प्रिटोरिया जाने के पहले आप कुछ दिन डरबन में ठहरे। वहां आप एक मजिस्ट्रेट से मिलने गये। मजिस्ट्रेट आगन्तुक की ओर टकटकी लगाकर देखने लगा और उसने इनसे मुरेठा हटा लेने को कहा।

डरबन में एक सप्ताह रहने के बाद आप प्रिटोरिया को रवाना हुए। आप प्रथम दर्जे में चल रहे थे। ९ बजे शाम को गाड़ी मेरिट्जवर्ग स्टेशन पर पहुंची। वहां रेलवे अधिकारियों ने प्रथम दर्जे को खाली कर एक वान कम्पार्टमेण्ट में आपसे जाने को कहा। गांधी जी ने विरोध किया, वे वहां से हटने को तैयार नहीं हुए।

रेलवे आफिसर ने एक कांस्टेबल को बुला सामान सहित गांधी जी को धक्का देकर बाहर निकलवा दिया। गाड़ी चल पड़ी। जाड़े की सर्द रात थी, गांधी जी रात भर जाड़े में ठिठुरते रहे। यहां, जीवन के एक अत्यन्त कठिन आध्यात्मिक संघर्ष पर आपने विजय पायी।

गांधी जी ने प्रिटोरिया में भारतीयों की एक सभा बुलायी। आपने एक संस्था कायम करने का प्रस्ताव रखा, जो अधिकारियों के पास भारतीयों की कठिनाइयों और मांगों का प्रतिनिधित्व करे। जनसाधारण के सम्मुख गांधी जी का यही प्रथम भाषण था।

सात्विक जीवन

ज्यों-ज्यों समय गुजरता गया गांधी जी सादी-से-सादी जिन्दगी व्यतीत करने में नये प्रयोग करते गये। आत्म निर्भरता और सादगी की ओर वे अधिक से अधिक झुकते गये। वे अपना कपड़ा स्वयं धोते थे, अपनी रसोई स्वयं बनाते थे और अब अपना केश भी वे स्वयं काटने लगे।

सादगी, और सच्चरित्रता ने आपको प्रसिद्धि दी। किन्तु जनकार्य और जन-सेवा में इनकी नित्य बढ़ती हुई दिलचस्पी ने इन्हें भारतीयों के बीच सर्वप्रमुख स्थान दिया। आप भारतवर्ष के लिए रवाना होने ही वाले थे कि आपको समाचार मिला कि नेटाल एसेम्बली में एक बिल पेश होने जा रहा है जिसके जरिये भारतीयों से सदस्य निर्वाचन का अधिकार छीन लिया जायगा। गांधी जी के भारत जाने के अवसर पर

उनके समादर के लिए एक पार्टी दी गयी थी, इस पार्टी में ही गांधी जी को उपर्युक्त समाचार मिला। बिल के विरोध में आन्दोलन करने के लिए गांधी जी ने भारत जाना स्थगित कर दिया।

नेटाल कांग्रेस का जन्म

सन १८९४ के २२ मई को दादा अब्दुल्ला के घर नेटाल कांग्रेस का जन्म हुआ।

कांग्रेस अभी बाल्यावस्था में ही थी कि एक दिन एक तामिल-निवासी बाला सुन्दरम् फटे कपड़ों में रोता हुआ गांधीजी के पास आया। बाला सुन्दरम्, एकरारनामे के अनुसार एक योरोपियन की मातहत काम करता था। उक्त योरोपियन ने बाला सुन्दरम् को बुरी तरह पीटा था।

गांधीजी के निर्णय का ढङ्ग निराला था। उन्होंने तत्सम्बन्धी सभी दलों की स्वीकृति से बाला सुन्दरम् को एक दूसरे मालिक की मातहत तब्दील कर दिया।

सन् १८९६ में गांधीजी भारत आए। उसी समय राजकोट में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की दुरावस्था सम्बन्धी मशहूर पर्चा लिखा।

उसके बाद गांधीजी बम्बई गए। वहां सर फिरोजशाह मेहता से आपने मुलाकात की। फिर पूना जाकर लोकमान्य तिलक और गोखले से मिले। मद्रास की जनसभा में बाला सुन्दरम् की दर्दनाक कहानी सुनाकर जनता के उत्साह को जगाया।

गौरांगोंका क्रोध

भारत में गांधीजी के भाषण और उनकी लेखनी ने डरबन के गोरों के जातीय पक्षपात को उत्तेजना दी। उन्होंने एक सभा बुलाई और निर्णय किया कि गांधीजी को नेटाल आने से रोका जाय, गांधीजी जिस जहाज

पर नेटाल आ रहे थे, उसे बन्दरगाह से दूर समुद्र में ही पांच दिन तक रोक रखा गया। जहाज के मालिकों को प्रलोभन दिए गए ताकि वे जहाज को वापस लौटा दें।

योरोपियनों की एक कमेटी ने जहाज के यात्रियों को धमकी दी कि अगर वे जहाज से उतरने की चेष्टा करेंगे तो समुद्र में ढकेल दिए जायेंगे।

अन्ततः योरोपियनों के नेता ने गांधीजी के पास संवाद भेजा कि वे औरों के साथ जहाज से न उतरें। कारण उन्हें किसी दुर्घटना की आशंका थी।

गांधीजी पर प्रहार

गांधीजी को यह बहुत ही लज्जास्पद लगा कि वे रात्रि के अन्धकार में चुपचाप शहर को जांय। अस्तु आप एक योरोपियन बन्धु के साथ जहाज से उतर पड़े। वहां खड़े कुछ लड़कों ने इन्हें चिढ़ाना शुरू किया, किन्तु वे आगे बढ़ते ही गए। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी और एक हट्टे कट्टे आदमी ने गांधीजी पर वार किया और फिर तो चतुर्दिक से उन पर पत्थर बरसने लगे, उनका मुरैठा फाड़ फेंका गया।

ऐसी नाजुक परिस्थिति में पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट की पत्नी श्रीमती एलेक्जेण्डर वहां आई और उन्होंने गांधीजी की रक्षा की। गांधीजी जब रुस्तम जी के घर पर पहुंचे तो परिस्थिति और संगीन हो चुकी थी, हजारों योरोपियन घर के सामने आ डटे और रात होते ही बदमाशों ने चारों तरफ से घर को घेर लिया। उनका कहना था कि गांधीजी को उन्हें सौंप दिया जाय वर्ना वे घर जला देंगे।

पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट एलेक्जेण्डर ने भाषण देते हुए भीड़ को अपनी ओर आकर्षित किया, इसी बीच उनका एक सहायक गांधीजी को भारतीय व्यापारी के वेष में भीड़ के बीच से निकाल कर थाने ले गया।

इस आक्रमण की प्रतिक्रिया लन्दन में हुई। उपनिवेश के मन्त्री चेम्बरलेन ने नेटाल सरकार को केबुल के जरिये आदेश दिया कि आक्रमणकारियों को पूरी सजा मिले और गांधी जी के साथ पूरा न्याय हो। परन्तु गांधी जो ने आक्रमणकारियों पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति नहीं दी और न उन्हें पहचानने को ही तैयार हुए।

बोअर युद्ध

सन १८९९ में बोअर युद्ध प्रारम्भ हुआ। गांधी जी की सहानुभूति बोरों के साथ थी, किन्तु फिर भी आपने भारतीयों से ब्रिटिश को मदद देने की सलाह दी। भारतीयों ने गांधीजी से बहस की कि वे अपने आततायियों को मदद क्यों देने जायें। गांधी जी ने उन्हें समझाया, चूंकि वे ब्रिटिश नागरिक की सुविधाओं और अधिकारों की मांग करते हैं। अतएव उन्हें तत्सम्बन्धी उत्तरदायित्व से पीछे नहीं हटना चाहिए।

कांग्रेस का पहला अनुभव

१९०१ में गांधी जी भारत लौटे और श्रीयुत वाचा के सभापतित्व में होने वाली कलकत्ता कांग्रेस में सम्मिलित हुये। कांग्रेस के साथ गाँधीजी का यह प्रथम सम्पर्क था। इसके बाद वे श्रीयुत गोखले के साथ लगातार एक महीने तक रहे।

दक्षिण अफ्रीका में १२ वर्ष

सन १९०२ के मार्च को आप तीसरी बार दक्षिण अफ्रीका गये। गांधी जी अपना परिवार यहीं छोड़ गये थे। उन्हें उम्मीद थी कि वे शीघ्र लौट आयेंगे, किन्तु वे बारह वर्ष तक भारत न आ सके। गांधी जी भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के साथ चेम्बरलेन से नेटाल में पहली बार मिले। चेम्बरलेन साहब नेटाल से ट्रान्सवाल गये। भारतीयों ने वहां भी प्रतिनिधि मण्डल भेजना चाहा और गांधी जी से नेतृत्व करने का अनुरोध किया। किन्तु बिना आज्ञा-पत्र के कोई भी व्यक्ति ट्रान्सवाल की सीमा के अन्दर

नहीं जा सकता था और भारतीयों के लिए यह आज्ञा-पात्र पाना मुश्किल था।

गांधी जी ने डरबन के पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट से एक आज्ञा-पत्र की व्यवस्था की, किन्तु योरोपियन हार मानने वाले न थे। उन्होंने आज्ञा पत्र की मान्यता का विरोध किया। वे किसी भी तरह गांधी जी को चेम्बर लेन से दुबारा मिलने देने को तैयार न थे।

इस घटना ने गांधी जी को एक महत्व पूर्ण निर्णय पर पहुंचाया। गांधी जी ने ट्रान्सवाल में कार्य करने का निश्चय किया। अल्पकाल के अन्दर ही गांधी जी ने ट्रान्सवाल में अपना दफ्तर खोला। सन् १९०४ में आपने 'इण्डियन-ओपिनियन' नामक एक पत्र को जन्म दिया। गांधी जी उसका सिर्फ सम्पादन और नियन्त्रण ही नहीं करते थे बल्कि उन्होंने अपनी सारी आमदनी उसमें लगा दी थी।

एलवर्ट वेस्ट और रुस्तम जी की मदद से डरबन से १४ मील दूर गांधी जी ने 'फोनिक्स उपनिवेश' स्थापित किया। जोहेन्सवर्ग में गांधी जी और उनके मित्र स्वयं आटा पीसते; मेहतर और नापित का काम भी गांधी जी स्वयं कर लेते।

काला कानून

गांधी जी अपनी चिट्ठियों और तार का जवाब देने फोनिक्स से जोहेन्सवर्ग गये हुए थे; वहीं ट्रान्सवाल सरकार की १९०६ के २२ अगस्त के असाधारण गजट में एक नया आर्डिनेंस देखा, जो भारतीय और अन्य एशियाई जाति से सम्बन्धित था। इस आर्डिनेंस का उद्देश्य था भारतीयों की आयात संख्या सीमित रखना और जिस तरह भी हो उनकी स्थिति को बदतर बनाना। इस आर्डिनेंस के अनुसार आठ वर्ष और उससे अधिक उम्र के प्रत्येक भारतीय को अपना नाम रजिस्टर कराना होगा। उनके परिचय चिन्ह और अंगुली की निशानी ली जायगी।

यह नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन को कोई योजना न थी वरन् प्रत्येक एशियाइयों को अपमानित करने की एक नीति थी।

गांधी जी ने भारतीयों की एक सभा बुलायी और उन्हें अच्छी तरह इस आर्डिनेंस का अर्थ समझाया। आर्डिनेंस की व्याख्या सुनकर सभा में उपस्थित एक सज्जन क्रोधातुर होकर बोले, 'यदि मेरी पत्नी से कोई सर्टीफिकेट मांगने आयेगा तो उसी क्षण मैं उसे गोली मार दूँगा, बाद चाहे मुझे कुछ भी हो, पर गांधी जी ने उन्हें बुद्धिसंगत सलाह दी। आपने बताया कि भारतीयों को यहां से भगाने का यह अन्तिम शस्त्र नहीं वरन् प्रथम शस्त्र है। जल्दीबाजी, अधीरता या क्रोध से काम नहीं चल सकता। अगर धैर्य और साहस से सम्मिलित मोर्चा उपस्थित कर हम प्रतिरोध करें तो भगवान हमारी मदद करेंगे, इसमें सन्देह नहीं।

इस आर्डिनेंस के प्रतिरोध का क्या रूप होगा, उन्हें कौनसा रास्ता अख्तियार करना चाहिए, इस विषय पर विचार करने के लिए जोहेन्सवर्ग के ओल्ड एम्पायर थियेटर में भारतीयों की एक सभा हुई। सभा में भाषण देते हुए एक व्यक्ति ने भगवान के नाम से शपथ थी और ऐलान किया कि वह किसी हो दशा में इस आर्डिनेंस को कबूल नहीं करेगा और दूसरों से अनुरोध किया कि वे भी ऐसा ही करें। इससे गांधी जी को बल मिला। इस तरह शपथ लेने की बात आपने कभी सोची भी न थी। तत्क्षण गांधी जी ने उसका औचित्य अनुभव किया एवं उसमें समाहित महान उत्तरदायित्व का उन्हें बोध हुआ।

आर्डिनेंस का प्रतिरोध

सभा के अन्त में उपस्थित सभी व्यक्तियों ने हाथ उठाकर भगवान को साक्षी रख शपथ ली कि अगर यह आर्डिनेंस बिल हुआ तो वे कदापि इसे कबूल न करेंगे।

सरकार के साथ समझौते की बात चलने लगी, सरकार कुछ हदतक झुकी भी किन्तु मूल समस्या पर वह दृढ़ थी। भारतीयों ने संग्राम की तैयारी की, किन्तु वे नहीं जानते थे कि इस संग्राम की क्या संज्ञा होगी। Passive-resistance भ्रमनूलक होगा; अतएव उन्होंने एक नया शब्द ईजाद किया—'सत्याग्रह'

नाम रजिस्ट्री की अवधि जब समाप्त हुई, सभी भारतीय प्रिटोरिया के मीस्जद-मैदान में एकत्रित हुए। जेनरल बोथ ने एक योरोपियन द्वारा उन्हें शान्त रहने का संदेश भेजा; किन्तु भीड़ शान्त होने को न थी। एक वक्ता ने घोषणा की कि इस काले-कानून को कबूल करने के बजाय वे फांसी पर लटकना बेहतर समझते हैं। एकत्रित भीड़ने एक आवाज से उनका स्वागत किया। सत्याग्रह शुरू हो चुका था।

स्मट्स से वार्तालाप

फिर गांधी जी ने इस कानून के सम्बन्ध में स्मट्स से बातचीत की किन्तु कानून न उठाया गया। अन्ततः गाधी जी ने कड़ी कार्रवाई की तैय्यारियां की। एक-एक कर चतुर्दिक से सर्टिफिकेट इकट्ठा किया गया और स्मट्स को एक अल्टिमेटम दिया गया। अल्टीमेटम की अवधि समाप्त होने पर, १६ अगस्त १९०८ को जोहेन्सवर्ग का मस्जिद-मैदान भारतीयों से ठसाठस भर गया।

लगभग २००० सर्टीफिकेट एकत्रित कर जला दिये गये और कुछ ही क्षण बाद स्मट्स का कानून जलकर खाक हो गया। अब शेष रहे कुछ राख और आकाश में उड़ता हुआ धुआ।

संग्राम का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। जेनरल स्मट्स ने एसेम्बली में एक और कानून पास कराकर भारतीयों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाया भारतीयों ने ट्रान्सवाल प्रवेशकर इसका जवाब दिया किन्तु वे तुरन्त निकाल दिये गये। तीन दिन के बाद वे वहां फिर घुस आये, इस बार उन्हें तीन मास की कैद मिली।

सन् १६०९ के जून को गांधी जी दूसरा डेपुटेशन ले केहटाउन से लन्दन को रवाना हुए। लार्ड एम्फिल रंग-भेद को हटाने के लिए तैयार न थे। उन्होंने गांधी जी को सलाह दी कि गांधी जी इस नीति को छोड़ दें। गांधी जी नवम्बर में दक्षिण अफ्रीका लौट आये और पुनः संग्राम शुरू किया।

इस तरह के कई आन्दोलनों के बाद, गांधी जी ने १९१४ के १८ जुलाई को अन्तिम बार दक्षिण अफ्रीका छोड़ा। वे सीधे भारत न आये। पहले वे इङ्गलैण्ड गये। उनके इङ्गलैण्ड पहुंचने के दो दिन पहले लड़ाई छिड़ चुकी थी।

भारत आगमन

गांधी जी की वापसी पर बम्बई में श्री गोखले ने उनके स्वागत का आयोजन किया। गुजराती स्वागत आयोजन के प्रमुख वक्ता ने अंग्रेज़ी में एक संक्षिप्त, पर सुन्दर वक्तव्य दिया। वक्ता थे जिन्ना। गांधी जी ने गुजराती सभा में अंग्रेज़ी के व्यवहार का विरोध किया।

कई महीनों तक गांधी जी भारत का भ्रमण करते रहे। सभी वर्ग, सभी जाति और कोटि के व्यक्तियों से आप मिले और उनके हालात मालूम किये। गांधी जी बराबर तीसरे दर्जे में यात्रा करते थे। गरीबों को अच्छी तरह जानने और उनकी कठिनाइयों में हाथ बटाने की चेष्टा करते थे।

सन् १९१४ के कांग्रेस अधिवेशन के बाद, गांधी जी से चम्पारन आने का अनुरोध किया गया ताकि वे स्वयं देख लें कि नील खेती में काम करने वाले मजदूरों की क्या दुर्दशा थी। अतएव आप बिहार गये और खेतिहर एशोसियेशन (Planters Assodiation) से आपका सम्पर्क हुआ।

कचहरी में उपस्थिति

जब आप एक किसान से मिलने गये, जिस पर अत्याचार हुआ था, तो आपको तुरन्त जिला छोड़ देने का हुकम मिला। आपने यह आज्ञा मानने से इनकार किया। दूसरे ही दिन गांधी जी को कचहरी में हाज़िर होने की आज्ञा मिली। कचहरी भारतीयों और योरोपियनों से ठसाठस भरी थी। इस बीच गांधी जी ने परिस्थिति का पूरा विवरण तार द्वारा वाइसराय के पास भेज दिया था। लेफ्टिनेण्ट गवर्नर ने मुकदमा उठा लेने की आज्ञा दी।

भारत में गांधी जी की यह पहली और महत्वपूर्ण विजय थी। अब सदा वे किसानों के विषय में ही सोचा करते। खेड़ा में फसल नष्ट हो गई थी। अहमदाबाद में मिल मज़दूरों ने कम मज़दूरी के विरुद्ध आन्दोलन किया था। गांधी जी पहले अहमदाबाद गये, मिल मालिकों से मिले, उनसे अनुरोध किया कि वे इस झगड़े को समझौता कमेटी के सुपुर्द कर दें। मिल-मालिकों ने इनकार कर दिया। गांधी जी ने हड़ताल के सिवा दूसरा चारा न देखा।

रौलैट-एक्ट

रौलैट एक्ट की खबर जुलाई १९१८ में मिली। गांधी जी राजगोपालाचार्य से परामर्श करने मद्रास गये। परामर्श के फलस्वरूप एक विचार सामने आया। गांधी जी से सत्याग्रह नीति की एक विवरण पुस्तिका तैयार करने को कहा गया। रौलैट बिल, एक्ट के रूप में प्रकाशित हो चुका था। उस रात गांधी जी को नींद न आई। यकायक एक ख्याल उनके मन में आया। दूसरे दिन सवेरे आप राजगोपालाचारी के पास गये और उनसे अपनी अन्तःप्रेरणा कह सुनाई। उन्होंने बताया कि रात को स्वप्न में उन्हें यह विचार आया कि इस एक्ट के विरोध में सम्पूर्ण देश में आम हड़ताल बुलाई जाय।

जलियावाला बाग

सबको यह विचार पसन्द आया। ३० मार्च १९१९ को हड़ताल की तिथि मुकर्रर हुई। फिर बाद को वह तिथि बदल कर ६ अप्रैल कर दी गई। दिल्ली में एक जुलूस पर गोली चलाई। पंजाब में उत्तेजना अत्यधिक बढ़ गई थी। गांधी जी दिल्ली बुलाये गये। इस बीच जलिया वाला बाग का मशहूर हत्याकाण्ड हो चुका था। पंजाब में आतंक का जो साम्राज्य व्याप्त था, उसकी एक घटना थी। लोगों के चमड़े उधेड़ लिये गये, हवाई जहाज से उनपर गोली चलाई गई, बन्दूक की नोकपर उन्हें पेट के बल लुढ़क कर चलने को बाध्य किया गया।

गांधी जी की योजना विशिष्ट थी। आश्रम के लघु समुदाय ही आदोलन शुरू करेंगे। अब तक वे अलग रखे गये थे। और यह संयम उनकी इच्छानुसार ही था, कारण उम्मीद थी कि एक न एक दिन वे अपनी विशिष्टता प्रदर्शित कर सकेंगे।

अपनी कार्य कारिणी के साथियों से उन्हें इतना ही कहना था—"जब तक मैं प्रारम्भ न करूं आप प्रतीक्षा करें। मेरी यात्रा शुरू होते ही योजना आपके सामने स्पष्ट हो जायगी। तब आप स्वयं समझ सकें कि आपको क्या करना है।"

डंडी यात्रा

यात्रा का स्थान डंडी निर्दिष्ट हुआ, आश्रम से २०० मील दूर समुद्र तट पर वह स्थिति था। बारह मार्च को ७९ अनुयायियों के साथ गांधी जी समुद्र की दिशा में चल पड़े और तब तक न लौटने की प्रतिज्ञा की जबतक नमक कर उठा न दिया जाय, जब तक 'स्वराज्य' न मिल जाय।

गांधी जी ने लार्ड इरविन से बात चीत करने का निर्णय किया, उन्हें खुल कर बात करने के लिए एक चिट्ठी लिखी। लार्ड इरविन ने मंजूर

किया और गांधी जी तुरन्त वायसराय से बात करने दिल्ली गए ? इस वार्तालाप का फल 'गांधी—इरविन समझौता हुआ। इस समझौते की स्वीकृति के लिये करांची में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ।

गोलमेज कानफरेंस

अन्ततः गोलमेज कानफरेंस में सम्मिलित होने के लिए गांधी जी को राजी किया गया। इंगलैंड की यात्रा के अन्तर्गत आप यूरोप में भारत के दूत का कार्य करते गये। हर जगह आप निम्न दर्जे में ही सफर करते थे। और इङ्गलैण्ड में आप ईस्ट एण्ड में ठहरे। भारत की पीड़ति और दरिद्र जनता के प्रतिनिधि के लिए यही उपयुक्त था कि लन्दन में भी वे गरीबों के साथ ही ठहरें।

गोलमेज कानफरेंस असफल रही और उसके बाद ही भारत में स्थिति बिगड़ रही थी। बंगाल में उत्तेजना बढ़ रही थी। अत्याचार और उत्पीड़न से सीमाप्रान्त आग्नेय हो उठा था और युक्तप्रांत की प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने किसानों को आदेश दिया कि जब तक निर्णय न होजा तब तक सरकारी लगान; कर और शेष आदि न दें।

हजारों गिरफ्तार

गांधी जी २८ दिसम्बर १९३१ को बम्बई आए। बाद के चार दिनों के अन्दर स्थिति बिगड़ती ही गई। लार्ड वेलिंगटन ने तेरह विशेष आर्डिनेन्स पास किये देश में हजारों गिरफ्तारियां हुईं।

गांधी जी ने मुलाकात के लिए वायसराय को तार दिया। अनुरोध अस्वीकृत हुआ। कांग्रेस कार्यकारिणी ने राष्ट्र को सविनय अवज्ञा आन्दोलन जारी रखने का आदेश दिया। गांधी जी शान्त रहे। चार जनवरी को आप गिरफ्तार हुए।

हरिजन-समस्या

गांधीजी ने जेल में ही अस्पृश्यता के विरुद्ध आन्दोलन शुरू किया। मई को गांधी जी ने अनशन शुरू किया, इसकी सम्भाव्य आतंक के फल स्वरुप आप उसी दिन यरवदा जेल से मुक्त कर दिये गये। आपने एक वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसमें यह अपील की गई थी कि सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन अभी स्थगित कर दिया जाय ताकि हरिजन समस्या की ओर पूरा ध्यान दिया जा सके।

१९३४ के उत्तरार्ध में खां अब्दुलगफ्फारखां और उनके भाई गांधी जी के साथ वर्धा में कुछ दिनों तक ठहरे। वे शीघ्र ही कारागार से मुक्त हुए थे और अब भी उनके प्रान्त-प्रवेश पर प्रतिबन्ध था।

वर्धा के नवीन आश्रम में गांधी जी और उनके अनुयायी रचनात्मक कार्य में लगे थे, गाधी जी तो बिलकुल देहाती ही हो गए थे। वहां से सेगांव जाकर ग्रामीणों की सेवा करने का आपने निर्णय किया। जो छोटे सुधार के प्रस्तुत नहीं उससे बड़ा सुधार नहीं हो सकता।—गांधी जी ने कुछ दिन पहले लिखा था।

कुछ दिनों तक देशी राज्यों की जिन्दगी में जोश की लहरें नजर आयी थी। कुछ राज्यों में उत्तरदायी सरकार की मांग हुई थीं। सैद्धान्तिक दृष्टि से संग्राम ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध न था बल्कि देशी नरेशों से यद्यपि देशी नरेश भी भारतीय पोशाक में ब्रिटिश अधिकारी ही समझे जाते थे।

जनवरी १९३९ के उत्तरार्द्ध में देशी राज्य में स्वाधीनता-आन्दोलन के नये रूप के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया। तीन फरवरी को कस्तूर बा गांधी ने राजकोट प्रवेश किया और गिरफ्तार हुई। उनकी नजरबन्दी के के फलस्वरूप संघर्ष हुआ और कई गिरफ्तारियां हुई।

तीन सितम्बर को वायसराय ने, बिना किसी भारतीय नेता से सलाह किये ही, भारत के युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। कार्यकारिणी समिति ने फासिस्ट-अत्याचार की निन्दा की, किन्तु फिर भी यह करार दिया कि शान्ति या युद्ध की समस्या का निर्णय भारतीय जनता द्वारा ही होना चाहिये और प्रान्तीय सरकारों को पदत्याग का आदेश दिया।

रामगढ़ कांग्रेस में कांग्रेस-अध्यक्ष मौ० आजाद ने घोषणा की कि अगर केन्द्र में स्थायी राष्ट्रीय सरकार देने को तैयार होगी। वयासराय ने कांग्रेस के सामने एक प्रस्ताव रखा, जो अगस्त प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध है।

वैयक्तिक-सत्याग्रह

अक्टूबर १९४० में गांधी जी ने वैयक्तिक-सत्याग्रह प्रारम्भ किया प्रथम सत्याग्रही विनोवा भावे थे आप आश्रम के एक अत्यन्त पुराने सदस्य थे। नवम्बर के मध्य आंदोलन का दूसरा प्रकरण प्रारम्भ हुआ वर्धा के समीप गूंजती हुई वह एकाकी आवाज तो शांत कर दी गयी, किन्तु उसके बाद ही भारत के सैकड़ों स्थानों से वह प्रतिध्वनित हो उठी—'जन या धन से ब्रिटिस की युद्ध-प्रचेष्टा में सहायता देना गलत है। एकमात्र गौरवप्रद प्रयत्न होगा अहिंसात्मक प्रतिरोध से युद्ध का विरोध।'

जनवरी १९४१ के प्रथम प्रहर में यह आंदोलन तीसरे स्टेजपर पहुंचा। वर्धा के नीरव वातावरण में गूंजती एकाकी आवाज शांत हुई और उसकी गूंज ५०० आवाजों से ध्वनित हुई। पांच सौ आवाजों की गूंज शांत कर दी जाने के बाद भारत के ५००० आवाजों से वह वाणी फिर गूंज उठी। सितम्बर १९४१ में चर्चिल साहब ने घोषणा की कि एटलाण्टिक चार्टर ने ब्रिटिश की भारतीय नीति में कोई खलल न पहुँचायी। किन्तु घटनाचक्र द्रुत वेग से चल रहा था और दिसम्बर में

जापानियों ने पर्लहार्बर पर हमला कर दिया और जब जापानियों ने प्रशान्ती पर चढ़ाई की। बर्मा और मलाया पर आक्रमण किया तो भारत के साथ एक समझौते की जरूरत महसूस हुई।

क्रिप्स-प्रस्ताव

फलस्वरूप क्रिप्स-प्रस्ताव भारत के सामने आया, किन्तु यह भारत की किसी भी राजनीतिक संस्था को मंजूर न था। एप्रिल के अन्त में भारतीय कांग्रेस कमिटी की बैठक इलाहाबाद में हुई और निर्णय हुआ, 'यदि आक्रमण हो तो उसका प्रतिरोध अवश्य होना चाहिए।'

'इस प्रतिरोध का रूप अहिंसक और असहयोगिक होगा, कारण ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा की मनाही की थी।'

प्रस्ताव द्वारा यह घोषणा हुई कि ब्रिटिश सत्ता का अन्त शीघ्र से शीघ्र हो; अगर ब्रिटेन राजनीतिक प्रभुत्व उठा ले, तो भारतीय प्रतिनिधियों की एक अस्थायी सरकार कायम होगी और वह सरकार आक्रमण के विरुद्ध सहयोग देने के लिए ब्रिटेन से परामर्श करेगी। यह स्पष्ट करने के लिए कि मित्रराष्ट्र की स्थिति को नुकसान पहुंचाने की उनकी नीति नहीं, वे भारत में सशस्त्र फौज रखने में सहमत हुए। अगर उनका प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ, तो कांग्रेस १९२० से संग्रहित अपनी सारी अहिंसात्मक शक्तियों का उपयोग करेगी, अपने राजनीतिक अधिकार और अपनी स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए। और इस बहुव्यापक संग्राम का नेतृत्व अवश्य ही गांधी जी करेंगे।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी की अगस्त वाली बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव आया था।

मैं तो आपके इस संग्राम का नेतृत्व वहन करता हूँ' गांधी जी ने कहा, 'कमाण्डर के रूप में नहीं, वरन् आपके सेवक के रूप में और जो सर्वाधिक श्रेष्ठ सेवा करता है वही उनमें प्रधान होता है।'

अन्तर्वाणी

गांधी जी ने अपनी अन्तर्वाणी के सम्बन्ध में कहा, 'इसे चेतना कहें; या मेरी आधारभूत प्रकृति की प्रेरणा कहें; आप इसका वर्णन चाहे जिस रूप में भी करें; यह वही है अवश्य···वह मुझसे कहती है, 'तुम्हें अकेले समस्त विश्व से युद्ध करना है; तुम तब तक सुरक्षित हो जब तक तुम दुनिया की नजरों से देखते हो, मुमकिन है उसकी आंखें रक्तवर्ण हों; उससे मत डरो, आगे बढ़ो: सिर्फ भगवान का भय तुम में हो।'

इससे यह साफ है कि गांधी जी को भवितव्य का पूरा ज्ञान था। किन्तु संग्राम शुरू करने के पहले वे वायसराय को एक खत लिखना चाहते थे, चाहे उसके जवाब में एक दो सप्ताह का बिलम्ब हो जाय।

अगस्त-आन्दोलन

बम्बई में आठ अगस्त की वे अन्तिम घड़ियां महती घटनाओं की आशङ्का से संभूत थीं। गांधी जी पर प्रश्नों का बौछार हो रहा था। गांधी जी दृढ़ता और शांति से उसका जवाब दे रहे थे। वायसराय भी शान्ति चाहते थे, पर भिन्न प्रकार की। वे गांधी जी के लिए भी न ठहरे बल्कि गांधी जी और कार्यकारिणी के सदस्यों को, भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत, ९ अगस्त के सवेरे ४॥ बजे, नजरबन्द कर लिया।

उनकी गिरफ्तारी का समाचार पा समस्त देश में व्यापक प्रदर्शनी हुई, आन्दोलन हुआ। क्रान्ति की चिनगारी भारत के जर्रे-जर्रे में व्याप्त हो गयी, जो भविष्य में भारत के इतिहास का अग्नेय पृष्ठ होगा। सरकार ने इसका उत्तर-दायित्व कांग्रेस के मत्थे मढ़ा! दिसम्बर में गांधी जी ने वायसराय को खत लिखते हुए शिकायत की कि उनके (गांधी) सम्बन्ध में सरकारी अञ्चल में जो वक्तव्य दिया गया है वह सत्य से प्रत्यक्षत: अलग है।

जब तक गतिरोध को दूर करने की कोई मीमांसा नहीं होती है तब उनके लिए सिर्फ एक उपाय है—"अनशन व्रत" जो सत्याग्रह नीति के अनुसार परीक्षा की इस घड़ी का एकमात्र उपचार है।

२१ दिन का अनशन व्रत

९ फरवरी को गांधी जी ने २१ दिन का अनशन व्रत शुरू किया। सातवें दिन से उनके स्वास्थ्य सम्बन्धी अशुभ पर्चे निकलने लगे—उन्हें अच्छी तरह नींद नहीं आती; वे कमजोर पड़ रहे हैं; वे अत्यन्त कमजोर हो गये; उनकी नाड़ी की गति बिल्कुल क्षीण हो गई, आदि आदि।

भारतवर्ष में हर जगह गांधी जी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना हुई; कारागार से उनकी मुक्ति हित प्रदर्शनी हुई, जुलूस निकले; वायसराय कमिटी के तीन सदस्यों ने सरकार की नीति के विरोध में त्याग पत्र दिया।

किन्तु सरकार की पाशविक बर्बरता की नीति जरा भी न हिली। सरकार ने गांधीजी को कारा-मुक्त न किया। गांधी जी का २१ दिन का अनशन सही सलामत समाप्त हुआ। तीन मार्च के सवेरे कस्तूर वा के हाथ से गांधी जी ने सन्तरे का रस पान किया। आगा खां भवन में जितने व्यक्ति नजरबन्द थे, सब वहां मौजूद थे। किन्तु एक जगह रिक्त नजर आ रही थी। महादेव देसाई वहां न थे। १७ अगस्त को ही उनकी मृत्यु हो गयी थी। गांधी जी अभी कैद ही थे कि महादेव देसाई की तरह कस्तूर वा भी महाप्रयाण कर गयी।

उसके बाद शीघ्र ही मई १९४४ में गांधीजी मलेरिया के शिकार हुए और स्वास्थ्य के नाम पर उन्हें रिहाई मिली।

स्वास्थ्य-लाभ करने के बाद सितम्बर में गांधीजी ने साम्प्रदायिक गतिरोध को दूर करने के विचार से जिन्ना को बम्बई में मिलने का निमं-

त्रण दिया। सी० आर० फार्मूला के आधार पर बातचीत शुरू हुई, किन्तु कोई निर्णय न हो सका। तत्पश्चात् गांधीजी विश्राम को गये और जेल के बाहर कांग्रेस कर्मियों को रचनात्मक कार्य का आदेश दिया। १९४५ के ग्रीष्मकाल में वायसराय ने एक नयी योजना पेश की जो 'वावेल-योजना' के नाम से प्रसिद्ध है। इस योजना पर विचार-विमर्श करने के लिये कांग्रेस कार्यकारिणी के सभी सदस्य कारागार से मुक्त किये गये। इस योजना के विचार के लिये दिल्ली में एक कान्फ्रेंस हुई किन्तु वह भी असफल रही।

इति मध्य ब्रिटेन में श्रमिक दल का मंत्रिमंडल कायम हुआ। नई ब्रिटिश सरकार ने प्रान्तों में कांग्रेस के ऊपर से सभी प्रतिबंध उठा लिया; भारत के प्रत्येक प्रान्त में नये आम चुनाव की घोषणा की। चुनाव में कांग्रेस को अत्यधिक सफलता मिली। वायसराय वावेल को विचार-विमर्श के लिए लन्दन बुलाया गया। वहां से वापिस आने पर आपने घोषणा की कि भारत को पूर्ण स्वायत्त-शासन देने की इच्छा ब्रिटेन फिर दुहराता है।

मार्च १९४६ में एटली ने केबिनेटमिशन के भारत आने की घोषणा की और साथ ही यह भी बताया कि भारत अपना भविष्य निर्माण करने के लिए स्वतन्त्र होगा। उसी महीने 'केबिनेट-मिशन' भारत आया। मिशन के सदस्य थे लार्ड पेथिक लारेन्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए० भी० अलेक्जेण्डर। केबिनेट मिशन और कांग्रेस के वार्तालाप में गांधीजी का प्रमुख हाथ रहा। १६ मई १९४६ को केबिनेट मिशन ने भारतीय स्वतन्त्रता की अपनी योजना प्रकाशित की।

अगस्त १९४६ को कलकत्ते का नृशंस हत्याकाण्ड शुरू हुआ। इस घटना से गांधीजी मर्माहत हो उठे। 'करो या मरो' का व्रत ले, जनता के हृदय परिवर्तन हित गांधीजी १९४७ की जनवरी को नोआखाली गये। पांव पैदल, जंगल-झाड़, नदी नालों से गुजरते हुए गांव गांव में घूमते

हुए, सैकड़ों मील का भ्रमण किया, उसके बाद मार्च १९४७ में उसी उद्देश्य से बिहार भ्रमण किया जहां साम्प्रदायिक आग भड़क उठी थी।

१९४७ के २० फरवरी को लन्दन में ऐतिहासिक घोषणा हुई कि १९४८ के जून तक भारत स्वाधीन हो जायगा। किन्तु कुछ ही दिन बाद ब्रिटिशों के विचार में एक परिवर्तन आया और उन्होने घोषणा की कि पन्द्रह अगस्त को शासन अधिकार भारत के हाथ में दे दिया जायगा। निर्णय हुआ, भारत विभाजित होगा।

१९४७ की जुलाई में महात्मा जी काश्मीर गये और अगस्तमें कलकत्ता वापिस आ गये। कारण साम्प्रदायिक स्थिति में अबतक भी उत्तेजना थी पन्द्रह अगस्त को जैसे नवजीवन की आशा आई। सर्वत्र शान्ति थी, मेल था। पर यह अस्थायी था, १ सितम्बर को स्थिति फिर खराब हो गई। और गांधीजी ने आमरण व्रत शुरू किया। जबतक हिन्दू मुसलमान भाई-भाई न हो जायेंगे वे अन्न-जल ग्रहण न करेंगे। जनता पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा। एक ही दिन में स्थिति काफी सुधर गई। सभी दल के नेताओं ने सम्मिलित रूप से शान्ति-स्थापना की शपथ ली। और इस तरह तीन सितम्बर को गांधीजी ने अनशन भंग किया। सितम्बर में ही आप दिल्ली चले गये। पञ्जाब में जो लूटमार चल रही थी उसका प्रकोप दिल्ली तक आ धमका ? अक्टूबर में काश्मीर पर चढ़ाई हो जाने के कारण साम्प्रदायिक कटुता और भी उग्र हो उठी थी। गांधीजी का हृदय छलनी हो गया। हिन्दू और मुसलमानों के हृदय-परिवर्तनार्थ गांधीजी ने १३ जनवरी को फिर अनशन व्रत शुरू किया। समस्त भारत चिन्तित हो उठा। सभी नेताओं ने शान्ति-स्थापन की प्रतिज्ञा की। अनशन भंग करने के लिये गांधीजी ने सात शर्तें रक्खीं। दिल्ली की शान्ति-समिति ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी सभी शर्तें पूरी की जायंगी।

गांधीजी की इस सफलता पर सारा विश्व मन्त्रमुग्ध हो गया। प्रत्येक राष्ट्र और अन्तर्राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाएँ गांधीजी की अहिंसा-शक्ति के कायल हुए। उन्होंने मुक्त कण्ठ से गांधीजी को विश्व-नायक माना। गत २० जनवरी को प्रार्थना-सभा में एक नौजवान ने गांधीजी पर बम फेंका, पर किसी को नुकसान न पहुंचा और फिर ३० जनवरी को एक हिन्दू हत्यारे ने गांधीजी पर लगातार चार बार गोलियां चलाईं; गांधी तत्क्षण स्वर्ग सिधारे।

गांधीजी सदा-सर्वदा भारत के कल्याण हित सेवा करते रहे। हिन्दू मुस्लिम एकता उनका जीवन-प्राण था, अहिंसा उनका धर्म था और विश्व-शान्ति उनका उद्देश्य।

महात्मा गांधी हत्या-कांड

—: का :—

अभियोग पत्र

२२ जून सन १९४८ को दिन में दस बजे से लाल किले के अन्दर विशेष जज श्री आत्माचरण के इजलास में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम विनायक गोडसे तथा सात अन्य अभियुक्तों का मुकदमा शुरू हुआ। जज ने अभियोग सुनाते हुए घोषित किया कि नवां अभियुक्त दिगम्बर बाडगे को क्षमा प्रदान कर दी गई है। मुकदमा शुरू होने के समय सफाई पक्ष के सभी वकील उपस्थित थे। साथ ही केन्द्रीय सरकार के मन्त्री श्री एन० बी० गाडगिल, गृह-सचिव श्री आर० एन० बनर्जी तथा कुछ अन्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

जज ने अभियोग पत्र पढ़कर सुनाया। जिसमें कहा गया है कि महात्मा गांधी के हत्या-काण्ड के सम्बन्ध में नाथूराम विनायक गोडसे (३७ वर्ष), नारायण डी. आप्टे (३४ वर्ष), विष्णु आर. करकरे (३७ वर्ष), शंकर किस्तैया (२० वर्ष), विनायक दामोदर सावरकर (६५ वर्ष) और दत्तात्रेय एस. परचुरे (४९ वर्ष) के विरुद्ध निम्नलिखित अभियोग लगाए जाते हैं:—

(१) अभियुक्तों ने दिगम्बर बाडगे, जिसको क्षमा प्रदान कर दी गई है, और गंगाधर दांदवाते, गंगाधर यादव, सूर्यदेव शर्मा तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ जो फरार हैं, दिसम्बर १९४७ और ३० जनवरी १९४८ के बीच पूना, दिल्ली, बम्बई, तथा अन्य स्थानों में मोहनदास करमचन्द गांधी की, जिन्हें आम तौर पर महात्मा गांधी कहा जाता है, हत्या का षडयन्त्र करने का निश्चय किया और उस निश्चय के अनुसार ३० जनवरी १९४८ को नई दिल्ली में महात्मा गांधी की हत्या की। इस प्रकार अभियुक्तों ने भारतीय दंड विधान की धारा १२० (बी०) और ३०२ के अन्दर अपराध किया है। उपर्युक्त निश्चय के अनुसार १० से २० जनवरी १९४८ के बीच नाथूराम विनायक गोडसे, नारायण आप्टे विष्णु आर० करकरे, मदनलाल पहवा, शंकरलाल किस्तैया और गोपाल विनायक गोडसे ने दिगम्बर बाडगे के सहयोग से गैर कानूनी तरीके से दो रिवाल्वर और कुछ कारतूसें दिल्ली भेजे। फलस्वरूप उन लोगों ने भारतीय दण्ड विधान की धारा १०९ और ११४ का उल्लंघन किया है। साथ ही बिना लाइसेंस के रिवाल्वर और कारतूस रखने के कारण वे भारतीय शस्त्र कानून की धारा १४ तथा १५ के अनुसार दण्डनीय हैं।

(२) इन अभियुक्तों ने दिल्ली में उपर्युक्त अपराध करने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित किया। इसलिए वे भारतीय शस्त्र क़ानून की धारा ११९ तथा भारतीय दंड विधान की धारा १२४ के अनुसार दंडनीय हैं।

(३) उपर्युक्त निश्चय के अनुसार १० जनवरी से २० जनवरी ४८ के बीच दिल्ली में नाथूराम विनायक गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे मदनलाल पहवा, शंकरलाल किस्तैया और गोपाल विनायक गोडसे ने दिगम्बर बाडगे के साथ हत्या करने के लिए विस्फोटक पदार्थों का संग्रह किया जो उनके पास से बरामद हुआ है। साथ ही उन लोगों ने उपर्युक्त अपराध के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित किया, इसलिये वे विस्फोटक

पदार्थ कानून की धारा ४ और ६ के अनुसार दंडनीय है। इसके अतिरिक्त अभियुक्तों ने गैर कानूनी कार्य करने के लिये इन विस्फोटक पदार्थों को अपने पास रखा था और उसके लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित किया था। पदार्थ कानून की धारा ५ और ६ के अनुसार दण्डनीय हैं।

४ (क) उपर्युक्त निश्चय के अनुसार गत २० जनवरी को मदनलाल पहवा ने बुरे उद्देश्य से दिल्ली के बिड़ला भवन में बम फेंका जिससे जान माल के खतरे की सम्भावना थी। इसलिये वह विस्फोटक किया। इसकी धारा ३ के अनुसार दंडनीय है।

(ख) नाथूराम विनायक गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, शंकर किस्तैया, गोपाल विनायक गोडसे तथा दिगम्बर बाडगे ने मदनलाल पहवा को उपर्युक्त अपराध करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसलिये वे विस्फोटक पदार्थ कानून की धारा ३ और ६ के लिए वे विस्फोटक पदार्थ के अनुसार दण्डनीय हैं।

(५) २० जनवरी१९४८को बिड़ला भवन में नाथूराम विनायक गोडसे नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, मदनलाल पहवा, शंकर किस्तैया, गोपाल विनायक गोडसे, विनायक दामोदर सावरकर और दिगम्बर बाडगे ने महात्मा गांधी की हत्या करने के लिये एक दूसरे को प्रोत्साहित किया तथा उनकी हत्या की। अतएव उन लोगों को भारतीय दंड विधान की धारा ११५ और ३०२ के अनुसार फांसी और आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है।

६ (क) उपर्युक्त निश्चय के अनुसार २८ जनवरी और ३० जनवरी १९४८ के बीच नाथूराम विनायक गोडसे तथा नारायण आप्टे बिना लाइसेंस के रिवॉल्वर तथा कारतूस ग्वालियर से दिल्ली लाये और इस प्रकार भारतीय शस्त्र कानून की धारा ६ का उल्लंघन किया। अतएव वे दोनों अभियुक्त भारतीय शस्त्र कानून की धारा १९ के अनुसार दंडनीय

हैं। साथ ही उपर्युक्त अपराध करने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के कारण भारतीय दंड विधान की धारा ११४ के अनुसार भी अपराधी हैं।

(ख) नाथूराम विनायक गोडसे के पास से पिस्तौल तथा कारतूसें बरामद हुई हैं इसलिए वे भारतीय दण्ड विधान की धारा ११४ के अनु-दण्डनीय हैं। दिल्ली में नाथूराम विनायक गोडसे के पास से पिस्तौल तथा कारतूसें बरामद हुई हैं। इसलिए उनके विरुद्ध भारतीय शस्त्र कानून की धारा १९ के अनुसार अभियोग लगाया गया है।

(७) उपर्युक्त निश्चय के अनुसार ३० जनवरी को बिड़ला भवन में नाथूराम विनायक गोडसे ने जानबूझ कर महात्मा गांधी की हत्या की। अतएव वह भारतीय दण्ड विधान की धारा ३०२ के अनुसार दण्डनीय है। इसके अतिरिक्त नारायण आप्टे और विष्णु करकरे ने नाथूराम गोडसे को वह अपराध करने के लिए प्रोत्साहित किया और उनकी उप-स्थिति में हत्या की गई। इसलिए वे दोनों अभियुक्त भारतीय दण्ड विधान की धारा ३०२ और ११४ के अनुसार अपराधी हैं। मदनलाल पहवा, शंकरलाल किस्तैया, गोपाल विनायक गोडसे, विनायक दामोदर सावरकर, दत्तात्रेय परचुरे और दिगम्बर बाडगे ने नाथूराम विनायक गोडसे को हत्या करने के लिए केवल प्रोत्साहित किया किन्तु घटनास्थल पर मौजूद न थे। इसलिये वे भारतीय दण्ड विधान की धारा ३०२ और १०९ के अनुसार अपराधी हैं।

अभियुक्तों द्वारा मुकदमा चलाने की मांग

आज कोर्ट में कुल ८ अभियुक्त उपस्थित थे। अंग्रेज़ी में अभियोग पत्र सुनाने के बाद करकरे और शंकर किस्तैया की प्रार्थना पर उसे क्रम से मराठी और तैलगू भाषा में भी पढ़कर सुनाया गया। इसके बाद जज ने

सभी अभियुक्तों से पूछा कि क्या वे अपना अपराध स्वीकार करते हैं या उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाय। सभी अभियुक्तों ने अपने को निर्दोष बताया और मुकदमा चलाने की मांग की। मदनलाल पहवा ने बयान देने की आज्ञा मांगी। किन्तु जज ने कहा कि सब अभियुक्तों से यह पूछ लेने के बाद उसे बयान देने का अवसर दिया जायगा।

मदनलाल का बयान

बाद में मदनलाल ने अपना बयान देते हुए कहा कि मैं बिलकुल निर्दोष हूं। मैंने कोई षडयन्त्र नहीं किया। उस समय देश में कांग्रेस की नीति और उसके कार्यों के विरुद्ध, जिसका गांधी जी समर्थन कर रहे थे असन्तोष फैला हुआ था और उद्देश्य केवल उसे प्रदर्शित करना था। जहां तक २० जनवरी की घटना का सम्बन्ध है, उसके लिए केवल मैं ही जिम्मेदार हूं, दूसरा कोई नहीं।

सबूत पक्ष के प्रधान वकील श्री सी० के० दफ्तरी ने अपने प्रारम्भिक भाषण में अपराधियों पर लगाए गये आरोप अभियुक्तों की पिछली जीवनी और उनके कृत्य तथा अन्त में गत ३० जनवरी को गांधी जी की हत्या का वर्णन किया। श्री दफ्तरी ने कहा कि मुख्य अभियुक्त नाथूराम गोडसे है जिसने गांधी जी की हत्या की, जो सर्व विदित है। गांधी जी केवल राष्ट्र के ही नहीं प्रत्युत अन्तराष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति थे। उन्होंने अपना सारा जीवन अहिंसा तथा विश्व भ्रातृत्व के सिद्धान्त के प्रचार में समर्पित कर दिया था और इसी के प्रचार में उनकी मृत्यु भी हुई। साधारणतः अभियुक्त के उद्देश्य की छानबीन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु गांधी जी की हत्या का उद्देश्य तो स्पष्ट है।

हत्या गत ३० जनवरी को की गई, किन्तु यह प्रथम प्रयास नहीं था। हत्या के दस दिन पूर्व २० जनवरी को वी० डी० सावरकर और दत्तात्रेय

सदाशिव परचुरे के अतिरिक्त सभी अभियुक्त एक साथ दिल्ली में ही थे। उसी दिन मदनलाल ने बिड़ला भवन के निकट जहां गांधी जी प्रति दिन सायंकाल प्रार्थना करते थे, उन पर बम प्रहार किया। श्री दफ्तरी ने आगे बिड़ला भवन की स्थिति, प्रार्थना मैदान तथा उसके पीछे वाली गली का पूरा पूरा विवरण दिया और कहा कि मदनलाल द्वारा बम प्रहार के समय सावरकर तथा परचुरे के अतिरिक्त अन्य सभी अभियुक्त प्रार्थना मैदान में तथा उसके आसपास एकत्र थे। यदि सबूत पक्ष ने यह सिद्ध कर दिया कि सभी अभियुक्त बम विस्फोट के दो या तीन दिन पूर्व दिल्ली आ गए थे तथा बम विस्फोट के समय वहां सभी थे तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सबूत पक्ष यह सिद्ध करेगा कि विस्फोट के समय सभी अभियुक्त हथगोले तथा अन्य शस्त्रों से सुसज्जित थे। यह स्पष्ट है कि दिल्ली में उक्त अवसर पर इन सभी लोगों का एक साथ उपस्थित रहना कोई आकस्मिक बात नहीं है। अवश्य ही कोई निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही वे लोग एकत्रित हुए थे।

अभियुक्त मदनलाल का कथन है कि बम फेकने का कार्य केवल उसी ने किया था तथा अन्य कोई भी उसका साथी वहां उपस्थित नहीं था, किन्तु सबूत पक्ष मदनलाल के इस कथन का पूर्णतः खण्डन करता है। सबूत पक्ष यह सिद्ध कर देगा कि आरम्भ में बम फेकने का उद्देश्य यह संकेत करना था कि हत्या कब की जायगी, किन्तु यह पूर्वायोजित योजना ठीक से कार्यान्वित न की जा सकी। क्योंकि मदनलाल गिरफ्तार कर लिया गया और अन्य लोगों को भाग जाना पड़ा। अभियुक्त नाथूराम गोडसे, आप्टे तथा करकरे पुनः बम्बई में एकत्र हुए और ३० जनवरी को दिल्ली पहुँचे। यद्यपि गांधी जी की हत्या केवल गोडसे ने अपने पिस्तौल की तीन गोलियों से की किन्तु उक्त अवसर पर आप्टे और करकरे बिड़ला भवन के आस पास खड़े थे। गांधी जी की हत्या आकस्मिक घटना नहीं थी, प्रत्युत यह पूर्वायोजित योजना का मुख्य अङ्ग था।

गोडसे का परिचय देते हुए श्री दफ्तरी ने कहा कि १९४४ में पूना से प्रकाशित होने वाले 'अग्रणी' नामक दैनिक पत्र का सम्पादक था। आप्टे पत्र का प्रधान व्यवस्थापक था। आरम्भ से ही पत्र की विचार धारा गांधी जी के अहिंसा के विरुद्ध थी। प्रथम तीनों अभियुक्तों में से अत्यधिक घनिष्टता थी। चौथा अभियुक्त मदनलाल पहवा पंजाब का एक शरणार्थी है। श्री दफ्तरी ने कहा कि आवश्यकतानुसार मैं इस सम्बन्ध में और भी विशेष बातों पर प्रकाश डालूंगा। मदनलाल तीसरे अभियुक्त करकरे से अहमदनगर में मिला। तत्पश्चात वह प्रथम तीनों अभियुक्तों द्वारा योजना कार्यान्वित करने के लिए फुसलाया गया। पांचवें अभियुक्त बाडगे को क्षमादान मिल गया है। बादगे पूना के एक अस्त्र-शस्त्र की दुकान का मालिक था और प्रथम तीनों अभियुक्तों को इसने शस्त्रास्त्र दिये थे।

गोपाल गोडसे प्रथम अभियुक्त का भाई है और सिरकी के सरकारी कार्यालय का कर्मचारी था। अन्य अभियुक्तों का दिल्ली में साथ देने के लिए झूठी वजह बताकर उसने कार्यालय से अवकाश ग्रहण किया था। परचुरे ने अपने को ग्वालियर का निवासी बताया है किन्तु सबूत पक्ष ने इसे स्वीकार नहीं किया है। २० से ३० जनवरी के बीच परचुरे ने षडयन्त्र में भाग लिया। प्रथम दो अभियुक्त ग्वालियर गए और एक पिस्तौल प्राप्त की। परचुरे इनकी पिस्तौल प्राप्त करने के उद्देश्य से भलीभांति परिचित था तथा उसने पिस्तौल प्राप्त करने में सहायता की थी और अन्त में उसी पिस्तौल से गांधी जी की हत्या की गई। अन्तिम अभियुक्त सावरकर है वह एक अलग विचार का व्यक्ति है और वर्तमान में वह हिन्दू महासभा का समर्थक है। प्रथम दो अभियुक्तों पर सावरकर का अत्यधिक प्रभाव है। वे लोग इसे अपना गुरू समझते हैं। सावरकर ने 'अग्रणी' को आर्थिक सहायता भी दी थी। सावरकर इन सभी का नेता था। 'अग्रणी' के प्रथम पृष्ठ पर सावरकर का चित्र प्रायः छापा जाता था। प्रथम दो

अभियुक्त बम्बई स्थित दादर से इसके निवास स्थान पर प्रायः जाते थे। षडयन्त्र के सम्बन्ध में इसे पूरा ज्ञान था। इतना ही नहीं, बल्कि यह कहना कोई अत्युक्ति न होगी कि यदि सावरकर इस षडयन्त्र में शामिल नहीं होता तो योजनायें कार्यान्वित होती ही नहीं।

१९३८ में गोडसे ने हैदराबाद में सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लिया था। इसके बाद उसने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में काम किया। पश्चात हिंदू राष्ट्र दल के सङ्गठन में भाग लिया। हिन्दू राष्ट्र दल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को और अधिक सैनिक प्रवृत्ति प्रदान करने के लिए ही संगठित किया था। इतने पर भी उसे सन्तोष नहीं हुआ और तब १९४४ के मार्च में 'अग्रणी' के प्रकाशन का निश्चय किया। सावरकर ने इसके लिए १५ हज़ार रुपया दिया था। इसके अतिरिक्त दो सम्प्रदायों के सम्बन्ध को कटु बनाने के अन्यान्य प्रयत्न किए गये। अस्थायी सरकार बनाने की योजना भी थी किन्तु हिन्दू महासभा तथा अन्य लोगों द्वारा घोर विरोध के फलस्वरूप कार्यान्वित नहीं हो सकी। जिस समय गांधी जी नोआखाली में थे उस समय करकरे वहां भी गया था।

दूसरा अभियुक्त आप्टे बहुत हो विद्वान व्यक्ति है और अहमदनगर में वह ६–७ वर्ष तक शिक्षक रह चुका है। १९४२ में हिन्दू राष्ट्र दल के संगठन में उसने गोडसे का साथ दिया था। वह करकरे को भी जानता है १९४३ में कुछ महीनों तक वह सेना में था और पश्चात उसने 'अग्रणी' संस्थापन में गोडसे की सहायता की थी।

तीसरा अभियुक्त करकरे संघ का सदस्य है। १९४१ में इसका आप्टे से परिचय हुआ। १९४३ में हिन्दू सभा का मन्त्री था। असेम्बली के निर्वाचन में यमुनादास मेहता ने इसकी सहायता की थी। १९४२ की जनवरी से उसने शस्त्र एकत्र करना आरम्भ किया और षडयन्त्र में

शामिल हो गया। वस्तुतः आरम्भ से ही वह प्रथम दो अभियुक्तों का सहयोगी रहा है। इसके लिए प्रमाण प्राप्त है। सबूत के वकील श्री दफ्तरी ने कहा कि गोडसे, आप्टे और करकरे ने दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह अथवा जनवरी के प्रथम सप्ताह में गांधी जी की हत्या की योजना तैयार की थी।

चौथा अभियुक्त मदनलाल १९४७ के नवम्बर में बम्बई आया और जैनी नामक व्यक्ति से भेंट की। जिसने अपना कुछ प्रकाशन मदनलाल को बेचने को दिया। इसके बाद वह अहमदनगर भेज दिया गया। वहां वह करकरे से मिला। जनवरी में वहीं उसने नाथूराम गोडसे और आप्टे से भेंट की। मदनलाल १० जनवरी को करकरे के साथ बम्बई गया और १२ जनवरी को जैनी से मिला। जैनी ने इनकी योजनाओं को मूर्खतापूर्ण बताया और मदनलाल को इससे पृथक करने का प्रयत्न किया। जैनी गवाही के लिए उपस्थित किया जायगा। जैनी से मिलने के कुछ ही दिन पश्चात मदनलाल दिल्ली को रवाना हो गया। पांचवां अभियुक्त डाक्टर परचुरे कुछ वर्षों तक ग्वालियर में रह चुका है और गोडसे तथा आप्टे को जानता था। परचुरे ने गोडसे और आप्टे को अपनी पिस्तौल नहीं दी थी किन्तु उसने एक अन्य पिस्तौल दिलाने की व्यवस्था कर दी थी।

सावरकर के सम्बन्ध में श्री दफ्तरी ने कहा कि हिन्दू रक्षा दल की स्थापना इनकी स्वीकृति से हुई थी। सावरकर का गोडसे, आप्टे और करकरे से अति निकट का सम्बन्ध था। नाथूराम गोडसे और आप्टे १४ जनवरी को दादर में अन्तिम बार सावरकर से मिले थे। इसके चार दिनों बाद वे लोग बम्बई से रवाना हुए थे। इन लोगों को इस बार बम्बई जाना बहुत ही महत्व का है।

करकरे और मदनलाल ९ जनवरी को पूना गए थे। नाथूराम गोडसे और आप्टे से वहीं इसका परिचय हुआ। इसके बाद करकरे और मदन-

लाल बाडगे की दुकान पर गए। बाडगे का नौकर शङ्कर उस समय वहीं उपस्थित था। बाडगे की दुकान में इन लोगों ने कुछ हथगोले देखे। १० जनवरी को करकरे और बाडगे बम्बई में सावरकर के घर गये। १२ जनवरी को इन लोगों ने जैनी को अपने दिल्ली जाने जाने का उद्देश्य बताया। १३ जनवरी को गोडसे ने आप्टे की पत्नी के नाम अपनी जीवन-बीमा की पालिसी लिख दी। १४ जनवरी को गोडसे और आप्टे सावरकर के घर गये। उस समय बाडगे और शङ्कर भी बम्बबई में ही थे और बाडगे के पास ७ हथगोले थे जिसे उसने कहीं छिपा दिया था। उसी दिन गोडसे ने अपनी जीवन-बीमा की दूसरी पालसी अपने भाई गोपाल गोडसे की पत्नी के नाम कर दी।

१४ जनवरी को गोपाल विनायक गोडसे ने जो एक सिविल स्टोरकीपर था, एक सप्ताह की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र दिया और उसकी १७ से २३ जनवरी तक की छुट्टी स्वीकृत हो गई। १५ जनवरी को नाथूराम गोडसे नारायण आप्टे, करकरे तथा मदनलाल उस स्थान पर गए जहां बम का थैला रखा हुआ था। वहां जो कुछ हुआ उसका प्रमाण पेश किया जायगा। इसके बाद ये अभियुक्त उस दिन इधर-उधर भटकते रहे। मदनलाल श्रीमती मोदक के पास गया और उनसे कहा कि मैं कुछ काम से दिल्ली जा रहा हूं। वहां शीघ्र ही कोई महत्वपूर्ण घटना होगी। उसी करकरे और मदनलाल बम्बई से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। साथ ही १७ जनवरी को जाने वाले हवाई जहाज के लिए करमाकर और एस० मराठे के नाम से दो टिकट खरीदे गए। किन्तु वस्तुत: वे टिकट नाथूराम गोडसे और आप्टे के लिए खरीदे गए थे। जैसा कि आगे चलकर प्रमाणित किया जायगा, ये लोग समय समय पर अपना नाम बदलते रहते थे। नाथूराम गोडसे और आप्टे १७ जनवरी को ही हवाई जहाज से दिल्ली पहुंच गए। बाडगे और शंकरलाल भी १८ जनवरी को रवाना हो

गए। करकरे और मदनलाल एक दिन पिछले ही दिल्ली पहुंच गए थे। करकरे ने उस समय अपना नाम बदल कर 'व्यास' रख लिया था। नाथूराम गोडसे और आप्टे देशपाण्डे और एस० देशपांडे के नाम से एक होटल में ठहरे हुये थे। १९ जनवरी तक सभी अभियुक्त दिल्ली पहुँच गये थे।

२० जनवरी को आप्टे, शंकर और बाडगे बिड़ला भवन गये। आप्टे ने उन लोगों को प्रार्थना सभा स्थल दिखाया। उस समय वे लोग गांधीजी की बैठक के पास विस्फोटक पदार्थ रखना चाहते थे। अभियुक्तों के पास २० जनवरी से पूर्व दो बन्दूक, ५ हथगोले तथा कुछ अन्य हथियार थे। वे लोग समय समय पर मिलकर विस्फोटक पदार्थ के वितरण की व्यवस्था करते थे। २० जनवरी के अपराह्न में ही अभियुक्तों ने आपस में हथियारों का वितरण कर लिया। अभियुक्तों की योजना यह थी कि पहले मदनलाल बम फेकेगा और उसके बाद जो भगदड़ मचेगी उसमें अन्य अभियुक्त हथगोला फेकेंगे। बम तो फेका गया किन्तु अन्य अभियुक्तों को योजना कार्यान्वित करने का अवसर न मिला। २० जनवरी को बम बिस्फोटक के समय सभी अभियुक्त प्रार्थना सभा में मौजूद थे। मदनलाल वहां गिरफ्तार कर लिया गया। विस्फोट की घटना के बाद बाडगे और शंकरलाल दिल्ली से रवाना हो गये और शस्त्रास्त्र हिन्दू महा सभा भवन के पास ज़मीन में गाड़ दिए गये। उसी रात नाथूराम गोडसे और आप्टे कानपुर होते हुए बम्बई चले गये। बम्बई में नाथूराम गोडसे, आप्टे, करकरे और गोपाल विनायक गोडसे की थाना में एक बैठक हुई। २७ जनवरी की प्रातः नाथूराम गोडसे और आप्टे हवाई जहाज द्वारा दिल्ली रवाना हो गये। उसी दिन गोडसे डा० परचुरे से परामर्श करने के लिए ग्वालियर चला आया। वे लोग २९ जनवरी को पुनः दिल्ली पहुंच गए।

३० जनवरी को सभी अभियुक्त बिड़ला-भवन गए। वहां प्रार्थना सभा में दो या तीन सीढ़ी चढ़ने के बाद नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को तीन गोली मारीं। दो गोलीं शरीर छेदकर बाहर निकल गईं किन्तु एक शरीर के अन्दर ही रह गई। गोडसे घटना स्थल पर गिरफ्तार कर लिया गया।

मुखबिर का सनसनीपूर्ण बयान

गांधी–हत्या काण्ड के मुक़दमे में बयान और जिरह जारी

नई दिल्ली में २१ जुलाई को जब महात्मा गांधी हत्या–कांड का मुक़दमा आरम्भ हुआ तब सफाई पक्ष के वकील श्री बनर्जी ने प्रार्थनापत्र देते हुये कहा कि मुखबिर बाडगे का यह कथन कि आप्टे ने उससे कहा था कि (१) सावरकर ने महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्री सुहरावर्दी की हत्या कर डालने का निश्चय किया है और (२) महात्मा गांधी के दिन गिने हुये हैं, इन दोनों बातों को गवाही क़ानून के अनुसार स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सुनी हुई बातें हैं।

सबूत पक्ष के वकील श्री दफ्तरी ने कहा कि या तो आपको बयान के समय ही आपत्ति करनी चाहिये थी या अब आप बहस के समय आपत्ति कर सकते हैं। श्री बनर्जी ने कहा कि मैं बहस के समय ही इस प्रश्न को पेश करूंगा।

श्री बनर्जी ने फिर कहा कि मैंने गांधी को डायरी को न्याय की दृष्टि से स्वीकार कर लेने के लिए आवेदन पत्र दिया था। गांधी जी के सम्बन्ध में १९ जनवरी को डाक्टरों ने कहा था कि उनके दिन नहीं वरन् घण्टे गिने हुये हैं। अत: १९ जनवरी को उनका जीवन अवश्य खतरे में था। गांधी जी ने यह भी कहा था कि श्री सुहरावर्दी का जीवन खतरे में है।

इन्हीं कारणों से मैं चाहता हूँ कि गांधी जी की डायरी को न्याय की दृष्टि में स्वीकार कर लिया जाय।

जज ने कहा कि अभी आप यही मान लीजिए कि गांधी जी की डायरी न्याय की दृष्टि में स्वीकार नहीं की गई है। आप गांधी जी की डायरी के जिन अंशों को चाहें न्यायलय में पेश कर सकते हैं।

सफाई पक्ष के वकील श्री इनामदार ने कहा कि जब बाडगे बयान दे रहा था तब दो पुलिस कान्स्टेबिल बन्दूक लेकर उसके ठीक पीछे खड़े थे। बहस के बाद जज ने कहा कि कान्स्टेबिल कुछ दूरी पर खड़े रहा करेंगे।

२१ जुलाई को बाडगे ने अपना बयान जारी रखते हुये कहा कि हम लोग पाटनकर के साथ श्री काले के निवास स्थान पर गये। काले ने नाथूराम गोडसे को १००) के १०-१५ नोट दिए वहां से हम लोग रँगाई के कारखाने में गए। यहां बहुत देर के पश्चात् उसके मालिक से आप्टे की वार्ता अंग्रेज़ी में हुई। उसके बाद हम लोग दीक्षित महाराज के पास गये। उन्होंने एक छोटी पिस्तौल दिखाई, किन्तु बिना रुपया लिए वे उसे देने के लिए तैयार नहीं थे। तब हम लोग हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए। पहले जुहू हवाई अड्डे से वार्ता की गई। वहां के किरानी ने कहा कि यदि दिल्ली जाना है तो आप लोग शांताक्रूज से वार्ता करें। वहां पर आप्टे ने हमको ३५०) दिये।

हमसे कहा गया कि तुम शंकर के साथ ट्रेन से दिल्ली जाओ। यहां से हम लोग आर० के० पटवर्धन के यहां चले गये। वहां जाकर टैक्सी का ५५।।=) का बिल चुकाया। उस टैक्सी का ११० नम्बर था। वह रुपया हमें मिल गया।

श्री दफ्तरी—क्या आपने पाटनकर को वहां देखा?

बाडगे—जब मैं वहां था तब पाटनकर पटवर्धन के मकान पर आ गए थे।

बादगे—पटवर्धन को २००) पाटनकर ने दिया और २००) चार्ज मास्टर जी ने दिया था ।

यही ४००) मुझे पटवर्धन ने दिया । वहां से हम लोग दादर चले गये । १८ जनवरी को हम लोग २॥ बजे दिन में बोरीबन्दर गए । हम लोगों ने डेवढ़े दर्जे के टिकट लिए और पंजाब मेल से १९ जनवरी को दिल्ली पहुच गए । स्टेशन पर हमें कोई नहीं मिला । तांगे पर हम लोग हिन्दू महासभा के कार्यालय में गए । वहां हम लोगों ने अपने रहने की जगह के बारे में पूछताछ की । एक लड़के ने हम लोगों को पिछले भाग की ओर जाने को कहा । वहां जाकर मैंने मदनलाल और अन्य व्यक्ति को देखा । वह गोपाल गोडसे था । उसके बाद वहां नाथूराम गोडसे, आप्टे और करकरे आए । उन लोगों ने हम लोगों को वहीं रात भर सोने के लिए कहा । कुछ देर के पश्चात् वे लोग वहां से चले गए । २० जनवरी को प्रातः आप्टे और करकरे फिर आए । उन लोगों ने मदनलाल को लकड़ी खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए । लकड़ी पानी गरम करने के लिए खरीदी जा रही थी ।

आप्टे ने मुझसे और शंकर से बिड़ला भवन चलने के लिए कहा । जब हम लोग वहां गए तब दरबान ने हम लोगों को रोक दिया । हम लोगों ने कहा कि हमें मन्त्री से मिलना है । चपरासी हम लोगों का पत्र लेकर भीतर गया । हम लोग फाटक पर ही खड़े रहे ।

उसी समय एक हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति उधर से आ रहा था । आप्टे ने कहा कि यही सुहरावर्दी है । यह गांधी जी के साथ प्रार्थना में बैठता है । वहां से हम लोग बिड़ला भवन के पीछे गए जहां गांधी जी प्रार्थना के समय सुहरावर्दी के साथ बैठते थे । आप्टे ने बताया कि यहीं गांधी जी बैठते हैं । उसके बाद एक जाली की तरफ संकेत करते हुए आप्टे ने कहा कि इसी जाली से होकर रिवाल्वर से गोली मारी जा सकती है और बम

भी फेका जा सकता है। जाली प्रार्थना-स्थल से ३-४ गज पीछे थी। यहीं आप्टे ने कहा था कि जहां तक सम्भव होगा इसी जाली के पास से गांधी जी और सुहरावर्दी दोनों की हत्या की जा सकेगी। यदि यह सम्भव न हुआ तो कम से कम एक की हत्या अवश्य कर दी जायगी। वहां पर हमें आप्टे ने दो स्थान दिखाए जहां से हथगोलों को फेका जा सकता था। आप्टे ने यह भी कहा कि फोटोग्राफर के रूप में हम लोग वहां चलेंगे और वहीं से रिवाल्वर चलायेंगे।

हम लोग उस कमरे में नहीं गये जिसे आप्टे ने दिखाया था।

मैं, आप्टे, गोपाल गोडसे और शंकर के साथ मेरनी होटल में गये। गोपाल गोडसे शस्त्रास्त्र का थैला ले गया। वहीं हम लोगों ने नाथूराम गोडसे को एक कमरे में सोते हुए देखा। गोडसे ने वहीं थैला रख दिया। मैं शंकर के साथ नीचे भोजन करने गया। गोपाल गोडसे, आप्टे, करकरे, और मदनलाल वहीं रह गए। जब हम लोग भोजन करके लौटे, तब कमरा बन्द था। दरवाज़ा खुला और फिर बन्द कर दिया गया। तब मैं, आप्टे, मदनलाल करकरे, नाथूराम गोडसे स्नानागार में गए। वहां शस्त्रास्त्र तैयार किये गए। जब वह काररवाई हो रही थी तब नाथूराम गोडसे ने कहा कि यह हमारा अन्तिम प्रयास है। कार्य अवश्य सम्पन्न होना चाहिए। अतः ऐसी तैयारी होनी चाहिए, कि सब काम ठीक हो जाय।

जब हम लोग कमरे में आये तब हम लोगों ने देखा कि गोपाल गोडसे रिवाल्वर तैयार कर चुका था। इसके पश्चात आप्टे ने कहा कि यह निश्चय हो जाना चाहिए कि कौन सामान किसे ले चलना चाहिए। इसे आप्टे ने नाथूराम गोडसे, करकरे, मदनलाल, गोपाल गोडसे, बाडगे, और शंकर के सामने कहा था।

बाद में आप्टे ने कहा कि हम लोगों को अपना नाम बदल लेना चाहिये। नाथूराम का देशपाण्डे, करकरे का व्यास, आप्टे का कारभारकर शंकर का ताकाराम, और बाडगे का बादोपन नाम रखा गया।

मदनलाल और गोपाल गोडसे के क्या नाम रखे गये, यह मुझे स्मरण नहीं है। हम लोगों ने अपने वस्त्रों को बदलने का भी निश्चय किया।

आप्टे ने विमान सेना के सैनिक की तरह वस्त्र धारण किया। करकरे ने जवाहर बन्डी, धोती और गांधी टोपी पहन ली। मदनलाल ने अंग्रेज़ी पोशाक धारण की। गोपाल गोडसे ने कोट पैन्ट पहन लिया। मैंने जवाहर बण्डी पहिन कर चश्मा लगा लिया शंकर सफेद टोपी पहन कर गया था जिसे अब भी वह पहने हुए है। आप्टे ने एक गनकाटन स्लैब तथा एक हथगोला मदनलाल के लिये दिया। उसके पश्चात् मदनलाल और करकरे चले गये। १०, १५ मिनट बाद मैं शंकर, आप्टे और गोपाल गोडसे भी चले। नाथूराम गोडसे ने भी बाद में आने के लिये कहा। हम लोग वहां से टैक्सी से रवाना हुये।

इसके पश्चात् मुकदमे की सुनवाई अगले दिन के लिये स्थगित हो गई।

२२ जुलाई को गोडसे और अन्य व्यक्तियों के मुकदमे में बयान जारी रखते हुये मुख़बिर बाडगे ने कहा कि मेरिना होटल से हम लोग मोटर द्वारा हिन्दू महासभा के कार्यालय में गये। वहां से गोपाल गोडसे ने एक तौलिया लिया। फिर हम दोनों मोटर के पास आये और सभी लोग बिड़ला भवन के लिये रवाना हो गये। वहां हम लोगों को मदनलाल मिला। उस समय आप्टे ने मदनलाल से पूछा—तैयार है क्या? मदन-लाल ने कहा कि मैं तैयार हूं। मैंने गनकाटन स्लैब रख दिया है, केवल उसमें आग लगानी है। आप्टे ने कहा कि ज्यों ही मैं संकेत करूं तुम आग लगा देना। यह वार्ता हम लोग फाटक की ओर जाते समय कर रहे थे।

फाटक पर हम लोगों को करकरे मिला। वह प्रार्थना स्थल की ओर से आ रहा था। उसके पश्चात् उस कमरे के बारे में करकरे ने कहा—जहां से रिवाल्वर चलाने की बात कही गई थी। उसने यह भी कहा कि बहुत समय बीत चुका है। महात्मा जी आ चुके हैं और प्रार्थना प्रारम्भ हो गई है। उसी समय नाथूराम गोडसे भी आ गया। मैंने उस कमरे की ओर देखा जहां से रिवाल्वर चलाने की बात थी। दो व्यक्ति कमरे के पास बैठे हुये थे और एक काना व्यक्ति कमरे के बाहर बैठा हुआ था। मैंने सोचा यदि कोई घटना हुई तो मैं उस कमरे में फिर न जाऊंगा। इससे मैं डर गया।

नाथूराम गोडसे ने मुझसे कहा कि डरने की आवश्यकता नहीं है। सब के भाग जाने का प्रबन्ध कर लिया गया है। गोडसे, आप्टे और करकरे ने बार-बार ज़ोर देकर कहा कि मैं उस कमरे में जाऊँ। मैंने कहा कि भीतर के बजाय मैं बाहर से गोली चलाऊंगा। गोडसे और आप्टे ने इसे स्वीकार कर लिया। मैं टैक्सी के पास गया और अपनी तथा शङ्कर की रिवाल्वर तौलिया में लपेट कर रख दिया। उसे टैक्सी में ही छोड़ दिया। शङ्कर से मैंने कहा कि तुम हथगोले का उपयोग तबतक न करना, जब तक मैं न कहूँ। फिर मैं अपने दोनों हाथ कुरते के बाहर वाले जेब में रखकर गोडसे आदि के पास गया। उन लोगों ने पूछा कि क्या तुम तैयार हो? मैंने कहा—हां। आप्टे मदनलाल को लेकर गया। हम लोग प्रार्थना सभा की ओर गये। जब विस्फोट हुआ तब महात्मा जी ने लोगों को शान्त रहने के लिए कहा। वहां से हम लोग हिन्दू महासभा के कार्यालय गये। वहां मैंने शंकर से कहा कि हथगोलों को जङ्गल में गाड़ आओ। उसके बाद मैं बिस्तर बांधने लगा। इस बीच वहां नाथूराम गोडसे और आप्टे भी आ पहुचे तथा मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ! मैंने उनको गाली दी और कहा कि तुम लोग यहां से चले जाओ।

मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गया। वहां से हम लोग डर कर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन चले गये और वहां से पूना चले गये। ३१ जनवरी को प्रातः मैं गिरफ्तार किया गया था। हथगोले, किरकी के गोले बारूद कारखाने से लिये गये थे। हम लोगों ने अपने नाम इसलिए बदल दिये थे कि प्रार्थना सभा में एक दूसरे से वार्ता की आवश्यकता पड़ सकती थी। गोडसे और आप्टे हिन्दू महासभा से सम्बन्धित हैं। मैंने आप्टे के कहने से समझ लिया था कि यह सावरकर का आदेश है। इसलिए मैंने दिल्ली जाना स्वीकार किया था।

इसके पश्चात बाडगे ने सभी अभियुक्तों को पहचाना।

श्री भोपटकर द्वारा जिरह

श्री लक्ष्मण बलवन्त भोपटकर ने जिरह आरम्भ किया। उसने पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि मुझे ५००) निजी खर्च के लिए मिले थे। यद्यपि सावरकर कई वर्षों से बड़ी बड़ी सभाओं में भाग नहीं ले रहे थे किन्तु वे गुप्त सभाओं एवं सामाजिक उत्सवों में भाग लिया करते थे।

मैं श्री सावरकर के बारे में जानता हूँ। मैं उन्हें केवल हिन्दू महा-सभा का नेता नहीं वरन् देवता मानता हू। मेरे विचार में सावरकर जैसा कोई भी महान व्यक्ति नहीं हुआ है। स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर सावरकर के भवन पर हिन्दू महासभा तथा हिन्द सरकार का भी झण्डा फहराया गया था। गोडसे, आप्टे और मैंने भी इसका विरोध किया था।

जिरह के सिलसिले में मुखबिर बाडगे ने बताया कि हिन्दू महासभा की नीति नेहरू सरकार को शक्तिशाली बनाना रही है। गत १९४६ के दिसम्बर में महाराष्ट्र प्रांतीय हिन्दू महासभा के बारसी के अधिवेशन मे श्री भोपटकर के इस विचार पर कि हिंदू महासभा विघटित हो जानी

चाहिये। नाथूराम गोडसे ने छुरा निकाल लिया था। आप्टे ने भी गोडसे का समर्थन किया था। बाडगे ने कहा कि यदि हम लोग उक्त अवसर पर वहां उपस्थित न होते तो भोपटकर को अवश्य छुरा मार दिया गया होता। हम लोगों ने उनकी रक्षा की। (हँसी)

बाडगे ने आगे बताया कि नाथूराम गोडसे और आप्टे स्वतन्त्र विचार के व्यक्ति हैं और कभी कभी उन लोगों ने 'अग्रणी' और 'हिंदू राष्ट्र' के कालमों में हिंदू सभा की आलोचना की है। १९३८ में पूना म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकतर सदस्य कांग्रेसी थे। श्री पी० के० अत्रे बोर्ड में कांग्रेस दल के नेता थे। मैं उन्हें भलीभांति जानता था। मैंने श्री अत्रे से अपनी नौकरी के लिये कहा किन्तु मेरी ओर उनके अधिक ध्यान न देने पर मैंने अनशन आरम्भ कर दिया। पश्चात श्री अत्रे ने मुझे बुलाया और मुझसे अनशन भंग करने को कहा और २०) मासिक पर दो महीने के लिए नौकरी दिला दी। १९४२ में मैंने शस्त्र-भण्डार की स्थापना की। १९४६ में अभियुक्त शंकर ने मेरी दुकान में नौकरी कर ली। पूना में एम० जी० कुलकर्णी का एक हिंदू-भण्डार था जिसमें पुस्तकों के अतिरिक्त शस्त्र बेचे जाते थे। मैंने कुलकर्णी की दुकान से कई बार शस्त्र खरीदा था और कई बार उसने भी मुझसे लिया था। बाडगे ने आगे कहा कि मैं दीक्षित महाराज नामक व्यक्ति से प्रायः मिला करता था क्योंकि वह मेरी दुकान से शस्त्र खरीदता था। मैंने दीक्षित महाराज से यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह शस्त्र क्यों खरीदता है, किंतु मैं समझता था कि वह हिंदुओं में बांटने के लिए ही शस्त्र खरीदता था। यह प्रश्न किए जाने पर कि जब तुम निश्चित रूप से दीक्षित महाराज का उद्देश्य नहीं बता सकते तो फिर उसके सम्बन्ध में ऐसा क्यों कहते हो? बाडगे ने कहा कि साम्प्रदायिक दंगों के अवसर पर ही वह शस्त्र खरीदता था। शस्त्र क़ानून के अन्तर्गत मेरी दुकान में छुरे बघनखे आदि भी बेचे

जाते थे। मैंने दीक्षित महाराज को १९४७ के जून अथवा जुलाई में १००) प्रति के हिसाब से हथगोले, २००) एक 'गनकाटन' १५०) प्रति सैकड़ा की दर से एक हज़ार डेटोबेटर्स, विस्फोट पदार्थ के कुछ पैकेट और ५००) का एक पिस्तौल दिया था।

दादा महाराज नामक व्यक्ति दीक्षित महाराज का भाई था। वह वैष्णवों का प्रधान था। पूना में हिन्दू राष्ट्र कार्यालय की स्थापना के दिवस पर विस्फोट पदार्थों का ४० पैकेट दादा महाराज ने मुझसे खरीदा था जिसका दाम १२८०) थे। दादा भाई सनातनी विचार का व्यक्ति था। मैं यह नहीं जानता कि वह कांग्रेसी भी था। मैं अमदर खरात नामक व्यक्ति को जानता हूँ। वह एक समाजवादी है। गत १६ जनवरी १९४८ को सायंकाल मैंने अमदर खरात को कारतूस कुछ हथगोले, पिस्तौल तथा अन्य विस्फोटक पदार्थ भी दिया था। हथगोले आदि बेचने का लाइसेन्स मैंने नहीं लिया था। हिन्दुओं की भलाई के उद्देश्य से ही मैं इन चीजों को बेचता था।

बाडगे ने आगे बताया कि सावरकर सदन में एक गुप्त बैठक हुई थी। बैठक के निश्चयानुसार सावरकर ने हिन्दुओं को शस्त्र देने के लिये मुझे प्रेरित किया था पामरकर और बखले के कार्यों पर विचारार्थ भी एक गुप्त बैठक हुई थी। पामरकर और बखले बम्बई के दंगे के समय हिन्दुओं की हित रक्षा का कार्य करते थे। बाडगे ने बताया कि शंकर को मैंने भोजन के अतिरिक्त २०) मासिक पर मैंने नौकर रखा था। पश्चात् वेतन में वृद्धि कर ३०) कर दिया था। शङ्कर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया करता था। एक प्रश्न के उत्तर में बाडगे ने कहा कि करकरे और आप्टे ने १२००) का एक "स्टेनगन" मेरी दुकान से खरीदा था। आप्टे ने

प्रवीणचन्द्र सेठी नामक एक व्यक्ति से परिचय कराया। प्रवीणचन्द्र सेठी के हाथ मैंने ७ हज़ार रुपये का शस्त्र बेचा था।

नाथूराम गोडसे के वकील ने न्यायाधीश से प्रार्थना की कि कुछ समाचार पत्र बड़े बड़े शीर्षकों में गांधी हत्या-काण्ड के मुकदमे की कार-रवाई छापते हैं। उनके विरुद्ध काररवाई होनी चाहिए। विशेष न्याया-धीश श्री आत्माचरण के यह पूछने पर कि क्या समाचारपत्रों को चेतावनी देने से काम चल जायगा ? गोडसे के वकील ने इसे स्वीकार कर लिया।

बाडगे को क्षमा-दान अवैध

विस्फोट विशेषज्ञ और एक अभिनेत्री की गवाही

लाल क़िला (दिल्ली)। २१ जुलाई को गांधी हत्या–काण्ड के मुक़दमे में मुख़बिर दिगम्बर रामचन्द्र बाडगे का करीब ६८ पृष्ठ का बयान जो उसने गत ११ दिनों में दिया था, जज के सामने पढ़कर सुनया गया। उस रोज किसी गवाह का बयान नहीं हुआ। नाथूराम गोडसे की गिरफ्तारी के समय उसके पास से जो ५९२) रु० बरामद हुआ था, वह वापिस कर दिया गया। तत्पश्चात् अदालत स्थगित हो गई।

बाडगे की गवाही न मानी जायगी

२ अगस्त को जब नाथूराम गोडसे एवं अन्य व्यक्तियों का मुक़दमा आरम्भ हुआ तब मदनलाल के वकील श्री बनर्जी ने आवेदन–पत्र दिया कि मदनलाल को दिया गया क्षमादान अवैधानिक है। अतः उसकी गवाही को स्वीकृत न किया जाय। इस आवेदन–पत्र को बहस के समय सुना जायगा। इसमें कहा गया है कि गत २१ जून को अपराह्ण में दिग–म्बर रामचन्द्र बाडगे को क्षमादान दिया गया। उस समय न्यायालय में न तो अभियुक्त ही था और न उसके वकील ही थे।

२ अगस्त को नाथूराम गोडसे तथा अन्य अभियुक्तों के मुकदमे में सबूत पक्ष की ओर से बिस्फोटक पदार्थों के विशेषज्ञ डाक्टर डी० एन० गोयल का बयान हुआ। उन्होंने उस पिस्तौल और कारतूसों की भी जांच की थी। जिससे महात्मा गांधी की हत्या की गई। गवाह ने कहा कि तीन खाली कारतूसों को खुर्दबीन के अन्दर रख कर देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वे इसी पिस्तौल में इस्तैमाल किए गए थे। मैं पंजाब विश्वविद्यालय का स्नातक हूँ। नाथूराम गोडसे के वकील श्री वी० वी० ओक द्वारा जिरह करने पर गवाह ने कहा कि अगर दस फुट की दूरी से रिवाल्वर से निशाना लगाया जाय तो यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उसका गहरा चिन्ह पड़ेगा। नारायण आप्टे के वकील श्री मिंगले द्वारा जिरह किए जाने पर उन्होंने बताया कि गत १४ वर्षों से शस्त्रास्त्रों की जांच करने का काम करता हूँ। मैंने आर्गनिक केमेस्ट्री और वनस्पति शास्त्र का अध्ययन किया है। रिवाल्वर और पिस्तौल के में अन्तर होता है। श्री मिंगले के कहने पर डाक्टर गोयल ने जज के सामने एक कारतूस की जांच की। श्री ईनामदार की जिरह के बाद जज ने अभियुक्त शंकर किस्तैया से जिरह करने के लिए कहा, किन्तु उन्होंने कहा कि मेरा इस गवाह के बयान से कोई सम्बन्ध नहीं है। अभियुक्त ने यह भी कहा कि श्री मेहता अब भी मेरी ओर से वकील रहेंगे, किन्तु उनको अपने साथ एक दुभाषिया लाने की अनुमति दी जाय। जज ने इस सम्बन्ध में आश्वासन दिया। जिरह के समय डाक्टर गोयल ने यह भी कहा कि मैं विस्फोटक पदार्थों की परीक्षा करने के बाद उसे नोटबुक में दर्ज नहीं करता हूँ, बल्कि फाइल में रखता हूं। जज के एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि मुझे पुलिस विभाग से वेतन प्राप्त होता है।

इसके बाद बम्बई के सीग्रीन होटल के मैनेजर श्री सत्यवान भिबाजी राले की गवाही हुई। श्री राले ने कहा कि १२ फरवरी को पुलिस मेरे

होटल का रजिस्टर देखने के लिए गई थी। दूसरे दिन जब मैं अपने कार्यालय में गया तो पता चला कि रात को पुलिस होटल का रजिस्टर उठा ले गई है। मैं उस दिन ४ बजे रात को स्वेच्छा से खुफिया विभाग के कार्यालय में गया। वहां पर अधिकारियों ने मुझसे रजिस्टर में नारायण राव और वी० कृष्ण जी का नाम जो दर्ज था, उसके सम्बन्ध में पूछताछ की। गवाह ने बताया कि नारायण राव नामक एक व्यक्ति ने २ फरवरी को मेरे होटल में दो कमरे किराए पर लेने के लिए गया था। गवाह ने कठगरे में नारायण राव आप्टे की पहचान की। ३ फरवरी को नारायण राव महाराष्ट्र की एक महिला के साथ आर्य पथिक आश्रम चला गया। गवाह ने पहले भी नारायण राव की शिनाख्त की थी। उससे कोई जिरह नहीं हुई। फिर अदालत स्थगित हो गई।

३ अगस्त को गांधी हत्याकाण्ड के मुकदमे में विशेष न्यायालय के समक्ष पूना की २६ वर्षीया ब्राह्मण फिल्म अभिनेत्री कुमारी शांता भास्कर मोदक ने अपना बयान दिया। कुमारी मोदक ने बताया कि किस प्रकार गत १४ जनवरी को आप्टे और नाथूराम गोडसे पूना एक्सप्रेस द्वारा बम्बई गए और दादर में उतर कर उसके भाई की जीप द्वारा सावरकर सदन गये। कुमारी मोदक ने बताया कि मैं १४ जनवरी को निजी कार्यवश बम्बई गई थी।

पूना एक्सप्रेस ३ बजकर २० मिनट पर पूना स्टेशन से छूटती है। मैंने द्वितीय श्रेणी का टिकट खरीदा। डब्बे में प्रवेश कर खिड़की के निकट का कोई स्थान ढूढ़ रही थी। इसी समय एक व्यक्ति के प्रश्न करने पर मैंने बताया कि मैं खिड़की के निकट एक स्थान ढूढ़ रही हूँ। वह व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया और कहा कि यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो यहां बैठ सकती हैं। मैं उसके स्थान पर बैठ गई और वह व्यक्ति मेरे सामने के बेंच पर दूसरी ओर बैठ गया। गाड़ी चलते ही एक दूसरा

व्यक्ति प्रथम व्यक्ति के निकट आकर बैठ गया। इससे प्रकट हो गया कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से सम्बन्धित हैं।

कुमारी मोदक ने आगे बताया कि मैंने ट्रेन पर ही आप्टे से कहा था कि सम्भवतः मेरा भाई मुझे स्टेशन लेने आयगा। यदि वह नहीं आया तो मैं आपके साथ चलूंगी। ७ बजे सायंकाल हम सभी दादर स्टेशन पर उतरे। मेरा भाई जीप लेकर स्टेशन आया था। मैंने आप्टे और गोडसे को भी जीप पर बैठ जाने के लिए कहा और इस प्रकार हम चारों जीप पर बैठ गये। रास्ते में मेरे भाई ने कहा कि मैं यह जीप बेचना बेचना चाहता हूँ। आप्टे और गोडसे ने कहा कि हम लोग इस जीप को खरीद लेंगे। पुनः उन लोगों ने बताया कि आगामी कुछ दिनों तक हम लोग बम्बई, पूना तथा आसपास नहीं रहेंगे और बाहर से लौटने के पश्चात जीप खरीदने के सम्बन्ध में विचार करेंगे।

उक्त अभिनेत्री ने बताया कि सावरकर सदन और मेरे भाई का निवास स्थान एक मार्ग पर स्थित है। दोनों घरों के बीच में एक छोटा सा मैदान है। दादर स्टेशन से चलने पर प्रथम मेरे भाई का घर ही पड़ेगा। कुमारी मोदक ने कहा कि आप्टे और गोडसे को मैंने बम्बई में शिनाख्त किया था।

गोडसे को 'हरिजन' की फायलें दी गईं

बाडगे ने बयान देने का स्वयं निश्चय किया

लाल क़िला (नई दिल्ली)। २८ जुलाई को नाथूराम गोडसे और अन्य व्यक्तियों के मुकदमे में बाडगे ने जिरह का उत्तर देते हुए कहा कि १४ जनवरी को १०॥ बजे मैं, नाथूराम गोडसे और आप्टे शंकर दीक्षित महाराज के यहां गये और उस थैले को उनके नौकर को दे आए जिसमें शस्त्रास्त्र रखे हुये थे। १५ जनवरी को ८॥ बजे नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे ८॥ बजे हिन्दू महा सभा कार्यालय में आये थे।

श्री मिंगले—क्या यह सच है कि आप्टे ने आपसे बातचीत की थी और कहा था कि हिन्द सरकार ने पाकिस्तान को ५५ करोड़ रुपया देना स्वीकार कर लिया है ?

बाडगे—यह सच नहीं है।

श्री मिंगले—क्या आप्टे ने आपसे कहा था कि हिन्द सरकार को दबाने के विचार से गांधी जी ने १३ जनवरी से आमरण अनशन किया है ?

बाडगे—यह सच नहीं है।

श्री मिंगले— क्या आप्टे ने कहा था कि दिल्ली में गांधी जी के सामने प्रदर्शन करना है ?

बाडगे—नहीं।

श्री मिंगले—क्या आप्टे ने आपसे कहा था कि उसे स्वयं सेवकों की आवश्यकता है।

बाडगे—नहीं।

इसके पश्चात श्री मिंगले के कई प्रश्नों का उत्तर देते हुए बाडगे ने कहा कि मैं दिल्ली शस्त्राश बेचने नहीं गया था : उसने मिंगले के सभी प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक दिया। बाडगे ने आगे कहा कि मैं गोडसे की हस्तलिपि नहीं पहचान सकता। आप्टे ने हथगोले फेकने के लिए बिड़ला भवन की जालीदार दीवार के सुराखों को नापा था।

इसी अवसर पर आप्टे ने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप्टे ने कहा कि यह कैसे संभव हो सकता है कि उस जाली से बम फेका जाय, जज ने कहा कि उस सुराख की नाप की जाय।

बाडगे को फिर बुलाया गया। उसने कहा कि आप्टे ने मुझसे कहा था कि सुराख में हथगोला रख देना और लोहे से दबाकर बाद में रिवाल्वर से ढकेल देना। बिड़ला भवन के पीछे ५-६ कमरे हैं। उनमें लोग रहते हैं। उन कमरों के दरवाजे खुले हुये थे। मुझे यह स्मरण नहीं कि वह कमरा दूसरा या तीसरा है।

श्री डांगे के जिरह करने पर बाडगे ने कहा कि मैं पहले कांग्रेसी था, बाद में हिन्दू महासभाई हो गया। मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कारखाइयों में भाग नही लिया था। १९४२ में कांग्रेस ने 'भारत छोड़ो' आंदोलन छेड़ा था। मैंने सुना था कि कांग्रेस ने युद्ध में सरकार से सहयोग करने से इनकार कर दिया था। पूना में महाराष्ट्रीय व्यापार मंडल था। गत युद्ध में उसमें कमीशन अफसरों की भर्ती होती थी। मण्डल को सरकार ने स्वीकृति प्रदान की थी सरकार उसे आर्थिक सहायता देती

थी। श्री भोपटकर उस मण्डल के संस्थापक थे। हिंदू महासभा युद्ध में सरकार का समर्थन कर रही थी। मैंने नाथूराम गोडसे को पण्डित कहकर इसलिए पुकारा कि उसे ३-४ वर्ष से पण्डित कहा जा रहा था। आप्टे शरणार्थियों के लिए कार्य कर रहा था। हिंदू महासभा वाले साहब को 'राव' कहा करते हैं। करकरे शरणार्थियों की सहायता करने नोआखाली गया था। करकरे ने मुझ से १०० कटारें खरीदी थी। करकरे ने पहले हमसे जो सामान खरीदे थे वे सभी रक्षात्मक कार्य के लिए थे। गोडसे द्वारा नियन्त्रित कारखाने में कवच बनते थे। प्रत्येक कवच ५०) में बेचा जाता था। उसमें छुरे नहीं घुस सकते थे। कुछ कवचों के दाम ७५ से १५०) तक हैं। १२००) में मैंने आप्टे के हाथ स्टेनगन बेची थी। ११४७ में मैं मोर राज्य में गया था।

मुझसे यह नहीं कहा गया था कि मदनलाल शरणार्थी है। मदनलाल के बारे में मुझसे कहा गया था कि वह बहुत ही अच्छा लड़का है। उसकी गिरफ्तारी के पश्चात मुझे पता चला कि वह शरणार्थी है। उसने अपना पूना वाला गृह बेच दिया था। मुझे यह ज्ञात नहीं हो सका कि मुझे 'अग्रणी' कार्यालय क्यों ले जाया गया था।

जब श्री डांगे ने पूछा कि कौन आदेश दिया करता था? तब सबूत पक्ष के वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह प्रश्न अस्पष्ट है।

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बाडगे ने कहा कि कभी मुझे आप्टे आदेश देता था और कभी गोडसे, और कभी दोनों।

प्रश्न—आपको धन कौन दिया करता था?

श्री दफ्तरी ने इस प्रश्न का विरोध किया। मैं यह नहीं जानता था कि बम्बई में ४ व्यक्ति से अधिक नहीं सवार हो सकते।

प्रश्न—क्या तुम जानते हो कि १७ जनवरी को गाँधी जी की हालत बुरी थी।

बाडगे—मैं जानता हूँ।

जज ने इस प्रश्न को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

श्री डांगे ने कहा हिन्द रेडियो के समाचार पर विश्वास किया जा सकता है। मदनलाल के वकील ने कहा कि गांधी जी के भाषण का रिकार्ड मान लिया जाय।

जज—आप स्वीकार कर सकते हैं किंतु मैं स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री बनर्जी—न्यूरेम्बर्ग के मुकदमे में हिटलर के भाषणों के रेकार्डों को स्वीकार किया गया था।

श्री डांगे ने कहा कि गांधी जी के अनशन सम्बन्धी बातों को लिख लिया जाय। अन्त में उन्होने इस सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र का दिया जाना स्वीकार किया।

डांगे—२० जनवरी को आप्टे ने तुम्हें सुहरावर्दी को यह कहकर दिखाया था कि वही सुहरावर्दी है। वही सुहरावर्दी से क्या मतलब था?

बाडगे—जब मैं बम्बई से दिल्ली के लिये रवाना होने वाला था तब मुझसे कहा गया था कि गांधी जी, पण्डित जवाहरलाल नेहरू और श्री सुहरावर्दी को मार डालना है। नाम बदलने का पहले करकरे ने सुझाव रखा और आप्टे ने उसकी पुष्टि की। मैंने कभी किसी व्यक्ति की हत्या नहीं की है। १९४२ के पश्चात मैंने दाढ़ी बढ़ा ली। शिवाजी दाढ़ी रखे हुए थे किन्तु वे साधु नहीं थे।

जज के आदेश से नाथूराम गोडसे को "इण्डियन इन्फारमेशन" तथा 'हरिजन' की फायलें दी गई जिनकी सहायता से वह अपनी सफाई का बयान तैयार करेगा।

२९ जुलाई को करकरे के वकील श्री डांगे ने आवेदन पत्र दिया कि यह बात कल बाडगे ने कही थी कि उसे आप्टे से ज्ञात हुआ था कि १७

जनवरी को गांधी जी की हालत चिन्ताजनक थी। इस बात को लिख लिया जाय। जज ने इसे स्वीकार नहीं किया, और कहा कि आज पुनः इस प्रश्न को बाडगे से पूछें। प्रश्न पूछने पर बाडगे ने कहा कि गांधी जी क चिन्ताजनक हालत के बारे में आप्टे ने मुझसे नहीं कहा था।

डांगे ने फिर कहा कि करकरे वाला बयान जिसे फाड़ डाला गया था और बाद में जोड़ दिया गया स्वीकार न किया जाय। जज ने कहा कि इस प्रश्न को आज बहस के समय उठाइएगा।

मदनलाल के वकील श्री बनर्जी द्वारा प्रश्न किये जाने पर बाडगे ने कहा कि मैं प्रार्थना स्थल पर २०-२५ मिनट तक रहा। जिस समय मैं वहां पहुंचा वहां एक लड़की कुछ कह रही थी। मैं यह नहीं कह सकता कि विस्फोट के पश्चात् लड़की कुछ कह रही थी या नहीं क्योंकि, उस समय मेरा मस्तक विक्षिप्त हो गया था और मैं इधर उधर देखने लगा था। बिड़ला भवन से महासभा कार्यालय जाने में मुझे २०-२५ मिनट लगे।

मुझे ओक नामक दारोगा ने ३१ जनवरी को गिरफ्तार किया था। बाडगे ने आगे बताया कि उसे कहां कहां हवालात तथा जेल में रखा गया था। २७ मई को बाडगे दिल्ली अदालत में ले जाया गया। उसने वहीं कहा कि मुझे वकील नहीं चाहिये। मैं सत्य बयान देना चाहता हूँ।

बाडगे ने बम्बई के डिप्टी पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिये आवेदनपत्र दिया। दोनों में वार्ता हुई। १४ जून को उसने फिर पुलिस कमिश्नर से वार्ता करने के लिये आवेदनपत्र दिया। वे बाडगे से मिले। उस समय उन्होंने बाडगे से कहा कि ऐसी हालत में तुम्हें गवाही देनी पड़ेगी। इधर एडवोकेट जनरल से सलाह लेने की बात ठहरी।

बाडगे ने प्रश्नों का उत्तर देते हुए आगे कहा कि मैंने अपनी पत्नी से अपने प्रमुख पत्रों को मांगकर बम्बई में देखा था। बाडगे ने इस अवसर पर बैठने के लिये कुर्सी की मांग की। जज ने अनुमति प्रदान कर दी।

बाडगे ने कहा कि मैंने २२ फरवरी को बयान दिया। उसे पन्टू नामक पुलिस अफसर ने लिखा।

श्री भागरवाला ने मराठी में प्रश्न किये और मैंने मराठी में ही उत्तर दिया। भागरवाला ने उसका अनुवाद किया क्योंकि, पिन्टू मराठी नहीं जानता था।

श्री बनर्जी—यदि आप एक बम फेंकें तो क्या उससे कोई मर सकता है?

बाडगे—हां!

श्री बनर्जी—जब मदनलाल को गनकाटन स्लैब विस्फोट करना था तब उसे हथगोला क्यों दिया गया?

बाडगे—यह निश्चय किया गया था कि ज्यों ही मदलाल गनकाटन का विस्फोट करे त्यों ही हम सब लोग गांधीजी पर हथगोले फेंके।

मैंने उस दिन प्रार्थना स्थल पर करकरे को देखा। जब मैंने पुलिस वालों को आते हुये देखा तब मैंने करकरे को नहीं देखा। जब शंकर बम गाड़कर गया था तब अँधेरा हो चला था। मेरिना होटल में यह तय किया गया कि मैं ही हथगोला फेकूंगा।

इसके पश्चात् बाडगे ने श्री बनर्जी के कई प्रश्नों का नाकारात्मक उत्तर दिया। शंकर के वकील के प्रश्नों का उत्तर देते हुये बाडगे ने कहा कि मैं शंकर को पुत्रवत् मानता था। मैंने जो कुछ किया था उसकी सजा भुगतने के लिये मैं तैयार था।

मैं देश की सेवा करना चाहता था। मैंने हिन्दुओं मुफ्त शस्त्र दिये थे। जब मेरे घर में आग लगाई गई तब १५०००) २००००) तक की क्षति हुई। उसके पश्चात् मेरे बालबच्चे भूखों मर रहे होंगे। वे एक बार हमसे जेल में मिले थे।

श्री मेहता—क्या यह सच है कि शंकर को आपके नौकर के नाते आज कठघरे में खड़ा होना पड़ा है।

अदालत ने इस प्रश्न को स्वीकार नहीं किया। बाडगे ने आगे कहा कि मैं आधीरात को अपनी दूकान के पीछे शस्त्रास्त्र छिपाकर गाड़ दिया करता था।

जिरह अभी जारी रहेगी।

३० जुलाई को मुखबिर बाडगे के नौकर अभियुक्त शंकर उससे जिरह की। जिरह का उत्तर देते हुये मुखबिर ने कहा कि २० जनवरी को मैरिना होटल जाते समय मैं और शंकर दोनों मराठी भाषा में बातचीत कर रहे थे। बिड़ला भवन जाते समय मैंने शंकर से कह दिया था कि वहां उसे क्या करना है। हिन्दू महासभा भवन के पीछे जिस समय हम लोग पिस्तौल चलाना सीखने के लिये गये हुये थे, उस समय शङ्कर गोली चलाना नहीं चाहता था, किंतु आप्टे ने उस पर रिवाल्वर सीखने के लिये दबाव डाला। मैंने स्वयं मैरिना होटल से आते समय शंकर को अपनी योजना के बारे में सब कुछ बता दिया था। २० जनवरी को जब हम लोग बिड़ला भवन पहुंचे तो उस समय शकर महात्मा गांधी की बांई ओर खड़ा था। मैंने उससे कह दिया था कि मेरे आदेश के अनुसार ही उसे काम करना होगा। मैंने यह भी बता दिया था कि मैं नाथूराम गोडसे तथा आप्टे के साथ दिल्ली में जो कुछ हो रहा था, उससे बिलकुल अनभिज्ञ था।

गोपाल गोडसे के वकील श्री ईमानदार की जिरह का उत्तर देते हुये बाडगे ने कहा कि मैं १९ जनवरी को दिल्ली पहुंच गया था। मैंने अपने कमरे में किसी दाढ़ी वाले व्यक्ति को नहीं देखा। मैं जाड़े में केवल एक कमीज पहनता हूँ। हम लोगों को बिड़ला भवन जाने और वहां से वापस आने में डेढ़ पौने दो घन्टे लगे। मैंने पुलिस को केवल एक व्यक्ति के बिस्तरे के सम्बन्ध में बताया।

बम्बई के एक प्रोफेसर की गवाही

मदनलाल को शरणार्थी के नाते सहायता दी

लाल क़िला (दिल्ली)। ४ अगस्त को नाथूराम विनायक गोडसे तथा अन्य अभियुक्तों के मुकदमे में सबूत पक्ष की ओर से बम्बई के पाइरस अपोलो होटल के कैरिडडोपिरडो नामक कर्मचारी की गवाही हुई। गवाह ने कहा कि आप्टे और करकरे क्रमशः आर० विष्णु और एन० काशीनाथ के नाम से हमारे होटल में ठहरे थे और १४ फरवरी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये। आप्टे ने कहीं होटल के रजिस्टर में दस्तखत किया था।

मैं उसे पहले से ही जानता हूं। वह १८ जनवरी को भी अपनी पत्नी के साथ मेरे होटल में ठहरा हुआ था।

उसके बाद बम्बई के मजैस्टिक होटल के निरीक्षक माइकेल वेट्रिक कैरी के गवाही हुई। श्री कैरी अपोलो होटल में आप्टे और करकरे की गिरफ्तारी के समय उपस्थित थे। उन्हीं के सामने अभियुक्तों की तलाशी ली गई और पञ्चनामा तैयार किया गया। आप्टे के वकील श्री मिंगले द्वारा जिरह करने पर गवाह ने दो रेलवे टिकटों की पहचान की जो आप्टे के पास से बरामद हुआ था। उन्होंने एक तार की रसीद भी पहिचानी।

उसके बाद विनायक दामोदर सावरकर के वकील श्री भोपटकर ने एक आवेदन पत्र पेश किया, जिसमें कहा गया है कि सबूत पक्ष के जगदीश

चन्द्र और अंगदसिंह की गवाही अस्वीकार है क्योंकि उन लोगों ने केवल सुनी हुई बात के आधार पर बयान दिया है। एक षड्यन्त्रकारी ने किसी के सामने जो कुछ भी बयान दिया है उसे दूसरे के विरुद्ध गवाही में पेश नहीं किया जा सकता। जज ने कहा कि जब उन लोगों का बयान लिया जायगा तभी इस आवेदन पत्र पर विचार किया जायगा।

इसके बाद जगदीशचन्द्र जैन की गवाही हुई। वे काशी विश्वविद्यालय के स्नातक तथा बम्बई के रामनारायण रुइया कालेज में प्रोफेसर हैं। गवाह ने कहा कि मैं अभियुक्त मदनलाल को जानता हूँ। वह गत अक्तूबर के द्वितीय सप्ताह में गुप्ता नामक एक व्यक्ति के साथ मेरे पास आया। गुप्ता ने बताया कि मदनलाल एक शरणार्थी और वह मेरी सहायता चाहता है। वह चपरासी का काम भी करने के लिये तैयार था। किन्तु मैं उसके लिये नौकरी की व्यवस्था न कर सका। मैंने उसे सामने सब्जी की सलाह दी। किन्तु उसके पास सब्जी खरीदने के लिये पैसे नहीं थे। अन्त में वह एक प्रकाशक के यहां काम करने के लिये तैयार हो गया हम लोगों की बातचीत के समय श्री अंगदसिंह भी उपस्थित थे। वह २५ प्रतिशत कमीशन पर १० दिन तक हमारी पुस्तकें बेचता रहा। दीवाली से पहले मदनलाल ने कहा कि पुस्तकों की बिक्री से कोई विशेष लाभ नहीं है। कुछ दिन बाद वह सूद नामक एक व्यक्ति के साथ अहमद नगर जाने लगा और अपने साथ सौ पुस्तकें बिक्री के लिये लेता गया। किन्तु वापिस आने पर उसने उनका दाम नहीं दिया। दिसम्बर के दूसरे सप्ताह में मदनलाल मुझसे मिला और पुनः अहमदनगर जाने का निश्चय प्रकट किया; किन्तु वह इस बार हमारी पुस्तकें ले जाने के लिये तैयार न हुआ। वहां उसने एक फल की दूकान खोल ली। किन्तु जनवरी के प्रथम सप्ताह में वह एक सेठ के साथ मुझसे पुनः मिला। उसने बताया कि मेरी फल की दूकान एक सेठ की है। हमारी प्रतियोगिता में शहर के सभी मुसलिम फल विक्रेता छोड़कर भाग गये हैं और फल के बाजार में मेरा एकाधिकार

स्थापित होगया है। इसके बाद वह चला गया। गवाह ने कठघरे में मदनलाल की पहचान की।

उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद एक दिन एक थियेटर के पास मदनलाल से मेरी मुलाकात हुई। मेरे कहने पर वह दूसरे दिन मुझसे मिलने के लिये आया। अंगदसिंह भी वहां पर उपस्थित थे। मदनलाल ने बताया कि राव साहब पटवर्द्धन को पीट दिया है। वे हिन्दू मुसलिम एकता पर भाषण कर रहे थे। मैंने हिन्दू शरणार्थियों की सेवा के लिये एक स्वयंसेवक दल संघटित किया है। कुछ मराठी पत्रों ने मेरे इस कार्य की काफी प्रशंसा की है। उसने यह भी बताया कि हम लोगों ने अहमद नगर में एक दल संघटित किया है और करकरे उसकी आर्थिक सहायता करता है। हम लोग जंगल में शस्त्रास्त्र एकत्र कर रहे हैं। हिन्दू महासभा के वीर सावरकर ने हमारे कामों को बहुत पसंद किया है। दल ने महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की हत्या करने की योजना तैयार की है और मेरे ऊपर गांधीजी की प्रार्थना सभा में बम फेकने का भार सौंपा गया है।

उसके दो एक दिन बाद मदनलाल दिल्ली चला आया। मैंने समाजवादी नेता जयप्रकाशनारायण से इस षड्यन्त्र के बारे में कहा, किन्तु उन्हें इसका विवरण न दे सका। सरदार पटेल से भी मैंने सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश की, किन्तु सफल न हो सका। श्री जैन का बयान समाप्त होने से पहले अदालत दूसरे दिन के लिये उठ गई।

५ अगस्त को भी सबूत पक्ष के गवाह प्रोफेसर जगदीशचन्द्र जैन का बयान जारी रहा। उन्होंने कहा कि मैंने बम्बई में करकरे की शिनाख्त की थी। वह मदनलाल के साथ एक बार मेरे मकान पर आया था। सावरकर के वकील श्री भोपटकर द्वारा जिरह करने पर गवाह ने कहा कि मदनलाल मुझसे ६ या ७ जनवरी को मिला था। मुझे श्री जयप्रकाश नारायण के भाषण की तिथि याद नहीं है। मेरे कालेज के अधिकांश

प्रोफेसर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। वहां से सावरकर का मकान करीब आधी मील दूर है। मैं मदनलाल के मकान पर कभी नहीं गया हूं। मैंने बम्बई के प्रधान मंत्री श्री बाल गंगाधर खेर और गृहमंत्री श्री मोरार जी देशाई को आश्वासन दिया था कि मैं षडयन्त्र का पता लगाने में सहायता करूँगा। मैंने शिनाख्त के समय मजिस्ट्रेट से कह दिया था कि मदनलाल गत वर्ष अक्तूबर में मेरी पुस्तकें बेचा करता था। मैंने मदनलाल की बात को अपने कालेज के प्रोफेसर याज्ञिक से भी कह दिया था।

श्री मिंगले द्वारा जिरह करने पर गवाह ने कहा कि मैं हमेशा समाचार पत्र पढ़ता हूँ। मुझे जनवरी के द्वितीय सप्ताह की कोई महत्व-पूर्ण घटना याद नहीं है। मैं कई वर्ष तक कांग्रेस का चवन्नियां सदस्य रहा हूँ और १९४२ के आन्दोलन में गिरफ्तार हुआ था।

करकरे के वकील श्री डांगे द्वारा जिरह करने पर प्रोफेसर जैन ने कहा कि मैंने १९४५ में पी० एच० डी० की डिग्री प्राप्त की। १९४३ में जेल से रिहा होने पर मैं पुन: कालेज में रख लिया गया। मैं अंगदसिंह को दो वर्ष से जानता हूँ। वे समाजवादी हैं।

मदनलाल एक एक शरणार्थी था। इसलिये मैं उसकी सहायता किया करता था। मैंने कभी किसी महासभाई को शरणार्थियों में सहायता कार्य करते नहीं देखा। मुझे मदनलाल और करकरे, दल के बारे में जिसे उन लोगों ने अहमदनगर में संघटित किया था, अधिक जानकारी नहीं है। मैंने मदनलाल को इस मामले से दूर रहने की सलाह दी थी। यह बिलकुल असत्य है कि १९४३ में रिहा होने के बाद कालेज के कांग्रेसी छात्रों ने मेरा स्वागत किया था और हिन्दू महासभाई छात्रों ने मेरी निन्दा की थी। मैंने १९४२ के आन्दोलन में सरदार पटेल के पुत्र से मुलाकात की थी। मैं कांग्रेस समाजवादी नहीं हूँ।

श्री बनर्जी की जिरह उत्तर देते हुए प्रोफेसर जैन ने कहा कि श्रीगुप्ता ने मुझसे कहा था कि मदनलाल पुष्पा नामक एक लड़की को एक मुसलमान के पास से बरामद करना चाहता है किन्तु यह एक पेचीदा मामला होने के कारण मैं उसकी सहायता न कर सका। मदनलाल ने मुझे अपने उन तीन साथियों का नाम नहीं बताया जो हिन्दू महासभा भवन में उसके साथ गए हुए थे।

अंगदसिंह का बयान

दिल्ली डायरी प्रमाणित नहीं

लाल किला (दिल्ली)। ९ अगस्त को गांधी हत्या–काण्ड के मुकदमे में विशेष न्यायालय के समक्ष बयान देते हुए वैष्णव सम्प्रदाय के आचार्य गोस्वामी श्री कृष्ण जी महाराज ने बताया कि अभियुक्तों ने पाकिस्तान विधान परिषद् को, जिसकी बैठक दिल्ली में होने वाली थी नष्ट करने की इच्छा की थी।

गवाह ने यह भी कहा कि यह समाचार भी मिला था कि आप्टे ने १६ अक्टूबर को शस्त्रास्त्रों से भरी पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन को उड़ा देने की इच्छा की थी। इस काम को पूरा करने के लिए आप्टे को १० रुपये की आवश्यकता थी और उसने ५ हज़ार रुपये मुझसे मांगे थे, परन्तु मेरे पास रुपये नहीं थे। आप्टे मुझे आग लगाने वाले यन्त्रों की खोज के लिए ले गया था परन्तु वे नहीं मिले।

गोस्वामी जी का बयान समाप्त होने के पहले ही अदालत उठ गई।

१० अगस्त तक गोडसे आदि के मुकदमे में ७० गवाह सबूत पक्ष की ओर से गुजरे। अभी सूची में सबूत पक्ष के २०० और गवाह शेष हैं। सबूत पक्ष के वकील श्री दफ्तरी ने कहा कि सितम्बर मास के मध्य तक हमारी गवाही समाप्त हो जायगी।

सावरकर के वकील श्री भोपटकर ने १० अगस्त को आवेदन पत्र दिया कि श्री अङ्गदसिंह का बयान स्वीकार न किया जाय। जज ने कहा कि यदि आवश्यक समझा जायगा तो उचित अवसर पर इस आवेदन पत्र पर विचार किया जायगा।

गोस्वामी कृष्ण जी महाराज से जिरह जारी रही। आरम्भ में आप्टे और करकरे की ओर से श्री मिंगले ने कहा कि गिरफ्तारी के समय का इन दोनों का पैसा वापिस मिल जाना चाहिए। जज ने कहा इस सम्बन्ध में मैं बाद में आदेश दे दूँगा।

गोस्वामी ने कहा कि मन्दिरों में हरिजनों के प्रवेश का मैं विरोधी हूँ। आप्टे ने मुझसे १६ जनवरी को रिवाल्वर मांगी थी। मैं नोआखाली गया था। वहां जो हिन्दू मुसलमान बना लिए गए थे उनको हिन्दू बनाने के लिये गया था।

श्री भोपटकर के प्रश्न का उत्तर देते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि हिन्दू परिषद् में मैंने नेहरू सरकार का विरोध किया था। मैं भविष्य में भी तब तक उसका समर्थन नहीं कर सकता जबतक उसकी नीति नहीं बदलती। क्योंकि वे पाकिस्तान खुश रखने की नीति को जारी रखे हुए हैं। मैंने जन्माष्टमी को श्री मुरार जी देसाई से कहा था कि मैं मुसलमानों के विरुद्ध हिन्दुओं को नहीं उकसाऊँगा। मैं चाहता था कि श्री जिन्ना और श्री लियाकतअली मार डाले जायें।

मैं १९४२ से १९४६ तक कांग्रेस का सदस्य था। २४ या २६ जनवरी को बम्बई की एक सभा मेरी अध्यक्षता में हुई। उसमें जैसलमेर पर पाकिस्तानी आक्रमण की निन्दा की गई।

श्री ओक—क्या यह सत्य है कि उस सभा में किसी वक्ता ने कहा कि पाकिस्तान को ५५ करोड़ रुपया दिला कर गांधी जी ने विश्वासघात किया?

जब तक वह व्यक्ति नहीं आता इसे कैसे सिद्ध करेंगे?

नाथूराम गोडसे ने उसी समय उठकर कहा कि उस सभा में एक व्यक्ति ने कहा था कि गांधी जी ने ५५ करोड़ रुपया पाकिस्तान को दिला कर विश्वासघात किया है।

गोस्वामी ने कहा कि मैं सुहरावर्दी से कभी मिला हूं। गांधी जी को मैंने बचपन में देखा था। मैंने आप्टे को कोई पिस्तौल नहीं दी थी।

मैंने एक बार एक सिंधी को शस्त्रास्त्र दिए थे।

प्रश्न—क्या आप जानते हैं कि गांधी जी हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश के पक्ष में थे।

जज ने इस प्रश्न को अनियमित करार दिया। एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए गोस्वामी ने कहा कि मुझे यह पता नहीं कि भंगी बस्ती में वाल्मीकि मन्दिर हरिजनों के लिए खुला हुआ है।

जज ने कहा कि श्री बल्मीकि हरिजन थे।

श्री डांगे—बाल्मीकि की जाति का प्रश्न विवाद-ग्रस्त हो गया है, अतः इसे छोड़ दिया जाय।

जज के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री डांगे ने कहा कि हरिजन-आन्दोलन और मुसलिम परस्त नीति से अभियुक्त विवेक खो बैठे थे।

श्री श्रीधर नारायण वैद्य की भी गवाही हुई। उसके बाद न्यायालय की कार्रवाई स्थगित हो गई।

१२ अगस्त को गांधी हत्या-काण्ड के अभियुक्त शंकर किस्तैया के अस्वस्थ हो जाने के कारण मुकदमे की सुनवाई १३ अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई।

१३ अगस्त को गांधी हत्या-काण्ड के मुकदमे में विशेष न्यायालय के समक्ष विमानों पर यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखने वाली वीस वर्षीया कुमारी लोर्ना ब्रेन ब्रूज ने नाथूराम वी० गोडसे तथा नारायण डी०

आप्टे को शिनाख्त किया। कुमारी ब्रेन ब्रिज ने बताया कि गत २७ जनवरी को उपर्युक्त दोनों व्यक्तियों ने विमान द्वारा बम्बई से दिल्ली की यात्रा की थी। उन दिनों मेरी नियुक्ति बम्बई-दिल्ली आने जाने वाले विमानों में की गई थी।

दूसरे गवाह अङ्गदसिंह के उपस्थित होने के पूर्व ही सावरकर के वकील ने प्रार्थना की कि अङ्गद की गवाही न ली जाय, किन्तु न्यायाधीश ने उसे अस्वीकृत कर दिया। अङ्गदसिंह बम्बई का एक कपड़े का दलाल है। उसने बताया कि मैं प्रोफेसर जैन को गत दो वर्षों से जानता हूं। मेरे घर से उनके घर जाने में केवल दो तीन मिनट का समय लगता है। गवाह ने मदनलाल को शिनाख्त करते हुए बताया कि १९४७ के २६ अक्टूबर को मैंने मदनलाल को डाक्टर जैन के निवास स्थान पर देखा था। उस समय बम्बई स्थित शिवाजी पार्क में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की रैली थी।

अङ्गदसिंह ने आगे बताया कि मदनलाल मुझे दिवाली के अवसर पर लेडी जमशेद जी मार्ग पर मिला था और पूछने पर मुझसे कहा कि अब मैं पुस्तक नहीं बेचता बल्कि पटाखे बेचता हूँ। इसके बाद डाक्टर जैन के निवास स्थान पर मदनलाल से मेरी मुलाकात हुई थी। मदनलाल ने डाक्टर जैन को बताया कि उसने अहमदनगर से सभी मुसलमानों को निकाल देने की योजना तैयार की थी। मदनलाल ने यह भी बतलाया कि उसने अहमदाबाद में मुसलमानों के विरुद्ध एक दल संगठित किया है। दल की आर्थिक सहायता करकरे करता था। दल ने अहमदनगर से सभी तरकारी तथा फल बेचने वाले मुसलमानों को भगा दिया है और उनकी दुकानें सेठ तथा उनके द्वारा ले ली गई हैं! मदनलाल ने आगे बताया कि वह पटवर्धन की सभा में उनका भाषण सुनने गया था। हिन्दू मुसलमानों को साथ साथ रहना चाहिए। पटवर्धन के इस कथन से मदनलाल को क्रोध आ गया और वह उछलकर मंच पर चला गया और पटवर्धन

का कालर पकड़ कर कहने लगा—क्या ऐसी बातों को दुहराने का साहस करोगे। पुलिस द्वारा हस्तक्षेप करने पर मदनलाल वहां से हटा दिया गया था।

अङ्गदसिंह ने आगे बताया कि उस दिन सांयकाल डाक्टर जैन से मेरी काफी देर तक वार्ता हुई थी। डाक्टर जैन ने मुझसे कहा था कि मदनलाल जिस दल का सदस्य है उस दल ने किसी एक नेता की हत्या की योजना तैयार की है। बार-बार प्रश्न करने पर मदनलाल ने बताया था कि गांधी की हत्या की जायगी। मदनलाल ने यह भी बताया था कि दल के सदस्य अहमदनगर में शस्त्रास्त्र एकत्र कर रहे हैं और साथ ही सावरकर उक्त दल की सहायता कर रहा है। डाक्टर जैन ने अङ्गदसिंह को बताया कि मैंने मदनलाल को गांधी की हत्या के षड्यत्र में भाग लेने से मना किया था। डाक्टर जैन ने यह भी कहा था कि इस षड्यंत्र में सावरकर का हाथ है और यह सफल हो सकता है। अतः इसकी सूचना अधिकारियों को दे देनी चाहिये। इस बात पर मैंने डाक्टर जैन से भेंट की और निश्चय किया कि इस षड्यंत्र की सूचना सरदार बल्लभ भाई पटेल को देनी चाहिये। इस समय तक मदनलाल द्वारा गांधीजी पर बम फेकने का समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका था। इससे षड्यंत्र के सम्बन्ध में मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया था। डाक्टर जैन तथा अङ्गदसिंह ने फोन द्वारा सरदार पटेल से वार्ता करने की चेष्टा की किन्तु सरदार पटेल उस समय अह-मदाबाद चले गये थे। एस० के० पाटिल से वार्ता करने का प्रयास विफल रहा। तब बी० जी० खेर से बातें हुई और उन्होंने उसी दिन चार बजे भेट करने का समय दिया। गवाह ने कहा कि आवश्यक कार्यवश मैं डाक्टर जैन के साथ श्री खेर के पास न जा सका। बम-विस्फोट के पश्चात् मैंने षड्यंत्र की सूचना अशोक मेहता को दे दी थी।

१६ अगस्त को गांधीजी की हत्या के अभियोग में गिरफ्तार नाथूराम गोडसे तथा अन्य व्यक्तियों का मुकदमा सुनने वाली विशेष अदालत के

जज श्री आत्माचरण आई० सी० एस० ने अभियुक्त मदनलाल के वकील श्री बनर्जी द्वारा दी गई अरजी खारिज करदी कि अदालत महात्मा गांधी के कार्यों, भाषणों और लेखों को प्रमाणस्वरूप माने तथा 'दिल्ली डायरी' को हवाले के लिये प्रमाणिक पुस्तक स्वीकार करे।

श्री बनर्जी ने दरखास्त पर बहस करते हुये कहा कि 'दिल्ली डायरी' महात्मा गांधी के सान्ध्य प्रार्थनोत्तर भाषणों का प्रामाणिक संग्रह है। सबूत तथा सफाई पक्ष दोनों यह स्वीकार करते हैं कि महात्मा गांधी विषयक कई तथ्यों का उल्लेख मुकदमे की मिसिल में होना चाहिये। यदि अदालत 'दिल्ली डायरी' को प्रमाण स्वरूप मानती है तो ठीक है अन्यथा मुझे देवदास गांधी, आभा गांधी और मनु गांधी को गवाह के रूप में बुलाना पड़ेगा। दूसरे मेरी अरजी स्वीकार कर लेने से मुकदमे की अवधि कम हो जायगी।

सबूत पक्ष के वकील द्वारा विरोध

सबूत पक्ष के प्रधान वकील श्री सी० के० दफ्तरी ने श्री बनर्जी की अरजी का विरोध करते हुए कहा कि 'दिल्ली डायरी' गांधीजी की लिखित पुस्तक नहीं हैं। अतः अदालत कैसे इसे प्रामाणिक ग्रन्थ स्वीकार करे? दूसरे यह भी उल्लेख्य है कि उक्त पुस्तक में सगृहीत भाषण किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संकलित किये गये हैं।

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जज ने उक्त अरजी खारिज कर दी।

मुरार जी देसाई से जिरह समाप्त

अन्य गवाहों के बयान

लाल किला (दिल्ली)। २५ अगस्त को गांधी हत्याकांड के मुकदमे में जिसकी सुनवाई विशेष जज श्री आत्माचरण आई० सी० एस० की अदालत में हो रही है, बम्बई के गृहमंत्री श्री मुरार जी देशाई की जिरह समाप्त हुई।

नाथूराम गोडसे के वकील श्री मार्क ने श्री देसाई से पूछा कि क्या आप जानते हैं कि श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन ने कांग्रेस महासमिति की बैठक में ब्रिटिश योजना स्वीकार करने सम्बन्धी प्रस्ताव को जिसमें भारत का विभाजन मंजूर किया गया था, विरोध किया था। श्री देसाई ने उत्तर दिया कि श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन मौजूद थे और मैं समझता हूं कि उन्होंने प्रस्ताव की आलोचना की थी और उससे मतभेद प्रकट किया। इसी प्रकार के कई राजनीतिक प्रश्न श्री देसाई से पूछे गये।

श्री देसाई से पत्रों से जमानत लेने के सम्बन्ध में कई प्रश्न पूछे गये। जिस समय बम्बई के गृहमंत्री से पत्रकारों के मिलने के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया, उस समय नाथूराम गोडसे कटघरे में खड़ा हो गया और उसे यह कहते सुना गया कि मेरे पत्र का इतिहास दमन का इतिहास है, जिससे मेरा खून खौल उठता है। श्री ओक ने श्री देसाई से पूछा कि कितनी बार गोडसे के पत्रों (अग्रणी और हिन्दूराष्ट्र) से जमानत मांगी गई।

श्री देसाई ने उत्तर दिया कि मुझे स्मरण नहीं है, किन्तु उसके पत्रों से जमानत मांगी गई थी। यह पूछने पर कि क्या ये जमानतें पंजाब और नोआखाली हत्याकांड के सम्बन्ध में लिखे गये लेखों के कारण मांगी गई थीं, आपने उत्तर दिया कि मुसलमानों के प्रति घृणा उत्पन्न करने और हिंसात्मक प्रचार करने के कारण जमानत मांगी गई थी।

कालेज के १८ वर्षीय छात्र की गवाही

श्री मुरार जी देसाई से जिरह समाप्त होने के बाद कालेज के १८ वर्षीय छात्र श्री वसन्त गजानन जोशी की गवाही हुई। सबूत पक्ष के वकील श्री सी० के० दफ्तरी के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने बताया कि मैं अपने पिता के साथ थाना (बम्बई) में रहता हूं। मेरे पिता दादर स्थित शिवाजी मुद्रणालय के मालिक हैं। मैं विष्णु आर० करकरे को सन् १९४३ से ही जानता हूं। गवाह ने अदालत में अभियुक्त करकरे को पहचाना। गवाह ने आगे कहा कि मैं आप्टे को भी जानता हूँ। गवाह ने आप्टे की भी शिनाख्त की।

गवाह ने आगे कहा कि मैं नाथूराम गोडसे को उस समय से जानता हूं, जब वह पहली बार २५ जनवरी सन् १९४८ को मेरे घर पर आया था। गवाह ने अभियुक्त नाथूराम गोडसे की शिनाख्त भी की।

श्री जोशी ने आगे बयान दिया कि आप्टे और करकरे उस दिन मेरे घर आये थे। पहिले करकरे ५ या ६ बजे प्रातःकाल आया, जब मैं और मेरे परिवार के अन्य व्यक्ति जाग गये थे। बाद में मैं एक तार भेजने के लिये बम्बई नगर गया था। इस तार को मेरे पिताने भेजने का आदेश दिया था।

जोशी ने गोपाल गोडसे की भी शिनाख्त की और उसने कहा कि वह नाथूराम गोडसे का भाई है। इसके बाद गवाह से जिरह हुई।

२६ अगस्त को अत्तप्पा कृष्ण कोटियन नामक एक टैक्सी ड्राइवर की गवाही हुई। यह गवाह बम्बई में टैक्सी चलाता है। गवाह ने नाथूराम गोडसे, आप्टे, शंकर तथा बाडगे की शिनाख्त की इसने अपने बयान में बताया कि उक्त अभियुक्त ने सन् १९४८, १७ जनवरी को मेरी टैक्सी पर सवार होकर बम्बई के कई स्थानों की यात्रा की। उसने आगे बताया कि मैं १२ वर्षों से टैक्सी चला रहा हूँ। नाथूराम गोडसे, आप्टे तथा बाडगे ने १७ जनवरी को प्रातःकाल बोरीबन्दर (विक्टोरिया टर्मिनस) पर मेरी टैक्सी भाड़े पर ली और वहां से दादर ले चलने के लिये कहा। मैं रानाडे रोड होता हुआ शिवाजी पार्क गया। पार्क के दक्षिणी हिस्से की दूसरी सड़क की मोड़ पर मैंने टैक्सी खड़ी की। चारों अभियुक्त उतर गए तथा दूसरे मकानमें गये और ५ मिनट में वापस आगये फिर मैं कुर्ला गया यहां एक व्यक्ति और टैक्सीपर चढ़ा। मैं भूलेश्वर और लालबाग भी गया।

नाथूराम गोडसे के वकील श्री वी० वी० ओक द्वारा जिरह करने पर कि आपको यह बात कैसे स्मरण है कि १७ जनवरी को इन अभियुक्तों ने टैक्सी से यात्रा की थी, गवाह ने कहा कि मेरे मालिक और एक पुलिस अफसर ने मुझसे ९ फरवरी को पूछा कि क्या तुमने ११० नम्बर की टैक्सी चलायी थी और क्या तुम्हें काफी आमदनी हुई थी? इसपर मैंने डायरी देखी तो मुझे मालूम हुआ कि १७ जनवरी को मुझे अधिक आमदनी हुई थी। मुझे ५५।।=) किराया मिला था। बिना टिकट लगाये इस रकम की प्राप्ति की रसीद दी थी।

बम्बई कौन्सिल के एक सदस्य की गवाही

इसके बाद बम्बई कौन्सिल के हरिजन सदस्य श्री गनपत शम्भा की खरात का बयान हुआ। आपने बताया कि मैं मुखबिर बाडगे को १।। वर्ष से जानता हूँ। पुलिस द्वारा मेरे बयान लिये जाने के ३ सप्ताह पूर्व बाडगे मेरे घर कुछ सामान रखने के लिये लाया था। बयान के बाद गवाह से जिरह हुई। इसके बाद अदालत उठ गई।

मोरार जी की गवाही

दीक्षित महाराज की गवाही और उनसे जिरह

लाल किला (नई दिल्ली) २० अगस्त को गांधी हत्या–काण्ड के मुकदमे में जिसकी सुनवाई विशेष जज श्री आत्माचरण आई० सी० एस० की अदालत में हो रही है। सबूत पक्ष की ओर से बम्बई के वैष्णव सम्प्रदाय के आचार्य गोस्वामी कृष्ण जी महाराज के छोटे भाई श्री दीक्षित महाराज ने, जो नङ्गे पैर और रेशमी चद्दर पहने थे, गुजराती में बयान देते हुए कहा कि मैं बाडगे (मुखबिर) को पिछले पांच छः वर्षों से जानता हूं। बाडगे ने पूना में शस्त्र-भण्डार खोला था। बम्बई प्रेसी-डेन्सी में उन स्थानों के हिन्दुओं के रक्षार्थ जो मुसलमानों के निकट रहते हैं, मैंने बाडगे से छुरे खरीदे थे। यह छुरे उक्त हिन्दुओं को बांटने के लिए थे।

दीक्षित महाराज ने बाडगे, नाथूराम विनायक गोडसे, आप्टे तथा मदनलाल की शिनाख्त की तथा अपने बयान में आगे कहा कि ये लोग गत १५ जनवरी को मेरे घर आए थे और किस प्रकार हथगोले चलाए जाते हैं, यह मुझे बताया। तब मैंने उनके आगमन तथा हथगोलों के प्रदर्शन का उद्देश्य पूछा तो इन लोगों ने कुछ नहीं बताया किन्तु इतना ही कहा कि हम एक महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं।

जनवरी के आखिरी सप्ताह में फिर भेंट

गोडसे तथा आप्टे गत जनवरी के अन्तिम सप्ताह में मुझसे मिले और मुझे बताया कि हमने ३० से ४० हज़ार रुपये तक के शस्त्रास्त्र काश्मीर भेजने के लिए खरीदे हैं। हम आधा सामान भी दिल्ली से आगे नहीं भेज सके। हम बाकी सामान भेजने के लिए यहां लौट आए हैं। इसके बाद दीक्षित जी की गवाही अगले दिन के लिए स्थगित हो गई।

आप्टे और करकरे के रुपये वापस

अभियुक्त करकरे और आप्टे द्वारा दी गई अर्जियों के सम्बन्ध में जिनमें रुपये और कपड़े, लौटाने की मांग की गई थी। जज ने इनके लौटाने की आज्ञा दी। गिरफ्तारी के समय आप्टे और करकरे के पास से कपड़े तथा क्रमशः ७३९।।=)।। और ५६५≋)।। बरामद हुए थे, जिन्हें इनके वकीलों को लौटाने की आज्ञा जज ने सबूत पक्ष को दी।

किरकी के सैनिक अफ़सर की गवाही

किरकी शस्त्रागार के सहायक सुरक्षा अफसर श्री लेलसी परसिवल पण्डिले ने जिनकी आज पहले गवाही हुई, अपने बयान में कहा कि मैं गोपाल गोडसे को जानता हूँ।

गोपाल गोडसे २८ अक्टूबर सन १९४० को अस्थायी भण्डार प्रबन्धक के पद पर नियुक्त किया गया। श्री पण्डिले ने अभियुक्तों को कठघरे में पहचाना भी। गोपाल गोडसे ने पहले १५ जनवरी सन् ४८ से २१ जनवरी सन् ४८ तक की छुट्टी की अर्जी दी थी, जो अस्वीकृत कर दी गई क्यों कि उसे १६ जनवरी को अफसरों के बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना था। फिर उसने १७ जनवरी से २३ जनवरी तक की छुट्टी की दरख्वास्त दी जो स्वीकार की गई।

गोपाल गोडसे के वकील श्री इनामदार के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि अभियुक्त गोडसे ने पुलिस के संरक्षण में २ और ४ फरवरी को दफ्तर में काम किया था। उसकी १९ दिनों की बाकी छुट्टी समाप्त हो जाने के बाद उसे २२ फरवरी से मुअत्तिल कर दिया गया इसके बाद बिड़ला भवन के माली रघुनाथ नायक से नाथूराम गोडसे की शिनाख्त की और अपने बयान में कहा कि इसी व्यक्ति ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। ज्यों ही मैंने पिस्तौल की गोली की आवाज सुनी मैं आक्रमणकारी की ओर दौड़ा। इसी बीच मैंने तीन बार गोली की आवाज सुनी। मेरे हाथ में 'खुरपा' था जिससे मैंने आक्रमण किया। इसके बाद मैंने पीछे से पकड़ा। इसी बीच पुलिस और सैनिक आ गए, जिन्होने पिस्तौल ले ली और उसे पकड़ ले गए।

आप्टे के वकील श्री मिंगले के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि गांधी जी ने जनवरी के मध्य में अनशन किया था। मुझे उनके अनशन की तिथि याद नहीं है।

करकरे के वकील श्री डांगे की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैं नहीं कह सकता कि कोई सुहरावर्दी नामक व्यक्ति बिड़ला भवन में गांधीजी से मिलने आया था। इसके बाद गोस्वामी दीक्षित महाराज की गवाही हुई।

अगले दिन २१ अगस्त को गोस्वामी दीक्षित महाराज ने कहा कि जुलाई से अक्टूबर १९४७ तक मैंने बाडगे के यहां से ५७ हज़ार रुपये का हथियार खरीदा था। गत जनवरी में बाडगे मुझसे मिला था और प्रवीणचन्द्र सेठ से रुपया वसूल कराने के लिए कहा किन्तु मैंने अस्वीकार कर दिया। उससे दो तीन दिन पूर्व बाडगे और आप्टे ने मुझसे एक रिवाल्वर खरीदने के लिए ३२५ रुपये की मांग की। बाडगे ने बताया कि हम लोगों ने ३०–४० हज़ार रुपये के हथियार खरीदे हैं, जिनको काश्मीर के मोर्चे पर इस्तेमाल किय जायगा।

मैं बाडगे को रुपया न दे सका। जैसलमेर के आक्रमण पर विचार करने के लिए जो बैठक हुई थी, उस समय गोडसे ने मुझसे पिस्तौल की व्यवस्था के सम्बन्ध में पूछा। किन्तु मैंने उस समय पिस्तौल का कोई प्रबन्ध नहीं किया था। दीक्षित महाराज ने कहा कि मैंने बाडगे, गोडसे, आप्टे और मदनलाल की शिनाख्त की थी। गांधी जी की हत्या से ७ दिन पूर्व गोडसे से मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी।

सावरकर के वकील श्री भोपटकर द्वारा जिरह करने पर गवाह ने कहा कि मैंने महात्मा गांधी की हत्या के १०—१२ दिन बाद पुलिस के सामने अपना बयान दिया था। मुझे उस पुलिस अफसर का नाम याद नहीं है। चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के ७—८ दिन बाद मैंने अभियुक्तों की शिनाख्त की। जो व्यक्ति मुझे बयान दिलाने के लिये ले गया था, वही मुझे शिनाख्त करने के लिये भी ले गया। किन्तु मुझे इसके सम्बन्ध में पुलिस से कोई पूर्व सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। मदनलाल एक पंजाबी शरणार्थी के रूप में मेरे पास किताब बेचने आया था। मैंने हथियारों के प्रश्न पर दादा महाराज से कोई पूछताछ नहीं की। मैं उनके राजनीतिक विचारों से सहमत नहीं हूँ। मैं समाजवादी हूं किन्तु समाजवादी दल का सदस्य नहीं हूं। मैं श्री जयप्रकाश नारायण से ४५ बार मिल चुका हूं। मैंने उनके कहने पर शस्त्रास्त्र नहीं दिये थे। उनसे इस सम्बन्ध में कुछ बातें अवश्य हुई थीं। मैंने समाजवादी दल के अलावा अन्य लोगों को भी रिवाल्वर, पिस्तौल, राइफल, हथगोला तथा अन्य हथियार दिया था। कांग्रेस के सिद्धान्तों से मेरा हमेशा मतभेद रहा है। मैं १९४२ के आन्दोलन में फरारों की सहायता अवश्य करता था। किन्तु मैंने आन्दोलन में कभी सक्रिय भाग नहीं लिया था।

श्री भोपटकर ने कहा कि मैं यह प्रमाणित करना चाहता हूं कि गवाह कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रखता था। किन्तु जज ने आपत्ति करते हुए कहा कि यहां हिन्दू महासभा के विरुद्ध मुकदमा नहीं चल रहा है।

गवाह ने आगे बताया कि बाडगे १४ जनवरी को मेरे नौकर के पास कुछ हथियार रख गया था। वह अक्सर मेरे यहां इस प्रकार के सामान रख जाता। जब दादा महाराज ने आप्टे से मेरा परिचय कराया तबसे मैंने आप्टे से कोई सामान नहीं खरीदा। १५ जनवरी को गोडसे आप्टे, बाडगे, करकरे और मदनलाल मेरे यहां आये हुए थे। जनवरी के अंतिम सप्ताह में जब मैं आप्टे और गोडसे से मिला तो उन लोगों ने बम-विस्फोट की घटना का कोई जिक्र नहीं किया।

नाथूराम गोडसे के वकील श्री डांगे द्वारा जिरह करने पर दीक्षित महाराज में कहा कि मैंने १९४६-४७ के दंगे में बम्बई के हिन्दुओं को हथियार नहीं दिया था। बाडगे से जो हथियार प्राप्त होते थे, उनमें कुछ तो रख दिये जाते थे। और कुछ तत्काल बांट दिये जाते थे। करकरे से केवल एक बार मेरी मुलाकात हुई थी। बाडगे ने ३०-४० हजार के जो शस्त्रास्त्र खरीदे थे, उनके सम्बन्ध में मैंने कोई पूछताछ नहीं की।

गोडसे द्वारा जिरह करने पर गवाह ने कहा कि यद्यपि समाजवादी दल का उद्देश्य हिन्दुओं को संघटित करना नहीं है किन्तु हैदराबाद के सम्बन्ध में उनका जो कार्यक्रम है, इससे हिन्दुओं की स्थिति काफी सुदृढ़ हो जायगी।

इसके पश्चात् अदालत २३ अगस्त के लिए उठ गई।

अभियुक्त मदनलाल ने अपना लिखित बयान दाखिल किया। इसमें उसने कहा है कि मैं किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ तथा मैंने प्रत्येक मामले पर एक शरणार्थी की दृष्टि से विचार से किया। गत २० जनवरी को मेरे कार्य (इस दिन गांधीजी पर बम फेंकने की चेष्टा हुई थी) का उद्देश्य राष्ट्रपिता तक शरणार्थियों की करुण पुकार पहुंचाना था।

सबूत पक्ष के वकील श्री सी० के० दफ्तरी ने इस आधार पर उक्त अरजी का विरोध किया कि अभी इसे दाखिल करने का उपयुक्त अवसर

नहीं आया है। अदालत ने शहादत के रूप में स्वीकार करने तक इसे मिसिल में शामिल कर लिया है।

उक्त अभियुक्त ने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि २१ अगस्त सन् १९४८ को दीक्षित महाराज जी की जिरह के दौरान में इस प्रश्न पर कुछ वाद-विवाद हुआ था कि अभियुक्त का हिंदू महा सभा से सम्बन्ध है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि न तो मैं हिन्दू महासभा का सदस्य हूँ और न कभी था। मैं प्रत्येक मसले पर एक राजनीतिक दल के सदस्य की तरह नहीं, अपितु एक शरणार्थी दृष्टिकोण से विचार किया। अभियुक्त के सम्बन्ध में प्रोफेसर जैन ने जो बात कही है, उसे अस्वीकार करने के सम्बन्ध में अभियुक्त ने पहले ही आपत्ति की थी। अब बम्बई के गृहमंत्री श्री मोरार जी देसाई की प्रस्ताविन गवाही द्वारा इसकी पुष्टि की जायगी। यह गवाही अवैध है। दूसरे, शहादत कानून की १५७ धारा के अनुसार भी अवैध है। अतः अदालत से प्रार्थना है कि मोरारजी देसाई की गवाही न स्वीकार की जाय।

जज ने आदेश दिया कि अभी मोरारजी देसाई की गवाही ली जाय। बहस के समय इसकी वैधता या अवैधता पर विचार किया जायगा।

श्री मोरारजी देसाई की गवाही

बम्बई के गृहमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने अपने बयान में कहा कि मुझे गृह और माल विभाग सौंपे गये हैं। पुलिस, अपराधों की जांच आदि विषय मेरे विभाग के विषय हैं। मैं प्रोफेसर जे० सी० जैन को जानता हूँ, जो पहले मुझे २१ जनवरी सन् १९४८ को मिले। प्रोफेसर जैन २१ जनवरी को ४ बजे संध्या प्रधान मंत्री श्री बी० जी० खेर से मिलने आये थे, जिन्होंने उन्हें मेरे कमरे में भेज दिया। तब मुझे श्री जैन का परिचय मिला।

प्रोफेसर जैन ने मुझसे कहा कि उन्होंने २१ जनवरी का समाचार पत्र देखा था, जिसमें दिल्ली में बम-विस्फोट का समाचार था।

उन्होंने उस व्यक्ति का नाम बताया जो पकड़ा गया था। उन्होंने आगे कहा कि वे उस व्यक्ति मदनलाल को जानते हैं। वह शरणार्थी है, जिसकी धन से सहायता की गई थी। श्री जैन ने यह भी कहा कि उन्होंने उसे अपनी पुस्तकें बेचने को दी थीं। वह व्यक्ति (अभियुक्त मदनलाल) उक्त बम विस्फोट के पूर्व दिल्ली गया था। इससे पूर्व मदनलाल ने बताया था कि एक महान नेता की हत्या की जायगी। श्री जैन ने आगे मुझे बताया कि मदनलाल ने महात्मा गांधी की हत्या करने की बात कही थी।

श्री देसाई ने आगे बताया कि मैंने श्री जैन से पूछा कि आपने पहले क्यों नहीं मुझे ये बातें बतायीं। श्री जैन ने कहा कि चूंकि शरणार्थी उत्तेजनात्मक बातें करते हैं और मैंने उसे आगे की कार्रवाई करने से मना कर दिया है, इसलिये मैं पहले यह सूचना देने नहीं आया।

२४ अगस्त को श्री देशाई ने बताया कि श्री अग्रवाल को मैंने रेलवे स्टेशन पर षड्यंत्र के सम्बन्ध में सूचना नहीं दी थी। प्रोफेसर जैन ने कहा था कि षड्यंत्र की जांच में पूरी-पूरी सहायता करूंगा। किंतु प्रकट रूप से मेरा नाम नहीं आना चाहिये। हत्याकांड के चार पांच दिनों के पश्चात् वे पुनः मेरे पास आये और प्रत्यक्ष रूप से पुलिस को सहायता करने का आश्वासन दिया। इसके बाद मैंने प्रोफेसर जैन का श्री अग्रवाल से परि-चय करा दिया और साथ ही २१ जनवरी से बम्बई प्रांत में षड्यंत्र की खोज मैं भी संलग्न हो गया।

सावरकर के वकील भोपटकर के जिरह के उत्तर में श्री देसाई ने बताया कि २१ जनवरी से ३० फरवरी के बीच तीन बार मैं प्रोफेसर जैन से मिला था। एक पुलिस अफसर के समक्ष मामले के सम्बन्ध में मैंने

एक वक्तव्य भी दिया था। गांधीजी की हत्या के षड्यंत्र का समाचार सर्वप्रथम मुझे प्रोफेसर जैन से ही प्राप्त हुआ था। प्रोफेसर ने मुझे यह बताया कि मदनलाल से उन्होंने सम्पर्क स्थापित कर लिया है। श्री देसाई ने बताया कि मैं दादा महाराज और दीक्षित महाराज दोनों को जानता था। दादा महाराज की गवाही के पश्चात् ही मुझे मालूम हुआ कि वह समाजवादी दल के लोगों को अस्त्र-शस्त्र देता था।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री देसाई ने बताया कि यह मुझे मालूम था कि प्रोफेसर जैन तथा मदनलाल में वस्तुतः क्या सम्बन्ध था। एक प्रश्न कि क्या प्रोफेसर जैन ने आपसे यह बताया था कि उन्होंने षड्यंत्र की बातों को बताने के लिये श्री जयप्रकाश से मिलने का प्रयत्न किया था। देसाई ने कहा कि इसका मुझे ठीक-ठीक स्मरण नहीं। श्री मुरारजी देसाई की जिरह अभी समाप्त नहीं हुई थी किन्तु अदालत अगले दिन के लिये उठ गई।

प्रत्यक्षदर्शी द्वारा हत्या का वर्णन

राजाजी के १४ अगस्त के भाषण पर मदनलाल द्वारा आपत्ति

लाल किला (दिल्ली), ३० अगस्त को गांधी हत्याकांड के मुकदमे में, जिसकी सुनवाई विशेष जज श्री आत्माचरण आई० सी० एस० की अदालत मे हो रही है, सबूत पक्षकी ओर से पेश किये गये गवाह गुरुवचन सिंह ने अपने बयान में महात्मा गांधी की हत्या का आंखों देखा वर्णन किया। आप एक व्यापारी तथा दिल्ली की केन्द्रीय शरणार्थी समिति के सदस्य हैं।

आपने अपने बयान में कहा कि मैं गांधी जी को जानता हूँ। जब जब गांधीजी दिल्ली आते थे मैं उनके दर्शन के लिए जाता था। जिस दिन गांधीजी की हत्या हुई थी मैं उस दिन बिड़ला भवन गया था। गांधी जी उस दिन सन्ध्या को ५ बजने के कुछ देर बाद प्रार्थना स्थल की ओर रवाना हुए। इस बार गांधीजी के आगे कोई व्यक्ति नहीं था, जो भीड़ को चीरता हुआ उनके लिए रास्ता बनाता। जिस समय गांधी जी सीढ़ी पर चढ़े, उस समय प्रार्थना स्थल में भारी भीड़ थी। मैंने उनके आगे जाने की कोशिश की, किंतु उनके आगे लड़कियों की उपस्थिति के कारण मैं नहीं जा सका। जिस समय मैंने दूसरी ओर से उनके आगे जाने की चेष्टा की, उस समय मैंने गोली की आवाज़ सुनी। मैं यह नहीं जान सका

कि किस दिशासे गोली की आवाज आई। फिर मैंने दूसरी आवाज़ सुनी। उस समय मैंने खाकी पोशाक पहने एक व्यक्तिको गोली दागते हुए देखा।

मैंने आक्रमणकारी के हाथ पर आघात किया। शायद तीसरी गोली दगने के बाद आघात किया। इसके बाद तुरन्त ही कई व्यक्तियों ने आक्रमणकारी को पकड़ लिया। जब मैं गांधीजी की ओर घूमा, तब मैंने उन्हें हाथ जोड़े बाईं ओर गिरते देखा। उस समय उनके मुखसे 'हाय राम' शब्द सुनाई पड़े।

आक्रमणकारी की शिनाख्त करने के लिए जब गवाह से कहा गया तो उसने कहा कि मैं उसके निकट न जाकर दूर से ही उसकी पहचान करूंगा। तब गवाह ने नाथूराम गोडसे की ओर संकेत किया। गवाह ने अपने बयान में यह भी कहा कि मैंने एक या दो बार हसनशहीद सुहरावर्दी को प्रार्थनास्थल में देखा।

इसके पश्चात् ग्वालियर के रेलवे टिकट क्लर्क श्री मधुसूद गोपाल गोलवेलवर की गवाही हुई। उसने एक रेलवे रजिस्टर पेश किया, जिसमें ट्रेनों के आगमन का समय उल्लिखित रहता है।

अगले दिन की अदालत की काररवाई के समय गाधी हत्याकांड के अभियुक्त मदनलाल ने हिंद के गवरनर जनरल के विरुद्ध आवेदनपत्र दिया कि उन्होंने १४ अगस्त १९४८ को रेडियो पर भाषण करते हुए कहा था कि हमारा सब से बड़ा दुर्भाग्य गांधीजी की हत्या थी। जिन लोगों ने उनकी हत्या की उन लोगों ने देश के किसी भी शत्रु से अधिक क्षति पहुँचाई। वे हमसे उस समय छीन लिए गये जब उनकी अत्यधिक आवश्यकता थी। प्रार्थी का कहना है कि गवरनर जनरल के उपयुक्त कथन से प्रार्थी के स्वतन्त्र न्याय में बाधा पड़ती है। और मानवता अभियुक्तों के विरुद्ध हो सकती है। वे वैधानिक प्रधान हैं। ऐसा विश्वास

किया जाता है कि वे सलाहनुसार कार्य करते हैं यद्यपि उनपर अदालत कोई काररवाई नहीं कर सकती है। जिन समाचार पत्रों ने उसे प्रकाशित किया है उनपर मुकद्दमा चलाना चाहिये। पार्टी उचित आदेश के लिए प्रार्थी है।

पाण्डुरङ्ग विनायक गाडबोले ने गांधी हत्याकांड के मुकद्दमें में गवाही देते हुए कहा कि गोपाल गोडसे ने गांधीजी की हत्या से १० दिन पहले मेरे पास एक रिवाल्वर तथा कुछ गोलियां रखी थीं। गांधीजी की हत्या के पश्चात् मैंने डरकर उन वस्तुओं को फेंक देने के लिए अपने एक मित्र को दे दिया। मैं १९४२ से ही दत्तात्रेय विनायक गोडसे के तीन भाई नाथूराम, गोपाल तथा गोविन्द को जानता हूँ। ३० जनवरी से २० दिन पहले गोपाल गोडसे लगभग १० बजे रातको मेरे पास आया। उसने कहा कि मैं एक वस्तु रखना चाहता हूँ। उसने तौलिये में से निकालकर मुझे रिवाल्वर तथा गोलियां दिखा दीं। उसके कहने पर मैंने उन वस्तुओं को कुछ दिनों के लिए रख दिया। ३० जनवरी को मुझे पता चला कि नाथूराम गोडसे ने गांधीजी की हत्या करदी है। इससे मैं डर गया और अपने एक मित्र की सलाह से उसे ही उन वस्तुओं को सौंप देने के लिए दे दिया। उसके पश्चात् गोपाल गोडसे के साथ पुलिस पहुँची। मैंने रिवाल्वर रखने की बात स्वीकार की थी। पाण्डुरङ्ग ने गोपाल गोडसे को पहचान लिया।

मुझे ८ फरवरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुझे जून मास के तीसरे सप्ताह तक हवालात में रखा गया था जब पुलिस के सामने गोपाल ने मुझसे पूछा तब मैंने रियाल्वर के बारे में सभी बातों को स्वीकार कर लिया। जब मैं अपने कार्यालय से आ रहा था तब मुझे गांधीजी की हत्या का पता चला। पहले मैंने विश्वास नहीं किया। मैंने मार्च में पुलिस के समक्ष अपना बयान दिया। पहले मैंने पुलिस अफसरों के

समक्ष रिवाल्वर रखने की बात इसलिए स्वीकार नहीं की कि वे पोशाक पहने हुए थे।

महादेव गणेश काले ने गवाही देते हुए कहा कि मैं बाडगे को ३–४ वर्ष से जानता हूँ। मैं आप्टे को भी जानता हूँ। दोनों हिन्दू संघटन के कार्य के लिए आया करते थे। आप्टे ने एक बार मुझसे 'अग्रणी' के लिए विज्ञापन मांगा था। एक बार बाडगे, आप्टे और गोडसे मेरी दुकान पर आये थे। मैंने 'अग्रणी' के सम्बन्ध में गोडसे का नाम सुना था। इन लोगों ने मुझसे एक हज़ार रुपया कर्ज़ के रूप में लिया। गवाह गोडसे, आप्टे और बाडगे को पहचानता था। मेरे कार्यालय में कोई व्यक्ति 'अग्रणी' मंगाया करता था। उसे मैं कभी-कभी पढ़ लेता था। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि पचगनी में आप्टे ने गांधीजी के सामने प्रदर्शन किया था। मैंने गांधीजी के अनशन की बात समाचार पत्रों में पढ़ी थी किन्तु, उस सम्बन्ध में मैंने किसी से बहस नहीं की।

दिल्ली के स्पेशल मजिस्ट्रेट की गवाही

श्री देवदास अदालत में उपस्थित हों—नाथूराम की मांग

लाल किला (दिल्ली)। १ सितम्बर को गांधी हत्याकांड के मुकदमे में, जिसकी सुनवाई विशेष जज श्री आत्माचरण आई० सी० एस० की अदालत में हो रही है, सबूत पक्ष की ओर से बम्बई के गुलाब हिन्दू होटल के स्वामी श्री शिव नागेश सेठ की गवाही हुई। आपने बताया कि मुझे क्रैफोर्ड मार्केट के निकटस्थ गुप्तचर विभाग के दफ्तर में बुलाया गया। वहां प्रभाकर नानभाई नामक एक व्यक्ति ने एक रजिस्टर पेश किया। उसी के सम्बन्ध में एक पञ्चनामी तैयार किया गया, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। अदालत में यह रजिस्टर पेश किया गया, जिसकी गवाह ने शिनाख्त की।

यशवन्त शांताराम बोरकर की गवाही

बम्बई के पैरामाउण्ट फिल्म आफ इण्डिया लिमिटेड के एक कर्मचारी श्री यशवन्त शान्ताराम बोरकर ने अपने बयान में कहा कि मुझे ११ मार्च को गुप्तचर विभाग के दफ्तर में बुलाया गया। दूसरे व्यक्ति शर्मा भी वहां थे। हमारी उपस्थिति में एक व्यक्ति बुलाया गया, जिसने अपना नाम नाथूराम विनायक गोडसे बताया। हल्दीपुर के दरोगा ने

गोडसे को एक कागज दिया, जिसपर उसने दारोगा के कथानानुसार कुछ लिखा इसके बाद उसने अपना हस्ताक्षर किया। उसने तीन या चार हस्ताक्षर किये। फिर हम लोगों ने उस कागज पर अपने हस्ताक्षर किये। गोडसे के बाद आप्टे, करकरे, मदनलाल और गोपाल गोडसे बुलाये गये, जिन्होंने दारोगा के आदेशानुसार अलग अलग कागज पर जो लिखने के कहा गया, लिखा। इसके बाद हम लोगों ने हस्ताक्षर किये। इसके बाद गवाह से जिरह हुई।

इसके पश्चात् बम्बई के आर्टस स्कूल के भूतपूर्व सदस्य श्री विनय-कुमार शान्ताराम प्रधान की गवाही हुई। इसने बताया कि मुझे स्मरण है कि मुझे गुप्तचर विभाग के दफ्तर में बुलाया गया। मैंने भी पंचनामा पर दस्तखत किया।

सफाई पक्ष के वकील श्री मंगले द्वारा प्रश्न करने पर प्रधान ने कहा कि गोडसे से मराठी में हस्ताक्षर नहीं कराये गये।

अगले दिनों की काररवाई में सबूत पक्ष की ओर से दिल्ली के स्पेशल मजिस्ट्रेट श्री किशनचन्द की गवाही हुई। आपने अपने बयान में कहा कि मैंने दिल्ली सेन्ट्रल जेल के हाते में ७ और २८ फरवरी सन् १९४८ को शिनाख्त की काररवाई की थी। मुझे स्मरण है कि पुलिस ने मुझसे शिना-ख्त की काररवाई करने के लिये कहा था। पहली काररवाई नाथूराम गोडसे की शिनाख्त के सम्बन्ध में हुई और दूसरी अभियुक्त आप्टे और करकरे की पहचान के सिलसिले में हुई।

नाथूराम गोडसे की शिनाख्त की काररवाई का वर्णन करते हुये गवाह ने कहा कि सेण्ट्रल जेल में पहुंचने पर मैंने जेल सुपरिन्टेण्डेण्ट से गोडसे को लाने को कहा। गोडसे के आने पर मैंने जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट से अभि-युक्त की उम्र और शकल से मिलते-जुलते कुछ व्यक्तियों कोलाने को कहा। ऐसे व्यक्ति लाये गये, जिनमें से मैंने ९ व्यक्तियों को चुन लिया। फिर

मैंने अभियुक्त से कहा कि यदि वह पोशाक बदलना चाहता है, तो ऐसा कर सकता है और शिनाख्त के समय जिस स्थान पर चाहे खड़ा हो सकता है। शिनाख्त के समय कोई पुलिस अफसर उपस्थित नहीं था। जब एक गवाह शिनाख्त की काररवाई में भाग ले लेता था तो उसे वहां रोक लिया जाता था। इसी प्रकार २८ फरवरी की शिनाख्त की काररवाई हुई। मेरिना होटल के मैनेजर श्री सी० राचेकू शिनाख्त न कर सके।

आपने यह भी बताया कि मुझे स्मरण है कि हिंद सरकार के राज्य विभाग से डाक्टर परचुरे के इकबाली बयान का कागज मिला था, जिसे मैंने सुरक्षित रखा था और बाद में पुलिस अफसर को दे दिया था।

कारवाई प्रारम्भ होने के पहले सफाई पक्ष की ओर से चार अर्जियां पेश की गयीं। दो अर्जियां अभियुक्त सावरकर की ओर से और शेष दो नाथूराम विनायक गोडसे की ओर से उनके वकीलों ने दाखिल कीं।

सावरकर की देसाई विषयक अर्जी

अभियुक्त सावरकर के वकील श्री एल० बी० भोपटकर ने जो पहली अर्जी पेश की, उसमें अदालत से प्रार्थना की गई है कि सबूत पक्ष का यह आवेदन स्वीकार न किया जाय कि सफाई पक्ष द्वारा बम्बई के गृह-मंत्री श्री मुरारजी देसाई से पूछे गये प्रश्नों और उनके उत्तरों को मिसिल में जोड़ दिया जाय। अर्जी में आगे कहा गया है कि श्री मुरारजी देसाई से हुई जिरह में सावरकर के वकील ने उक्त गवाह से कोई प्रश्न नहीं पूछा था कि क्या सावरकर पर कड़ी नजर रखने का आपका संदेह उचित था। इस प्रश्न का उत्तर न देकर श्री देसाई ने सावरकर के वकील से उलटे यह प्रश्न किया कि क्या सावरकर चाहते हैं कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दूँ। इस पर अदालत ने सावरकर के वकील से कहा कि यदि इस प्रश्न पर जोर दिया जायगा तो मैं इसका पूर्ण उत्तर लिखूँगा। इस पर प्रश्न वापस ले लिया गया।

अभियुक्त की अर्जी में आगे कहा गया है कि कानून की दृष्टि से वह प्रश्न वापस नहीं लिया जा सकता—जिसका उत्तर दिया गया है। इस मामले में प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। अतः इसे वापस लेना पूर्णतः उचित था और अदालत ने इसकी स्वीकृति भी दी थी। चूँकि सबूत पक्ष इस घटना से यह निष्कर्ष निकालना चाहती है कि श्री देसाई के उत्तर से सावरकर का मामला और बिगड़ सकता था, अतः अभियुक्त की प्रार्थना है कि इस प्रकार का निष्कर्ष अनुचित है और इस घटना का मिसिल में उल्लेख न रहे।

सावरकर की दूसरी अर्जी में प्रार्थना की गयी है कि पुलिस द्वारा मेरे घर तलाशी में जो कतिपय कागज पत्र (वक्तव्य आदि) बरामद किये गये हैं उन्हें अदालत में दाखिल किया जाय।

नाथूराम गोडसे की अर्जी

नाथूराम गोडसे की एक अरजी में कहा गया है कि महात्मा गांधी के परिचारक श्री गुरुवचनसिंह ने जिरह के समय कहा था कि गांधीजी ने मुझसे कहा था कि वे इस बात से दुखी हैं कि दिल्ली के मुसलमान नगर में स्वतंत्रापूर्वक विचरण नहीं कर सकते।

इन अर्जियों पर बहस नहीं की गयी। इन्हें मिसिल में शामिल कर लिया गया।

३ अगस्त को नाथूराम गोडसे के वकील श्री ओक ने अदालत में एक प्रार्थनापत्र दिया जिसमें कहा गया है कि अदालत सबूत पक्ष को आज्ञा दे कि वह श्री देवदास गांधी को गवाह के रूप में अदालत में पेश करे जिससे खाली कारतूस का पाया जाना साबित किया जा सके। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि खाली कारतूस श्रीदेवदास गांधी ने पाया था तथा उसे पुलिस को दिया था। सबूत पक्ष श्रीदेवदास गांधी को गवाह के रूप में पेश नहीं करना चाहता। इसलिए उसने सरदार गुरुबचनसिंह को गवाह के रूप में पेश किया है।

श्री दफ्तरी ने कहा कि अदालत सफाई पक्ष के कथनानुसार किसी खास गवाह को पेश करने के लिये सबूत पक्ष को बाध्य नहीं कर सकता। अदालत अपने गवाह के रूप में किसी को भी बुला सकती है। अदालत ने अपना निर्णय नहीं सुनाया।

आज बाम्बे बड़ौदा तथा सेन्ट्रलइंडिया रेलवे के टिकट कलक्टर श्री रमणलाल देसाई की गवाई हुई। श्री रमणलाल देसाई के बाद एलफिस्टन रोड, बम्बई स्टेशन के टिकट कलक्टर श्री जान गोम्स की गवाही हुई। अन्त में बम्बई होटल के मैनेजर श्री राघूरामेश्वर नायक ने अपनी गवाही में कहा कि फरवरी सन् १९४८ में मुझे गुप्तचर विभाग के कार्यालय में बुलाया गया। एक आर्य आश्रम के रजिस्टर पर अन्य पचों के साथ मैंने भी हस्ताक्षर किया। गवाह ने रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर को पहचाना तथा पंचनामे की ताईद की।

इसके बाद अदालत सोमवार तक के लिये उठ गयी।

बाद में आप्टे ने कहा कि हम लोगों को अपना नाम बदल लेना चाहिये। नाथूराम का देशपाण्डे, करकरे का व्यास, आप्टे का कारभारकर शंकर का ताकाराम, और बाडगे का बादोपन नाम रखा गया।

मदनलाल और गोपाल गोडसे के क्या नाम रखे गये, यह मुझे स्मरण नहीं है। हम लोगों ने अपने वस्त्रों को बदलने का भी निश्चय किया।

आप्टे ने विमान सेना के सैनिक की तरह वस्त्र धारण किया। करकरे ने जवाहर बन्डी, धोती और गांधी टोपी पहन ली। मदनलाल ने अंग्रेजी पोशाक धारण की। गोपाल गोडसे ने कोट पैन्ट पहन लिया। मैंने जवाहर बण्डी पहिन कर चश्मा लगा लिया शंकर सफेद टोपी पहन कर गया या जिसे अब भी वह पहने हुए है। आप्टे ने एक गनकाटन स्लैब तथा एक हथगोला मदनलाल के लिये दिया। उसके पश्चात् मदनलाल और करकरे चले गये। १०, १५ मिनट बाद मैं शंकर, आप्टे और गोपाल गोडसे भी चले। नाथूराम गोडसे ने भी बाद में आने के लिये कहा। हम लोग वहां से टैक्सी से रवाना हुये।

इसके पश्चात् मुकदमे की सुनवाई अगले दिन के लिये स्थगित हो गई।

२२ जुलाई को गोडसे और अन्य व्यक्तियों के मुकदमे में बयान जारी रखते हुये मुखबिर बाडगे ने कहा कि मेरिना होटल से हम लोग मोटर द्वारा हिन्दू महासभा के कार्यालय में गये। वहां से गोपाल गोडसे ने एक तौलिया लिया। फिर हम दोनों मोटर के पास आये और सभी लोग बिड़ला भवन के लिये रवाना हो गये। वहां हम लोगों को मदनलाल मिला। उस समय आप्टे ने मदनलाल से पूछा—तैयार है क्या? मदन-लाल ने कहा कि मैं तैयार हूं। मैंने गनकाटन स्लैब रख दिया है, केवल उसमें आग लगानी है। आप्टे ने कहा कि ज्यों ही मैं संकेत करूं तुम आग लगा देना। यह वार्ता हम लोग फाटक की ओर जाते समय कर रहे थे।

फाटक पर हम लोगों को करकरे मिला। वह प्रार्थना स्थल की ओर से आ रहा था। उसके पश्चात् उस कमरे के बारे में करकरे ने कहा—जहां से रिवाल्वर चलाने की बात कही गई थी। उसने यह भी कहा कि बहुत समय बीत चुका है। महात्मा जी आ चुके हैं और प्रार्थना प्रारम्भ हो गई है। उसी समय नाथूराम गोडसे भी आ गया। मैंने उस कमरे की ओर देखा जहां से रिवाल्वर चलाने की बात थी। दो व्यक्ति कमरे के पास बैठे हुये थे और एक काना व्यक्ति कमरे के बाहर बैठा हुआ था। मैंने सोचा यदि कोई घटना हुई तो मैं उस कमरे में फिर न जाऊंगा। इससे मैं डर गया।

नाथूराम गोडसे ने मुझसे कहा कि डरने की आवश्यकता नहीं है। सब के भाग जाने का प्रबन्ध कर लिया गया है। गोडसे, आप्टे और करकरे ने बार-बार ज़ोर देकर कहा कि मैं उस कमरे में जाऊँ। मैंने कहा कि भीतर के बजाय मैं बाहर से गोली चलाऊंगा। गोडसे और आप्टे ने इसे स्वीकार कर लिया। मैं टैक्सी के पास गया और अपनी तथा शङ्कर की रिवाल्वर तौलिया में लपेट कर रख दिया। उसे टैक्सी में ही छोड़ दिया। शङ्कर से मैंने कहा कि तुम हथगोले का उपयोग तबतक न करना, जब तक मैं न कहूँ। फिर मैं अपने दोनों हाथ कुरते के बाहर वाले जेब में रखकर गोडसे आदि के पास गया। उन लोगों ने पूछा कि क्या तुम तैयार हो? मैंने कहा—हां। आप्टे मदनलाल को लेकर गया। हम लोग प्रार्थना सभा की ओर गये। जब विस्फोट हुआ तब महात्मा जी ने लोगों को शान्त रहने के लिए कहा। वहां से हम लोग हिन्दू महासभा के कार्यालय गये। वहां मैंने शंकर से कहा कि हथगोलों को जङ्गल में गाड़ आओ। उसके बाद मैं बिस्तर बांधने लगा। इस बीच वहां नाथूराम गोडसे और आप्टे भी आ पहुचे तथा मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ? मैंने उनको गाली दी और कहा कि तुम लोग यहां से चले जाओ।

मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गया। वहां से हम लोग डर कर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन चले गये और वहां से पूना चले गये। ३१ जनवरी को प्रातः मैं गिरफ्तार किया गया था। हथगोले, किरकी के गोले बारूद कारखाने से लिये गये थे। हम लोगों ने अपने नाम इसलिए बदल दिये थे कि प्रार्थना सभा में एक दूसरे से वार्ता की आवश्यकता पड़ सकती थी। गोडसे और आप्टे हिन्दू महासभा से सम्बंधित हैं। मैंने आप्टे के कहने से समझ लिया था कि यह सावरकर का आदेश है। इसलिए मैंने दिल्ली जाना स्वीकार किया था।

इसके पश्चात बाडगे ने सभी अभियुक्तों को पहचाना।

श्री भोपटकर द्वारा जिरह

श्री लक्ष्मण बलवन्त भोपटकर ने जिरह आरम्भ किया। उसने पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि मुझे ५००) निजी खर्च के लिए मिले थे। यद्यपि सावरकर कई वर्षों से बड़ी बड़ी सभाओं में भाग नहीं ले रहे थे किन्तु वे गुप्त सभाओं एवं सामाजिक उत्सवों में भाग लिया करते थे।

मैं श्री सावरकर के बारे में जानता हूँ। मैं उन्हें केवल हिन्दू महासभा का नेता नहीं वरन् देवता मानता हूं। मेरे विचार में सावरकर जैसा कोई भी महान व्यक्ति नहीं हुआ है। स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर सावरकर के भवन पर हिन्दू महासभा तथा हिन्द सरकार का भी झण्डा फहराया गया था। गोडसे, आप्टे और मैंने भी इसका विरोध किया था।

जिरह के सिलसिले में मुखबिर बाडगे ने बताया कि हिन्दू महासभा की नीति नेहरू सरकार को शक्तिशाली बनाना रही है। गत १९४६ के दिसम्बर में महाराष्ट्र प्रांतीय हिन्दू महासभा के बारसी के अधिवेशन में श्री भोपटकर के इस विचार पर कि हिंदू महासभा विघटित हो जानी

चाहिये। नाथूराम गोडसे ने छुरा निकाल लिया था। आप्टे ने भी गोडसे का समर्थन किया था। बाडगे ने कहा कि यदि हम लोग उक्त अवसर पर वहां उपस्थित न होते तो भोपटकर को अवश्य छुरा मार दिया गया होता। हम लोगों ने उनकी रक्षा की। (हँसी)

बाडगे ने आगे बताया कि नाथूराम गोडसे और आप्टे स्वतन्त्र विचार के व्यक्ति हैं और कभी कभी उन लोगों ने 'अग्रणी' और 'हिंदू राष्ट्र' के कालमों में हिंदू सभा की आलोचना की है। १९३८ में पूना म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकतर सदस्य कांग्रेसी थे। श्री पी० के० अत्रे बोर्ड में कांग्रेस दल के नेता थे। मैं उन्हें भलीभांति जानता था। मैंने श्री अत्रे से अपनी नौकरी के लिये कहा किन्तु मेरी ओर उनके अधिक ध्यान न देने पर मैंने अनशन आरम्भ कर दिया। पश्चात श्री अत्रे ने मुझे बुलाया और मुझसे अनशन भंग करने को कहा और २०) मासिक पर दो महीने के लिए नौकरी दिला दी। १९४२ में मैंने शस्त्र-भण्डार की स्थापना की। १९४६ में अभियुक्त शंकर ने मेरी दुकान में नौकरी कर ली। पूना में एम० जी० कुलकर्णी का एक हिंदू-भण्डार था जिसमें पुस्तकों के अतिरिक्त शस्त्र बेचे जाते थे। मैंने कुलकर्णी की दुकान से कई बार शस्त्र खरीदा था और कई बार उसने भी मुझसे लिया था। बाडगे ने आगे कहा कि मैं दीक्षित महाराज नामक व्यक्ति से प्रायः मिला करता था क्यों कि वह मेरी दुकान से शस्त्र खरीदता था। मैंने दीक्षित महाराज से यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह शस्त्र क्यों खरीदता है, किंतु मैं समझता था कि वह हिंदुओं में बांटने के लिए ही शस्त्र खरीदता था। यह प्रश्न किए जाने पर कि जब तुम निश्चित रूप से दीक्षित महाराज का उद्देश्य नहीं बता सकते तो फिर उसके सम्बन्ध में ऐसा क्यों कहते हो? बाडगे ने कहा कि साम्प्रदायिक दंगों के अवसर पर ही वह शस्त्र खरीदता था। शस्त्र क़ानून के अन्तर्गत मेरी दुकान में छुरे बघनखे आदि भी बेचे

जाते थे। मैंने दीक्षित महाराज को १९४७ के जून अथवा जुलाई में १००) प्रति के हिसाब से हथगोले, २००) एक 'गनकाटन' १५०) प्रति सैकड़ा की दर से एक हज़ार डेटोबेएटर्स, विस्फोट पदार्थ के कुछ पैकेट और ५००) का एक पिस्तौल दिया था।

दादा महाराज नामक व्यक्ति दीक्षित महाराज का भाई था। वह वैष्णवों का प्रधान था। पूना में हिन्दू राष्ट्र कार्यालय की स्थापना के दिवस पर विस्फोट पदार्थों का ४० पैकेट दादा महाराज ने मुझसे खरीदा था जिसका दाम १२८०) थे। दादा भाई सनातनी विचार का व्यक्ति था। मैं यह नहीं जानता कि वह कांग्रेसी भी था। मैं अमदर खरात नामक व्यक्ति को जानता हूँ। वह एक समाजवादी है। गत १६ जनवरी १९४८ को सायंकाल मैंने अमदर खरात को कारतूस कुछ हथगोले, पिस्तौल तथा अन्य विस्फोटक पदार्थ भी दिया था। हथगोले आदि बेचने का लाइसेन्स मैंने नहीं लिया था। हिन्दुओं की भलाई के उद्देश्य से ही मैं इन चीजों को बेचता था।

बाडगे ने आगे बताया कि सावरकर सदन में एक गुप्त बैठक हुई थी। बैठक के निश्चयानुसार सावरकर ने हिन्दुओं को शस्त्र देने के लिये मुझे प्रेरित किया था पामरकर और बखले के कार्यों पर विचारार्थ भी एक गुप्तबैठक हुई थी। पामरकर और बखले बम्बई के दंगे के समय हिन्दुओं की हित रक्षा का कार्य करते थे। बाडगे ने बताया कि शंकर को मैंने भोजन के अतिरिक्त २०) मासिक पर मैंने नौकर रखा था। पश्चात् वेतन में वृद्धि कर ३०) कर दिया था। शङ्कर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया करता था! एक प्रश्न के उत्तर में बाडगे ने कहा कि करकरे और आप्टे ने १२००) का एक "स्टेनगन" मेरी दुकान से खरीदा था। आप्टे ने

प्रवीणचन्द्र सेठी नामक एक व्यक्ति से परिचय कराया । प्रवीणचन्द्र सेठी के हाथ मैंने ७ हज़ार रुपये का शस्त्र बेचा था ।

नाथूराम गोडसे के वकील ने न्यायाधीश से प्रार्थना की कि कुछ समाचार पत्र बड़े बड़े शीर्षकों में गांधी हत्या-काण्ड के मुकदमे की कार-रवाई छापते हैं । उनके विरुद्ध काररवाई होनी चाहिए । विशेष न्याया-धीश श्री आत्माचरण के यह पूछने पर कि क्या समाचारपत्रों को चेतावनी देने से काम चल जायगा ? गोडसे के वकील ने इसे स्वीकार कर लिया ।

बाडगे को क्षमा-दान अवैध

विस्फोट विशेषज्ञ और एक अभिनेत्री की गवाही

लाल क़िला (दिल्ली)। ३१ जुलाई को गांधी हत्या-काण्ड के मुक़दमे में मुखबिर दिगम्बर रामचन्द्र बाडगे का करीब ६८ पृष्ठ का बयान जो उसने गत ११ दिनों में दिया था, जज के सामने पढ़कर सुनया गया। उस रोज किसी गवाह का बयान नहीं हुआ। नाथूराम गोडसे की गिरफ्तारी के समय उसके पास से जो ५९२) रु० बरामद हुआ था, वह वापिस कर दिया गया। तत्पश्चात् अदालत स्थगित हो गई।

बाडगे की गवाही न मानी जायगी

२ अगस्त को जब नाथूराम गोडसे एवं अन्य व्यक्तियों का मुक़दमा आरम्भ हुआ तब मदनलाल के वकील श्री बनर्जी ने आवेदन-पत्र दिया कि मदनलाल को दिया गया क्षमादान अवैधानिक है। अतः उसकी गवाही को स्वीकृत न किया जाय। इस आवेदन-पत्र को बहस के समय सुना जायगा। इसमें कहा गया है कि गत २१ जून को अपराह्न में दिगम्बर रामचन्द्र बाडगे को क्षमादान दिया गया। उस समय न्यायालय में न तो अभियुक्त ही था और न उसके वकील ही थे।

२ अगस्त को नाथूराम गोडसे तथा अन्य अभियुक्तों के मुकदमे में सबूत पक्ष की ओर से बिस्फोटक पदार्थों के विशेषज्ञ डाक्टर डी० एन० गोयल का बयान हुआ। उन्होंने उस पिस्तौल और कारतूसों की भी जांच की थी। जिससे महात्मा गांधी की हत्या की गई। गवाह ने कहा कि तीन खाली कारतूसों को खुर्दबीन के अन्दर रख कर देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वे इसी पिस्तौल में इस्तैमाल किए गए थे। मैं पंजाब विश्वविद्यालय का स्नातक हूँ। नाथूराम गोडसे के वकील श्री वी० वी० ओक द्वारा जिरह करने पर गवाह ने कहा कि अगर दस फुट की दूरी से रिवाल्वर से निशाना लगाया जाय तो यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उसका गहरा चिन्ह पड़ेगा। नारायण आप्टे के वकील श्री मिंगले द्वारा जिरह किए जाने पर उन्होंने बताया कि गत १४ वर्षों से शस्त्रास्त्रों की जांच करने का काम करता हूँ। मैंने आर्गनिक केमेस्ट्री और वनस्पति शास्त्र का अध्ययन किया है। रिवाल्वर और पिस्तौल के में अन्तर होता है। श्री मिंगले के कहने पर डाक्टर गोयल ने जज के सामने एक कारतूस की जांच की। श्री ईनामदार की जिरह के बाद जज ने अभियुक्त शंकर किस्तैया से जिरह करने के लिए कहा, किन्तु उन्होंने कहा कि मेरा इस गवाह के बयान से कोई सम्बन्ध नहीं है। अभियुक्त ने यह भी कहा कि श्री मेहता अब भी मेरी ओर से वकील रहेंगे, किन्तु उनको अपने साथ एक दुभाषिया लाने की अनुमति दी जाय। जज ने इस सम्बन्ध में आश्वासन दिया। जिरह के समय डाक्टर गोयल ने यह भी कहा कि मैं विस्फोटक पदार्थों की परीक्षा करने के बाद उसे नोटबुक में दर्ज नहीं करता हूँ, बल्कि फाइल में रखता हूं। जज के एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि मुझे पुलिस विभाग से वेतन प्राप्त होता है।

इसके बाद बम्बई के सीग्रीन होटल के मैनेजर श्री सत्यवान भिवाजी राले की गवाही हुई। श्री राले ने कहा कि १२ फरवरी को पुलिस मेरे

होटल का रजिस्टर देखने के लिए गई थी। दूसरे दिन जब मैं अपने कार्यालय में गया तो पता चला कि रात को पुलिस होटल का रजिस्टर उठा ले गई है। मैं उस दिन ४ बजे रात को स्वेच्छा से खुफिया विभाग के कार्यालय में गया। वहां पर अधिकारियों ने मुझसे रजिस्टर में नारायण राव और वी० कृष्ण जी का नाम जो दर्ज था, उसके सम्बन्ध में पूछताछ की। गवाह ने बताया कि नारायण राव नामक एक व्यक्ति ने २ फरवरी को मेरे होटल में दो कमरे किराए पर लेने के लिए गया था। गवाह ने कठगरे में नारायण राव आप्टे की पहचान की। ३ फरवरी को नारायण राव महाराष्ट्र की एक महिला के साथ आर्य पथिक आश्रम चला गया। गवाह ने पहले भी नारायण राव की शिनाख्त की थी। उससे कोई जिरह नहीं हुई। फिर अदालत स्थगित हो गई।

३ अगस्त को गांधी हत्याकाण्ड के मुकदमे में विशेष न्यायालय के समक्ष पूना की २६ वर्षीया ब्राह्मण फिल्म अभिनेत्री कुमारी शांता भास्कर मोदक ने अपना बयान दिया। कुमारी मोदक ने बताया कि किस प्रकार गत १४ जनवरी को आप्टे और नाथूराम गोडसे पूना एक्सप्रेस द्वारा बम्बई गए और दादर में उतर कर उसके भाई की जीप द्वारा सावरकर सदन गये। कुमारी मोदक ने बताया कि मैं १४ जनवरी को निजी कार्यवश बम्बई गई थी।

पूना एक्सप्रेस ३ बजकर २० मिनट पर पूना स्टेशन से छूटती है। मैंने द्वितीय श्रेणी का टिकट खरीदा। डब्बे में प्रवेश कर खिड़की के निकट का कोई स्थान ढूढ़ रही थी। इसी समय एक व्यक्ति के प्रश्न करने पर मैंने बताया कि मैं खिड़की के निकट एक स्थान ढूढ़ रही हूँ। वह व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया और कहा कि यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो यहां बैठ सकती हैं। मैं उसके स्थान पर बैठ गई और वह व्यक्ति मेरे सामने के बेंच पर दूसरी ओर बैठ गया। गाड़ी चलते ही एक दूसरा

व्यक्ति प्रथम व्यक्ति के निकट आकर बैठ गया। इससे प्रकट हो गया कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से सम्बन्धित हैं।

कुमारी मोदक ने आगे बताया कि मैंने ट्रेन पर ही आप्टे से कहा था कि सम्भवतः मेरा भाई मुझे स्टेशन लेने आयगा। यदि वह नहीं आया तो मैं आपके साथ चलूंगी। ७ बजे सायंकाल हम सभी दादर स्टेशन पर उतरे। मेरा भाई जीप लेकर स्टेशन आया था। मैंने आप्टे और गोडसे को भी जीप पर बैठ जाने के लिए कहा और इस प्रकार हम चारों जीप पर बैठ गये। रास्ते में मेरे भाई ने कहा कि मैं यह जीप बेचना बेचना चाहता हूँ। आप्टे और गोडसे ने कहा कि हम लोग इस जीप को खरीद लेंगे। पुनः उन लोगों ने बताया कि आगामी कुछ दिनों तक हम लोग बम्बई, पूना तथा आसपास नहीं रहेंगे और बाहर से लौटने के पश्चात जीप खरीदने के सम्बन्ध में विचार करेंगे।

उक्त अभिनेत्री ने बताया कि सावरकर सदन और मेरे भाई का निवास स्थान एक मार्ग पर स्थित है। दोनों घरों के बीच में एक छोटा सा मैदान है। दादर स्टेशन से चलने पर प्रथम मेरे भाई का घर ही पड़ेगा। कुमारी मोदक ने कहा कि आप्टे और गोडसे को मैंने बम्बई में शिनाख्त किया था।

गोडसे को 'हरिजन' की फायलें दी गईं

बाडगे ने बयान देने का स्वयं निश्चय किया

लाल क़िला (नई दिल्ली)। २८ जुलाई को नाथूराम गोडसे और अन्य व्यक्तियों के मुक़दमे में बाडगे ने जिरह का उत्तर देते हुए कहा कि १४ जनवरी को १०॥ बजे मैं, नाथूराम गोडसे और आप्टे शंकर दीक्षित महाराज के यहां गये और उस थैले को उनके नौकर को दे आए जिसमें शस्त्रास्त्र रखे हुये थे। १५ जनवरी को ८॥ बजे नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे ८॥ बजे हिन्दू महा सभा कार्यालय में आये थे।

श्री मिंगले—क्या यह सच है कि आप्टे ने आपसे बातचीत की थी और कहा था कि हिन्द सरकार ने पाकिस्तान को ५५ करोड़ रुपया देना स्वीकार कर लिया है?

बाडगे—यह सच नहीं है।

श्री मिंगले—क्या आप्टे ने आपसे कहा था कि हिन्द सरकार को दबाने के विचार से गांधी जी ने १३ जनवरी से आमरण अनशन किया है?

बाडगे—यह सच नहीं है।

श्री मिंगले—क्या आप्टे ने कहा था कि दिल्ली में गांधी जी के सामने प्रदर्शन करना है?

बाडगे—नहीं।

श्री मिंगले—क्या आप्टे ने आपसे कहा था कि उसे स्वयं सेवकों की आवश्यकता है।

बाडगे—नहीं।

इसके पश्चात श्री मिंगले के कई प्रश्नों का उत्तर देते हुए बाडगे ने कहा कि मैं दिल्ली शस्त्राश बेचने नहीं गया था : उसने मिंगले के सभी प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक दिया। बाडगे ने आगे कहा कि मैं गोडसे की हस्तलिपि नहीं पहचान सकता। आप्टे ने हथगोले फेकने के लिए बिड़ला भवन की जालीदार दीवार के सुराखों को नापा था।

इसी अवसर पर आप्टे ने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप्टे ने कहा कि यह कैसे संभव हो सकता है कि उस जाली से बम फेका जाय, जज ने कहा कि उस सुराख की नाप की जाय।

बाडगे को फिर बुलाया गया। उसने कहा कि आप्टे ने मुझसे कहा था कि सुराख में हथगोला रख देना और लोहे से दबाकर बाद में रिवाल्वर से ढकेल देना। बिड़ला भवन के पीछे ५-६ कमरे हैं। उनमें लोग रहते हैं। उन कमरों के दरवाजे खुले हुये थे। मुझे यह स्मरण नहीं कि वह कमरा दूसरा या तीसरा है।

श्री डांगे के जिरह करने पर बाडगे ने कहा कि मैं पहले कांग्रेसी था, बाद में हिन्दू महासभाई हो गया। मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की काररवाइयों में भाग नहीं लिया था। १९४२ में कांग्रेस ने 'भारत छोड़ो' आंदोलन छेड़ा था। मैंने सुना था कि कांग्रेस ने युद्ध में सरकार से सहयोग करने से इनकार कर दिया था। पूना में महाराष्ट्रीय व्यापार मंडल था। गत युद्ध में उसमें कमीशन अफसरों की भर्ती होती थी। मण्डल को सरकार ने स्वीकृति प्रदान की थी सरकार उसे आर्थिक सहायता देती

थी। श्री भोपटकर उस मण्डल के संस्थापक थे। हिंदू महासभा युद्ध में सरकार का समर्थन कर रही थी। मैंने नाथूराम गोडसे को पण्डित कहकर इसलिए पुकारा कि उसे ३-४ वर्ष से पण्डित कहा जा रहा था। आप्टे शरणार्थियों के लिए कार्य कर रहा था। हिंदू महासभा वाले साहब को 'राव' कहा करते हैं। करकरे शरणार्थियों की सहायता करने नोआखाली गया था। करकरे ने मुझ से १०० कटारें खरीदी थी। करकरे ने पहले हमसे जो सामान खरीदे थे वे सभी रक्षात्मक कार्य के लिए थे। गोडसे द्वारा नियन्त्रित कारखाने में कवच बनते थे। प्रत्येक कवच ५०) में बेचा जाता था। उसमें छुरे नहीं घुस सकते थे। कुछ कवचों के दाम ७५ से १५०) तक हैं। १२००) में मैंने आप्टे के हाथ स्टेनगन बेची थी। ११४७ में मैं मोर राज्य में गया था।

मुझसे यह नहीं कहा गया था कि मदनलाल शरणार्थी है। मदन-लाल के बारे में मुझसे कहा गया था कि वह बहुत ही अच्छा लड़का है। उसकी गिरफ्तारी के पश्चात मुझे पता चला कि वह शरणार्थी है। उसने अपना पूना वाला गृह बेच दिया था। मुझे यह ज्ञात नहीं हो सका कि मुझे 'अग्रणी' कार्यालय क्यों ले जाया गया था।

जब श्री डांगे ने पूछा कि कौन आदेश दिया करता था ? तब सबूत पक्ष के वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह प्रश्न अस्पष्ट है।

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बाडगे ने कहा कि कभी मुझे आप्टे आदेश देता था और कभी गोडसे, और कभी दोनों।

प्रश्न—आपको धन कौन दिया करता था ?

श्री दफ्तरी ने इस प्रश्न का विरोध किया। मैं यह नहीं जानता था कि बम्बई में ४ व्यक्ति से अधिक नहीं सवार हो सकते।

प्रश्न—क्या तुम जानते हो कि १७ जनवरी को गाँधी जी की हालत बुरी थी।

बाडगे—मैं जानता हूँ ।

जज ने इस प्रश्न को स्वीकार करने से इनकार कर दिया ।

श्री डांगे ने कहा हिन्द रेडियो के समाचार पर विश्वास किया जा सकता है । मदनलाल के वकील ने कहा कि गांधी जी के भाषण का रिकार्ड मान लिया जाय ।

जज—आप स्वीकार कर सकते हैं किंतु मैं स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री बनर्जी—न्यूरेम्बर्ग के मुकदमे में हिटलर के भाषणों के रेकार्डों को स्वीकार किया गया था ।

श्री डांगे ने कहा कि गांधी जी के अनशन सम्बन्धी बातों को लिख लिया जाय । अन्त में उन्होने इस सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र का दिया जाना स्वीकार किया ।

डांगे—२० जनवरी को आप्टे ने तुम्हें सुहरावर्दी को यह कहकर दिखाया था कि वही सुहरावर्दी है । वही सुहरावर्दी से क्या मतलब था ?

बाडगे—जब मैं बम्बई से दिल्ली के लिये रवाना होने वाला था तब मुझसे कहा गया था कि गांधी जी, पण्डित जवाहरलाल नेहरू और श्री सुहरावर्दी को मार डालना है । नाम बदलने का पहले करकरे ने सुझाव रखा और आप्टे ने उसकी पुष्टि की । मैंने कभी किसी व्यक्ति की हत्या नहीं की है । १९४२ के पश्चात मैंने दाढ़ी बढ़ा ली । शिवाजी दाढ़ी रखे हुए थे किन्तु वे साधु नहीं थे ।

जज के आदेश से नाथूराम गोडसे को "इण्डियन इन्फारमेशन" तथा 'हरिजन' की फायलें दी गईं जिनकी सहायता से वह अपनी सफाई का बयान तैयार करेगा ।

२९ जुलाई को करकरे के वकील श्री डांगे ने आवेदन पत्र दिया कि यह बात कल बाडगे ने कही थी कि उसे आप्टे से ज्ञात हुआ था कि १७

जनवरी को गांधी जी की हालत चिन्ताजनक थी। इस बात को लिख लिया जाय। जज ने इसे स्वीकार नहीं किया, और कहा कि आज पुनः इस प्रश्न को बाडगे से पूछें। प्रश्न पूछने पर बाडगे ने कहा कि गांधी जी क चिन्ताजनक हालत के बारे में आप्टे ने मुझसे नहीं कहा था।

डांगे ने फिर कहा कि करकरे वाला बयान जिसे फाड़ डाला गया था और बाद में जोड़ दिया गया स्वीकार न किया जाय। जज ने कहा कि इस प्रश्न को आज बहस के समय उठाइएगा।

मदनलाल के वकील श्री बनर्जी द्वारा प्रश्न किये जाने पर बाडगे ने कहा कि मैं प्रार्थना स्थल पर २०—२५ मिनट तक रहा। जिस समय मैं वहां पहुंचा वहां एक लड़की कुछ कह रही थी। मैं यह नहीं कह सकता कि विस्फोट के पश्चात् लड़की कुछ कह रही थी या नहीं क्योंकि, उस समय मेरा मस्तक विक्षिप्त हो गया था और मैं इधर उधर देखने लगा था। बिड़ला भवन से महासभा कार्यालय जाने में मुझे २०—२५ मिनट लगे।

मुझे ओक नामक दारोगा ने ३१ जनवरी को गिरफ्तार किया था। बाडगे ने आगे बताया कि उसे कहां कहां हवालात तथा जेल में रखा गया था। २७ मई को बाडगे दिल्ली अदालत में ले जाया गया। उसने वहीं कहा कि मुझे वकील नहीं चाहिये। मैं सत्य बयान देना चाहता हूँ।

बाडगे ने बम्बई के डिप्टी पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिये आवेदनपत्र दिया। दोनों में वार्ता हुई। १४ जून को उसने फिर पुलिस कमिश्नर से वार्ता करने के लिये आवेदनपत्र दिया। वे बाडगे से मिले। उस समय उन्होंने बाडगे से कहा कि ऐसी हालत में तुम्हें गवाही देनी पड़ेगी। इधर एडवोकेट जनरल से सलाह लेने की बात ठहरी।

बाडगे ने प्रश्नों का उत्तर देते हुए आगे कहा कि मैंने अपनी पत्नी से अपने प्रमुख पत्रों को मांगकर बम्बई में देखा था। बाडगे ने इस अवसर पर बैठने के लिये कुर्सी की मांग की। जज ने अनुमति प्रदान कर दी।

बाडगे ने कहा कि मैंने २२ फरवरी को बयान दिया। उसे पन्टू नामक पुलिस अफसर ने लिखा।

श्री भागरवाला ने मराठी में प्रश्न किये और मैंने मराठी में ही उत्तर दिया। भागरवाला ने उसका अनुवाद किया क्योंकि, पिन्टू मराठी नहीं जानता था।

श्री बनर्जी—यदि आप एक बम फेंकें तो क्या उससे कोई मर सकता है?

बाडगे—हां!

श्री बनर्जी—जब मदनलाल को गनकाटन स्लैब विस्फोट करना था तब उसे हथगोला क्यों दिया गया?

बाडगे—यह निश्चय किया गया था कि ज्यों ही मदलाल गनकाटन का विस्फोट करे त्यों ही हम सब लोग गांधीजी पर हथगोले फेंके।

मैंने उस दिन प्रार्थना स्थल पर करकरे को देखा। जब मैंने पुलिस वालों को आते हुये देखा तब मैंने करकरे को नहीं देखा। जब शंकर बम गाड़कर गया था तब अँधेरा हो चला था। मेरिना होटल में यह तय किया गया कि मैं ही हथगोला फेकूंगा।

इसके पश्चात् बाडगे ने श्री बनर्जी के कई प्रश्नों का नाकारात्मक उत्तर दिया। शंकर के वकील के प्रश्नो का उत्तर देते हुये बाडगे ने कहा कि मैं शंकर को पुत्रवत् मानता था। मैंने जो कुछ किया था उसकी सजा भुगतने के लिये मैं तैयार था।

मैं देश की सेवा करना चाहता था। मैंने हिन्दुओं मुफ्त शस्त्र दिये थे। जब मेरे घर में आग लगाई गई तब १५०००) २००००) तक की क्षति हुई। उसके पश्चात् मेरे बालबच्चे भूखों मर रहे होंगे। वे एक बार हमसे जेल में मिले थे।

श्री मेहता—क्या यह सच है कि शंकर को आपके नौकर के नाते आज कठघरे में खड़ा होना पड़ा है।

गोडसे ने इस हत्या की पूर्ण जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए इस काम के लिए किसी और के साथ षड्यन्त्र करने के समस्त आरोपों को ग़लत बताया। उसने कहा "इस मुकदमे में अन्य कई व्यक्तियों को षड्यन्त्रकारी के रूप में मेरे साथ फांसा गया है। मैंने पहले ही कहा है कि जो काम मैंने किया है उसमें मेरा कोई साथी नहीं और सारी जिम्मेदारी मेरी थी। यदि वह लोग मेरे साथ षड्यन्त्रकारी के रूप में न फांसे जाते तो मैं अपने बचाव के पक्ष में बयान भी न देता जैसा कि मैंने अपने वकील को ३० जनवरी १९४८ के सम्बन्ध में जिरह करने से रोक दिया था।

गांधी हत्या केस में बचाव पक्ष के बयान आरम्भ

लालकिला, दिल्ली, ८ नवम्बर। आज महात्माजी के कथित हत्यारे नाथूराम गोडसे ने अदालत में अपना ९३ पृष्ठ का लिखित बयान किया।

अदालत में काफी भीड़ थी। विशेष जज श्री आत्माचरण ने गोडसे से पूछा कि तुमने अपने विरुद्धवादी पक्ष की गवाहियों को सुन लिया है। तुमको अब अपने बचाव में क्या कहना है।

गोडसे—श्रीमान् मैं एक लिखित बयान देना चाहता हूँ।

वादी पक्ष के प्रधान वकील श्री दफ्तरी ने इस पर एतराज करते हुए कहा कि कानून की दृष्टि से लिखित बयान नहीं दिया जा सकता।

अदालत ने गोडसे से अपना बयान पढ़ने के लिए कहा। बयान पढ़ना आरम्भ करने से पूर्व गोडसे ने समाचार पत्रों से अपील की कि वह चाहे उसका पूरा बयान छापें अथवा उसका भावार्थ परन्तु वह उसे ग़लत रूप में जनता के सामने न रखें।

श्री दफ्तरी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ऐसी अपील नहीं की जा सकती क्योंकि बयान अदालत को दिया जा रहा है, और यह अदालत है न कि सार्वजनिक मंच, जहां से अपील की जाय।

उसके बाद गोडसे ने अपना ९३ पृष्ठ का बयान पढ़ना आरम्भ किया जो पांच अध्यायों में खंडित है। पहले खंड का सम्बन्ध षड्यन्त्र के आरोप से है। गोडसे ने प्रार्थना की कि पहले अध्याय को पढ़कर सुनाने की आज्ञा उसके वकील को दी जाय क्योंकि वह क़ानूनी ढंग का है। अदालत ने यह मंजूर नहीं किया।

नाथूराम गोडसे, जो माइक्रोफोन के सम्मुख खड़ा अपना बयान पढ़ रहा था, जब बयान का पचमांश पढ़ चुका तो वह कटहरे में रिपट कर गिर गया। वह अपने वकील से यह कहता सुना गया कि मेरा पांव सो गया है। जज ने उसे थोड़ा आराम करने को कहा।

हत्या का कोई षड़यन्त्र नहीं रचा था

अदालत में आप्टे का बयान

लालकिला (दिल्ली) १० नवम्बर। आज महात्मा गांधी की हत्या के मुकद्दमे में नारायण दत्तात्रेय आप्टे (अभियुक्त नं० २) ने २३ पृष्ठों का एक बयान विशेष अदालत में दिया। उसने अपने को निर्दोष बताते हुए कहा कि अभियुक्तों ने महात्मा गांधी की हत्या के लिये कोई षड्यन्त्र नहीं बनाया था और मुझ पर जो अभियोग लगाये गये हैं उन्हें कार्यरूप में परिणत करने तथा दूसरों से कराने में मैंने और किसी अभियुक्त के साथ षड्यन्त्र में भाग नहीं लिया अतएव मुझे मुक्त कर दिया जाय।

आप्टे को अपना बयान पढ़ने में करीब एक घण्टा लगा। अदालत कल के लिये स्थगित हो गई जब कि आप्टे से जिरह होगी।

नाथूराम विनायक गोडसे से आज भी विशेष न्यायाधीश श्री आत्मा-चरण ने जिरह की। न्यायाधीश के पूछने पर गोडसे ने कहा कि मैं अपने बयान के लिये कोई गवाही पेश करना नहीं चाहता।

न्यायाधीश ने गोडसे से पूछा कि क्या २० जनवरी को मेरीना होटल में करकरे तथा शंकर ने तुम्हारे तथा आप्टे के साथ चाय पी और क्या १७ तथा १८ जनवरी को मेरीना होटल के कमरे नं० ४० में करकरे को अयाचित ह्विस्की दी गई?

गोडसे ने उत्तर दिया : "२० जनवरी को करकरे तथा शङ्कर मेरीना होटल नहीं आये। २० जनवरी को मैंने अतिरिक्त चाय नहीं मंगाई। मैं स्वयं चाय नहीं पीता। हां, मैं काफी ज़रूर पीता हूं। १७ या १८ जनवरी को करकरे को हि्वस्की नहीं दी गई। मै खुद मदिरा नहीं पीता। मेरीना होटल में किसी तारीख को कभी मैं करकरे से नहीं मिला।"

गवाहों के सम्बन्ध में जिन्होंने कि विभिन्न परेडों में गोडसे को पहिचाना था, एक प्रश्न के उत्तर में नाथूराम गोडसे ने कहा कि मेरीना होटल वाले गवाहों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन सुलोचना तथा छोटूराम गवाहों को, जिन्होंने कि यह साक्षी दी थी कि उन्हो ने मुझे २० जनवरी को बिड़ला भवन में देखा था, मुझे तुगलक रोड पुलिस थाने में दिखाया गया। "तुगलक रोड के पुलिस स्टेशन में मैंने सुरजीत सिंह (टैक्सी–ड्राइवर) को भी देखा। एक बार उसे मैंने अपनी कोठरी के पास मेरी ओर टकटकी लगाते देखा। मैंने उससे पूछा 'सरदार साहब आप क्या चाहते हैं ?" उसने कहा 'कुछ नहीं'। दिल्ली में मजिस्ट्रेट के सामने मैंने कोई आपत्ति प्रगट नहीं की क्योंकि मै स्वीकार करने वाला था कि हत्या मैंने की है। मैंने कभी यह नहीं जाना कि षड्यन्त्र का भी अभियोग है। दिल्ली में शनाख्त कार्रवाइयों के समय मेरे सिर के चारों ओर पट्टी लगी थी। मजिस्ट्रेट ने मुझ को कहा कि यदि मैं चाहूँ तो पट्टी हटा सकता हूँ। मैंने कहा कि मुझे अधिक दिलचस्पी नहीं। तब मजिस्ट्रेट ने मेरे साथ के दूसरे व्यक्तियों से अपने सिरों को रूमालों से ढक लेने को कहा। जहां तक मुझे याद है तीन-चार व्यक्तियों ने अपने सिर रूमालों से ढके। पट्टी तथा रूमालों में बड़ा अन्तर था।"

गोडसे ने कहा कि इसके अतिरिक्त दूसरे गवाहों के विरुद्ध मुझे और कुछ नहीं कहना। मुझे थोड़ासा याद है कि मधुकर काले ग्वालियर के एक पुलिस अफसर के साथ बम्बई में मुझे मिला। जन्नू भी दिल्ली के एक पुलिस अफसर के साथ मिला था।

गोडसे ने आगे चलकर कहा : "जहां तक भूरसिंह, गरीबा तथा जमना का सवाल है मुझे ज्ञात नहीं कि मैं उन्हें दिखलाया गया था। वहां काफी मौका था। यदि पुलिस चाहती तो दिखा सकती थी और मुझे मालूम नहीं होता। बम्बई में शनाख्त परेड बिलकुल ईमानदारी से की गई। मैंने बम्बई के चीफ प्रेज़ीडेन्सी मजिस्ट्रेट श्री ब्राउन को कहा कि मुझे संदेह है कि पुलिस द्वारा मैं कुछ गवाहों को दिखा दिया हूं। उन्हों ने उत्तर दिया कि जिरह के समय मैं इस सवाल को पूछ सकता हूँ और कहूँगा कि गोडसे ने मुझसे यह बात कही थी।"

तुगलक रोड थाने में अपनी कोठरी की दशा का खुलासा करते हुए नाथूराम गोडसे ने कहा : "यह तथ्य है कि तुगलक रोड थाने में पुलिस प्रायः मेरी कोठरी के आगे कम्बल टांग देती थी। जब कभी थानेदार या उससे बड़े ओहदे का अफसर आता तो कम्बल आधा या पूरा समेट दिया जाता। ड्यूटी पर तैनात अफसर को आदेश दे दिये गये थे कि कम्बल सदा लटकते रहना चाहिए।

लिखावट तथा अक्षर

न्यायाधीश—यह कहा गया है कि तुम्हारी लिखावट के कुछ नमूने लिये गये हैं और उनपर तुम्हारे हस्ताक्षर हैं।

नाथूराम गोडसे: लिखावट तथा हस्ताक्षरो के जो नमूने प्रदर्शित किये गये हैं वे मेरे हैं। जब मुझे मराठी में लिखावट के नमूने देने को कहा तो मैं बिना शीर्षक के लिखने लगा जैसा कि गत दो वर्षों से मैं लिखता आ रहा हूं। तब मुझे शीर्षक सहित लिखने को कहा गया।

इस्तग़ासे के गवाह

प्रश्न—इस्तग़ासे की ओर से तुम्हारे विरुद्ध जो गवाहियां पेश की गई हैं उनके बारे में तुम कुछ कहना चाहते हो? क्या तुम यह बताओगे कि इन गवाहों ने तुम्हारे विरुद्ध साक्षी क्यों दी है?

उत्तर: मैंने जगदीश प्रसाद गोयल (इस्तगासे के गवाह नं० ३९) को कभी नहीं देखा है। खान साहब उमरखां ने इस गवाह को मेरे विरुद्ध खड़ा किया। खान साहब उमरखां ने मुझको कहा कि जिस पिस्तौल से महात्मा गांधी मारे गये वह मेरी है। मैंने उस व्यक्ति को सच बोलने को कहा। तब मैं हटा लिया गया।

संभव है कि ग्वालियर की पुलिस ने मधुकर केशव काले (इस्तगासे के गवाह नं० ५०) पर मेरे विरुद्ध गवाही देने के लिये दवाब डाला होगा। दादा महाराज (इस्तगासे के गवाह) से केवल मेरी मामूली जान-पहिचान थी। मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने मेरे विरुद्ध साक्षी दो कारणों से दी। एक यह कि वे माहत्मा गांधी की हत्या को नापसन्द करते थे और दूसरे यह कि यदि उन्होंने मेरे विरुद्ध गवाही नहीं दी तो वे मामले में फंसाये जा सकते हैं।

वसन्त गजानन जोशी (इस्तगासे के गवाह नं० ७९) ने मेरे विरुद्ध इसलिए साक्षी दी होगी कि बम्बई की पुलिस ने दबाव डाला होगा।

बाडगे की गवाही पर गोडसे का मत

इस बात का खुलासा करते हुए कि इकबाली गवाह दिगम्बर बाडगे ने विरोध में क्यों गवाही दी, गोडसे ने कहा: "बाडगे अस्त्र-शस्त्र का व्यापार करता था। मैं यह सब जानता था। हैदराबाद के मामलों के सम्बन्ध में दो या तीन बार बाडगे ने हथियार दिये थे या मैंने उसे शस्त्रास्त्र दिये थे। उसके बाद वह मुझसे एक समय में सौ-सौ रुपये तक की छोटी-छोटी रकमें मांगने लगा। यह मुझे डरा-धमका कर ठगने के समान मालूम दिया। जब बाडगे गिरफ्तार किया गया तो बम्बई की पुलिस ने उसे परेशान किया। महात्मा गांधी की हत्या के बाद कुछ समाचार पत्रों ने महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों के विरुद्ध बहुत प्रचार किया। मैं समझता हूँ कि इन सब कारणों से बाडगे ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी होगी।"

न्यायाधीश: "क्या तुम इस अदालत के सामने और कुछ कहना या सुझाव रखना चाहते हो ?'

गोडसे:—"प्रदर्शित दो-तीन पत्रों के सम्बन्ध में मुझे कहना है । इनमें से एक पत्र मैंने १९३८ में सावरकर को लिखा था और दूसरा दिल्ली से ३० जनवरी १९४८ को आप्टे को लिखा था । ये दोनों पत्र मेरे हाथ से लिखे गये हैं और उन पर मेरे दस्तखत हैं। ३० जनवरी के पत्र के साथ मैंने आप्टे को अपना फोटोग्राफ भी भेजा । उस फोटो को मैंने ३० जनवरी को दिल्ली में खिचवाया था । उससे पहला मेरा कोई फोटोग्राफ नहीं खींचा गया था । इस चित्र को पत्र के साथ मैंने दोस्तों को यादगार के लिए भेजा ।

नाथूराम गोडसे ने कहा: —बम्बई की पुलिस के डिप्टी कमिश्नर तथा महात्मा गांधी हत्या मुकदमे के प्रधान जांच अफसर श्री नागरवाला तथा रायसाहब ऋषीकेश डी० आई० जी० सी० आई० डी० दिल्ली ने जांच करवाई तथा मुकदमे में जिस तरह से मेरे प्रति व्यवहार किया उसके लिए मैं उनके प्रति विशेष अनुग्रहीत हूँ ।'

न्यायाधीश—'क्या तुम अपनी सफाई में कोई गवाह पेश करना चाहते हो ?'

नाथूराम गोडसे—'मैं अपने बचाव में कोई गवाही पेश करना नहीं चाहता ।'

आप्टे का अदालत में बयान

गांधी-हत्या मुकदमे के द्वितीय अभियुक्त नारायण दत्तात्रेय आप्टे ने आज विशेष अदालत में २३ पृष्ठों का एक बयान दिया । उसने कहा कि मुझ पर जो अभियोग लगाए गए हैं उनमें से मैं किसी का अपराधी नहीं । मुझ पर जो अभियोग लगाए गये हैं उनमें से किसी एक को भी

करने के लिए मैंने और किसी अभियुक्त के साथ षडयन्त्र नहीं किया तथा किसी अभियुक्त को इन अपराधों को करने में सहायता नहीं दी। गांधी जी की हत्या करने के लिए अभियुक्तों में न कोई समझौता था और न कोई षडयन्त्र किया गया।

आप्टे ने आगे चलकर कहा—'मेरे विरुद्ध मामला तैयार करने के लिए बहुत सी गवाहियां गढ़ी गई हैं और गवाहों को सिखाया पढ़ाया गया है। इस उद्देश्य से कि किसी तरह मुझे मामले में फांस लिया जाय और मेरे विरुद्ध षडयन्त्र का मामला तैयार हो जाय। इस्तगासे ने इस अदालत में निराधार सुझाव तथा शंकाएं प्रकट की हैं।'

आप्टे ने इस बात से इनकार किया कि महात्मा गांधी की हत्या के लिए कभी या २० जनवरी को अथवा उसके आसपास कोई षडयन्त्र का प्रयत्न किया गया था। उसने यह भी कहा किसी बम या पलीते को छोड़ने विषयक किसी दल में मैं शामिल नहीं था और ३० जनवरी १९४८ की शाम को बिड़ला भवन में जो घटना हुई उसमें भी मेरा कोई हाथ नहीं। उसने कहा कि मुखबिर बाडगे ने १७ जनवरी १९४८ से पूर्व जिन घटनाओं का होना बतलाया है "वे कुछ तो बिलकुल झूठी हैं और शेष हैदराबाद-आंदोलन के सम्बन्ध में मेरी हलचलों के बारे में हैं लेकिन उन्हें बहुत नमक-मिर्च लगा कर तथा अतिरंजित रूप में बताया गया है और उनमें से कुछ झूठी भी हैं।"

गांधी जी से सिर्फ सैद्धांतिक मतभेद

अपनी पूर्व हलचलों तथा विचारों का उल्लेख करते हुए आप्टे ने कहा कि मैं विज्ञान का एक ग्रेजुएट हूं। बम्बई विश्वविद्यालय से मुझे शिक्षण की उपाधि मिली है और अहमदनगर में अमेरिकन मिशन हाई स्कूल में मैंने शिक्षक का कार्य किया। १९३९ में अहमदनगर में मैं हिन्दू महासभा का सदस्य बना। "मुझे हिन्दू धर्म तथा संस्कृति पर अभिमान

है और मेरा सदा यह विश्वास रहा है कि महान धर्म तथा गौरवपूर्ण संस्कृति की रक्षा तथा पोषण के लिए हिन्दू समाज को शक्तिशाली तथा संगठित होना चाहिए। मेरा यह विश्वास रहा है कि अहिंसा पर सम्पूर्ण जोर देने वाला गांधीवादी सिद्धांत उस समाज के सर्वोच्च विकास के लिए हानिकर है।

गांधी जी से मेरा झगड़ा केवल सैद्धांतिक था और व्यक्तिगत रूप में उसका कोई सम्बन्ध न था। गांधी जी को शारीरिक हानि पहुंचाने या उन्हें मारने का मैंने कभी विचार नहीं किया।

आप्टे ने आगे चलकर कहा कि इन विचारों के कारण तथा इस उद्देश्य से कि विदेशियों या विदेशी विश्वाशों तथा आक्रमणकारी विचार-धाराओं वाले व्यक्तियों के आक्रमण से रक्षा करने के लिए हिन्दू तैयार हो सकें। मैंने १९३८ में राइफल-क्लबों की स्थापना का विचार प्रतिपादित किया। इसका लक्ष्य यह था कि रक्षा कार्य के लिए महाराष्ट्र के नवयुवकों को बन्दूक आदि चलाने का शिक्षण मिल सके। रक्षात्मक शिक्षण कार्य के लिये मेरे उत्साह के कारण जनवरी १९४३ में मुझे सहायक टेकनिकल रंगरूट-भर्ती अफसर नियुक्त किया गया। भारतीय हवाई फौज में मुझे बादशाह का कमीशन भी दिया गया था किन्तु एक वर्ष बाद अपने पिता की मृत्यु के कारण मुझे वह छोड़ देना पड़ा।

नाथूराम से परिचय

आप्टे ने कहा—'नाथूराम विनायक गोडसे से मेरा परिचय सन् १९४१ में पूना में हिन्दू महासभा के कार्यकर्ता के रूप में हुआ। १९४४ में हम दोनों ने 'अग्रणी' पत्र निकाला जिसका उद्देश्य हिन्दू महा सभा के प्रमुख नेताओं के विचारों का प्रचार और हिन्दू संगठन की विचार धारा को फैलाना था। पत्र, भारत-विभाजन और गांधी जी की एवं कांग्रेस की मुस्लिम पक्षपातिनी नीति का विरोध करता था।

समय समय पर गांधी जी की प्रार्थना सभाओं में इसके विरुद्ध प्रदर्शन भी किए गये। मैंने सन् १९४४ में पंचगनी में और सन् १९४६ में दिल्ली में प्रदर्शन किया था।

महासभा के नेता १२ अगस्त को भारत विभाजन के बाद पंजाब और अन्य प्रान्तों में हिन्दुओं की हत्या और उनके घरबारों के विनाश एवं हैदराबाद की खबरों से बड़े प्रभावित हुए। महासभा के कार्यकर्ताओं का ख्याल था कि भारत सरकार अशक्त है। वे अनुभव करते थे कि हैदराबाद का मामला ऐसा है जिसके लिए उन्हें अपने जीवन भी दे देना चाहिये। मुझे स्वीकार करते हुये अभिमान होता है कि मैंने हैदराबाद के हिन्दुओं को हथियार और कारतूस जुटाने में सक्रिय सहायता दी।

इसके बाद आप्टे ने अभियोग पक्ष के गवाहों और इकबाली गवाह बाडगे की गवाही को ग़लत बताया।

१३ जनवरी के गांधी जी के उपवास की चर्चा करते हुए आप्टे ने कहा—'मैंने अनुभव किया कि उपवास का कारण भारत सरकार का यह निर्णय था। जो उसने पाकिस्तान को दिये ५५ करोड़ रुपये के बारे में किया था। मैंने सोचा कि गांधी जी के इस अनुचित सत्याग्रह के विरुद्ध दिल्ली में कोई प्रदर्शन किया जाना चाहिए।

मैंने नाथूराम गोडसे से इसके बारे में सलाह की। यह तय हुआ कि कोई शान्तिपूर्ण किन्तु साथ ही प्रभावपूर्ण प्रदर्शन किया जाय।

मैं गोडसे और बाडगे १७ जनवरी को सावरकर के घर नहीं गए। श्री सावरकर ने जीने से उतर कर हमें आशीर्वाद दिया, यह भी असत्य है। मैं १७ जनवरी को बाडगे के साथ दीक्षित महाराज के घर नहीं गया और न उनसे रिवाल्वर मांगा। २० जनवरी को प्रातः बाड़गे के साथ मैं बिडला भवन को नहीं गया।

हां, २० जनवरी को मैं गांधी जी की प्रार्थना में यह देखने के लिए गया था कि वहां शान्तिपूर्वक दर्शन की गुंजाइश है या नहीं। किन्तु माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा था, इसलिये मैं वहां से चला आया। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि पुलिस ने एक विस्फोट के सम्बन्ध में मदनलाल को गिरफ्तार किया है।

मैंने सोचा कि पुलिस मदनलाल से हर तरह की बात कहला लेगी और मुझे पकड़ लेगी। मैं इसके बाद बम्बई चला गया। वहां मैंने गोडसे से मिल कर स्थिति पर विचार किया। हमने अनुभव किया कि हम जल्दी ही पकड़े जायेंगे। हमने निश्चय किया कि गिरफ्तारी से पूर्व हम दिल्ली में एक प्रदर्शन करलें। किन्तु स्वयं सेवक मिलने कठिन थे और उनको ले जाने के लिये रुपया भी न था, इसलिए मैंने ग्वालियर जाने और डा० परचुरे से सहायता लेने का विचार किया। गोडसे मेरे साथ जाने के लिये तैयार हो गया। किन्तु उसकी दिलचस्पी ऐसे शान्तिपूर्ण प्रदर्शनों में नहीं मालूम होती थी।

मैं और गोडसे ग्वालियर में डा० परचुरे से मिले, किन्तु उन्होंने कहा वे स्वयं सेवक नहीं दे सकते, क्योंकि उनके स्वयं सेवक ग्वालियर के प्रदर्शन में गिरफ्तार हो गए थे और कुछ फरार थे।

गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे
से
न्यायाधीश की जिरह

नई दिल्ली, ९ नवम्बर। आज विशेष अदालत के न्यायाधीश श्री आत्माचरण ने महात्मा गांधी के कथित हत्यारे नाथूराम विनायक गोडसे से जिरह की। इससे पूर्व अभियोग पक्ष के प्रमुख वकील श्री सी० के० दफ्तरी ने यह कहा कि गोडसे का लिखित वक्तव्य कागजात में न रखा जाय। और अपनी इस दलील के पक्ष में प्रमाण उपस्थित किये। किन्तु न्यायाधीश ने उनकी आपत्ति स्वीकार नहीं की।

गोडसे द्वारा हत्या का विवरण

विशेष न्यायाधीश ने गोडसे से साढ़े पांच घंटे तक जिरह की। उत्तर में गोडसे ने गांधीजी की हत्या की कहानी बताते हुए कहा—जैसे ही म० गांधी प्रार्थना भूमि पर ४ या ५ कदम चले, वैसे ही मैं उछल कर उनके सामने पहुंचा। मैं उन्हें बिलकुल पास से मारना चाहता था जिससे कोई दूसरा घायल न हो। मैंने उन्हें नमस्कार किया। मेरा खयाल था कि मैंने दो गोलियां छोड़ीं थी, किन्तु पीछे मालूम हुआ कि मैंने तीन गोलियां चलाई थीं। पीछे मैं भी उत्तेजित हो गया और 'पुलिस' 'पुलिस आओ' चिल्लाने लगा।

इसके बाद मुझे बहुत से लोगों ने पकड़ लिया और थाने में पहुंचा दिया।

इसके बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त गोडसे से प्रश्न पूछा।

न्यायाधीश—गवाही में यह आया है कि १० जनवरी को १० बजे आप्टे बाडगे को पूना में हिन्दू राष्ट्र के कार्यालय में ले गया। उस समय तुम अपने कार्यालय में थे। बाडगे न तुमको दो विस्फोट पलीते और पांच दस्ती बम देना स्वीकार किया था। इस पर तुमने कहा था कि चलो एक काम हुआ। तब तुम अपने कार्यालय से निकल आये और तुमने बाडगे को कहा कि विस्फोटक पलीते और बम दादर में हिन्दू महा-सभा के दफ्तर में १४ जनवरी को सांयकाल तक पहुंचा दिये जांय। इस सम्बन्ध में तुम कुछ कहना चाहते हो?

गोडसे—ऐसा कुछ नहीं हुआ।

न्यायाधीश–गवाही में आया है कि तुमने अपने नाम का एक बीमा आप्टे की पत्नी चम्पू ताई के नाम और दूसरा बीमा गोपाल की सिंदूताई के नाम गत ११ और १४ जनवरी को कर दिये। क्या इस सम्बन्ध में तुम कुछ कहोगे?

गोडसे—हां यह सत्य है।

प्रश्न—गवाही में यह कहा गया है कि १४ जनवरी को कुमारी मोडक तुम्हारे साथ पूना से दादर को एक ही डिब्बे में गई थी। उसने तुम्हें अपनी भाई की जीप में बिठाकर सावरकर-भवन पर छोड़ा था?

उत्तर—हां यह सत्य है।

प्रश्न—गवाही में है कि १४ जनवरी को तुम और आप्टे दादर में हिंदू महासभा भवन के समीप बाडगे और उसके नौकर शंकर से मिले। बाडगे के पास एक बेग में दो विस्फोट पलीते और पांच बम थे। इसके बाद तुम बाडगे और आप्टे सावरकर के घर गए किन्तु शंकर को वहीं छोड़

गए। सावरकर के घर पहुंचकर आप्टे ने बेग बाडगे के हाथ से ले लिया। तुम और आप्टे भी सावरकर के घर में गए और ५ या ७ मिनिट बाद बेग को लेकर वापिस आ गए।

इस बारे में तुमको कुछ कहना है ?

उत्तर—यह सत्य नहीं है।

प्रश्न—इसके बाद बाडगे तुम्हारे, आप्टे और शंकर के साथ भूलेश्वर में दीक्षित महाराज के घर गए। बेग वहीं छोड़ दिया गया।

तुम्हें क्या कहना है ?

उत्तर—यह सच नहीं है।

प्रश्न—१४ जनवरी को आप्टे ने दादर में हिन्दू सभा-भवन में कुछ रुपया दिया था। उसमें से तुमने पचास रुपया बाडगे को अपने और शंकर के रेल किराये आदि के दिये। अभियोग पक्ष का कहना है कि पचास रुपये तुमने अपनी हिसाब-पुस्तका में बन्धोभान के नाम लिखा है। हस्ताक्षर तुम्हारे हैं। क्या इस पर तुम्हें कुछ कहना है ?

उत्तर-हिसाब पुस्तक मेरी है और उसमें वह लिखा हुआ भी मेरा है। मैंने पचास रुपये अपने एक कर्मचारी बन्धोभान को दिये थे, बाडगे को नहीं।

प्रश्न—गवाही में आया है कि १५ जनवरी को प्रातः तुम आप्टे, करकरे, मदनलाल और बाडगे दीक्षित महाराज के घर गये जहां बेग खोला गया और बाडगे ने उसमें रखी हुई वस्तुएं दिखाई। उसमें दो बिस्फोटक पलीते, पांच दस्ती बम और कुछ पटाखे थे। तब बाडगे और दीक्षित महाराज ने उनके चलाने की विधि बताई। बेग करकरे के सिपुर्द कर दिया गया। आप्टे ने करकरे और मदनलाल को उसी दिन सायंकाल दिल्ली को रवाना होने के लिए कहा। तब आप्टे ने दीक्षित महाराज के चौक में बाडगे से पूछा कि क्या वह भी उनके साथ दिल्ली जाने के लिये तैयार है। आप्टे ने उसे यह भी कहा कि सावरकार ने तय किया है कि

महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुहरावर्दी समाप्त कर दिये जायें यह कार्य उन्होंने तुमको और आप्टे को सौंपा था। बाडगे इसके लिये तैयार हो गया। तब तुमने अपने भाई गोपाल से मिलने के लिये पूना जाने का इरादा प्रकट किया, जिसने एक रिवाल्वर लाने का काम अपने ऊपर लिया था। तुमने यह भी कहा था कि तुम गोपाल को बम्बई लाना और वहां से अपने साथ दिल्ली ले जाना चाहते थे, इसमें तुमको कुछ कहना है?

उत्तर—यह सब झूठ है।

प्रश्न—१६ जनवरी को तुम पूना में बाडगे के घर पर दुबारा गये बाडगे तब तुमसे मिलने के लिए हिन्दू राष्ट्र के कार्यालय में गया था। वहां तुम दोनों में बातचीत हुई जिसमें तुमने उसे पूछा कि क्या वह जाने के लिये तैयार है। बाडगे ने कहा कि वह तैयार है। उसके बाद तुमने उसे एक छोटी पिस्तौल दी और उसे बदल कर एक बड़ा रिवाल्वर लाने के लिये और रिवाल्वर न मिलने पर पिस्तौल को लेकर बम्बई आने के लिये कहा। तुम्हें इस सम्बन्ध में कुछ कहना है?

उत्तर—यह सब झूठ है। में १६ जनवरी को पूना में था ही नहीं।

प्रश्न—तुमने १७ जनवरी को प्रातःकाल बम्बई टाउन टैक्सी नं० ११० किराये पर ली और उसमें तुम आप्टे और बाडगे के साथ बम्बई रंगाई मिल, हिन्दू महासभा कार्यालय दादर, सावरकर सदन और अफजुलपुरकर, पारनाकर और काले के घर गये और रुपये इकट्ठा किये?

उत्तर—यह सत्य है कि आप्टे बाडगे और में एक किराये की मोटर में रुपया इकट्ठा करने के लिये उन विभिन्न स्थानों में गये।

प्रश्न—शंकर को लेडी जमशेद जी रोड से लेकर तुमने कहा कि 'चलो सब तात्या राव' के अंतिम दर्शन कर आयें। तब तुम सावरकर

के घर आये । तुम और आप्टे सावरकर सदन में गये और वहां सावरकर के साथ लौटे । श्री सावरकर ने कहा कि सफल होकर आओ ।

उत्तर—हमने बाडगे के कहने से लेडी जमशेद जी रोड से एक आदमी को अपने साथ लिया था किन्तु मै नही जानता कि वह शंकर था। मैंने सावरकर के घर जाने के लिए नहीं कहा और न हम वहां गये ।

प्रश्न—तुम सीग्रीन होटल में आप्टे को मिले । वहां से तुम सांटाक्रुज हवाई अड्डे पर गये और १७ जनवरी को बम्बई से दिल्ली आये । तुमने डी० एन० करमरकर और एस० एम० मराठे के काल्पनिक नामों से यात्रा की । हवाई जहाज में दादा जी महाराज भी एक यात्री था। अहमदाबाद में हवाई जहाज से उतरने पर दादा जी महाराज ने आप्टे से कहा—'तुम बातें बहुत करते हो; किन्तु तुमने कुछ किया हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता । आप्टे ने उत्तर दिया—'जब हम काम करेंगे तो तुम आप जान लोगे ।'

उत्तर—हां १७ जनवरी को मैं और आप्टे डी० एन० करमरकर और एस० एस० मराठे के काल्पनिक नाम रख-कर एयर इंडिया कम्पनी के हवाई जहाज में आये थे। दादाजी महाराज भी उसी हवाई जहाज में थे । दादाजी महाराज और आप्टे ने पाकिस्तान के बारे में कुछ बातचीत हुई थी किन्तु मैने आप्टे को उनसे उक्त शब्द कहते हुए नहीं सुना । टिकिट काल्पनिक नामों से ली गई थी, यह बात मुझे अदालत में इस आशय की गवाही के बाद आप्टे ने बताई ।

प्रश्न—तुम और आप्टे मैरीना होटल के ४० नम्बर के कमरे में १७ जनवरी से २० जनवरी तक एन० देशपांडे और एस० देशपांडे के बनावटी नामों से ठहरे थे । तुमने अपने कुछ कपड़े कालेराम बैरे को धुलवाने के लिये दिये थे ।

जनवरी के आखिरी सप्ताह में फिर भेंट

गोडसे तथा आप्टे गत जनवरी के अन्तिम सप्ताह में मुझसे मिले और मुझे बताया कि हमने ३० से ४० हज़ार रुपये तक के शस्त्रास्त्र काश्मीर भेजने के लिए खरीदे हैं। हम आधा सामान भी दिल्ली से आगे नहीं भेज सके। हम बाकी सामान भेजने के लिए यहां लौट आए हैं। इसके बाद दीक्षित जी की गवाही अगले दिन के लिए स्थगित हो गई।

आप्टे और करकरे के रुपये वापस

अभियुक्त करकरे और आप्टे द्वारा दी गई अर्जियों के सम्बन्ध में जिनमें रुपये और कपड़े, लौटाने की मांग की गई थी। जज ने इनके लौटाने की आज्ञा दी। गिरफ्तारी के समय आप्टे और करकरे के पास से कपड़े तथा क्रमशः ७३९।।=)।। और ५६५≋)।। बरामद हुए थे, जिन्हें इनके वकीलों को लौटाने की आज्ञा जज ने सबूत पक्ष को दी।

किरकी के सैनिक अफसर की गवाही

किरकी शस्त्रागार के सहायक सुरक्षा अफसर श्री लेलसी परसिवल पण्डिले ने जिनकी आज पहले गवाही हुई, अपने बयान में कहा कि मैं गोपाल गोडसे को जानता हूँ।

गोपाल गोडसे २८ अक्टूबर सन १९४० को अस्थायी भण्डार प्रबन्धक के पद पर नियुक्त किया गया। श्री पण्डिले ने अभियुक्तों को कठघरे में पहचाना भी। गोपाल गोडसे ने पहले १५ जनवरी सन् ४८ से २१ जनवरी सन् ४८ तक की छुट्टी की अर्जी दी थी, जो अस्वीकृत कर दी गई क्यों कि उसे १६ जनवरी को अफसरों के बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना था। फिर उसने १७ जनवरी से २३ जनवरी तक की छुट्टी की दरखास्त दी जो स्वीकार की गई।

गोपाल गोडसे के वकील श्री इनामदार के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि अभियुक्त गोडसे ने पुलिस के संरक्षण में २ और ४ फरवरी को दफ्तर में काम किया था। उसकी १९ दिनों की बाकी छुट्टी समाप्त हो जाने के बाद उसे २२ फरवरी से मुअत्तिल कर दिया गया इसके बाद बिड़ला भवन के माली रघुनाथ नायक से नाथूराम गोडसे की शिनाख्त की और अपने बयान में कहा कि इसी व्यक्ति ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। ज्यों ही मैंने पिस्तौल की गोली की आवाज सुनी मैं आक्रमणकारी की ओर दौड़ा। इसी बीच मैंने तीन बार गोली की आवाज सुनी। मेरे हाथ में 'खुरपा' था जिससे मैंने आक्रमण किया। इसके बाद मैंने पीछे से पकड़ा। इसी बीच पुलिस और सैनिक आ गए, जिन्होंने पिस्तौल ले ली और उसे पकड़ ले गए।

आप्टे के वकील श्री मिंगले के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि गांधी जी ने जनवरी के मध्य में अनशन किया था। मुझे उनके अनशन की तिथि याद नहीं है।

करकरे के वकील श्री डांगे की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैं नहीं कह सकता कि कोई सुहरावर्दी नामक व्यक्ति बिड़ला भवन में गांधीजी से मिलने आया था। इसके बाद गोस्वामी दीक्षित महाराज की गवाही हुई।

अगले दिन २१ अगस्त को गोस्वामी दीक्षित महाराज ने कहा कि जुलाई से अक्टूबर १९४७ तक मैंने बाडगे के यहां से ५७ हज़ार रुपये का हथियार खरीदा था। गत जनवरी में बाडगे मुझसे मिला था और प्रवीणचन्द्र सेठ से रुपया वसूल कराने के लिए कहा किन्तु मैंने अस्वीकार कर दिया। उससे दो तीन दिन पूर्व बाडगे और आप्टे ने मुझसे एक रिवाल्वर खरीदने के लिए ३२५ रुपये की मांग की। बाडगे ने बताया कि हम लोगों ने ३०-४० हज़ार रुपये के हथियार खरीदे हैं, जिनको काश्मीर के मोर्चे पर इस्तेमाल किय जायगा।

मैं गाडगे को रुपया न दे सका। जैसलमेर के आक्रमण पर विचार करने के लिए जो बैठक हुई थी, उस समय गोडसे ने मुझसे पिस्तौल की व्यवस्था के सम्बन्ध में पूछा। किन्तु मैंने उस समय पिस्तौल का कोई प्रबन्ध नहीं किया था। दीक्षित महाराज ने कहा कि मैंने बाडगे, गोडसे, आप्टे और मदनलाल की शिनाख्त की थी। गांधी जी की हत्या से ७ दिन पूर्व गोडसे से मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी।

सावरकर के वकील श्री भोपटकर द्वारा जिरह करने पर गवाह ने कहा कि मैंने महात्मा गांधी की हत्या के १०–१२ दिन बाद पुलिस के सामने अपना बयान दिया था। मुझे उस पुलिस अफसर का नाम याद नहीं है। चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के ७–८ दिन बाद मैंने अभियुक्तों की शिनाख्त की। जो व्यक्ति मुझे बयान दिलाने के लिये ले गया था, वही मुझे शिनाख्त करने के लिये भी ले गया। किन्तु मुझे इसके सम्बन्ध में पुलिस से कोई पूर्व सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। मदनलाल एक पंजाबी शरणार्थी के रूप में मेरे पास किताब बेचने आया था। मैंने हथियारों के प्रश्न पर दादा महाराज से कोई पूछताछ नहीं की। मैं उनके राजनीतिक विचारों से सहमत नहीं हूँ। मैं समाजवादी हूं किन्तु समाजवादी दल का सदस्य नहीं हूं। मैं श्री जयप्रकाश नारायण से ४५ बार मिल चुका हूं। मैंने उनके कहने पर शस्त्रास्त्र नहीं दिये थे। उनसे इस सम्बन्ध में कुछ बातें अवश्य हुई थीं। मैंने समाजवादी दल के अलावा अन्य लोगों को भी रिवाल्वर, पिस्तौल, राइफल, हथगोला तथा अन्य हथियार दिया था। कांग्रेस के सिद्धान्तों से मेरा हमेशा मतभेद रहा है। मैं १९४२ के आन्दोलन में फरारों की सहायता अवश्य करता था। किन्तु मैंने आन्दोलन में कभी सक्रिय भाग नहीं लिया था।

श्री भोपटकर ने कहा कि मैं यह प्रमाणित करना चाहता हूं कि गवाह कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रखता था। किन्तु जज ने आपत्ति करते हुए कहा कि यहां हिन्दू महासभा के विरुद्ध मुकदमा नहीं चल रहा है।

गवाह ने आगे बताया कि बाडगे १४ जनवरी को मेरे नौकर के पास कुछ हथियार रख गया था। वह अक्सर मेरे यहां इस प्रकार के सामान रख जाता। जब दादा महाराज ने आप्टे से मेरा परिचय कराया तबसे मैंने आप्टे से कोई सामान नहीं खरीदा। १५ जनवरी को गोडसे आप्टे, बाडगे, करकरे और मदनलाल मेरे यहां आये हुए थे। जनवरी के अंतिम सप्ताह में जब मैं आप्टे और गोडसे से मिला तो उन लोगों ने बम-विस्फोट की घटना का कोई जिक्र नहीं किया।

नाथूराम गोडसे के वकील श्री बांगे द्वारा जिरह करने पर दीक्षित महाराज में कहा कि मैंने १९४६-४७ के दंगे में बम्बई के हिन्दुओं को हथियार नहीं दिया था। बाडगे से जो हथियार प्राप्त होते थे, उनमें कुछ तो रख दिये जाते थे। और कुछ तत्काल बांट दिये जाते थे। करकरे से केवल एक बार मेरी मुलाकात हुई थी। बाडगे ने ३०-४० हजार के जो शस्त्रास्त्र खरीदे थे, उनके सम्बन्ध में मैंने कोई पूछताछ नहीं की।

गोडसे द्वारा जिरह करने पर गवाह ने कहा कि यद्यपि समाजवादी दल का उद्देश्य हिन्दुओं को संघटित करना नहीं है किन्तु हैदराबाद के सम्बन्ध में उनका जो कार्यक्रम है, इससे हिन्दुओं की स्थिति काफी सुदृढ़ हो जायगी।

इसके पश्चात् अदालत २३ अगस्त के लिए उठ गई।

अभियुक्त मदनलाल ने अपना लिखित बयान दाखिल किया। इसमें उसने कहा है कि मैं किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ तथा मैंने प्रत्येक मामले पर एक शरणार्थी की दृष्टि से विचार से किया। गत २० जनवरी को मेरे कार्य (इस दिन गांधीजी पर बम फेंकने की चेष्टा हुई थी) का उद्देश्य राष्ट्रपिता तक शरणार्थियों की करुण पुकार पहुंचाना था।

सबूत पक्ष के वकील श्री सी० के० दफ्तरी ने इस आधार पर उक्त अरजी का विरोध किया कि अभी इसे दाखिल करने का उपयुक्त अवसर

नहीं आया है। अदालत ने शहादत के रूप में स्वीकार करने तक इसे मिसिल में शामिल कर लिया है।

उक्त अभियुक्त ने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि २१ अगस्त सन् १९४८ को दीक्षित महाराज जी की जिरह के दौरान में इस प्रश्न पर कुछ वाद-विवाद हुआ था कि अभियुक्त का हिंदू महा सभा से सम्बन्ध है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि न तो मैं हिन्दू महासभा का सदस्य हूँ और न कभी था। मैं प्रत्येक मसले पर एक राजनीतिक दल के सदस्य की तरह नहीं, अपितु एक शरणार्थी दृष्टिकोण से विचार किया। अभियुक्त के सम्बन्ध में प्रोफेसर जैन ने जो बात कही है, उसे अस्वीकार करने के सम्बन्ध में अभियुक्त ने पहले ही आपत्ति की थी। अब बम्बई के गृहमंत्री श्री मोरार जी देसाई की प्रस्तावित गवाही द्वारा इसकी पुष्टि की जायगी। यह गवाही अवैध है। दूसरे, शहादत कानून की १५७ धारा के अनुसार भी अवैध है। अतः अदालत से प्रार्थना है कि मोरारजी देसाई की गवाही न स्वीकार की जाय।

जज ने आदेश दिया कि अभी मोरारजी देसाई की गवाही ली जाय। बहस के समय इसकी वैधता या अवैधता पर विचार किया जायगा।

श्री मोरारजी देसाई की गवाही

बम्बई के गृहमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने अपने बयान में कहा कि मुझे गृह और माल विभाग सौंपे गये हैं। पुलिस, अपराधों की जांच आदि विषय मेरे विभाग के विषय हैं। मैं प्रोफेसर जे० सी० जैन को जानता हूँ, जो पहले मुझे २१ जनवरी सन् १९४८ को मिले। प्रोफेसर जैन २१ जनवरी को ४ बजे संध्या प्रधान मंत्री श्री बी० जी० खेर से मिलने आये थे, जिन्होंने उन्हें मेरे कमरे में भेज दिया। तब मुझे श्री जैन का परिचय मिला।

प्रोफेसर जैन ने मुझसे कहा कि उन्होंने २१ जनवरी का समाचार पत्र देखा था, जिसमें दिल्ली में बम विस्फोट का समाचार था।

उन्होंने उस व्यक्ति का नाम बताया जो पकड़ा गया था। उन्होंने आगे कहा कि वे उस व्यक्ति मदनलाल को जानते हैं। वह शरणार्थी है, जिसकी धन से सहायता की गई थी। श्री जैन ने यह भी कहा कि उन्होंने उसे अपनी पुस्तकें बेचने को दी थीं। वह व्यक्ति (अभियुक्त मदनलाल) उक्त बम विस्फोट के पूर्व दिल्ली गया था। इससे पूर्व मदनलाल ने बताया था कि एक महान नेता की हत्या की जायगी। श्री जैन ने आगे मुझे बताया कि मदनलाल ने महात्मा गांधी की हत्या करने की बात कही थी।

श्री देसाई ने आगे बताया कि मैंने श्री जैन से पूछा कि आपने पहले क्यों नहीं मुझे ये बातें बतायीं। श्री जैन ने कहा कि चूंकि शरणार्थी उत्तेजनात्मक बातें करते हैं और मैंने उसे आगे की कारवाई करने से मना कर दिया है, इसलिये मैं पहले यह सूचना देने नहीं आया।

२४ अगस्त को श्री देशाई ने बताया कि श्री अग्रवाल को मैंने रेलवे स्टेशन पर षड़यंत्र के सम्बन्ध में सूचना नहीं दी थी। प्रोफेसर जैन ने कहा था कि षड़यंत्र की जांच में पूरी-पूरी सहायता करूंगा। किंतु प्रकट रूप से मेरा नाम नहीं आना चाहिये। हत्याकांड के चार पांच दिनों के पश्चात् वे पुनः मेरे पास आये और प्रत्यक्ष रूप से पुलिस को सहायता करने का आश्वासन दिया। इसके बाद मैंने प्रोफेसर जैन का श्री अग्रवाल से परिचय करा दिया और साथ ही २१ जनवरी से बम्बई प्रांत में षड़यंत्र की खोज में भी संलग्न हो गया।

सावरकर के वकील भोपटकर के जिरह के उत्तर में श्री देसाई ने बताया कि २१ जनवरी से ३० फरवरी के बीच तीन बार मैं प्रोफेसर जैन से मिला था। एक पुलिस अफसर के समक्ष मामले के सम्बन्ध में मैंने

एक वक्तव्य भी दिया था। गांधीजी की हत्या के षड़यंत्र का समाचार सर्वप्रथम मुझे प्रोफेसर जैन से ही प्राप्त हुआ था। प्रोफेसर ने मुझे यह बताया कि मदनलाल से उन्होंने सम्पर्क स्थापित कर लिया है। श्री देसाई ने बताया कि मैं दादा महाराज और दीक्षित महाराज दोनों को जानता था। दादा महाराज की गवाही के पश्चात् ही मुझे मालूम हुआ कि वह समाजवादी दल के लोगों को अस्त्र-शस्त्र देता था।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री देसाई ने बताया कि यह मुझे मालूम था कि प्रोफेसर जैन तथा मदनलाल में वस्तुतः क्या सम्बन्ध था। एक प्रश्न कि क्या प्रोफेसर जैन ने आपसे यह बताया था कि उन्होंने षड़यंत्र की बातों को बताने के लिये श्री जयप्रकाश से मिलने का प्रयत्न किया था। देसाई ने कहा कि इसका मुझे ठीक-ठीक स्मरण नहीं। श्री मुरारजी देसाई की जिरह अभी समाप्त नहीं हुई थी किन्तु अदालत अगले दिन के लिये उठ गई।

प्रत्यक्षदर्शी द्वारा हत्या का वर्णन

राजाजी के १४ अगस्त के भाषण पर मदनलाल द्वारा आपत्ति

लाल किला (दिल्ली), ३० अगस्त को गांधी हत्याकांड के मुकदमे में, जिसकी सुनवाई विशेष जज श्री आत्माचरण आई० सी० एस० की अदालत मे हो रही है, सबूत पक्ष की ओर से पेश किये गये गवाह गुरुवचन सिंह ने अपने बयान में महात्मा गांधी की हत्या का आंखों देखा वर्णन किया। आप एक व्यापारी तथा दिल्ली की केन्द्रीय शरणार्थी समिति के सदस्य हैं।

आपने अपने बयान में कहा कि मैं गांधी जी को जानता हूँ। जब जब गांधीजी दिल्ली आते थे मैं उनके दर्शन के लिए जाता था। जिस दिन गांधीजी की हत्या हुई थी मैं उस दिन बिड़ला भवन गया था। गांधी जी उस दिन सन्ध्या को ५ बजने के कुछ देर बाद प्रार्थना स्थल की ओर रवाना हुए। इस बार गांधीजी के आगे कोई व्यक्ति नहीं था, जो भीड़ को चीरता हुआ उनके लिए रास्ता बनाता। जिस समय गांधी जी सीढ़ी पर चढ़े, उस समय प्रार्थना स्थल में भारी भीड़ थी। मैंने उनके आगे जाने की कोशिश की, किंतु उनके आगे लड़कियों की उपस्थिति के कारण मैं नहीं जा सका। जिस समय मैंने दूसरी ओर से उनके आगे जाने की चेष्टा की, उस समय मैंने गोली की आवाज़ सुनी। मैं यह नहीं जान सका

कि किस दिशासे गोली की आवाज आई। फिर मैंने दूसरी आवाज़ सुनी। उस समय मैंने खाकी पोशाक पहने एक व्यक्ति को गोली दागते हुए देखा।

मैंने आक्रमणकारी के हाथ पर आघात किया। शायद तीसरी गोली दगने के बाद आघात किया। इसके बाद तुरन्त ही कई व्यक्तियों ने आक्रमणकारी को पकड़ लिया। जब मैं गांधीजी की ओर घूमा, तब मैंने उन्हें हाथ जोड़े बाईं ओर गिरते देखा। उस समय उनके मुखसे 'हाय राम' शब्द सुनाई पड़े।

आक्रमणकारी की शिनाखत करने के लिए जब गवाह से कहा गया तो उसने कहा कि मैं उसके निकट न जाकर दूर से ही उसकी पहचान करूंगा। तब गवाह ने नाथूराम गोडसे की ओर संकेत किया। गवाह ने अपने बयान में यह भी कहा कि मैंने एक या दो बार हसनशहीद सुहरावर्दी को प्रार्थनास्थल में देखा।

इसके पश्चात् ग्वालियर के रेलवे टिकट क्लर्क श्री मधुसूद गोपाल गोलवेलवर की गवाही हुई। उसने एक रेलवे रजिस्टर पेश किया, जिसमें ट्रेनों के आगमन का समय उल्लिखित रहता है।

अगले दिन की अदालत की काररवाई के समय गाधी हत्याकांड के अभियुक्त मदनलाल ने हिंद के गवरनर जनरल के विरुद्ध आवेदनपत्र दिया कि उन्होंने १४ अगस्त १९४८ को रेडियो पर भाषण करते हुए कहा था कि हमारा सब से बड़ा दुर्भाग्य गांधीजी की हत्या थी। जिन लोगों ने उनकी हत्या की उन लोगों ने देश के किसी भी शत्रु से अधिक क्षति पहुँचाई। वे हमसे उस समय छीन लिए गये जब उनकी अत्यधिक आवश्यकता थी। प्रार्थी का कहना है कि गवरनर जनरल के उपयुक्त कथन से प्रार्थी के स्वतन्त्र न्याय में बाधा पड़ती है। और मानवता अभियुक्तों के विरुद्ध हो सकती है। वे वैधानिक प्रधान हैं। ऐसा विश्वास

किया जाता है कि वे सलाहनुसार कार्य करते हैं यद्यपि उनपर अदालत कोई काररवाई नहीं कर सकती है। जिन समाचार पत्रों ने उसे प्रकाशित किया है उनपर मुकद्दमा चलाना चाहिये। पार्टी उचित आदेश के लिए प्रार्थी है।

पाण्डुरङ्ग विनायक गाडबोले ने गांधी हत्याकांड के मुकद्में में गवाही देते हुए कहा कि गोपाल गोडसे ने गांधीजी की हत्या से १० दिन पहले मेरे पास एक रिवाल्वर तथा कुछ गोलियां रखी थीं। गांधीजी की हत्या के पश्चात् मैंने डरकर उन वस्तुओं को फेंक देने के लिए अपने एक मित्र को दे दिया। मैं १९४२ से ही दत्तात्रेय विनायक गोडसे के तीन भाई नाथूराम, गोपाल तथा गोविन्द को जानता हूँ। ३० जनवरी से २० दिन पहले गोपाल गोडसे लगभग १० बजे रातको मेरे पास आया। उसने कहा कि मैं एक वस्तु रखना चाहता हूँ। उसने तौलिये में से निकालकर मुझे रिवाल्वर तथा गोलियां दिखा दीं। उसके कहने पर मैंने उन वस्तुओं को कुछ दिनों के लिए रख दिया। ३० जनवरी को मुझे पता चला कि नाथूराम गोडसे ने गांधीजी की हत्या करदी है। इससे मैं डर गया और अपने एक मित्र की सलाह से उसे ही उन वस्तुओं को सोंप देने के लिए दे दिया। उसके पश्चात् गोपाल गोडसे के साथ पुलिस पहुँची। मैंने रिवाल्वर रखने की बात स्वीकार की थी। पाण्डुरङ्ग ने गोपाल गोडसे को पहचान लिया।

मुझे ८ फरवरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुझे जून मास के तीसरे सप्ताह तक हवालात में रखा गया था जब पुलिस के सामने गोपाल ने मुझसे पूछा तब मैंने रियाल्वर के बारे में सभी बातों को स्वीकार कर लिया। जब मैं अपने कार्यालय से आ रहा था तब मुझे गांधीजी की हत्या का पता चला। पहले मैंने विश्वास नहीं किया। मैंने मार्च में पुलिस के समक्ष अपना बयान दिया। पहले मैंने पुलिस अफसरों के

समक्ष रिवाल्वर रखने की बात इसलिए स्वीकार नहीं की कि वे पोशाक पहने हुए थे।

महादेव गणेश काले ने गवाही देते हुए कहा कि मैं बाडगे को ३-४ वर्ष से जानता हूँ। मैं आप्टे को भी जानता हूँ। दोनों हिन्दू संघटन के कार्य के लिए आया करते थे। आप्टे ने एक बार मुझसे 'अग्रणी' के लिए विज्ञापन मांगा था। एक बार बाडगे, आप्टे और गोडसे मेरी दुकान पर आये थे। मैंने 'अग्रणी' के सम्बन्ध में गोडसे का नाम सुना था। इन लोगों ने मुझसे एक हज़ार रुपया कर्ज़ के रूप में लिया। गवाह गोडसे, आप्टे और बाडगे को पहचानता था। मेरे कार्यालय में कोई व्यक्ति 'अग्रणी' मंगाया करता था। उसे मैं कभी-कभी पढ़ लेता था। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि पचगनी में आप्टे ने गांधीजी के सामने प्रदर्शन किया था। मैंने गांधीजी के अनशन की बात समाचार पत्रों में पढ़ी थी किन्तु, उस सम्बन्ध में मैंने किसी से बहस नहीं की।

दिल्ली के स्पेशल मजिस्ट्रेट की गवाही

श्री देवदास अदालत में उपस्थित हों—नाथूराम की मांग

लाल किला (दिल्ली)। १ सितम्बर को गांधी हत्याकांड के मुकदमे में, जिसकी सुनवाई विशेष जज श्री आत्माचरण आई० सी० एस० की अदालत में हो रही है, सबूत पक्ष की ओर से बम्बई के गुलाब हिन्दू होटल के स्वामी श्री शिव नागेश सेठ की गवाही हुई। आपने बताया कि मुझे क्रॅफोर्ड मार्केट के निकटस्थ गुप्तचर विभाग के दफ्तर में बुलाया गया। वहां प्रभाकर नानभाई नामक एक व्यक्ति ने एक रजिस्टर पेश किया। उसी के सम्बन्ध में एक पञ्चनामी तैयार किया गया, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। अदालत में यह रजिस्टर पेश किया गया, जिसकी गवाह ने शिनाख्त की।

यशवन्त शांताराम बोरकर की गवाही

बम्बई के पैरामाउण्ट फिल्म आफ इण्डिया लिमिटेड के एक कर्मचारी श्री यशवन्त शान्ताराम बोरकर ने अपने बयान में कहा कि मुझे ११ मार्च को गुप्तचर विभाग के दफ्तर में बुलाया गया। दूसरे व्यक्ति शर्मा भी वहां थे। हमारी उपस्थिति में एक व्यक्ति बुलाया गया, जिसने अपना नाम नाथूराम विनायक गोडसे बताया। हल्दीपुर के दरोगा ने

गोडसे को एक कागज दिया, जिसपर उसने दारोगा के कथनानुसार कुछ लिखा इसके बाद उसने अपना हस्ताक्षर किया। उसने तीन या चार हस्ताक्षर किये। फिर हम लोगों ने उस कागज पर अपने हस्ताक्षर किये। गोडसे के बाद आप्टे, करकरे, मदनलाल और गोपाल गोडसे बुलाये गये, जिन्होंने दारोगा के आदेशानुसार अलग अलग कागज पर जो लिखने के कहा गया, लिखा। इसके बाद हम लोगों ने हस्ताक्षर किये। इसके बाद गवाह से जिरह हुई।

इसके पश्चात् बम्बई के आर्टस स्कूल के भूतपूर्व सदस्य श्री विनय-कुमार शान्ताराम प्रधान की गवाही हुई। इसने बताया कि मुझे स्मरण है कि मुझे गुप्तचर विभाग के दफ्तर में बुलाया गया। मैंने भी पंचनामा पर दस्तखत किया।

सफाई पक्ष के वकील श्री मंगले द्वारा प्रश्न करने पर प्रधान ने कहा कि गोडसे से मराठी में हस्ताक्षर नहीं कराये गये।

अगले दिनों की काररवाई में सबूत पक्ष की ओर से दिल्ली के स्पेशल मजिस्ट्रेट श्री किशनचन्द की गवाही हुई। आपने अपने बयान में कहा कि मैंने दिल्ली सेन्ट्रल जेल के हाते में ७ और २८ फरवरी सन् १९४८ को शिनाख्त की काररवाई की थी। मुझे स्मरण है कि पुलिस ने मुझसे शिना-ख्त की काररवाई करने के लिये कहा था। पहली काररवाई नाथूराम गोडसे की शिनाख्त के सम्बन्ध में हुई और दूसरी अभियुक्त आप्टे और करकरे की पहचान के सिलसिले में हुई।

नाथूराम गोडसे की शिनाख्त की काररवाई का वर्णन करते हुये गवाह ने कहा कि सेण्ट्रल जेल में पहुंचने पर मैंने जेल सुपरिन्टेण्डेण्ट से गोडसे को लाने को कहा। गोडसे के आने पर मैंने जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट से अभि-युक्त की उम्र और शकल से मिलते-जुलते कुछ व्यक्तियों कोलाने को कहा। ऐसे व्यक्ति लाये गये, जिनमें से मैंने ९ व्यक्तियों को चुन लिया। फिर

मैंने अभियुक्त से कहा कि यदि वह पोशाक बदलना चाहता है, तो ऐसा कर सकता है और शिनाख्त के समय जिस स्थान पर चाहे खड़ा हो सकता है। शिनाख्त के समय कोई पुलिस अफसर उपस्थित नहीं था। जब एक गवाह शिनाख्त की काररवाई में भाग ले लेता था तो उसे वहां रोक लिया जाता था। इसी प्रकार २८ फरवरी की शिनाख्त की काररवाई हुई। मेरिना होटल के मैनेजर श्री सी० राचेकू शिनाख्त न कर सके।

आपने यह भी बताया कि मुझे स्मरण है कि हिंद सरकार के राज्य विभाग से डाक्टर परचुरे के इकवाली बयान का कागज मिला था, जिसे मैंने सुरक्षित रखा था और बाद में पुलिस अफसर को दे दिया था।

कारवाई प्रारम्भ होने के पहले सफाई पक्ष की ओर से चार अर्जियां पेश की गयीं। दो अर्जियां अभियुक्त सावरकर की ओर से और शेष दो नाथूराम विनायक गोडसे की ओर से उनके वकीलों ने दाखिल कीं।

सावरकर की देसाई विषयक अर्जी

अभियुक्त सावरकर के वकील श्री एल० वी० भोपटकर ने जो पहली अर्जी पेश की, उसमें अदालत से प्रार्थना की गई है कि सबूत पक्ष का यह आवेदन स्वीकार न किया जाय कि सफाई पक्ष द्वारा बम्बई के गृह-मंत्री श्री मुरारजी देसाई से पूछे गये प्रश्नों और उनके उत्तरों को मिसिल में जोड़ दिया जाय। अर्जी में आगे कहा गया है कि श्री मुरारजी देसाई से हुई जिरह में सावरकर के वकील ने उक्त गवाह से कोई प्रश्न नहीं पूछा था कि क्या सावरकर पर कड़ी नजर रखने का आपका संदेह उचित था। इस प्रश्न का उत्तर न देकर श्री देसाई ने सावरकर के वकील से उलटे यह प्रश्न किया कि क्या सावरकर चाहते हैं कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दूँ। इस पर अदालत ने सावरकर के वकील से कहा कि यदि इस प्रश्न पर जोर दिया जायगा तो मैं इसका पूर्ण उत्तर लिखूँगा। इस पर प्रश्न वापस ले लिया गया।

अभियुक्त की अर्जी में आगे कहा गया है कि कानून की दृष्टि से वह प्रश्न वापस नहीं लिया जा सकता—जिसका उत्तर दिया गया है। इस मामले में प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। अतः इसे वापस लेना पूर्णतः उचित था और अदालत ने इसकी स्वीकृति भी दी थी। चूँकि सबूत पक्ष इस घटना से यह निष्कर्ष निकालना चाहती है कि श्री देसाई के उत्तर से सावरकर का मामला और बिगड़ सकता था, अतः अभियुक्त की प्रार्थना है कि इस प्रकार का निष्कर्ष अनुचित है और इस घटना का मिसिल में उल्लेख न रहे।

सावरकर की दूसरी अर्जी में प्रार्थना की गयी है कि पुलिस द्वारा मेरे घर तलाशी में जो कतिपय कागज पत्र (वक्तव्य आदि) बरामद किये गये हैं उन्हें अदालत में दाखिल किया जाय।

नाथूराम गोडसे की अर्जी

नाथूराम गोडसे की एक अरजी में कहा गया है कि महात्मा गांधी के परिचारक श्री गुरुवचनसिंह ने जिरह के समय कहा था कि गांधीजी ने मुझसे कहा था कि वे इस बात से दुखी हैं कि दिल्ली के मुसलमान नगर में स्वतंत्रापूर्वक विचरण नहीं कर सकते।

इन अर्जियों पर बहस नहीं की गयी। इन्हें मिसिल में शामिल कर लिया गया।

३ अगस्त को नाथूराम गोडसे के वकील श्री ओक ने अदालत में एक प्रार्थनापत्र दिया जिसमें कहा गया है कि अदालत सबूत पक्ष को आज्ञा दे कि वह श्री देवदास गांधी को गवाह के रूप में अदालत में पेश करे जिससे खाली कारतूस का पाया जाना साबित किया जा सके। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि खाली कारतूस श्रीदेवदास गांधी ने पाया था तथा उसे पुलिस को दिया था। सबूत पक्ष श्रीदेवदास गांधी को गवाह के रूप में पेश नहीं करना चाहता। इसलिए उसने सरदार गुरुबचनसिंह को गवाह के रूप में पेश किया है।

श्री दफ्तरी ने कहा कि अदालत सफाई पक्ष के कथनानुसार किसी खास गवाह को पेश करने के लिये सबूत पक्ष को बाध्य नहीं कर सकता। अदालत अपने गवाह के रूप में किसी को भी बुला सकती है। अदालत ने अपना निर्णय नहीं सुनाया।

आज बाम्बे बड़ौदा तथा सेन्ट्रलइंडिया रेलवे के टिकट कलक्टर श्री रमणलाल देसाई की गवाई हुई। श्री रमणलाल देसाई के बाद एलफिंस्टन रोड, बम्बई स्टेशन के टिकट कलक्टर श्री जान गोम्स की गवाही हुई। अन्त में बम्बई होटल के मैनेजर श्री राघूरामेश्वर नायक ने अपनी गवाही में कहा कि फरवरी सन् १९४८ में मुझे गुप्तचर विभाग के कार्यालय में बुलाया गया। एक आर्य आश्रम के रजिस्टर पर अन्य पचों के साथ मैंने भी हस्ताक्षर किया। गवाह ने रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर को पहचाना तथा पंचनामे की ताईद की।

इसके बाद अदालत सोमवार तक के लिये उठ गयी।

श्रीदेसाई व जान गोम्स की गवाही पर आपत्ति

बम्बई और लुधियाना के कई व्यक्तियों की गवाही

लाल किला (दिल्ली)। ६ सितम्बर को करकरे के वकील श्री एन० डी० डांगे ने अदालत में एक प्रार्थनापत्र दाखिल किया, जिसमें कहा गया है कि रमणलाल देसाई तथा जान गोम्स (टिकट कलक्टर) ने जो ३० जनवरी सन् ४८ के दैनिक टिकट रजिस्टर की जो कारबन की नकल पेश की है, उसे स्वीकार न किया जाय।

इसके पश्चात् सबूत पक्ष ने थाना रेलवे स्टेशन के टिकट कलक्टर श्रीजयप्रकाश देसाई को यह साबित करने के लिए पेश करना चाहा कि २ फरवरी को माटुंगा से थाना तक का ११३१ नं० का टिकट पाया गया था।

श्री जयप्रकाश देसाई जब गवाही देने के लिये खड़े हुए तो आप्टे के वकील श्री मिंगले ने इसपर आपत्ति की और कहा कि टिकट पर २ फरवरी की तारीख पड़ी है। अतः इस गवाही से जो बात सबूत पक्ष चाहता है वह साबित नहीं हो सकती। जज ने आपत्ति स्वीकार करली।

इसके पश्चात् बम्बई कोआपरेटिव इन्श्योरेन्स कम्पनी के चीफ एजेण्ट कुलकर्णी, कम्पनी के साझीदार श्री दत्तात्रेय रामचन्द्र काटे की गवाही हुई।

७ सितम्बर को गांधी हत्याकांड का मुकदमा वर्षा के कारण देर से प्रारम्भ हुआ। अदालत के कमरे के चारों ओर घुटने बराबर पानी था।

बम्बई के एक फर्म के यन्त्रज्ञ श्री के० पी० पेरीरा ने गवाही दी तथा नाथूराम गोडसे, आप्टे तथा करकरे की हस्तलिपि की पहचान की। गवाह ने कहा कि गत १७ मार्च को मेरे सामने गोडसे, आप्टे तथा करकरे ने सादे कागज पर लिखा था और मैंने अन्य पञ्चों के साथ उसपर हस्ताक्षर किया था। इसके बाद गवाह से जिरह हुई।

इसके बाद बम्बई की एक फर्म के क्लर्क श्री एस० वाई० सर्वे ने अपनी गवाही में कहा कि गत १० मार्च को मैंने गोडसे, आप्टे, करकरे, गोपाल गोडसे तथा मदनलाल द्वारा लिखित कागजों पर पञ्च की हैसियत से हस्ताक्षर किया था।

इसके पश्चात् लुधियाना के बिहारीलाल की गवाही हुई। आपने कहा कि ३० जनवरी को मेरे सामने तुगलक रोड के थाने में नाथूराम गोडसे की तलाशी हुई थी। गवाह ने बतलाया कि गांधीजी की हत्या के समय मैं बिड़ला भवन में प्रार्थना सभा में उपस्थित था। नाथूराम के पास से मिली चीजों की सूची पर मैंने हस्ताक्षर किया था। गोडसे के पास से एक फाउण्टेनपेन, एक नोट बुक तथा ग्वालियर के कुछ सिक्के मिले थे।

जिरह में गवाह ने कहा कि नाथूराम के पास से पाई गई नोटबुक पर मैंने हस्ताक्षर नहीं किया था। गोडसे प्रार्थना के चबूतरे के पास गिरफ्तार किया गया था। गोडसे के पास से जब रिवाल्वर बरामद की गई तो मैं प्रार्थना-स्थल पर उपस्थित था। गोडसे की फाउण्टेनपेन अच्छी किस्म की थी। मैं अगस्त सन् १९४७ के बाद टण्डलियानवाल से हिंद गया था।

आप्टे के घर सावरकर, गोडसे के चित्र

ग्वालियर के पुलिस कप्तान श्री दिनकरराव की गवाही

लाल किला (दिल्ली)। ८ सितम्बर को विशेष जज श्री आत्माचरण आई० सी० एस० की अदालत में, जिसमें गांधी हत्या–काण्ड के मुकदमे की सुनवाई हो रही थी। अभियुक्त मदनलाल के वकील श्री बनर्जी ने अपनी उस दरख्वास्त पर विशेष ज़ोर नहीं दिया, जिसमें हिन्द के गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचार्य के १४ अगस्त के ब्राडकास्ट भाषण के कुछ अंशों के सम्बन्ध में अदालत का ध्यान आकृष्ट किया गया था और उन पर जज से आज्ञा देने की प्रार्थना की गई थी। उस दिन उसी अर्जी की सुनवाई के लिए तिथि निश्चित की गई थी। श्री बनर्जी ने अर्जी के सम्बन्ध में कहा कि चूंकि हिन्द में महत्वपूर्ण घटना घटने वाली है तथा सरकार ने हैदराबाद के विरुद्ध काररवाई की है और मदनलाल हैदराबाद का उपद्रव रोकने में दिलचस्पी रखता है अतः उसका मत है कि इस समय यह प्रश्न उठाना ठीक नहीं है।

इसके बाद श्री त्र्यम्बक अचक की गवाही हुई। आपने अपने बयान में कहा कि मुझे स्मरण है कि मैं ९ फरवरी १९४८ को पुलिस द्वारा आंचल चौक में बुलाया गया था। वहां पर अमदर खरात नामक व्यक्ति

को मैंने देखा। वहां एक पञ्चनामा पर हस्ताक्षर करने के लिए मुझको बुलाया गया था।

पूना की सिलाई की एक दुकान के मालिक श्री नारायण गणेश दबके ने अपने बयान में कहा कि मैंने नवम्बर सन १९४६ में आप्टे के लिए एक ऊनी कोट तैयार किया था। गवाह ने अभियुक्त की शिनाख्त भी की। श्री मिंगले द्वारा जिरह करने पर गवाह ने कहा कि मैं आप्टे को बहुत दिनों से जानता हूँ। मैं मराठी विद्यालय में व्यायाम शिक्षक था।

इसके बाद बम्बई गैस कम्पनी के कर्मचारी श्री एस० दलवी की गवाही हुई। आपने कहा कि मुझे १६ अप्रैल सन् १९४८ को पञ्चनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए गुप्तचर विभाग के दफ्तर में बुलाया गया था।

अगले दिन पूना के एक दुकानदार श्री महादेव गोविन्द कुलकर्णी की सबूत पक्ष की ओर से गवाही हुई। ३० जनवरी को गांधी जी की हत्या के बाद नाथूराम विनायक गोडसे पूना-स्थित कमरे की तलाशी में उक्त गवाह पहुंचा था।

गवाह ने गोडसे की शिनाख्त की और अपने बयान में कहा कि गोडसे सदाशिव पीठ (पूना) के दत्तात्रेय नारायण हाजिब भवन के एक कमरे में रहता था। इस कमरे की तलाशी में मोम की तरह लसीला एक गन्दा पदार्थ जिससे दुर्गन्ध आ रही थो, मिला। इसके साथ ही एक पत्र और एक चेक भी बरामद हुए थे। एक पञ्चनामा तैयार किया गया जिस पर मेरे और एक दूसरे व्यक्ति के हस्ताक्षर थे।

आप्टे के वकील श्री मिंगले द्वारा जिरह करने पर गवाह ने कहा कि जब मैं ३१ जनवरी को कमरे में गया तो उस समय उसमें कोई नहीं था। श्री डांगे के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैंने पुलिस सब-इन्स्पेक्टर से लसीले पदार्थ के बारे में पूछा और उसने बताया कि वह विस्फोटक द्रव था।

ग्वालियर के पुलिस कप्तान की गवाही

ग्वालियर के सीनियर पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट श्री दिनकरराव ने अपने बयान में कहा कि डाक्टर दत्तात्रेय परचुरे की सूचना पर ग्वालियर के एक दूसरे मकान से एक स्टेनगन बरामद हुई थी।

श्री दिनकरराव ने आगे कहा कि मैं गत ११ वर्षों से ग्वालियर पुलिस विभाग में हूँ। मैं डाक्टर परचुरे को जानता हूँ। अभियुक्त ग्वालियर हिन्दू-सभा का अध्यक्ष तथा हिन्दू-राष्ट्रसेना का संगठनकर्ता था। ३ फरवरी को उसे जन-सुरक्षा क़ानून के अनुसार नज़रबन्द किया गया। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त को ग्वालियर के किले में सेना की हिरासत में रखा गया। गांधी जी के हत्या-काण्ड के मामले की जांच के सिलसिले में बम्बई के गुप्तचर विभाग के डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल श्री राना, पूना के श्री देवलकर तथा दिल्ली के पुलिस इन्स्पेक्टर श्री बालकृष्ण १४ फरवरी सन् १९४८ को ग्वालियर आये थे।

श्री दिनकरराव ने श्री बालकृष्ण से प्राप्त उस पत्र की शिनाख्त की जो डाक्टर परचुरे के इकबाली बयान के सम्बन्ध में लिखा गया था। गवाह ने आगे कहा कि मैंने उस पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। मैं उस पत्र को प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट श्री अटल के पास ले गया। श्री अटल ने कहा कि मैं दूसरे दिन सुबह बयान लूंगा।

डाक्टर परचुरे के वकील श्री इनामदार ने जिरह में पूछा कि क्या हिन्द सरकार के गृह विभाग ने डाक्टर परचुरे के ब्रिटिश भारत के नागरिक होने के विषय में पूछताछ की थी। इस पर गवाह ने नकरात्मक उत्तर दिया।

१० सितम्बर को गांधी हत्या-काण्ड के मुकदमे में बालकृष्ण बापट इनामदार ने बताया कि गत १३ अप्रैल को नारायण आप्टे के घर की तलाशी ली गई थी। तलाशी में सावरकर, गोडसे, आप्टे तथा कुछ अन्य

व्यक्तियों का सम्मिलित फोटो बरामद हुआ। श्री इनामदार ने बताया कि तलाशी के समय मैं पञ्च नियुक्त किया गया था। इसी समय सबूत पक्ष के वकील ने आप्टे के घर से बरामद की गई वस्तुओं को उपस्थित किया।

आप्टे के वकील द्वारा जिरह के उत्तर में इनामदार ने बताया कि गांधी हत्या-काण्ड के पश्चात् जनता ने क्रोध में आकर 'काल' नामक हिन्दू समाजवादी समाचार पत्र के कार्यालय में आग लगा दी। जोगलेकर का घर तो बिलकुल ही जला दिया गया था।

बम्बई के टेलीफोन इन्सपेक्टर श्री फेकरिबोले ने अपनी गवाही में बताया कि गत ८ मार्च को पंच बनने के लिए मुझे गुप्तचर विभाग के कार्यालय में बुलाया गया था।

गांधीजी के मुकद्दमे में गवाही जारी

ज्योतिषी श्री सूर्यनारायण व्यास की गवाही रुकी

लालकिला (दिल्ली)। दिल्ली के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस सरदार यशवन्तसिंह से २० सितम्बर को पुन: जिरह हुई। डांगे के प्रश्न के उत्तर में सरदार यशवन्तसिंह ने बताया कि मैं बिड़ला भवन में गांधीजी के गोली के घाव को देखने गया। उस समय कोई डाक्टर वहां उपस्थित नहीं था। घाव की रिपोर्ट मेरे ही द्वारा तैयार की गई थी। हत्याकांड के स्थल का विवरण एम० एल० कपूर ने तैयार किया था। विवरण तैयार करने का आदेश मैंने ही दिया था मैंने विस्फोट के स्थल का चित्र लेने का भी आदेश दिया था। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में सरदार यशवन्तसिंह ने बताया कि गत २१ जनवरी को मैं मदनलाल के मामले में जांच के लिए बम्बई गया था और वहीं बम्बई के डिप्टी कमिश्नर पुलिस श्री नागरवाला से भेंट की। श्री नागरवाला ने बम्बई के गृह-मन्त्री श्री मुरारजी देसाई से अपनी भेंट के सम्बन्ध में मुझे बताया। श्री नागरवाला ने मुकद्दमे की जांच की कारररवाई न तो मुझे बताई थी और न मैंने उनसे इस सम्बन्ध में पूछा ही था। श्री नागरवाला के साथ जांच के लिए मैं कहीं गया भी नहीं था। केवल उनके निवास स्थान पर ही चार पांच बार भेंट की थी।

पूना म्यूनिसिपल बोर्ड के एक क्लर्क होनाजी गणपत सेलार ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि मैं श्री अमदर खरात को गत दस-बारह वर्षों से जानता हूं। मुखबिर बाडगे को भी मैं काफी दिनों से जानता हूं। मुझे स्मरण है कि जनवरी में मैं अमदर खरात से मिला था। एक दिन पुनः रात में श्री खरात से मिला था। श्री खरात ने मुझे कपड़े का थैला दिया और न मांगने तक रखने के लिए कहा। थैले को लाकर मैंने रख दिया। थैले में क्या था इसका मुझे बिलकुल पता नहीं था। कुछ दिनों पश्चात् एक दिन अर्धराति में श्री खरात पुलिस के साथ मेरे निवास स्थान पर आये और मुझसे कपड़े का थैला मांगा। श्री सेलार ने उक्त थैले को अदालत में पहचाना और कहा कि जब यह थैला खोला गया था इसमें भी दो पिस्तौल अन्य शस्त्रास्त्र तथा कुछ विस्फोटक पदार्थ मिले थे। डांगे की जिरह के उत्तर में श्री सेलार ने बताया कि यह थैला मेरे निवास स्थान पर लगभग तीन सप्ताह तक रहा। यह मैं नहीं जानता कि श्री खरात ने किस उद्देश्य से उक्त थैले को मेरे पास रखा था।

पूना स्थित इंजीनियरिंग कालेज के छात्र अरुण गांधी ने बताया कि गत आठ फरवरी को मैं लगभग सात बजे पूना के छावनी थाने पर पञ्च बनने के लिए बुलाया गया था। दो अन्य पञ्च और थे। कुछ पुलिस अफसर, श्री खरात तथा दिगम्बर बाडगे भी वहां उपस्थित थे। श्री खरात वहां उपस्थित सभी लोगों को नागमोदे के निवास स्थान पर ले गये। नागमोदे हम लोगों को अपने घरके निकटस्थ एक मन्दिर में लेगया और दरी में लपेटा हुआ एक बण्डल उनने हम लोगों को दिखलाया। बण्डल खोलने में उसमें से एक 'गन-बैग' पाया गया। बैग में से दो कारतूस, कुछ तार के टुकड़े और ताला तथा चाबी मिलीं। बनर्जी द्वारा जिरह के उत्तर में अरुण गांधी ने बताया कि मैंने केवल पञ्च का काम किया था। दो अन्य गवाहों की भी जिरह हुई। इसके बाद अदालत स्थगित हो गई।

दिल्ली (लालकिला)। २१ सितम्बर को ग्वालियर के महाराज के ज्योतिषी श्री सूर्यनारायण व्यास गांधी हत्याकांड के मुकद्दमे में गवाही के लिये बुलाये गये किंतु सफाई पक्ष के वकीलों ने इनकी गवाही का विरोध किया क्योंकि सबूत पक्षको इनकी गवाही की सूचना गत सायंकाल को दी गई थी। अतः जिरह के लिए प्रश्न इकट्ठा करने का समय उन्हें नहीं मिला। न्यायाधीश ने सबूतपक्ष की प्रार्थना स्वीकार कर ली। व्यासजी की गवाही अब बाद में होगी।

इसके बाद श्री देवलकर का बयान हुआ। आपने कहा कि मैं १४ फरवरी को प्रातः ग्वालियर गया। वहां मैंने शामको ग्वालियर के पुलिस इंस्पेक्टर जेनरल मार्शस्मिथ से मुलाकात की। वहां हिंद के पुलिस अधिकारियों और ग्वालियर के पुलिस अधिकारियों का मार्शस्मिथ के बंगले पर सम्मेलन हुआ। मार्शस्मिथ ने ग्वालियर के पुलिस अधिकारियों से, विशेषकर थोरट पाटिल से कहा कि आप लोग इस मामले में जांच-पड़ताल के सिलसिले में हिंद की पुलिस की पूरी सहायता करें। १५-१६ फरवरी को मैंने कुछ गवाहों के बयान ग्वालियर में लिये। १६ फरवरी को डाक्टर परचुरे से मैंने मुलाकात की। डाक्टर परचुरे की गिरफ्तारी के लिए ग्वालियर की पुलिस से पहले ही अनुरोध कर दिया गया था और डाक्टर परचुरे ग्वालियर किले में नजरबन्द कर दिए गए थे।

इसके बाद देवलकर से जिरह हुई। करकरे के वकील के पूछने पर देवलकर ने कहा कि मैंने करकरे के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की। देवलकर ने कहा कि दिगम्बर बाडगे से मैंने प्रश्न किये थे। देवलकर से जिरह हो ही रही थी कि अदालत दूसरे दिनके लिए उठ गई।

सावरकर की अर्जी पर बहस

घनिष्ठता सिद्धि के लिए फाइलों के पत्र अदालत में पेश

लाल किला (दिल्ली)। २९ सितम्बर को गांधी हत्या-काण्ड के मुकदमे में सबूत पक्ष के प्रधान वकील श्री दफ्तरी ने सफाई पक्ष के श्री बनर्जी द्वारा दी गई उस अर्जी का एक दरख्वास्त द्वारा विरोध किया जिसमें गत सोमवार को तेलंगू दुभाषिये पर पुलिस अफसरों और अभियुक्त के बीच वार्ता का माध्यम बनने का आरोप किया गया था। इसमें कहा गया है कि उक्त दुभाषिये ने खाँ साहब उमर खाँ से बिलकुल बातचीत नहीं की। यद्यपि यह सत्य है कि उन्होंने श्री नागरवाला से अपनी वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में वार्ता की थी। इसके बाद फिर उन्होंने अभियुक्त शंकर से वार्ता नहीं की।

श्री दफ्तरी द्वारा दूसरी अर्जी

श्री दफ्तरी ने एक दूसरी अर्जी पेश की, जिसमें गत सोमवार को अभियुक्त आप्टे द्वारा कतिपय कागज़ पत्रों की मांग सम्बन्धी दरख्वास्त का जवाब दिया गया था। इसमें कहा गया है कि सबूत पक्ष द्वारा पता लगाने पर मालूम हुआ है कि पूना के कलक्टर ने आप्टे के घर से कोई पत्र या अन्य चीज बरामद नहीं की थी। सबूत पक्ष को यह भी पता नहीं

है कि पूना के पुलिस डिप्टी सुपरिन्टेण्डेण्ट ने कोई पत्र या वस्तु बरामद की थी। अन्यत्र स्थान से प्राप्त दो पत्र पुलिस के कब्जे में हैं, जिन्हें अभियुक्त के वकील देख सकते हैं। श्री दफ्तरी ने तीसरी अर्जी द्वारा अभियुक्त करकरे की दरख्वास्त का जवाब दिया। इसमें कहा गया है कि करकरे के घर से बरामद कई पत्र और वस्तुएँ अभियुक्त के वकील देख सकते हैं। तीसरी अर्जी द्वारा सबूत पक्ष के वकील ने अभियुक्त परचुरे के सम्बन्ध में दिए गए प्रश्नोत्तर को जिसे अदालत में मिसिल में शामिल करने से इनकार कर दिया था। मिसिल में उल्लिखित करने का अनुरोध किया गया था।

हल्दीपुर से जिरह जारी

बम्बई के पुलिस दरोगा श्री बी० ए० हल्दीपुर से सफाई पक्ष के वकीलों द्वारा जिरह जारी रही। सफाई पक्ष के वकील श्री बनर्जी ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा कि क्या आप जानते हैं मुकदमा आरम्भ होने के बाद पुलिस ने मुखबिर बाडगे की पत्नी के पास रुपया भेजा था, श्री हल्दीपुर ने नकारात्मक उत्तर दिया।

अभियुक्त सावरकर की अर्जी

पूना के गुप्तचर विभाग के इन्सपेक्टर श्री ए० आर० प्रधान की गवाही लेने से पूर्व, जिनकी गवाही सावरकर के घर से बरामद उनके कई पत्रों के सम्बन्ध में होगी, जिनसे सावरकर का नाथूराम गोडसे, आप्टे और परचुरे से सम्बन्ध साबित होगा। अभियुक्त सावरकर द्वारा २२ अगस्त को दी गई दरख्वास्त पर विचार करने का जज ने आदेश दिया। श्री भोपटकर ने कहा कि ये पत्र मिसिल में न शामिल किए जांय, क्योंकि इनका इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है। सरकारी वकील श्री दफ्तरी ने इसका विरोध करते हुए बताया कि सावरकर ने बम्बई के चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट के समक्ष जो यह कहा था कि मेरा किसी भी समय अभियुक्तों

से कोई सम्बन्ध नहीं था, उसका खण्डन करने के लिए उक्त पत्र का प्रमाण जरूरी है। श्री डांगे ने कहा कि जहां तक हत्या का मामला है सावरकर ने अपने को अभियुक्तों से प्रथक बताया था। श्री भोपटकर ने भी अपनी बहस में यह बात कही। जज ने भोपटकर से कहा कि यदि आपके उक्त कथन पर यह भाष्य है तो आप सावरकर से पूछकर इसका स्पष्टीकरण करायें, क्योंकि यह बात मिसिल में आयेगी। सावरकर से पूछने पर भी भोपटकर ने एक अर्जी दी जिसमें गांधी जी की हत्या का षडयन्त्र करने हैं में अन्य अभियुक्तों से किसी प्रकार का सम्बन्ध न रखने की बात कही गई है।

श्री दफ्तरी ने कहा कि उक्त पत्र–व्यवहार शहादत क़ानून के ११ वीं धारा के अनुसार वैध है। इसके बाद सफाई पक्ष के वकील सर्वश्री भोपटकर, ओक, बनर्जी, डांगे तथा इनामदार ने क़ानून प्रश्न पर बहस की। जज ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कल आज्ञा सुनाने की तिथि रखी है।

३० सितम्बर को विशेष जज ने निर्णय दिया कि सावरकर के घर से बरामद किए गये पत्र, नाथूराम गोडसे तथा आप्टे की सावरकर से घनिष्टता प्रदर्शित करने के लिए अदालत में पेश किए जा सकते हैं।

इसके बाद श्री ए० आर० प्रधान की गवाही हुई। आपने कहा कि मैंने बम्बई के खुफिया विभाग के डिप्टी इन्सपेक्टर जेनरल पुलिस के आदेश से दिल्ली की पुलिस को इस मामले की तहकीकात में सहायता की थी। मैंने सावरकर के घर से बरामद फाइलों की जांच की थी। कुल ११३ फायलें थीं। फाइलों में नाथूराम गोडसे तथा आप्टे द्वारा लिखी बहुत सी चिट्ठियां थीं। बहुत से पत्र नाथूराम गोडसे और आप्टे ने मिल कर लिखे थे।

जिरह का उत्तर देते हुए गवाह ने कहा कि मैंने इस मुकदमे की तहकीकात में मुख्य रूप से मैंने फाइल की जांच पड़ताल की। सावरकर

के यहां से बरामद फाइलों में करकरे द्वारा लिखित एक भी पत्र नहीं था। फाइल में लगभग १० हज़ार पत्र थे।

मदनलाल के वकील बनर्जी को उत्तर देते हुए गवाह ने कहा कि सावरकर की ६१ वीं वर्षगांठ पर गांधी जी का भेजा गया कोई सन्देश फाइल में नहीं था।

इसके बाद आप्टे के वकील श्री मिंगले ने गवाह से आप्टे द्वारा लिखित ७ पत्र पेश करने को कहा।

श्री भोपटकर ने गवाह से नाथूराम गोडसे द्वारा लिखित ६ पत्र तथा कस्तूरबा की मृत्यु पर गांधी जी के पास सावरकर द्वारा प्रेषित तार की प्रतिलिपि पेश करने को कहा।

बम्बई की विमान कम्पनी के एक क्लर्क की गवाही

लाल किला [दिल्ली]। २७ सितम्बर को गांधी हत्याकाण्ड के मुकदमे में अभियुक्तों की ओर से ३ अर्जियां पेश की गयीं। पहली अर्जी में, जो अभियुक्त करकरे की थी, प्रार्थना की गई है कि उसके घर से बरामद कतिपय कागज पत्र अदालत में पेश किये जायँ। अभियुक्त मदनलाल के वकील श्री बनर्जी ने एक अर्जी दाखिल की जिसमें अदालत से प्रार्थना की गयी है कि ज्योतिषी श्री सूर्यनारायण व्यास की गवाही, जिन्होंने परचुरे के पिता की कुंडली की तसदीक स्वीकार न की जाय।

बम्बई की 'एयर इण्डिया लिमिटेड' कम्पनी के यातायात विभाग के क्लर्क श्री पी० जयरमण ने अपने बयान में कहा कि १५ जनवरी सन् १९४८ को २ टिकिट खरीदे गये थे, जो १७ जनवरी को यात्रा के लिये थे। टिकिट पर यात्रियों के नाम करमरकर और एस० मराठे लिखे हुए थे। ये टिकट यात्रियों को दिए गए थे और विमान में ही एकत्र कर लिए गए थे। ये एकत्र टिकट सदर दफ्तर में भेज दिए जाते हैं। गवाह ने दोनों टिकटों के दूसरे भाग को भी अदालत में पेश किया।

नाथूराम गोडसे के वकील श्री वी० वी० ओक के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि जो कागज पत्र अदालत में पेश किए गए हैं, वे मेरी हस्तलिपि में नहीं हैं।

बम्बई प्रांत के शिक्षा विभाग के क्लर्क श्री दिगम्बर विनायक भास्कर ने अपने बयान में कहा कि मैं शिक्षाविभाग के डाइरेक्टर के दफ्तर में गत २० वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। पूना में एक 'डेकेन कालेज' था, जो सन् १९३३-३४ में बन्द हो गया। यह सरकारी कालेज था। श्री भास्कर ने अदालत में एक कालेज रजिस्टर पेश किया, जिसमें अभियुक्त परचुरे का पता सदाशिव गोपाल परचुरे का जन्म स्थान उल्लिखित था। बम्बई नगर के दरोगा श्री बी० ए० हल्दीपुर ने अपने बयान में कहा कि मैंने अभियुक्त नाथूराम गोडसे, आप्टे, विष्णु, करकरे, मदनलाल तथा गोपाल गोडसे के हस्ताक्षर के नमूने बम्बई के डिप्टी पुलिस कमिश्नर श्री नागरवाला के समक्ष लिए थे।

अगले दिन गांधी हत्याकांएड के मुकदमे में सफाई पक्ष के वकील श्री बनर्जी ने अभियुक्त मदनलाल की ओर से एक अर्जी पेश की जिसमें यह आरोप किया गया था कि २७ सितम्बर को सन्ध्या ३॥ बजे अभियुक्त शंकर के निकट बैठने वाला तेलगूरी दुभाषिया श्री नागरवाला, बम्बई के डिप्टी पुलिस कमिश्नर तथा अन्य एक अफसर उमरखां के पास गया। वहां से वापस आकर अभियुक्त शंकर से कुछ बात की। अतः अदालत से प्रार्थना है कि जांच करने वाले अफसर का किसी भी अभियुक्त से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जेल या अदालत में बिना अनुमति के कोई वार्ता न हो। सबूत पक्ष के वकील श्री दफ्तरी ने अर्जी पर आपत्ति करते हुए कहा कि अर्जी की बात असत्य है। मैं इसके विरुद्ध अर्जी दूँगा।

जज ने कहा कि मैं दोनों अर्जियों पर विचार करूँगा। श्री बनर्जी ने दो और अर्जियां दाखिल कीं। एक अर्जी में कहा गया है कि अभियुक्त मदनलाल की हस्तलिपि का नमूना लेने सम्बन्धी जो गवाही ४ पंचों ने दी

है, अवैध है क्योंकि अभियुक्त पुलिस की हिरासत में था। तीसरी अर्जी में कहा गया कि डाक्टर परचुरे के सम्बन्ध में डेकन कालिज के रजिस्टर में जो उल्लेख है वह कानूनन अस्वीकार है, क्योंकि न तो इस पर किसी का हस्ताक्षर है और न यही मालूम कि किसने इसे दर्ज किया है।

श्री बी० बी० हल्दीपुर का बयान जारी

बम्बई पुलिस विभाग के सब इंसपेक्टर श्री बी० बी० हल्दीपुर ने अपने बयान में कहा कि जब कभी पंचनामा तैयार किया जाता था, तब इसे अंग्रेजी में सुनाया जाता था। यदि कोई पंच अंग्रेजी भली भांति नहीं जानता था तो उसे देशी भाषा में सुनाया जाता था और तब उसका हस्ताक्षर लिया जाता था।

गांधी-हत्या का अभियोग स्वीकार

"हत्या की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर"

—नाथूराम गोडसे

लाल किला, दिल्ली, ८ नवम्बर। आज अदालत में ९३ पृष्ठों का अपना बयान देते हुये नाथूराम वी० गोडसे ने स्वीकार किया कि गत ३० जनवरी को मेने महात्मा गांधी पर गोलियां चलाईं। गोडसे ने कहा: "मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रति कोई दया प्रदर्शित की जाय। मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरी ओर से कोई व्यक्ति मेरे लिए दया की प्रार्थना करे।"

गोडसे ने कहा गांधीवादी आदर्श और राजनीति, जिसके प्रवाह में देश की सरकार बह रही थी, पाकिस्तान के निर्माण और लाखों हिन्दुओं के कष्ट के लिए जिम्मेदार थी। मेरे विचार से हिन्दुओं को मुसलमानों के अत्याचारों से छुड़ाने का एक मात्र उपाय गांधीजी को दुनिया से हटा देना था।

"गांधीजी पाकिस्तान के बापू साबित हुए। केवल इसी कारण से मैंने भारत माता के एक आज्ञाकारी पुत्र के नाते अपना यह फर्ज समझा कि राष्ट्र के इस तथाकथित पिता के जिसका हमारे देश—भारत माता—के अंगभंग में बहुत बड़ा हाथ था, जीवन को समाप्तकर दिया जाय।"

गोडसे ने इस हत्या की पूर्ण जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए इस काम के लिए किसी और के साथ षड्यन्त्र करने के समस्त आरोपों को ग़लत बताया। उसने कहा "इस मुकदमे में अन्य कई व्यक्तियों को षड्यन्त्रकारी के रूप में मेरे साथ फांसा गया है। मैंने पहले ही कहा है कि जो काम मैंने किया है उसमें मेरा कोई साथी नहीं और सारी जिम्मेदारी मेरी थी। यदि वह लोग मेरे साथ षड्यन्त्रकारी के रूप में न फांसे जाते तो मैं अपने बचाव के पक्ष में बयान भी न देता जैसा कि मैंने अपने वकील को ३० जनवरी १९४८ के सम्बन्ध में जिरह करने से रोक दिया था।

गांधी हत्या केस में बचाव पक्ष के बयान आरम्भ

लालकिला, दिल्ली, ८ नवम्बर। आज महात्माजी के कथित हत्यारे नाथूराम गोडसे ने अदालत में अपना ९३ पृष्ठ का लिखित बयान किया।

अदालत में काफी भीड़ थी। विशेष जज श्री आत्माचरण ने गोडसे से पूछा कि तुमने अपने विरुद्धवादी पक्ष की गवाहियों को सुन लिया है। तुमको अब अपने बचाव में क्या कहना है।

गोडसे—श्रीमान् में एक लिखित बयान देना चाहता हूँ।

वादी पक्ष के प्रधान वकील श्री दफ्तरी ने इस पर एतराज करते हुए कहा कि कानून की दृष्टि से लिखित बयान नहीं दिया जा सकता।

अदालत ने गोडसे से अपना बयान पढ़ने के लिए कहा। बयान पढ़ना आरम्भ करने से पूर्व गोडसे ने समाचार पत्रों से अपील की कि वह चाहे उसका पूरा बयान छापें अथवा उसका भावार्थ परन्तु वह उसे ग़लत रूप में जनता के सामने न रखें।

श्री दफ्तरी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ऐसी अपील नहीं की जा सकती क्योंकि बयान अदालत को दिया जा रहा है, और यह अदालत है न कि सार्वजनिक मंच, जहां से अपील की जाय।

उसके बाद गोडसे ने अपना ९३ पृष्ठ का बयान पढ़ना आरम्भ किया जो पांच अध्यायों में खंडित है। पहले खंड का सम्बन्ध षड्यन्त्र के आरोप से है। गोडसे ने प्रार्थना की कि पहले अध्याय को पढ़कर सुनाने की आज्ञा उसके वकील को दी जाय क्योंकि वह क़ानूनी ढंग का है। अदालत ने यह मंजूर नहीं किया।

नाथूराम गोडसे, जो माइक्रोफोन के सम्मुख खड़ा अपना बयान पढ़ रहा था, जब बयान का पचमांश पढ़ चुका तो वह कटहरे में रिपट कर गिर गया। वह अपने वकील से यह कहता सुना गया कि मेरा पांव सो गया है। जज ने उसे थोड़ा आराम करने को कहा।

हत्या का कोई षड़यन्त्र नहीं रचा था

अदालत में आप्टे का बयान

लालकिला (दिल्ली) १० नवम्बर। आज महात्मा गांधी की हत्या के मुकद्मे में नारायण दत्तात्रेय आप्टे (अभियुक्त नं० २) ने २३ पृष्ठों का एक बयान विशेष अदालत में दिया। उसने अपने को निर्दोष बताते हुए कहा कि अभियुक्तों ने महात्मा गांधी की हत्या के लिये कोई षड्यन्त्र नहीं बनाया था और मुझ पर जो अभियोग लगाये गये हैं उन्हें कार्यरूप में परिणत करने तथा दूसरों से कराने में मैंने और किसी अभियुक्त के साथ षड्यन्त्र में भाग नहीं लिया अतएव मुझे मुक्त कर दिया जाय।

आप्टे को अपना बयान पढ़ने में करीब एक घण्टा लगा। अदालत कल के लिये स्थगित हो गई जब कि आप्टे से जिरह होगी।

नाथूराम विनायक गोडसे से आज भी विशेष न्यायाधीश श्री आत्माचरण ने जिरह की। न्यायाधीश के पूछने पर गोडसे ने कहा कि मैं अपने बयान के लिये कोई गवाही पेश करना नहीं चाहता।

न्यायाधीश ने गोडसे से पूछा कि क्या २० जनवरी को मेरीना होटल में करकरे तथा शंकर ने तुम्हारे तथा आप्टे के साथ चाय पी और क्या १७ तथा १८ जनवरी को मेरीना होटल के कमरे नं० ४० में करकरे को अयाचित ह्विस्की दी गई?

गोडसे ने उत्तर दिया : "२० जनवरी को करकरे तथा शङ्कर मेरीना होटल नहीं आये। २० जनवरी को मैंने अतिरिक्त चाय नहीं मंगाई। मैं स्वयं चाय नहीं पीता। हां, मैं काफी ज़रूर पीता हूं। १७ या १८ जनवरी को करकरे को हि्वस्की नहीं दी गई। मै खुद मदिरा नही पीता। मेरीना होटल में किसी तारीख को कभी मैं करकरे से नहीं मिला।"

गवाहों के सन्बन्ध में जिन्होंने कि विभिन्न परेडों में गोडसे को पहिचाना था, एक प्रश्न के उत्तर में नाथूराम गोडसे ने कहा कि मेरीना होटल वाले गवाहों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन सुलोचना तथा छोट्टूराम गवाहों को, जिन्होंने कि यह साक्षी दी थी कि उन्हो ने मुझे २० जनवरी को बिड़ला भवन में देखा था, मुझे तुगलक रोड पुलिस थाने में दिखाया गया। "तुगलक रोड के पुलिस स्टेशन में मैंने सुरजीत सिंह (टैक्सी-ड्राइवर) को भी देखा। एक बार उसे मैंने अपनी कोठरी के पास मेरी ओर टकटकी लगाते देखा। मैंने उससे पूछा 'सरदार साहब आप क्या चाहते हैं?" उसने कहा 'कुछ नहीं'। दिल्ली में मजिस्ट्रेट के सामने मैंने कोई आपत्ति प्रगट नहीं की क्योंकि मै स्वीकार करने वाला था कि हत्या मैंने की है। मैंने कभी यह नहीं जाना कि षड्यन्त्र का भी अभियोग है। दिल्ली में शनाख्त कार्रवाइयों के समय मेरे सिर के चारों ओर पट्टी लगी था। मजिस्ट्रेट ने मुझ को कहा कि यदि मैं चाहूँ तो पट्टी हटा सकता हूँ। मैंने कहा कि मुझे अधिक दिलचस्पी नहीं। तब मजिस्ट्रेट ने मेरे साथ के दूसरे व्यक्तियों से अपने सिरों को रूमालों से ढक लेने को कहा। जहां तक मुझे याद है तीन-चार व्यक्तियों ने अपने सिर रूमालों से ढके। पट्टी तथा रूमालों में बड़ा अन्तर था।"

गोडसे ने कहा कि इसके अतिरिक्त दूसरे गवाहों के विरुद्ध मुझे और कुछ नहीं कहना। मुझे थोड़ासा याद है कि मधुकर काले ग्वालियर के एक पुलिस अफसर के साथ बम्बई में मुझे मिला। जन्नू भी दिल्ली के एक पुलिस अफसर के साथ मिला था।

गोडसे ने आगे चलकर कहा : "जहां तक भूरसिंह, गरीबा तथा जमना का सवाल है मुझे ज्ञात नहीं कि मैं उन्हें दिखलाया गया था। वहां काफी मौका था। यदि पुलिस चाहती तो दिखा सकती थी और मुझे मालूम नहीं होता। बम्बई में शनाख्त परेड बिलकुल ईमानदारी से की गई। मैंने बम्बई के चीफ प्रेज़ीडेन्सी मजिस्ट्रेट श्री ब्राउन को कहा कि मुझे संदेह है कि पुलिस द्वारा मैं कुछ गवाहों को दिखा दिया हूं। उन्हों ने उत्तर दिया कि जिरह के समय मैं इस सवाल को पूछ सकता हूँ और कहूँगा कि गोडसे ने मुझसे यह बात कही थी।"

तुगलक रोड थाने में अपनी कोठरी की दशा का खुलासा करते हुए नाथूराम गोडसे ने कहा : "यह तथ्य है कि तुगलक रोड थाने में पुलिस प्रायः मेरी कोटरी के आगे कम्बल टांग देती थी। जब कभी थानेदार या उससे बड़े ओहदे का अफसर आता तो कम्बल आधा या पूरा समेट दिया जाता। ड्यूटी पर तैनात अफसर को आदेश दे दिये गये थे कि कम्बल सदा लटकते रहना चाहिए।

लिखावट तथा अक्षर

न्यायाधीश—यह कहा गया है कि तुम्हारी लिखावट के कुछ नमूने लिये गये हैं और उनपर तुम्हारे हस्ताक्षर हैं।

नाथूराम गोडसे: लिखावट तथा हस्ताक्षरों के जो नमूने प्रदर्शित किये गये हैं वे मेरे हैं। जब मुझे मराठी में लिखावट के नमूने देने को कहा तो मैं बिना शीर्षक के लिखने लगा जैसा कि गत दो वर्षों से मैं लिखता आ रहा हूं। तब मुझे शीर्षक सहित लिखने को कहा गया।

इस्तग़ासे के गवाह

प्रश्न—इस्तग़ासे की ओर से तुम्हारे विरुद्ध जो गवाहियां पेश की गई हैं उनके बारे में तुम कुछ कहना चाहते हो? क्या तुम यह बताओगे कि इन गवाहों ने तुम्हारे विरुद्ध साक्षी क्यों दी है?

उत्तर: मैंने जगदीश प्रसाद गोयल (इस्तग़ासे के गवाह नं० ३९) को कभी नहीं देखा है। खान साहब उमरखां ने इस गवाह को मेरे विरुद्ध खड़ा किया। खान साहब उमरखां ने मुझको कहा कि जिस पिस्तौल से महात्मा गांधी मारे गये वह मेरी है। मैंने उस व्यक्ति को सच बोलने को कहा। तब मैं हटा लिया गया।

संभव है कि ग्वालियर की पुलिस ने मधुकर केशव काले (इस्तगासे के गवाह नं० ५०) पर मेरे विरुद्ध गवाही देने के लिये दबाव डाला होगा। दादा महाराज (इस्तगासे के गवाह) से केवल मेरी मामूली जान-पहिचान थी। मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने मेरे विरुद्ध साक्षी दो कारणों से दी। एक यह कि वे माहत्मा गांधी की हत्या को नापसन्द करते थे और दूसरे यह कि यदि उन्होंने मेरे विरुद्ध गवाही नहीं दी तो वे मामले में फंसाये जा सकते हैं।

वसन्त गजानन जोशी (इस्तगासे के गवाह नं० ७९) ने मेरे विरुद्ध इसलिए साक्षी दी होगी कि बम्बई की पुलिस ने दबाव डाला होगा।

बाडगे की गवाही पर गोडसे का मत

इस बात का खुलासा करते हुए कि इकबाली गवाह दिगम्बर बाडगे ने विरोध में क्यों गवाही दी, गोडसे ने कहा: "बाडगे अस्त्र-शस्त्र का व्यापार करता था। मैं यह सब जानता था। हैदराबाद के मामलों के सम्बन्ध में दो या तीन बार बाडगे ने हथियार दिये थे या मैंने उसे शस्त्रास्त्र दिये थे। उसके बाद वह मुझसे एक समय में सौ-सौ रुपये तक की छोटी-छोटी रकमें मांगने लगा। यह मुझे डरा-धमका कर ठगने के समान मालूम दिया। जब बाडगे गिरफ्तार किया गया तो बम्बई की पुलिस ने उसे परेशान किया। महात्मा गांधी की हत्या के बाद कुछ समाचार पत्रों ने महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों के विरुद्ध बहुत प्रचार किया। मैं समझता हूँ कि इन सब कारणों से बाडगे ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी होगी।"

न्यायाधीश: "क्या तुम इस अदालत के सामने और कुछ कहना या सुझाव रखना चाहते हो ?"

गोडसेः—"प्रदर्शित दो-तीन पत्रों के सम्बन्ध में मुझे कहना है। इनमें से एक पत्र मैंने १९३८ में सावरकर को लिखा था और दूसरा दिल्ली से ३० जनवरी १९४८ को आप्टे को लिखा था। ये दोनों पत्र मेरे हाथ से लिखे गये हैं और उन पर मेरे दस्तखत हैं। ३० जनवरी के पत्र के साथ मैंने आप्टे को अपना फोटोग्राफ भी भेजा। उस फोटो को मैंने ३० जनवरी को दिल्ली में खिचवाया था। उससे पहला मेरा कोई फोटोग्राफ नहीं खींचा गया था। इस चित्र को पत्र के साथ मैंने दोस्तों को यादगार के लिए भेजा।

नाथूराम गोडसे ने कहाः—बम्बई की पुलिस के डिप्टी कमिश्नर तथा महात्मा गांधी हत्या मुकदमे के प्रधान जांच अफसर श्री नागरवाला तथा रायसाहब ऋषीकेश डी० आई० जी० सी० आई० डी० दिल्ली ने जांच करवाई तथा मुकदमे में जिस तरह से मेरे प्रति व्यवहार किया उसके लिए मैं उनके प्रति विशेष अनुग्रहीत हूँ।'

न्यायाधीश—'क्या तुम अपनी सफाई में कोई गवाह पेश करना चाहते हो ?'

नाथूराम गोडसे—'मैं अपने बचाव में कोई गवाही पेश करना नहीं चाहता।'

आप्टे का अदालत में बयान

गांधी-हत्या मुकदमे के द्वितीय अभियुक्त नारायण दत्तात्रेय आप्टे ने आज विशेष अदालत में २३ पृष्ठों का एक बयान दिया। उसने कहा कि मुझ पर जो अभियोग लगाए गए हैं उनमें से मैं किसी का अपराधी नहीं। मुझ पर जो अभियोग लगाए गये हैं उनमें से किसी एक को भी

करने के लिए मैंने और किसी अभियुक्त के साथ षडयन्त्र नहीं किया तथा किसी अभियुक्त को इन अपराधों को करने में सहायता नहीं दी। गांधी जी की हत्या करने के लिए अभियुक्तों में न कोई समझौता था और न कोई षडयन्त्र किया गया।

आप्टे ने आगे चलकर कहा—'मेरे विरुद्ध मामला तैयार करने के लिए बहुत सी गवाहियां गढ़ी गई हैं और गवाहों को सिखाया पढ़ाया गया है। इस उद्देश्य से कि किसी तरह मुझे मामले में फांस लिया जाय और मेरे विरुद्ध षडयन्त्र का मामला तैयार हो जाय। इस्तगासे ने इस अदालत में निराधार सुझाव तथा शंकाएं प्रकट की हैं।'

आप्टे ने इस बात से इनकार किया कि महात्मा गांधी की हत्या के लिए कभी या २० जनवरी को अथवा उसके आसपास कोई षडयन्त्र का प्रयत्न किया गया था। उसने यह भी कहा किसी बम या पलीते को छोड़ने विषयक किसी दल में मैं शामिल नहीं था और ३० जनवरी १९४८ की शाम को बिड़ला भवन में जो घटना हुई उसमें भी मेरा कोई हाथ नहीं। उसने कहा कि मुखबिर बाडगे ने १७ जनवरी १९४८ से पूर्व जिन घटनाओं का होना बतलाया है "वे कुछ तो बिलकुल झूठी हैं और शेष हैदराबाद-आंदोलन के सम्बन्ध में मेरी हलचलों के बारे में हैं लेकिन उन्हें बहुत नमक-मिर्च लगा कर तथा अतिरंजित रूप में बताया गया है और उनमें से कुछ झूठी भी हैं।"

गांधी जी से सिर्फ सैद्धांतिक मतभेद

अपनी पूर्व हलचलों तथा विचारों का उल्लेख करते हुए आप्टे ने कहा कि मैं विज्ञान का एक ग्रेजुएट हूं। बम्बई विश्वविद्यालय से मुझे शिक्षण की उपाधि मिली है और अहमदनगर में अमेरिकन मिशन हाई स्कूल में मैंने शिक्षक का कार्य किया। १९३९ में अहमदनगर में मैं हिन्दू महासभा का सदस्य बना। "मुझे हिन्दू धर्म तथा संस्कृति पर अभिमान

है और मेरा सदा यह विश्वास रहा है कि महान धर्म तथा गौरवपूर्ण संस्कृति की रक्षा तथा पोषण के लिए हिन्दू समाज को शक्तिशाली तथा संगठित होना चाहिए। मेरा यह विश्वास रहा है कि अहिंसा पर सम्पूर्ण जोर देने वाला गांधीवादी सिद्धांत उस समाज के सर्वोच्च विकास के लिए हानिकर है।

गांधी जी से मेरा झगड़ा केवल सैद्धांतिक था और व्यक्तिगत रूप में उसका कोई सम्बन्ध न था। गांधी जी को शारीरिक हानि पहुंचाने या उन्हें मारने का मैंने कभी विचार नहीं किया।

आप्टे ने आगे चलकर कहा कि इन विचारों के कारण तथा इस उद्देश्य से कि विदेशियों या विदेशी विश्वाशों तथा आक्रमणकारी विचार-धाराओं वाले व्यक्तियों के आक्रमण से रक्षा करने के लिए हिन्दू तैयार हो सकें। मैंने १९३८ में राइफल-क्लबों की स्थापना का विचार प्रतिपा-दित किया। इसका लक्ष्य यह था कि रक्षा कार्य के लिए महाराष्ट्र के नवयुवकों को बन्दूक आदि चलाने का शिक्षण मिल सके। रक्षात्मक शिक्षण कार्य के लिये मेरे उत्साह के कारण जनवरी १९४३ में मुझे सहायक टेकनिकल रंगरूट-भर्ती अफसर नियुक्त किया गया। भारतीय हवाई फौज में मुझे बादशाह का कमीशन भी दिया गया था किन्तु एक वर्ष बाद अपने पिता की मृत्यु के कारण मुझे वह छोड़ देना पड़ा।

नाथूराम से परिचय

आप्टे ने कहा—'नाथूराम विनायक गोडसे से मेरा परिचय सन् १९४१ में पूना में हिन्दू महासभा के कार्यकर्ता के रूप में हुआ। १९४४ में हम दोनों ने 'अग्रणी' पत्र निकाला जिसका उद्देश्य हिन्दू महा सभा के प्रमुख नेताओं के विचारों का प्रचार और हिन्दू संगठन की विचार धारा को फैलाना था। पत्र, भारत-विभाजन और गांधी जी की एवं कांग्रेस की मुस्लिम पक्षपातिनी नीति का विरोध करता था।

समय समय पर गांधी जी की प्रार्थना सभाओं में इसके विरुद्ध प्रदर्शन भी किए गये। मैंने सन् १९४४ में पंचगनी में और सन् १९४६ में दिल्ली में प्रदर्शन किया था।

महासभा के नेता १२ अगस्त को भारत विभाजन के बाद पंज़ाब और अन्य प्रान्तों में हिन्दुओं की हत्या और उनके घरबारों के विनाश एवं हैदराबाद की खबरों से बड़े प्रभावित हुए। महासभा के कार्यकर्ताओं का ख्याल था कि भारत सरकार अशक्त है। वे अनुभव करते थे कि हैदराबाद का मामला ऐसा है जिसके लिए उन्हें अपने जीवन भी दे देना चाहिये। मुझे स्वीकार करते हुये अभिमान होता है कि मैंने हैदराबाद के हिन्दुओं को हथियार और कारतूस जुटाने में सक्रिय सहायता दी।

इसके बाद आप्टे ने अभियोग पक्ष के गवाहों और इकबाली गवाह बाडगे की गवाही को ग़लत बताया।

१३ जनवरी के गांधी जी के उपवास की चर्चा करते हुए आप्टे ने कहा—'मैंने अनुभव किया कि उपवास का कारण भारत सरकार का यह निर्णय था। जो उसने पाकिस्तान को दिये ५५ करोड़ रुपये के बारे में किया था। मैंने सोचा कि गांधी जी के इस अनुचित सत्याग्रह के विरुद्ध दिल्ली में कोई प्रदर्शन किया जाना चाहिए।

मैंने नाथूराम गोडसे से इसके बारे में सलाह की। यह तय हुआ कि कोई शान्तिपूर्ण किन्तु साथ ही प्रभावपूर्ण प्रदर्शन किया जाय।

मैं गोडसे और बाडगे १७ जनवरी को सावरकर के घर नहीं गए। श्री सावरकर ने जीने से उतर कर हमें आशीर्वाद दिया, यह भी असत्य है। मैं १७ जनवरी को बाडगे के साथ दीक्षित महाराज के घर नहीं गया और न उनसे रिवाल्वर मांगा। २० जनवरी को प्रातः बाडगे के साथ मैं बिडला भवन को नहीं गया।

हां, २० जनवरी को मैं गांधो जी की प्रार्थना में यह देखने के लिए गया था कि वहां शान्तिपूर्वक दर्शन की गुंजाइश है या नहीं। किन्तु माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा था, इसलिये मैं वहां से चला आया। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि पुलिस ने एक विस्फोट के सम्बन्ध में मदनलाल को गिरफ्तार किया है।

मैंने सोचा कि पुलिस मदनलाल से हर तरह की बात कहला लेगी और मुझे पकड़ लेगी। मैं इसके बाद बम्बई चला गया। वहां मैंने गोडसे से मिल कर स्थिति पर विचार किया। हमने अनुभव किया कि हम जल्दी ही पकड़े जायेंगे। हमने निश्चय किया कि गिरफ्तारी से पूर्व हम दिल्ली में एक प्रदर्शन करलें। किन्तु स्वयं सेवक मिलने कठिन थे और उनको ले जाने के लिये रुपया भी न था, इसलिए मैंने ग्वालियर जाने और डा० परचुरे से सहायता लेने का विचार किया। गोडसे मेरे साथ जाने के लिये तैयार हो गया। किन्तु उसकी दिलचस्पी ऐसे शान्तिपूर्ण प्रदर्शनों में नहीं मालूम होती थी।

मैं और गोडसे ग्वालियर में डा० परचुरे से मिले, किन्तु उन्होंने कहा वे स्वयं सेवक नहीं दे सकते, क्योंकि उनके स्वयं सेवक ग्वालियर के प्रदर्शन में गिरफ्तार हो गए थे और कुछ फरार थे।

गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे
से
न्यायाधीश की जिरह

नई दिल्ली, ९ नवम्बर। आज विशेष अदालत के न्यायाधीश श्री आत्माचरण ने महात्मा गांधी के कथित हत्यारे नाथूराम विनायक गोडसे से जिरह की। इससे पूर्व अभियोग पक्ष के प्रमुख वकील श्री सी० के० दफ्तरी ने यह कहा कि गोडसे का लिखित वक्तव्य कागजात में न रखा जाय। और अपनी इस दलील के पक्ष में प्रमाण उपस्थित किये। किन्तु न्यायाधीश ने उनकी आपत्ति स्वीकार नहीं की।

गोडसे द्वारा हत्या का विवरण

विशेष न्यायाधीश ने गोडसे से साढ़े पांच घंटे तक जिरह की। उत्तर में गोडसे ने गांधीजी की हत्या की कहानी बताते हुए कहा—जैसे ही म० गांधी प्रार्थना भूमि पर ४ या ५ कदम चले, वैसे ही मैं उछल कर उनके सामने पहुंचा। मैं उन्हें बिलकुल पास से मारना चाहता था जिससे कोई दूसरा घायल न हो। मैंने उन्हें नमस्कार किया। मेरा खयाल था कि मैंने दो गोलियां छोड़ीं थी, किन्तु पीछे मालूम हुआ कि मैंने तीन गोलियां चलाई थीं। पीछे मैं भी उत्तेजित हो गया और 'पुलिस' 'पुलिस आओ' चिल्लाने लगा।

इसके बाद मुझे बहुत से लोगों ने पकड़ लिया और थाने में पहुंचा दिया।

इसके बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त गोडसे से प्रश्न पूछा।

न्यायाधीश—गवाही में यह आया है कि १० जनवरी को १० बजे आप्टे बाडगे को पूना में हिन्दू राष्ट्र के कार्यालय में ले गया। उस समय तुम अपने कार्यालय में थे। बाडगे न तुमको दो विस्फोट पलीते और पांच दस्ती बम देना स्वीकार किया था। इस पर तुमने कहा था कि चलो एक काम हुआ। तब तुम अपने कार्यालय से निकल आये और तुमने बाडगे को कहा कि विस्फोटक पलीते और बम दादर में हिन्दू महा-सभा के दफ्तर में १४ जनवरी को सांयकाल तक पहुंचा दिये जांय। इस सम्बन्ध में तुम कुछ कहना चाहते हो?

गोडसे—ऐसा कुछ नहीं हुआ।

न्यायाधीश—गवाही में आया है कि तुमने अपने नाम का एक बीमा आप्टे की पत्नी चम्पू ताई के नाम और दूसरा बीमा गोपाल की सिंदूताई के नाम गत ११ और १४ जनवरी को कर दिये। क्या इस सम्बन्ध में तुम कुछ कहोगे?

गोडसे—हां यह सत्य है।

प्रश्न—गवाही में यह कहा गया है कि १४ जनवरी को कुमारी मोडक तुम्हारे साथ पूना से दादर को एक ही डिब्बे में गई थी। उसने तुम्हें अपनी भाई की जीप में बिठाकर सावरकर-भवन पर छोड़ा था?

उत्तर—हां यह सत्य है।

प्रश्न—गवाही में है कि १४ जनवरी को तुम और आप्टे दादर में हिंदू महासभा भवन के समीप बाडगे और उसके नौकर शंकर से मिले। बाडगे के पास एक बेग में दो विस्फोट पलीते और पांच बम थे। इसके बाद तुम बाडगे और आप्टे सावरकर के घर गए किन्तु शंकर को वहीं छोड़

गए। सावरकर के घर पहुचकर आप्टे ने बेग बाडगे के हाथ से ले लिया। तुम और आप्टे भी सावरकर के घर में गए और ५ या ७ मिनिट बाद बेग को लेकर वापिस आ गए।

इस बारे में तुमको कुछ कहना है ?

उत्तर—यह सत्य नहीं है।

प्रश्न—इसके बाद बाडगे तुम्हारे, आप्टे और शंकर के साथ भूलेश्वर में दीक्षित महाराज के घर गए। बेग वहीं छोड़ दिया गया।

तुम्हें क्या कहना है ?

उत्तर—यह सच नहीं है।

प्रश्न—१४ जनवरी को आप्टे ने दादर में हिन्दू सभा-भवन में कुछ रुपया दिया था। उसमें से तुमने पचास रुपया बाडगे को अपने और शंकर के रेल किराये आदि के दिये। अभियोग पक्ष का कहना है कि पचास रुपये तुमने अपनी हिसाब-पुस्तका में बन्धोभान के नाम लिखा है। हस्ताक्षर तुम्हारे हैं। क्या इस पर तुम्हें कुछ कहना है ?

उत्तर-हिसाब पुस्तक मेरी है और उसमें वह लिखा हुआ भी मेरा है। मैंने पचास रुपये अपने एक कर्मचारी बन्धोभान को दिये थे, बाडगे को नहीं।

प्रश्न—गवाही में आया है कि १५ जनवरी को प्रात: तुम आप्टे, करकरे, मदनलाल और बाडगे दीक्षित महाराज के घर गये जहां बेग खोला गया और बाडगे ने उसमें रखी हुई वस्तुएं दिखाईं। उसमें दो बिस्फोटक पलीते, पांच दस्ती बम और कुछ पटाखे थे। तब बाडगे और दीक्षित महाराज ने उनके चलाने की विधि बताई। बेग करकरे के सिपुर्द कर दिया गया। आप्टे ने करकरे और मदनलाल को उसी दिन सायंकाल दिल्ली को रवाना होने के लिए कहा। तब आप्टे ने दीक्षित महाराज के चौक में बाडगे से पूछा कि क्या वह भी उनके साथ दिल्ली जाने के लिये तैयार है। आप्टे ने उसे यह भी कहा कि सावरकार ने तय किया है कि

महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुहराबर्दी समाप्त कर दिये जायें यह कार्य उन्होंने तुमको और आप्टे को सौंपा था। बाडगे इसके लिये तैयार हो गया। तब तुमने अपने भाई गोपाल से मिलने के लिये पूना जाने का इरादा प्रकट किया, जिसने एक रिवाल्वर लाने का काम अपने ऊपर लिया था। तुमने यह भी कहा था कि तुम गोपाल को बम्बई लाना और वहां से अपने साथ दिल्ली ले जाना चाहते थे, इसमें तुमको कुछ कहना है ?

उत्तर—यह सब झूठ है।

प्रश्न—१६ जनवरी को तुम पूना में बाडगे के घर पर दुबारा गये बाडगे तब तुमसे मिलने के लिए हिन्दू राष्ट्र के कार्यालय में गया था। वहां तुम दोनों में बातचीत हुई जिसमें तुमने उसे पूछा कि क्या वह जाने के लिये तैयार है। बाडगे ने कहा कि वह तैयार है। उसके बाद तुमने उसे एक छोटी पिस्तौल दी और उसे बदल कर एक बड़ा रिवाल्वर लाने के लिये और रिवाल्वर न मिलने पर पिस्तौल को लेकर बम्बई आने के लिये कहा। तुम्हें इस सम्बन्ध में कुछ कहना है ?

उत्तर—यह सब झूठ है। में १६ जनवरी को पूना में था ही नहीं।

प्रश्न—तुमने १७ जनवरी को प्रातःकाल बम्बई टाउन टैक्सी नं० ११० किराये पर ली और उसमें तुम आप्टे और बाडगे के साथ बम्बई रंगाई मिल, हिन्दू महासभा कार्यालय दादर, सावरकर सदन और अफजुलपुरकर, पारनाकर और काले के घर गये और रुपये इकट्ठा किये ?

उत्तर—यह सत्य है कि आप्टे बाडगे और में एक किराये की मोटर में रुपया इकट्ठा करने के लिये उन विभिन्न स्थानों में गये।

प्रश्न—शंकर को लेडी जमशेद जी रोड से लेकर तुमने कहा कि 'चलो सब तात्या राव' के अंतिम दर्शन कर आयें। तब तुम सावरकर

के घर आये । तुम और आप्टे सावरकर सदन में गये और वहां सावरकर के साथ लौटे । श्री सावरकर ने कहा कि सफल होकर आओ ।

उत्तर—हमने बाडगे के कहने से लेडी जमशेद जी रोड से एक आदमी को अपने साथ लिया था किन्तु मैं नहीं जानता कि वह शंकर था। मैंने सावरकर के घर जाने के लिए नहीं कहा और न हम वहां गये ।

प्रश्न—तुम सीग्रीन होटल में आप्टे को मिले । वहां से तुम सांटाक्रुज हवाई अड्डे पर गये और १७ जनवरी को बम्बई से दिल्ली आये। तुमने डी० एन० करमरकर और एस० एम० मराठे के काल्पनिक नामों से यात्रा की। हवाई जहाज में दादा जी महाराज भी एक यात्री था। अहमदाबाद में हवाई जहाज से उतरने पर दादा जी महाराज ने आप्टे से कहा—'तुम बातें बहुत करते हो; किन्तु तुमने कुछ किया हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता । आप्टे ने उत्तर दिया—'जब हम काम करेंगे तो तुम आप जान लोगे ।'

उत्तर—हां १७ जनवरी को मैं और आप्टे डी० एन० करमरकर और एस० एस० मराठे के काल्पनिक नाम रख-कर एयर इंडिया कम्पनी के हवाई जहाज में आये थे। दादाजी महाराज भी उसी हवाई जहाज में थे। दादाजी महाराज और आप्टे ने पाकिस्तान के बारे में कुछ बातचीत हुई थी किन्तु मैंने आप्टे को उनसे उक्त शब्द कहते हुए नहीं सुना । टिकिट काल्पनिक नामों से ली गई थी, यह बात मुझे अदालत में इस आशय की गवाही के बाद आप्टे ने बताई ।

प्रश्न—तुम और आप्टे मैरीना होटल के ४० नम्बर के कमरे में १७ जनवरी से २० जनवरी तक एन० देशपांडे और एस० देशपांडे के बनावटी नामों से ठहरे थे। तुमने अपने कुछ कपड़े कालेराम बैरे को धुलवाने के लिये दिये थे।

उत्तर—हां यह सत्य है कि मैं और आप्टे ४० नम्बर के कमरे में १७ जनवरी से २० जनवरी तक बनावटी नामों से रहे थे। रजिस्टर में नाम मेरे हस्ताक्षरों में नहीं है। होटल का रजिस्टर न मैंने भरा और न मेरे सामने आप्टे ने। मैंने कालेराम को धुलवाने के लिये कपड़े अवश्य दिये थे।

प्रश्न—१९ जनवरी की रात को तुम आप्टे और करकरे हिन्दू महासभा भवन नई दिल्ली में बाडगे से मिलने के लिये गये थे। वहां तुम उससे और मदनलाल से मिले।

उत्तर—यह सच नहीं है।

प्रश्न—२० जनवरी को गोपाल गोडसे, मदनलाल, शंकर और बाडगे मैरीना होटल में आये। गोपाल गोडसे ने तुम्हारे ४० नम्बर के कमरे में एक रिवाल्वर की मरम्मत की। बाडगे, आप्टे, करकरे और मदनलाल ने विस्फोटक पलीतों में फ्यूज के तार और दस्ती बमों में डिटोनेटर लगाये। तुमने यह सब कार्रवाई देखी और बाडगे को कहा 'बाडगे यह हमारा अंतिम प्रयत्न है। यह काम पूरा होना आवश्यक है दूसरी व्यवस्था उचित रूप से होनी ही चाहिये।

उत्तर—यह झूठ है। बाडगे २० जनवरी को मेरे कमरे में आया था, उस समय मेरे सिर में दर्द था। बाडगे और आप्टे बिड़ला-भवन में जाने के सम्बन्ध में बातें करने लगे। मैंने उन्हें कहा कि वे वहां बातें न करें, क्योंकि मेरे सिर में दर्द है।

प्रश्न—उसके बाद आपस में हथियारों के बंटवारे के बारे में चर्चा हुई और वे बांट लिये गये। यह तय हुआ है कि बिड़ला-भवन में प्रार्थना-भूमि में तुम और आप्टे संकेत दें और मदनलाल विस्फोटक पलीते को चला दे। दूसरे लोग शोर मचा दें और इस गड़बड़ी में महात्मा गांधी पर बम फेंक दें।

उत्तर —यह भी झूठ है ।

प्रश्न—यह भी व्यवस्था की गई कि बाडगे फोटोग्राफर बनकर छोटूराम के कमरे में घुस जायें और वहां से महात्मा गांधी पर जाली में होकर रिवाल्वर चलाये और बम फेंके ।

उत्तर—यह ठीक नहीं है ।

प्रश्न— २१ जनवरी को ५ बजे करकरे और बाडगे बिड़ला-भवन में नौकरों के कमरों के पास थे । आप्टे ने बाडगे को छोटूराम के कमरे में जाने को कहा । तुम तब वहां थे । तुमने बाडगे को कहा कि वह कमरे में घुस जाये । उन सबके भागने की व्यवस्था कर दी गई है ।

उत्तर—यह सब झूठ है । मैं बिड़ला-भवन में नहीं गया ।

प्रश्न—तब तुम एक किराये की मोटर में बैठकर कनाट प्लेस आये । आप्टे और गोपाल तुम्हारे साथ मोटर में थे ।

उत्तर—यह भी झूठ है ।

प्रश्न—तब तुम हिन्दू महासभा भवन में गये और वहां बाडगे से मिले, आप्टे तुम्हारे साथ था । फिर तुमने मेरीना होटल का बिल चुकाया ।

उत्तर—यह सही नहीं है कि मैं और आप्टे हिन्दू महासभा भवन में गये । मैंने मेरीना का बिल भी नहीं चुकाया । बिल आप्टे ने चुकाया होगा ।

प्रश्न—तुम और आप्टे २० जनवरी को फर्स्ट क्लास का टिकिट लेकर कानपुर गये । टिकिटों के नम्बर ६१४ और ६१४ ब थे । वहां तुमने स्टेशन के विश्रामगृह में रजिस्टार पर स्वयं हस्ताक्षर किये ।

उत्तर—हां यह सत्य है । किन्तु टिकिटों के नम्बर मुझे याद नहीं ।

प्रश्न—तुम और आप्टे २४ जनवरी से २७ जनवरी तक बम्बई में एल्फिन्स्टन होटल में ठहरे । वहां तुम्हें गोपाल गोडसे भी मिला । २७ जनवरी को तुम थाना ! जोशी के घर गये और वहां गोपाल और करकरे से मिले ।

उत्तर—हम एल्फिन्स्टन होटल में ठहरे थे। किन्तु न वहां गोपाल आया और न हम थाना गये।

प्रश्न—तुम और आप्टे २७ जनवरी को डी० नारायणराव और एन० विनायकराव के नाम से एयरइंडिया से दिल्ली आये।

उत्तर—हां यह ठीक है।

प्रश्न—तुम और आप्टे २६ जनवरी को मूलेश्वर में दादा महाराज से मिले और तुमने उनसे रिवाल्वर मांगा किन्तु उन्होंने कहा कि रिवाल्वर उनके पास नहीं है। तब तुम दीक्षित महाराज से मिले।

उत्तर—हम दादा महाराज के पास गये थे; किन्तु रिवाल्वर के बारे में कोई बात नहीं हुई। हमने हैदराबाद की सीमा पर रजाकारों के अत्याचार रोकने के लिये हथियारों की व्यवस्था करने के बारे में उनसे अवश्य बातें कीं। हम दीक्षित महाराज से भी मिले; लेकिन रिवाल्वर के बारे में कोई बात नहीं हुई।

आप्टे से विशेष जज की जिरह समाप्त

लालकिला, दिल्ली, में १३ नवम्बर को विशेष जज श्री आत्माचरण ने गांधी हत्या मुकद्दमे के दूसरे अभियुक्त, नारायण डी० आप्टे से तीसरे दिन भी जिरह जारी रखी।

आप्टे ने अपने बयान में बताया कि मैं १७ जनवरी को दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले नाथूराम गोडसे, करकरे, गोपाल गोडसे, सावरकर तथा बाडगे (मुखबिर) को जानता था। शंकर को मैं दिल्ली में हीं जान पाया, तथा मैं डा० परचुरे को केवल नाम से ही जानता था। मैं मदनलाल को तनिक भी नहीं जानता था।

जिन गवाहों ने उसे विभिन्न पहचान परेडों में पहचाना था उनसे सम्बन्धित एक प्रश्न के उत्तर में आप्टे ने बताया कि दिल्ली के एक टैक्सी ड्राइवर, सुरजीतसिंह, जङ्ग के एक चौकीदार, मेहरसिंह, रेलवे टिकट बाबू, सुन्दरीलाल, जन्नू तथा मधुकर काले के अतिरिक्त, जिन्हें पुलिस द्वारा मुझे दिखाया गया था, अन्य किसी गवाह के विरुद्ध मुझे कुछ नहीं कहना है। आप्टे ने बताया कि जब मुझे प्रथम बार बम्बई से दिल्ली लाया गया तो मुझे तुगलक रोड पुलिस स्टेशन पर सुरजीतसिंह तथा मेहरसिंह को दिखाया गया तथा दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मुझे जन्नू और सरदारीलाल को दिखाया गया।

आप्टे ने आगे कहा कि पुलिस की इच्छानुसार बम्बई के खुफिया पुलिस कार्यालय में मेरे जाने बिना भी मुझे गवाहों को दिखाये जाने का पर्याप्त अवसर था। पहचान करवाई चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट श्री ब्राउन ने बड़ी न्यायप्रियता से की। मैंने श्री ब्राउन को बता दिया था कि मुझे दिल्ली में दिल्ली के गवाहों तथा बम्बई में ग्वालियर के गवाहों को दिखा दिया गया। २४ मार्च को जब मुझे चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट की अदालत में ले जाया जा रहा था तो मैंने दिल्ली के एक सिख पुलिस अफसर को रजिस्ट्रार के कमरे में खड़े देखा जो कि हमारी ओर संकेत करते हुए कमरे के अन्दर के व्यक्तियों को हमें दिखा रहा था। इस पुलिस अफसर ने अदालत के संमुख बयान दिया था तथा वहां चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट और उसके बीच हुई कहासुनी का उसने उल्लेख किया था। आप्टे ने बताया कि जब हम आगे बढ़े तो मैंने श्री ब्राउन को उक्त पुलिस अफसर से यह कहते सुना कि "गवाह से हस्तक्षेप मत करो, यहां से बाहर चले जाओ।" उस समय मैंने उक्त घटना को गम्भीर नहीं माना। जब मैंने श्री ब्राउन से यह शिकायत की कि मुझे कुछ गवाहों को दिखा दिया गया है तो श्री ब्राउन ने मुझे बताया कि मैं अपनी पहचान रिपोर्ट में तो इस बात को शामिल नहीं कर सकता परन्तु यदि मैं अदालत में इस सम्बन्ध में कोई प्रश्न उससे करूं तो वह अदालत को बताये कि यह तथ्य मुझे बताया जाचुका है। २४ मार्च के तीसरे पहर जब मैंने श्री ब्राउन से दिल्ली पुलिस अफसर के बारे में पुनः शिकायत की तो श्री ब्राउन नाराज़ हो गये और उन्हों ने कहा कि क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने एक दिल्ली पुलिस अफसर को रजिस्ट्रार के कमरे से निकल जाने के लिए कहा था ?

प्रश्न—इस्तगासे ने तुम्हारे विरुद्ध जो गवाहियां प्रस्तुत कीं वे तुमने सुनलीं होंगी। क्या तुम बताओगे कि इन गवाहों ने तुम्हारे विरुद्ध गवाहियां क्यों दी ?

उत्तर—रामचन्द्र और सुरजीत सिंह ने मेरे विरुद्ध गवाहियां पुलिस के दबाव के कारण दी है। जन्नू, गरीबा, और मधुकर काले ने मेरे विरुद्ध पुलिस की इच्छानुसार गवाही दी। दादा महाराज दीक्षित जी महाराज और दिगम्बर बाडगे (मुखबिर) ने पुलिस के दबाव के कारण ही मेरे विरुद्ध गवाही दी। उन्होंने सोचा कि यदि वे मेरे विरुद्ध गवाही नहीं देंगे तो वे भी इस मामले में फंसा लिये जायेंगे। बाडगे को मेरे विरुद्ध गवाही देने के लिये पुलिस ने तंग किया। बसन्त जोशी ने मेरे विरुद्ध गवाही अपने पिता जी० एम० जोशी की इच्छा से दी। जी० एम० जोशी को खुफिया पुलिस की हिरासत में रखा गया था। उन्हों ने सोचा होगा कि यदि उन्होंने पुलिस की इच्छानुसार गवाही नहीं दी या गवाही नहीं दिलवाई तो……

जज ने पूछा कि आप अदालतके सम्मुख कुछ और कहना चाहते हैं? आप्टे ने उत्तर दिया कि मेरे मतानुसार इस मामले में दो अलग-अलग घटनायें हुई हैं—एक घटना २० जनवरी को तथा दूसरी ३० जनवरी को। प्रथम घटना के पश्चात् मैंने तथा नाथूराम गोडसे ने सोचा कि हम सम्भवत: गिरफ्तार कर लिये जायेंगे। इस सम्बन्ध में समाचार-पत्रों में जो कुछ प्रकाशित हुआ वह सब मैंने पढ़ा। ३० जनवरी से १४ फरवरी तक के समाचार पत्र मैंने नियमित रूप से देखे। इस दौरान में समाचार पत्रों में विचित्र अनर्गल बात लिखी गई। २० और ३० जनवरी की घटनाओं को जोड़ने के सम्बन्ध में भी बहुत बातें समाचार-पत्रों में लिखी गईं। समाचार-पत्रों ने अन्तर्राष्ट्रीय षडयन्त्र से बातें लिखनी आरम्भ की जिस समय पुलिस की हिरासत में था तो पुलिस ने मुझे कुछ ऐसे कागजात दिखाकर अचम्भे में डाल दिया जिनमें यह बताया गया था। कि हमें अंग्रेजों और रूसियों से सहायता मिली है। बाद में पुलिस को पता चला कि वह सूझ चल नहीं सकती। इसके पश्चात् वह अन्तर्राष्ट्रीय षड्यन्त्र की बात छोड़कर प्रांतीय तथा रियासती षड्यन्त्र की बात पर उतर

आई। मुझे याद है कि समाचार-पत्रों में अलवर का उल्लेख करते हुए यह लिखा गया कि नाथूराम गोडसे २५, २८, २९ जनवरी सन् १९४८ को अलवर में था। ऐसे लोगों को खुफिया पुलिस के दफ्तर में लाया गया जिन्होंने बताया कि उन्होंने २६ और ३० जनवरी को नाथूराम गोडसे को अलवर में देखा है। इसके पश्चात् यह जांच की गई कि क्या अलवर रियासत का इस षडयन्त्र में कोई हाथ है। महाराजा अलवर को बुला भेजा गया तथा हिन्दू महासभा और स्वयं-सेवक संघ के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां हुईं।

आप्टे ने बताया कि पुलिस को षड्यन्त्र के सम्बन्ध में पर्याप्त गवाहियां प्राप्त थीं। पुलिस के सामने प्रश्न और गवाहियां प्राप्त करने का नहीं था बल्कि षड्यन्त्र को सिद्ध करने वाली गवाहियां ही रखने की बात थी। १४ फरवरी को मुझे गिरफ्तार करके खुफिया पुलिस की हिरासत में रखा गया। मैं वहां नाथूराम गोडसे से सर्व प्रथम मिला। उसने मुझे बताया कि पुलिस इस मामले को षड्यन्त्र का मामला बना रही है जिसके लिए मुझे खेद है। गोपाल गोडसे से मैं कुछ समय बाद मिला। करकरे तब मेरे साथ था।

खुफिया पुलिस की हिरासत के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि वह पूर्णतः खुली हुई थी। मुझे हिरासत के मुस्लिम विभाग में रखा गया था। यह एक ऐसा व्यस्त कार्यालय था कि वहां १००,२०० व्यक्ति प्रति दिन आते-जाते थे। समस्त जांच पहली मंजिल में हुई। हमें पहली मंजिल पर ही रखा गया। गवाह तथा जिन अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था उन्हें पहली मंजिल पर लाया गया। इस प्रकार अन्य व्यक्तियों द्वारा हमें देखने के लिए काफी अवसर थे।

जिस कमरे में करकरे को रखा गया था उसमें विभिन्न प्रांतों के अफसर भरे हुए थे। मैं प्रति तीसरे दिन उन अफसरों तथा श्री नागरवाला से बातचीत करता था। बाडगे ने पुलिस को पहले ही षड्यन्त्र का

बाहरी ढांचा सुझा दिया। मैंने पहले बता दिया है कि मैं २० जनवरी को नाथूराम गोडसे के साथ था तथा दिल्ली में प्रदर्शन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में मैं उसके साथ ग्वालियर गया था। पुलिस ने इन सब बातों को तर्क से जोड़ने का प्रयास किया है। पुलिस केवल यह चाहती थी कि इन मामलों में कहीं पर भी रिवाल्वरों की बात को जोड़ा जाय। पुलिस ने अपने इस उद्देश्य की पूर्ति दादा महाराज, दीक्षित महाराज और बाडगे की गवाही प्राप्त करके कर ली। श्री नागरवाला से बात-चीत करने के पश्चात् उन्हें पूर्णत: सन्तोष हो गया कि इस मामले में कोई षड्यन्त्र नहीं है श्री नागरवाला ने सदा मुझसे यह पूछा कि जब शस्त्र बम्बई में मिल सकते थे तब वे दोनों ग्वालियर क्यों गये। मैंने उन्हें बताया कि वे व्यर्थ को षड्यन्त्र का विचार रखे हुए हैं। हमारी इच्छा दिल्ली में एक प्रदर्शन करने की थी।

मदनलाल का बयान

लालकिला, दिल्ली में १० नवम्बर को महात्मागांधी की हत्या के मुकदमें में चौथे अभियुक्त मदनलाल पहवा ने अदालत में अपना बयान देते हुए कहा कि २० जनवरी १९४८ को मेरा मूल इरादा बिड़ला भवन में शरणार्थियों को ले जाकर उनके कष्टों को गांधीजी के सम्मुख रखने का था। संयोगवश मुझे उस दिन बाडगे मिला और उसने मुझे एक पलीता दिया। मैंने सोचा शरणार्थी होने के नाते मैं उसके द्वारा प्रार्थनास्थल के समीप काफी शोर पैदा कर सकता हूं और इसलिए बिड़ला भवन में बहुत से शरणार्थियों को ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

मदनलाल ने अपना बयान जारी रखते हुए कहा।

इस विचार से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने करकरे को शरणार्थियों के प्रदर्शन के इरादे के सम्बन्ध में बताया था परन्तु इस नई योजना के सम्बन्ध में मैंने उससे कुछ नहीं कहा। अपने दुखी देशवासियों के कष्टों को राष्ट्रपिता के सम्मुख रखने का सम्पूर्ण श्रेय मैं स्वयं लेना चाहता था। मैंने अपने कार्य को भी एक प्रकार का सत्याग्रह समझा था।

२० जनवरी को तीसरे पहर में अकेला बिडला भवन गया। मैंने चारों ओर घूम कर पलीता लगाने के लिए स्थान ढूंढ लिया। मैं इस

बात से संतुष्ट था कि केवल करोड़ पति बिड़ला की कुछ ईंटों के नुकसान के अतिरिक्त इस बिस्फोट से और कुछ हानि नहीं होगी। उस स्थान और महात्मा जी के बैठने के स्थान के बीच दो ठोस इमारतें थी महात्माजी को कोई हानि पहुंचाने का मेरा कभी इरादा नहीं था। में इस सम्बन्ध में सतर्क था कि किसी व्यक्ति या सामान को, सिवाय चारदीवारी के, नुकसान न पहुंचे। वस्तुतः सुलोचना को, जो पलीते की चिन्गारियों से आकृष्ट होकर वहां जाना चाहती थी, मैंने धक्का दे दिया था। उसने अदालत को बताया भी है कि बिस्फोट के समय वह मेरे पीछे थी।

मैंने जो कुछ किया खुलकर किया, न कि षडयन्त्रकारियों की भांति छुपकर। मेरे खुले व्यवहार का वादी पक्ष के गवाहों ने भी समर्थन किया है। यदि कोई षडयन्त्र रहा भी हो तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं था। मुखबिर बाडगे का यह बयान कि षडयन्त्र में मेरा काम यह था कि पलीता लगाकर मैं दौड़कर प्रार्थनास्थल पहुंचू और गांधी जी पर हथगोला फेंकूँ-सफेद झूठ है। वादी पक्ष के गवाहों ने माना है कि मैंने शांति से सत्याग्रही की भांति आत्मसमर्पण कर दिया था फलीते में आग लगाने के १॥ मिनट बाद विस्फोट होना था, मैं चाहता तो इतने समय में दौड़कर गांधी जी के समीप तक पहुंच सकता था, परन्तु मैंने वैसा कुछ नहीं किया। उसीसे साबित होता है कि मैं गांधी जी की हत्या के षडयन्त्र से सम्बन्धित नहीं था।

वादीपक्ष का यह साबित करने का प्रयत्न कि मैंने गिरफ्तारी में हुज्जत की और प्रार्थनास्थल की ओर भागना चाहा-बेहूदा है। क्योंकि इनमें से एक गवाह इतना फूहड़ था कि वह राइफल लेकर चारदीवारी पर से कूद भी नहीं सका। कहा गया है कि ये लोग विस्फोटों के बाद प्रार्थनास्थल से भागकर वहां आये जहां में खड़ा था यह तो मामूली बात है कि यदि में भाग कर प्रार्थनास्थल पहुँचना चाहता तो मेरे जैसे फुर्तीले

नवयुवक को वहां पहुंचने में उससे कम समय लगता जितना इन व्यक्तियों को मुझ तक पहुंचने में लगा था। मुझे न केवल फुर्तीले और युवक होने का लाभ था परन्तु मुझे उस १।। मिनट का भी लाभ था जो फलीते में आग लगाने और विस्फोट होने के बीच का समय था।

मेरा मुख्य उद्देश्य गांधी जी का ध्यान पाकिस्तान पीड़ितों की दुरावस्था की ओर खींचना था।"

मदनलाल ने अदालत को बताया कि गत वर्ष के दंगों और शरणार्थियों की बुरी हालत से उसके मन पर क्या असर पड़ा। सबसे अधिक प्रभाव १० जनवरी के इस समाचार से पड़ा कि गांधी जी अनशन कर रहे हैं। उसने कहा—'इससे मुझे बड़ी निराशा हुई। यदि पंजाब में जो कुछ हुआ उसके बाद भी महात्मा जी मुसलमानों को संतुष्ट करने की नीति अपना रहे हैं तो शरणार्थियों के साथ साथ देश का भविष्य भी अन्धकार मय है। तुष्टीकरण से पाकिस्तान का जन्म हुआ और यदि अब भी वही नीति रही तो जो टुकड़े-टुकड़े हुआ और कटा-फटा भारत हमारे भाग में आया है वह भी नष्ट हो जायगा। ऐसा लगता था कि दिल्ली में महात्माजी को मुसलमानों ने घेर रखा था और शरणार्थियों की पुकार उनके कानों तक पहुँच ही नहीं पाती थी। इस आवाज़ को पहुँचाने और अनशन का विरोध करने का मैंने निश्चय किया था। १४ जनवरी की रात को महात्मा जी के अनशन के कारण पाकिस्तान को ५५ करोड़ रुपया देने की घोषणा की गई। सरदार पटेल के शब्दों में इसका अर्थ पाकिस्तान को काश्मीर में भारतीय सैनिकों के मारने के लिए गोलियां दे देना था। तब मैंने दिल्ली में इसके विरुद्ध प्रदर्शन के लिए आना निश्चित कर लिया।

गांधी जी की हत्या के लिए किसी षडयन्त्र के होने का खण्डन करते हुए मदनलाल ने कहा कि वादी पक्ष ने यह नहीं बताया कि अहमदनगर में किस दल ने षडयन्त्र किया और उसके कौन कौन सदस्य थे। निश्चय

ही इसमें केवल करकरे और मैं दो ही व्यक्ति न होंगे। इन लोगों को कम से कम गवाहों के रूप में पेश करना था। यदि प्रोफेसर जैन का बयान ठीक हो तो समझ में नहीं आता कि मैंने दिल्ली जाने से पूर्व १५ जनवरी को क्यों उनको षडयन्त्र के बारे में बतलाया और इस प्रकार षडयन्त्र को असफल बनाने का प्रयत्न किया कि वह जाकर पुलिस को सूचित कर दें।

मदनलाल से जिरह

जब मदनलाल अपना लिखित बयान पढ़ चुका तो जज ने उससे जिरह आरम्भ की।

मदनलाल ने बताया कि गुप्ता नामक एक व्यक्ति ने श्री जैन से मेरा परिचय कराया था। मैं कई बार जैन से मिला। मैंने उनसे यह नहीं कहा कि अहमदनगर में एक पार्टी बनाई गई है और गांधीजी के मारने के लिए शस्त्रास्त्र जमा कर लिये गये हैं। जनवरी १९४८ में मैं जैन से नहीं मिला। मैं नवम्बर दिसम्बर १९४७ में उनसे मिला था और उन्हें बताया कि हैदराबाद राज्य कांग्रेस की सहायता के लिए अहमदनगर में स्वयंसेवक दल बनाया गया है।

मुझे सावरकर ने कभी नहीं बुलाया और मेरी पीठ नहीं थपथपाई।

इस कार्रवाई के बाद अदालत कल तक के लिए स्थगित हो गई।

श्रीदास द्वारा सावरकर को रिहा करने की मांग

लालकिला (दिल्ली) में १८ दिसम्बर को गांधी हत्याकांड के मुकदमे में करकरे के वकील ने अपनी बहस जारी रखी। उन्होंने शिनाख्त परेड की आलोचना करते हुए कहा कि अभियुक्त को रिहा कर देना चाहिये।

सावरकर की ओर से बहस करते हुए पटना हाईकोर्ट के भूतपूर्व जज श्री पी० आर० दास ने कहा कि पहले यह देखना चाहिये कि गांधीजी की हत्या के लिए षड्यन्त्र किया गया था या नहीं और यदि षड्यन्त्र सिद्ध हो जाता है तो सावरकर उसमें सम्मिलित थे या नहीं ? उन्होंने पहले यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि हत्या का षड्यन्त्र नहीं था। अभी उनकी बहस हो ही रही थी कि अदालत २० दिसम्बर तक के लिए उठ गई।

२० दिसम्बर को गांधी हत्याकांड के मुकदमे में विनायक दामोदर सावरकर के वकील श्री पी० आर० दासने अपनी बहस जारी रखी। उन्होंने कहा कि मुखबिर के अनुसार २० जनवरी को गांधीजी की हत्या करने की योजना मेरिना होटल में निश्चित हो गई थी। उसने कहा था कि आप्टे १५ जनवरी को षड्यन्त्र का हाल बता चुका था। उसके कथनानुसार गोड़से ने उससे कहा था कि यह हमारा अन्तिम प्रयास है। बाड़गे

थे। बाडगे की गवाही से ही यह स्पष्ट है कि सावरकर ने नेहरू सरकार का समर्थन किया था और १५ अगस्त १९४७ को अपने घर पर तिरङ्गा झण्डा फहराया था। इसका गोडसे, करकरे और आप्टे ने विरोध किया था। गोडसे और आप्टे सावरकर की भी आलोचना करने से नहीं हिचकते थे। वे स्वतन्त्र विचार के आदमी थे। इसका अर्थ यह हुआ कि सावरकर के हाथ के खिलौने नहीं थे। बाडगे ने जो कहानी कही है उसे कोई भी अदालत स्वीकार नहीं कर सकती। यदि इस तरह की गवाही स्वीकार की गई तो कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह जायगा। यदि सावरकर को षड्-यन्त्रकारी मान लिया जाय तभी यह कहा जा सकता है कि बाडगे की गवाही मानी जाय या नहीं।

वे गवाहियां षड्यन्त्रकारी गवाहियां मानी जा सकती हैं।

श्री दास—जब तक आप यह स्वीकार न करलें कि षड्यन्त्र में सम्मि-लित थे तबतक उन व्यक्तियों को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

प्रोफेसर जैन, अङ्गदसिंह, मुरारजी देसाई एवं अन्य गवाहों की गवा-हियों से सावरकर पर षड्यन्त्र में सम्मिलित होने का अभियोग सिद्ध नहीं होता। जोशी की गवाही सन्देहास्पद है अतः उसका लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए। मुझे इस बात में तनिक भी सन्देह नहीं है कि सावरकर के बारे में न्यायालय का क्या निर्णय होगा किन्तु 'अपराधी नहीं' कह देने से सावरकर को सन्तोष नहीं होगा। वरन् निर्णय ऐसा होना चाहिए कि उनकी प्रतिष्ठा पर आघात न पहुंचे। श्री पी० आर० दास ने अपनी बहस समाप्त कर दी।

इसके पश्चात श्री बी०एन० बनर्जी ने मदनलाल की ओरसे बहस आरंभ की। उनकी बहस अभी समाप्त नहीं हुई थी कि न्यायालय की कार्यवाही अगले दिन के लिए स्थगित हो गई।

मदनलाल के वकील की बहस जारी

लालकिला, दिल्ली में १२ दिसम्बर को आज मदनलाल के वकील श्री बी० एन० बनर्जी ने विशेष जज श्री आत्माचरण की अदालत में बहस जारी रखी।

उन्हों ने ग्वालियर के मजिस्ट्रेट श्री अटल की गवाही का हवाला दिया जिसने डा० परचुरे का बयान लिखा था। और कहा कि देशी रियासत का कोई मजिस्ट्रेट फौजदारी क़ानून की १६४ धारा के अनुसार बयान नहीं लिख सकता जब तक वह अदालत में आकर मौखिक गवाही न दे। कोई काग़ज़ पढ़ देना न तो मौखिक गवाही है और न काग़ज़ाती।

जज ने कहा कि कोई मजिस्ट्रेट यह स्मरण नहीं रख सकता कि किसी अभियुक्त ने उसके सम्मुख क्या बयान दिया था, जब तक वह उसे लिख न ले।

श्री बनर्जी ने कहा कि कानून यह है कि वह मौखिक गवाही दे और तथ्यों से प्रमाण दे।

जज—इसके लिये आलौकिक स्मृति आवश्यक है।

श्री बनर्जी ने अपनी दलील के समर्थन में पुराने निर्णय उपस्थित किये।

उन्होंने कहा कि अदालत के लिये आवश्यक बात यह जानना है कि षडयन्त्र कब रचा गया। इसकी विभिन्न तारीखें दी गई हैं। कुछ उसे नवम्बर १९४७ में, कुछ दिसम्बर १९४७ में कुछ जनवरी १९४८ में रचा गया बताते हैं किन्तु काग़ज़ात बताते हैं कि मदनलाल ९ जनवरी तक षडयन्त्र में सम्मिलित न था। यदि षडयन्त्र अहमदनगर में रचा गया तो इस बात के प्रमाण हैं कि मदनलाल ९और १० जनवरी को अहमदनगरमें नहीं था। यदि यह मान लिया जाय कि मदनलाल ९ जनवरी तक षडयन्त्र में नहीं था तो इससे प्रो० जैन की गवाही पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि अदालत दीक्षित महाराज की गवाही को मान भी ले तो भी उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, जिससे षडयन्त्र से मदनलाल का सम्बन्ध मालूम होता हो। दीक्षित महाराज के कथनानुसार जब १५ जनवरी को उनके घर पर हथियारों की जांच की गई तो मदनलाल चुप बैठा रहा। कागज़ात में ऐसा कुछ नहीं है जिससे ज्ञात हो कि वह १९ जनवरी तक षडयन्त्र में सम्मिलित था। मदनलाल १७ जनवरी से दिल्ली में था। किसी भी अभियुक्त ने नहीं कहा कि मदनलाल १७, १८ या १९ जनवरी को मैरीना होटल में गया।

श्री बनर्जी ने आगे बहस करते हुए कहा कि अदालत को सोचना पड़ेगा कि षडयन्त्र कब रचा गया। यह ६ जनवरी को आरम्भ हुआ या ७ जनवरी को जब करकरे और मदनलाल प्रो० जैन से मिले या वह ५ जनवरी को आरम्भ हुआ जब मदनलाल ने अहमदनगर में पटवर्धन से मारपीट की बताते हैं। क्या पटवर्धन-सम्बन्धी घटना षडयन्त्र का भाग था? प्रो० जैन ने कहा है कि अहमदनगर में एक दल था जिसने गांधी जी को मारने का षडयन्त्र रचा था। यदि यह सच है तब तो अभियोग पक्ष को अदालत को बताना चाहिए कि षडयन्त्र आरम्भ कब हुआ? प्रो० जैन ने कहा है कि मदनलाल ने १० जनवरी को षडयन्त्र की बात

बताई। मैं पूछता हूँ कि क्या अदालत द्वारा प्रो० जैन को षडयन्त्र की बात बताना स्वाभाविक है?

मदनलाल प्रो० जैन को अक्टूबर सन् १९४७ से जानता था और उनसे खूब परिचित था। मदनलाल ने दिसम्बर में उनको जो पत्र लिखे हैं उनमें कहा गया है कि वह उनसे मिलने के लिये बम्बई आयगा। मदनलाल प्रो० जैन से लिए हुए पुस्तकों के शेष रुपये के सम्बन्ध में उनसे मिला होगा। इन तथ्यों को मिलाकर अदालत परिणाम निकाल सकती है कि षडयन्त्र कोई नहीं रचा गया और यदि रचा भी गया तो कम से कम मदनलाल उसमें सम्मिलित नहीं।

श्री बनर्जी ने कहा कि प्रो० जैन ने जिस प्रकार सिलसिले से घटनाओं का वर्णन किया है उससे साफ प्रकट है कि प्रो० जैन को सिखाया गया था। जिस प्रकार प्रो० जैन ने कहा उस प्रकार मदनलाल नहीं कह सकता था। अंगद ने जो कुछ कहा है उसमें स्वयंसेवक दल का जिक्र नहीं है। किन्तु उसने एक दल के अस्तित्व की बात कही है। सम्भव है कि मदन लाल ने एक स्वयंसेवक दल के निर्णय की बात कही हो; किन्तु जब बात एक मुँह से दूसरे मुँह में गई तब उसने षडयन्त्र का रूप ले लिया। यदि महात्मा गांधी की हत्या के लिए षडयन्त्र की बात होती तो प्रो० जैन, अंगदसिंह और श्री मोरार जी देसाई तीनों ने ही एक ही बात कही होती किन्तु ऐसा नहीं हुआ। जैन ने कहा है कि महात्मा गांधी की हत्या के षडयन्त्र की बात सुनकर मैं डर गया। यदि उन्होंने षडयन्त्र की बात सुनी होती तो वे तुरंत पुलिस में जाते और यह खबर दे देते। किन्तु वे २१ जनवरी तक चुप रहे। इससे जान पड़ता है कि जैन ने ये सब बातें पत्रों में बम-विस्फोट की खबर पढ़ने के बाद गढ़ीं। उन्हें डर लगा कि कहीं मदनलाल उन्हें न फसा दे। इसलिये वे श्री देसाई के पास गये और बम-विस्फोट को गांधीजी की हत्या के षडयन्त्र से जोड़ दिया।

यह मान लेने पर कि श्री देसाई ने जो कुछ कहा वह सच है, क्या यह संभव नहीं प्रतीत होता कि प्रो० जैन ने भयभीत होकर स्वयंसेवक दल को महात्मा गांधी की हत्या के लिये बनाया गया षडयंत्रकारी दल बना दिया हो ? यदि प्रो० जैन ने यदि पुलिस को या श्री देसाई को यही बात ११ या १२ जनवरी को कही होती तो वह कुछ विश्वस्त होती। किन्तु प्रो० जैन ने २१ जनवरी तक, जब बम फटा, यह बात किसी को नहीं कहीं। इससे प्रकट है कि २० या १० जनवरी को मदनलाल ने उन्हें षडयन्त्र के बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री बनर्जी ने कहा कि जब श्री देसाई और नागरवालाने श्री जैन की बात सुनी तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या इससे यह नहीं जान पड़ता कि उन्होंने प्रो० जैन की बात पर विश्वास नहीं किया।

बाडगे ने कहा है कि करकरे, जईशचन्द्र और ओमप्रकाश उनके पास २१ जनवरी को आये और चीजों को देखकर चले गये। अभियोग पक्ष ने ९ जनवरी की घटना को षडयन्त्र से कैसे जोड़ दिया ? मदनलाल को हैदराबाद के मामले में दिलचस्पी थी, इस लिये उसने वे चीजें इस काम के लिये देखी होंगी। इसके प्रकट है कि मदनलाल ९ जनवरी तक षडयन्त्र में सम्मिलित न था।

श्री बनर्जी की बहस अभी समाप्त न हुई थी, कि अदालत दूसरे दिन के लिये उठ गई।

श्री बनर्जी की दलीलें

लाल किला (दिल्ली) में २४ दिसम्बर । को श्री महात्मा गांधी की हत्या के मुकदमे में मदनलाल के वकील श्री बनर्जी ने विशेष न्यायाधीश श्री आत्माचरण के सामने अपनी दलीलें जारी रखीं ।

सबसे पहले श्री बनर्जी ने कहा कि बम्बई के चीफ–प्रेजिडेन्सी मजिस्ट्रेट श्री ब्राउन को बम्बई नगर–पुलिस कानून की दफा ७० के अनुसार बिना कारण बताए ही अभियुक्तों को हिरासत में भेजने का कोई हक नहीं था । इसलिए अभियुक्तों को हिरासत में रखना गैर–कानूनी था । फिर अभियुक्तों की शनाख्त भी गैर–कानूनी थी । क्योंकि यह शनाख्त उस समय हुई जबकि अभियुक्त पुलिस की हिरासत में थे ।

न्यायाधीश—क्या पूछताछ करना गैर–कानूनी है ?

श्री बनर्जी—जी हां । यदि कोई अभियुक्त पुलिस को स्वेच्छा से अपना बयान देना चाहे, तो पुलिस उसे दर्ज कर सकती है । मगर वह किसी अभियुक्त से यह नहीं कह सकती कि वह अपने खिलाफ अपना मुकदमा स्वयं बनाए । इस तरह अभियुक्तों की शनाख्त और उन्हें हिरासत में रखना दोनों गैर–कानूनी थे ।

श्री बनर्जी ने कहा कि जिस कानून के मातहत यह मुकदमा चलाया जा रहा है वह अपूर्ण है । उसमें यह नहीं बताया गया कि मुकदमे में

कौन सी प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए। इसलिए यह सारा का सारा मुकदमा ही गैर-कानूनी तौर से चलाया जा रहा है। कारण यह है कि अदालत ने फर्द-जुर्म ठीक नहीं लगाए। अदालत को पुलिस की डायरी के अनुसार अभियोग सूची तैयार करने का हक नहीं। क्योंकि फर्द-जुर्म गैर-कानूनी तौर से, लगाए गए हैं, इसलिए समूचा मुकदमा ही गैरकानूनी हो जाता है।

श्री बनर्जी ने कहा कि पुलिस को २० जनवरी को मदनलाल से जो कोट मिला, उस पर उसने १६ अप्रैल को उस समय निशान लगाया, जबकि उसे आप्टे की पतलून मिली। यह सब सन्देहास्पद है। इसलिए अदालत को यह नहीं समझना चाहिए कि मदनलाल का आप्टे से कोई सम्बन्ध था और फिर आंग्रे, जी० एन० जोशी, श्रीमती चम्पा मोदक और जगदीशचन्द्र इन चार अभियुक्तों को इस्तगासे की तरफ से अदालत में ज़रूर पेश किया जाना चाहिए था।

श्री बनर्जी ने कहा कि सफाई पक्ष को यह जानने का पूरा अधिकार है कि इस्तगासे की राय में हत्या की साजिश कब से शुरू हुई और अभियुक्त उसमें कब शरीक हुए। इस्तगासा यह साबित नहीं कर सका और उसने सब कुछ अदालत पर छोड़ दिया।

न्यायाधीश—क्या इस्तगासे के लिए यह साबित कर देना परम आवश्यक है कि साजिश कब से शुरू हुई ?

श्री बनर्जी—नहीं जनाब। लेकिन इस्तगासे को यह तो बता देना चाहिए कि साजिश कहां से शुरू हुई।

श्री बनर्जी ने कहा कि जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि साजिश का प्रयोजन क्या था और एक एक अभियुक्त इसमें कब कब शामिल हुआ तब तक अदालत यह कैसे मान सकती है कि कोई साजिश की गई थी।

इस्तगासे के अनुसार २० जनवरी का काण्ड गाँधीजी की हत्या करने की साजिस के फल स्वरूप हुआ था। यदि यह मान लिया जाय तो क्या २० जनवरी की साजिश के विफल होने पर ३० जनवरी को हत्या की गई ? यदि यही बात है तो क्या २० जनवरी को नाथूराम गोडसे बिड़ला-भवन में था ? नाथूराम साजिश में शामिल था तो क्या २० जनवरी के बाद उसका ३० जनवरी को बिड़ला-भवन में रहना सम्भव हो सकता है ? इस्तगासे का कहना है कि नाथूराम गोडसे २० जनवरी को बिड़ला-भवन में था तो क्या ३० जनवरी को उसको वहां जाना सम्भव हो सकता है ? फिर इस्तगासे ने बताया कि २० जनवरी को गोडसे थरथर कांप रहा था। तो क्या दस दिन के अन्दर उसमें इतनी ताक़त आ गई कि वह ३० जनवरी को गांधी जी की हत्या करने पहुंच गया। यदि वह २० जनवरी को वहां मौजूद होता तो वह बड़ी आसानी से रिवाल्वर गांधी जी की हत्या कर सकता था। उसमें किसी साजिश की ज़रूरत ही नहीं थी।

श्री बनर्जी ने कहा कि सुन्दरीलाल, हरिकिशन और जान जोती की शहादत इतनी कमज़ोर हैं कि उनसे यह साबित नहीं होता कि आप्टे और करकरे २९ व ३० जनवरी को दिल्ली रेलवे स्टेशन के विश्राम गृह में हाज़िर थे। अदालत को चाहिए कि वह इन शहादतों को नामंजूर करदे।

श्री बनर्जी की दलील अभी खत्म ही न हुई थी कि अदालत की कार्यवाही सोमवार के लिए स्थगित हो गई।

श्री बनर्जी की दलालें जारी

लाल किला, दिल्ली में २७ दिसम्बर को गांधी हत्या केस के सम्बन्ध में मदनलाल के वकील श्री बनर्जी ने विशेष अदालत में पांचवे दिन अपनी दलील जारी रखी।

श्री बनर्जी ने अपनी दलीलों की, जो उन्होंने इस केस की अंतिम सुनवाई के दौरान में प्रस्तुत की थीं, पुष्टि में विभिन्न हाई कोर्टों के निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने एक निर्णय में (इंडिया रिपोर्टर १९३८ कलकत्ता ५१) यह स्पष्ट किया था कि षडयन्त्र का रूप सिद्ध किया जाना चाहिए। इस मामले में षडयन्त्र का रूप अभियोगों में प्रस्तुत नहीं किया गया है। मुखबिर बाडगे के अनुसार नाथूराम गोडसे ने २० जनवरी के तीसरे पहर मरीना होटल में उससे यह कहा था कि यह उनका अंतिम प्रयास है तथा उनका यह कार्य पूरा होना चाहिए। यदि षडयन्त्र का यह रूप है तो अदालत को अंतिम प्रयास का अर्थ महात्मा गांधी की हत्या नहीं मानना चाहिए। यदि यह अंतिम प्रयास महात्मा गांधी की हत्या के लिए होता तो यह काम २० जनवरी को कर दिया गया होता।

अभियुक्तों से पुछतांछ करने संबन्धी कानून के बारे में श्री मुकर्जी ने कहा कि कानून के अनुसार पुलिस एक अभियुक्त से पूछतांछ नहीं

कर सकती। पुलिस केवल अभियुक्त का बयान लिख सकती है यदि यह वैसा स्वयं लिखनवाना चाहे, परन्तु पुलिस उसे बयान लिखवाने के लिए उस पर कोई दवाव नहीं डाल सकती। दन्ड-विधान कानून की धारा ११० के अन्तर्गत पुलिस को गवाह बुलाने का अधिकार प्राप्त है। धारा १६१ गवाहों की जांच तथा १६३ में अभियुक्तों द्वारा स्वेच्छा से बयान देन का उल्लेख है। परन्तु इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है। "पूछ-तांछ" शब्द के अर्थ है कि इस सम्बन्ध में पुलिस ने पहल की। श्री नागरवाला ने अपनी गवाही में बताया कि उन्होंने इस मामले के तथ्यो को जानन के लिए पूछतांछ की। आधारभूत सिद्धांत यह है कि अभियुक्तों को अपने विरुद्ध मामले तैयार करने के लिए वाध्य नहीं किया जा सकता, और न ही अदालत अभियुक्तों से पूछताछ कर सकती है।

यदि पुलिस किसी अभियुक्त पर जोर डाल कर उसका बयान लेने के लिए उसे अपनी हिरासत में रखे तो उसका इस्तगासे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

इस पर जज महोदय ने कहा कि वह इस मुद्दे पर किसी अदालती निर्णय का उल्लेख करें। श्री बनर्जी ने ऐसे निर्णय का उल्लेख बाद में करने का वायदा किया।

पहचान परेडों का उल्लेख करते हुए श्री बनर्जी ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के नियमों में बताया गया है कि पहचान परेडों के कागजात अदालत को भेजे जावें परन्तु इस मामले में ऐसे कागजात पुलिस को दिये गये।

रिमांड आज्ञाओं के सम्बन्ध में श्री बनर्जी न बताया कि लाहौर हाई कोर्ट का यह नियम है कि एक मजिस्ट्रेट को रिमांड आज्ञा देते हुए उसके कारण देने चाहिए। श्री बनर्जी न बम्बई के चीफ-प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट श्री ओस्कर ब्राउन द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध दी गई रिमांड-आज्ञा को

चुनौती देते हुए कहा कि यह मामला दिल्ली मजिस्ट्रेट के अधिकार–क्षेत्र का था अत: श्री ब्राउन को रिमांड स्वीकृत करने का कोई अधिकार नहीं था।

इसके बाद श्री बनर्जी ने अभियुक्तों द्वारा झूठे जाली नाम रखने का उल्लेख किया।

श्री बनर्जी ने बताया कि यह मामला षडयंत्र का नहीं है, बल्कि षडयंत्र के लिए उकसाने का है। कानून की दृष्टि से षडयंत्र और षडयंत्र के लिए उकसाने में अन्तर है।

श्री बनर्जी ने बताया कि कानून की दृष्टि से अदालत द्वारा अभियोग तैयार करना ठीक नहीं। इस अदालत को अभियोग तैयार करने का अधिकार भी नहीं है।

परचुरे व गोपाल के वकील की दलीलें

लालकिला (दिल्ली), २९ दिसम्बर। आज परचुरे और गोपाल गोडसे के वकील श्री पी० एल० इनामदार ने गांधी हत्या मुकदमे के दौरान में श्री आत्माचरण विशेष न्यायाधीश के सामने अपनी दलीलें जारी रखीं।

बिड़ला-भवन के गवाहों के बारे में श्री इनामदार ने कहा कि चौकीदार भूरेसिंह ने जिरह में कहा कि २० जनवरी को मैंने जिस व्यक्ति को छोटूराम से बात करते देखा, मैं नहीं कह सकता कि वह पतला-दुबला और गेहुंए रंग का था। लेकिन उसने २० जनवरी को पुलिस से यह कहा कि उस व्यक्ति का रंग गेहुँआ था और वह पतला-दुबला था। इससे पता लगा है कि भूरेसिंह पुलिस का सिखाया हुआ व्यक्ति है। अतएव भूरेसिंह की शहादत पर यकीन नहीं किया जाना चाहिए। फिर मुखबिर बाडगे ने कहा है कि कार से उतरते ही मैंने छोटूराम, भूरेसिंह तथा एक आंख वाले एक व्यक्ति को देखा। लेकिन भूरेसिंह और छोटूराम ने अपने बयानों में एक आंख वाले व्यक्ति का जिक्र नहीं किया।

२० जनवरी को बिड़ला-भवन में करकरे ने छोटूराम से बात करते हुए अपने आपको फोटोग्राफर बताया इस सम्बन्ध में श्री इनामदार ने कहा कि दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट श्री साहनी ने अपनी शहादत में कहा

कि बम-विस्फोट के समय 'हिन्दुस्तान टाईम्स' का फोटो ग्राफर बाबूराम गुप्त भी मौजूद था । हो सकता है कि बाबूराम ने छोटूराम से बात की हो । इस्तगासे ने बाबूराम को बतौर गवाह के यहां पेश नहीं किया यदि पेश कर दिया होता तो हालत पर पूरा पूरा प्रकाश पड़ जाता । इसलिए छोटूराम ने मेरे मवक्कल के खिलाफ जो कुछ कहा है उसके उलटे अर्थ लगाए जाने चाहिए ।

फ्रंटियरमोटल के मैनेजर हिन्दू श्री राम-प्रकाश की अदालत के सम्बन्ध में श्री इनामदार ने कहा कि यदि गोपाल गोडसे ही वह व्यक्ति था जो २५ मिनट तक उसके होटल में रहा तो उसे षड्यन्त्र के अनुसार शीघ्र ही बिड़ला-भवन में चले जाना चाहिए था । लेकिन शहादत में यह नहीं बताया गया कि वह व्यक्ति जल्दी में थे । मैनेजर की गवाही से यह भी साबित नहीं होता कि गोपाल गोडसे और करकरे एक दूसरे को जानते थे ।

हस्तलेख विशेषज्ञ की गवाही के बारे में श्री इनामदार ने कहा कि यदि विशेषज्ञ यह बता सकते हैं कि होटल के रजिस्टर में दर्ज हस्ताक्षर गोपाल गोडसे के नमूने के हस्ताक्षर से १० बातों में मिलते हैं तो मैं यह बता सकता हू कि यह दोनों हस्ताक्षर ८० बातों में एक दूसरे से नहीं मिलते इसलिए यह साबित नहीं हो सका कि उक्त हस्ताक्षर गोपाल गोडसे के हैं ।

श्री इनामदार ने कहा कि गोड बोले और काले की शहादत पर यकीन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पुलिस के दबाव में आकर सब कुछ कहा ।

श्री इनामदार ने कहा कि इस्तगासे के अनुसार २५ जनवरी को थानासन में जी० एन० जोशी के मकान पर नाथूराम गोडसे, आप्टे, करकरे और गोपाल गोडसे की जो बैठक हुई, उसका प्रयोजन यह था

कि साजिश के अनुसार किस व्यक्ति को ३० जनवरी का काम पूरा करने को नियुक्त किया जाय।

श्री इनामदार ने कहा कि कपड़े का थैला गोपाल गोडसे का नहीं, बल्कि बाडगे का था। यदि बाडगे के घर की तलाशी ली जाती तो थैला अवश्य मिल जाता इस्तगासे का कहना है कि गोपाल गोडसे झूठा बहाना कर छुट्टी की दरख्वास्त दी लेकिन उसे यह साबित करना चाहिये था कि वह बाबूराम धामाकर के यहां नुकसान में नहीं था। इस्तगासे को चाहिए था कि वह बाबूराम धामाकर से यह गवाही दिलाता कि गोपाल गोडसे १७ जनवरी से २० जनवरी तक उसके पास नहीं आया। इससे यह भी साबित हो गया कि गोपाल गोडसे दिल्ली में नहीं, बल्कि उकसान में था।

श्री इनामदार ने कहा कि इस्तगासे ने यह दलील दी है कि यदि यह साबित हो जाय कि २० जनवरी को हिन्दू महासभा के पीछे जंगल में बाडगे भी उपस्थित था और उसी दिन शाम को ४॥ बजे वह रीगल के टैक्सी अड्डे पर मौजूद था तो अदालत को यह मान लेना चाहिये कि २० जनवरी को तीसरे पहर मेरीना होटल में जो बैठक हुई थी, उसमें बाडगे भी शामिल था। लेकिन यह कैसे सम्भव हो सकता है। इस्तगासे ने यह भी साबित नहीं किया कि २० जनवरी को बाडगे महात्मा गांधी की प्रार्थना में उपस्थित था। १३ जनवरी को नाथूराम गोडसे ने गोपाल गोडसे को २५०) दिये। हो सकता है कि नाथूराम ने यह कहा हो कि गोपाल ने मेरे से इसलिए पैसा मांगा है कि वह अपनी तनख्वाह से कुछ बचा नहीं पाता, इसलिये मुझे उसकी घरवाली की सहायता करनी चाहिये। शायद इसीलिये उसने अपनी बीमा पालिसी उसकी घरवाली के नाम करदी हो।

परचुरे की ओर से वकालत

डा० परचुरे की ओर से वकालत करते हुये श्री इनामदार ने कहा कि ग्वालियर में कांग्रेस पार्टी का असर जा चुका था, शायद इसीलिये उसने

डा० परचुरे को इस मामले में फंसा दिया है। गरीबा और जुम्मा नाम के दो तांगे वाले डा० परचुरे के एक रिश्तेदार पाठक को अपने तांगे पर बैठा कर परचुरे के मकान पर ले गए होंगे। वह उस समय बाम्बे-एक्सप्रेस से आया था। इसलिये यह शहादत सन्दिग्ध है कि उक्त तांगा वाले ने महात्मा गांधी की हत्या से ३–४ दिन पूर्व दो व्यक्तियों को स्टेशन से उनके घर पहुंचाया। रेलवे स्टेशन पर आने और जाने वाली गाड़ियों का समय दर्ज करने वाले असली क्लर्क को यहां पेश नहीं किया गया।

श्री इनामदार ने कहा कि जगदीश गोयल ने पुलिस के दबाव में आकर गवाही दी। इस्तगासे ने कहा है कि जिस पिस्तौल से महात्मागांधी की हत्या की गई है वह जगदीश गोयल की थी। लेकिन इसके लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया। इसलिए इस्तगासे का यह यकीन नहीं किया जा सकता कि वह पिस्तौल गोयल की थी।

मधुकर काले ने जो यह गवाही दी थी कि उसने नाथूराम गोडसे और आप्टे को डा० परचुरे के यहां रिवाल्वर चलाने का अभ्यास करते देखा था। इस पर श्री इनामदार ने कहा कि उसने भी यह शहादत पुलिस के दबाव में आ कर दी। कारण यह है कि यदि वह ऐसी शहादत न देता तो ग्वालियर सरकार उसकी माता जी को दिया जाने वाला भत्ता उसकी बहिन को दी जाने वाली छात्र वृत्ति बन्द कर देती और उसे नौकरी से मुअत्तिल कर देती।

श्री इनामदार की दलील अभी खत्म भी न हुई थी कि अदालत की कार्यवाही कल के लिए स्थगित हो गई।

गांधी हत्या-मुकदमे का फैसला

दिल्ली, १० फरवरी। पूर्व घोषणा के अनुसार आज यहां लाल किले में विशेष न्यायाधीश श्री आत्माचरण ने महात्मा गांधी की हत्या के मुकदमे का फैसला सुना दिया।

गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को दोषी पाया गया व उसे फांसी की सजा सुनाई गई; नारायण आप्टे को भी फांसी की सजा सुनाई गई और गोपाल गोडसे, करकरे, मदनलाल शंकर किस्तैया व परचुरे को आजीवन कारावास की सजा दी गई। सरकारी गवाह दिगम्बर रामचन्द्र बाडगे को छोड़ दिया गया श्री विनायक दामोदर सावरकर को निर्दोष पाया गया और उन्हें बरी कर दिया गया।

अभियुक्तों के विरुद्ध हत्या, हत्या में सहायता का षडयन्त्र रचने तथा गैरकानूनी तौर से शस्त्रास्त्र व विस्फोटक पदार्थ अपने पास रखने आदि के अभियोग थे।

जज ने सिफारिश की है कि शंकर किस्तैया की आजन्म कारावास की सजा को घटाकर ७ वर्ष सख्त कैद किया जा सकता है।

सब अभियुक्त जिन्हें सजाऐं दी गई हैं, बारी-बारी अपनी सजाए सुनने के लिए खड़े हुए कठहरे से बाहर ले जाये जाने के पहले उन सब ने "हिन्दू धर्म की जय" तोड़ के रहेंगे 'पाकिस्तान' "हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान" तथा दूसरे नारे लगाये।

जज ने दण्डित बन्दियों को बताया कि यदि वे अपील करना चाहें तो १५ दिन के अन्दर कर सकते हैं। फैसले की कापियां तैयार हैं और वे अभी प्राप्त हो सकेंगी।

पुलिस की कार्य-शिथिलता

जज ने अन्त में कहा है कि यदि मदनलाल की गिरफ्तारी और उसके बयान के बाद छानबीन करने में पुलिस द्वारा थोड़ी सी भी दिलचस्पी दिखाई जाती तो शायद यह दुर्घटना न होती।

२० जनवरी १९४८ और ३० जनवरी के बीच इस मामले की छानबीन में जो ढिलाई दिखाई गई उसकी ओर में केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। दिल्ली पुलिस को २० जनवरी को मदनलाल की गिरफ्तारी के बाद ही उसका बयान मिला था। बम्बई पुलिस को भी डा०जे०सी० जैन के बयान से जो कि उसने २१ जनवरी को गृह मंत्री श्री मुरारजी देसाई के सामने दिया सूचित कर दिया गया था। इन दोनों बयानों के दिये जाने के उपरांत दिल्ली पुलिस और बम्बई पुलिस ने एक-दूसरे से सम्बन्ध स्थापित कर लिया था। फिर भी पुलिस इन दो बयानों से कुछ भी लाभ उठाने में बुरी तरह असफल रही। यदि इस अवसर पर छानबीन में कुछ भी दिलचस्पी दिखाई जाती तो शायद यह दुर्घटना न होती।

अभियोग-पत्र में १२ अभियुक्तों के नाम दिये गये थे, जिनमें से दिगम्बर रामचन्द्र बाडगे मुकदमे की प्रारम्भिक अवस्था में ही सरकारी गवाह बन गया था और उसे क्षमा कर दिया गया था।

तीन अन्य अभियुक्त गंगाधर एस० दण्डवते, गंगाधर यादव तथा सूर्यदेव शर्मा अभी तक फरार हैं।

अदालत के कठघरे में जो ८ अभियुक्त थे, उनके नाम व उन पर लगाये गये मुख्य अभियोग इस प्रकार थे।

(१) नाथूराम गोडसे (३७ वर्ष) हत्या, हत्या का षडयन्त्र तथा शस्त्रों व विस्फोटक पदार्थों को गैरकानूनी रूप से अपने पास रखना।

(२) नारायण दत्तात्रय आप्टे (३४ वर्ष) हत्या में सहायता, हत्या का षडयन्त्र तथा शस्त्रास्त्र व विस्फोटक पदार्थ गैरकानूनी रूप से अपने पास रखना।

(३) विष्णु रामचन्द्र करकरे (३७ वर्ष) हत्या में सहायता, हत्या का षडयन्त्र तथा गैरकानूनी रूप से शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ अपने पास रखना।

(४) मदनलाल पहवा (२९ वर्ष) हत्या में सहायता, हत्या का षडयन्त्र गैरकानूनी रूप से शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ अपने पास रखना एवं ऐसा विस्फोट करना जिससे जान व माल की भारी हानि हो सकती थी।

(५) शंकर किस्तैया (२० वर्ष) हत्या में सहायता, हत्या का षडयन्त्र तथा शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ गैरकानूनी तौर से अपने पास रखना।

(६) गोपाल विनायक गोडसे (२७ वर्ष)—हत्या में सहायता, हत्या का षडयन्त्र तथा गैरकानूनी तौर से शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ अपने पास रखना।

(७) विनायक दामोदर सावरकर (६५ वर्ष)—हत्या में सहायता, तथा हत्या का षडयन्त्र।

(८) दत्तात्रय सदाशिव परचुरे (४८ वर्ष) हत्या में सहायता, हत्या का षडयन्त्र तथा शस्त्र व गोली-बारूद ले जाने में सहायता देना।

लाल क़िला, १० फरवरी को विशेष न्यायाधीश श्री आत्माचरण ने अपने २०४ सफों के फैसले में बताया है कि यह साबित हो गया है कि महात्मा गांधी की हत्या की साजिश की गई थी। १८ जनवरी से पहले ही यह साजिश मौजूद थी और ३० जनवरी अर्थात महात्मा गांधी की हत्या तक जारी रही। यह साजिश पूना, बम्बई, दिल्ली आदि स्थानों में की गई।

नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, मदनलाल पहवा, शंकर किस्तैया, गोपाल गोडसे और परचुरे का कम से कम इस साजिश में ज़रूर हिस्सा रहा। दिगम्बर बाडगे इन सब के साथ थे, मगर उन्हें माफ कर दिया गया है।

श्री दामोदर सावरकर पर चलाए गये इस्तगासे का आधार सिर्फ मुखबिर बाडगे का बयान है। अतएव मुखबिर के बयान के आधार पर कोई नतीजा निकालना ठीक न होगा।

फैसले में कहा गया है "नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या जानबूझकर और खूब सोच समझकर की। गोडसे का जुर्म कम था, यह साबित नहीं किया जा सका। नारायण आप्टे ने महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में उकसावा देकर कम निन्दनीय कार्य नहीं किया। उसने सारी साजिश में मुख्य भाग लिया। नाजुक समय आने पर वह या तो भाग खड़ा हुआ अथवा घटना-स्थल पर गैरहाज़िर रहा। यदि उसने दिमाग़ न लड़ाया होता तो शायद महात्मा गांधी की हत्या ही न होती।

२० जनवरी को गिरफ्तार होने के बाद मदनलाल ने जो बयान दिया था, उससे फायदा उठाने में पुलिस एकदम असफल रही। इसी तरह डा० जैन ने बम्बई के गृह-मन्त्री श्री मोरार जी देसाई को जो बयान दिया, उससे भी पुलिस लाभ न उठा सकी। इन दोनों बयानों के बाद ही दिल्ली व बम्बई की पुलिस में सम्पर्क स्थापित हो सका। फिर भी पुलिस इन बयानों से फायदा नहीं उठा सकी। यदि २० जनवरी से ३० जनवरी तक के काल में इस मामले की संजीदगी से तफ्तीश हो जाती तो शायद यह दुर्घटना न होने पाती।

मुकद्दमे के तथ्यों पर प्रकाश डालने के बाद न्यायाधीश ने कहा— 'इन तथ्यों से सिर्फ एक परिणाम निकलता है और वह यह कि महात्मा गांधी की हत्या की साजिश की गई थी और उसमें कम से कम नाथूराम

गोडसे, आप्टे, करकरे, मदनलाल पहवा, शंकर किश्तैया, गोपाल गोडसे और डा० परचुरे का हाथ ज़रूर था।

श्री पी० आर० दास की दलील अस्वीकृत

श्री पी० आर० दास की दलील का जिक्र करते हुए फैसले में बताया गया है—'दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने आपस में समझौता करके ही उक्त जुर्म किया। ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे यह साबित हो कि २० जनवरी को असफल होने के बाद तमाम अभियुक्तों ने महात्मा गांधी की हत्या करने की साजिश को छोड़ दिया। इसके विपरीत सबूत तो यह है कि नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे दोनों अपना नाम बदल कर बम्बई में रह रहे थे। गोपाल गोडसे बम्बई में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे से मिले। नाथूराम गोडसे, आप्टे, करकरे और गोपाल गोडसे थाना में जी० एम० जोशी के यहां मिले। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे दोनों रिवाल्वर लेने के लिए दादा महाराज और दीक्षित महाराज के पास पहुंचे। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे दोनों अपना नाम बदल कर हवाई जहाज पर सवार होकर बम्बई से दिल्ली पहुंचे। वे ग्वालियर गए और डा० परचुरे ने उनके लिए एक पिस्तौल का प्रबन्ध कर दिया। नाथूराम गोडसे दिल्ली जंकशन के विश्राम घर में रहे। आप्टे और करकरे भी उनके साथ थे। इसके बाद नाथूराम गोडसे बिड़ला-हाउस गए और वहां उन्होंने उस पिस्तौल से महात्मा गांधी की हत्या की, जो ग्वालियर से लाया गया था।

इन तथ्यों से साबित होता है कि २० जनवरी के बाद भी हत्या की साजिश जारी रही और उसी के फलस्वरूप उक्त जुर्म किया गया।

९ जनवरी को साजिश मौजूद थी

इस्तगासे की ओर से यह नहीं बताया गया कि यह साजिश सब से पहले कब शुरू हुई। फिर भी अभियुक्तों की गतिविध को देखते हुए कहा

जा सकता है कि कम से कम ९ जनवरी १९४८ को तो यह साजिश मौजूद थी और उस समय विष्णु करकरे और मदनलाल पहवा दो और व्यक्तियों के साथ दिगम्बर बाडगे के मकान पर 'सामान' का मुआयना करने गए थे। नाथूराम गोडसे १० जनवरी, १९४८ को, दिगम्बर बाडगे १५ जनवरी को, गोपाल गोडसे १४ जनवरी को, शंकर किश्तैया २० जनवरी को, दत्तात्रेय परचुरे २७ जनवरी को साजिश में शामिल हुए।

कौन कौन किस धारा से अपराधी

नाथूराम गोडसे, आप्टे, करकरे, मदनलाल, शंकर किश्तैया, गोपाल गोडसे और परचुरे ताजीरात-हिन्द की दफा १२० ब (साजिश) के अनुसार अपराधी हैं।

अभियुक्तों पर दूसरा अभियोग यह था कि उन्होंने बिना लायसेन्स के बम्बई से दिल्ली हथियार भेजे। लेकिन जो दो रिवाल्वर भेजे गए और हिंदू महासभा भवन के पीछे जंगल में जिनकी परीक्षा की गई, उन्हें अदालत के सामने पेश नहीं किया जा सकता। इसलिए यह अभियोग साबित नहीं हो सका।

तीसरा अभियोग यह था कि अभियुक्तों के पास विस्फोटक पदार्थ थे। एक पलीता और ४ दस्ती बम बरामद हुए हैं। २० जनवरी को भी उनके पास यह पदार्थ थे और इसलिए वे विस्फोटक पदार्थ कानून के अनुसार दोषी हैं।

चौथे अभियोग के सम्बन्ध में यह है कि २० जनवरी को बिड़ला हाउस के पीछे आंगन में मदनलाल ने एक पलीता छोड़ा। उसका यह काम गैर-कानूनी था। विस्फोट ऐसा हुआ कि उससे किसी की भी जान जाने का पूरा खतरा था। इसलिए मदनलाल विस्फोटक पदार्थ कानून के अनुसार अपराधी है। दूसरे लोग भी इस साजिश का साथ देने के कारण दोषी हैं।

पांचवें अभियोग के सम्बन्ध में यह है कि यद्यपि २० जनवरी को बिड़ला भवन में महात्मा गांधी की हत्या की कोशिश की गई, लेकिन वह विफल रही। कारण, यह था कि बाडगे ने छोटूराम के कमरे में जाने से इन्कार कर दिया।

"वह छठा अभियोग साबित हो गया है कि गोडसे और आप्टे ग्वालियर से पिस्तौल व कारतूस आदि शस्त्रास्त्र ले आए। यह भी साबित हो गया है कि ३० जनवरी को आप्टे और करकरे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नाथूराम गोडसे के साथ थे। नाथूराम गोडसे ने इरादतन और जान बूझकर ३० जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या की इस्तगासा यह साबित नहीं कर सका कि हत्या के समय आप्टे और करकरे दोनों बिड़ला भवन में मौजूद थे।

डा० परचुरे भारतीय हैं

२० जनवरी को बिड़ला-भवन में जो कुछ हुआ, उसके बाद से बाडगे और शङ्कर किस्तैया साजिश से अलग हो गए। यह भी साबित हो गया है कि २४ जनवरी को गोपाल गोडसे बम्बई में नाथूराम गोडसे और आप्टे से मिले। परचुरे भी इसी समय साजिश में सामिल हुये। डा० परचुरे ब्रिटिश भारत के प्रजाजन हैं। दलील के तौर पर यदि यह मान भी लिया जाय कि वे ग्वालियर रियासत के निवासी हैं, तो भी उन पर दिल्ली में मुकदमा चलाया जा सकता है, क्योंकि जुर्म दिल्ली में किया गया था।

गोडसे को मौत की सजा

नाथूराम गोडसे ने जानबूझ कर और खूब सोच समझ कर महात्मा गांधी की हत्या की। इस अपराध को कम नहीं कहा जा सकता। इस परिस्थित में गोडसे को ताजीरात हिन्द की दफा ३०२ के मातहत सिर्फ मौत की ही सजा दी जा सकती है।

महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में दूसरों को उकसा कर नारायण आप्टे ने कोई कम घृणित या निन्दनीय काम नहीं किया। जुर्म में उसने सब जगह मुख्य हिस्सा लिया। नाजुक घड़ी में या तो वह घटनास्थल से भाग खड़ा हुआ और या गैरहाजिर रहा। यदि उसने दिमाग न लड़ाया होता तो महात्मा गांधी की हत्या ही न होती। इस लिये उसे भी ताजीरात हिन्द की दफा १०९ और ३०२ के मातहत सिर्फ मौत की सज़ा ही दी जा सकती है।

आजन्म कारावास की सजा

जहां तक करकरे, गोपाल गोडसे और परचुरे का ताल्लुक है, उन्हें यदि ताजीरात हिन्द की दफा १०९ व ३०२ के मातहत आजन्म कारावास की सजा दे दी जाय तो न्यायोचित होगा। उक्त दफाओं के मातहत कम से कम सजा यही दी जा सकती है।

यदि शङ्कर किस्तैया और मदनलाल को दफा १२० व ३०२ के मातहत आजन्म कारावास की सजा दी जाय तो न्यायोचित होगा।

७ साल की सख्त जेल

मुकदमे में कोई ऐसी बात देखने में नहीं आई कि जिससे दफा ११५ और ३०२ के अनुसार दी जाने वाली सजाओं में नरमी क्यों न की जाय। इसलिए मदनलाल और शङ्कर किस्तैया को उक्त धाराओं के मातहत ७ साल की सख्त जेल की सजा दी जानी चाहिये।

शङ्कर बाडगे का नौकर है। उसने जो कुछ किया मालिक के हुक्म पर किया। बाडगे के बगैर किश्तैया साजिश में शामिल न होगा। अतएव शङ्कर नरमी का पात्र है। इसलिए मैं यह सिफारिश करूंगा कि आजन्म कारावास की सजा बदल कर दफा ४०१ के मातहत ७ साल की सख्त जेल के रूप में परिवर्तित कर दी जाय।

इसके बाद न्यायाधीश ने अन्य अभियुक्तों को भी सजाएं सुना दीं।

हाईकोर्ट की पुष्टि जरूरी नहीं

क्या मौत की सजा हाईकोर्ट द्वारा तस्दीक की मुस्तहक है, इस पर प्रकाश डालते हुए न्यायाधीश ने कहा—"एक विशेष न्यायाधीश द्वारा दी गई मौत की सजा हाईकोर्ट द्वारा तस्दीक की मुस्तहक नहीं।

दामोदर सावरकर

"मुखबिर के बयान के आधार पर श्री सावरकर पर कोई अभियोग नहीं लगाया जा सकता। २० जनवरी के कांड में उनका कोई हाथ नहीं था। शहादत से यह पता नहीं चला कि गोडसे और आप्टे सावरकर सदन में उन से मिलने के लिए गए। बाडगे ने इतना ही कहा है कि उसने सिर्फ सुना कि सावरकर गोडसे व आप्टे से कुछ कह रहे थे।

मुखबिर का बयान सही है

"मुखबिर का बयान बाद की घटनाओं से एकदम मिलता जुलता है। स्वतन्त्र गवाहियों से भी उसकी पुष्टि होती है। मुखबिर की शहादत पर क्यों न यकीन किया जाय?

परचुरे की स्वीकारोक्ति

"डा० परचुरे ने ग्वालियर में नजरबन्द रहते हुए अपना अपराध मानते हुए जो बयान दिया उस पर यकीन क्यों न किया जाय? श्री आर० बी० अटल ने उनका बयान यह निश्चय करने के बाद ही कलम बन्द किया कि यह बयान स्वेच्छा से दिया जा रहा है; किसी धमकी अथवा आश्वासन के मिलने से नहीं। अभियुक्त को यह भी पूरी तरह से बता दिया गया था कि उसकी इस स्वीकारोक्ति के क्या नतीजे निकलेंगे।

"शहादतों से यह भी साफ है कि डा० परचुरे ३० जनवरी को किसी समनसनीपूर्ण घटना की आशा लगाए बैठे थे। हत्या की खबर सुन कर वे खूब खुश हुए, अनाप शनाप बोल दिए और उन्होंने अपने मकान पर मिठाई तक बांटी।

धन्यवाद

अन्त में न्यायाधीश ने इस्तगासे व सफाई के वकीलों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। अदालत के कर्मचारियों को भी आपने धन्यवाद दिया।

अभियुक्तों का परिचय

नाथूराम गोडसे, जो पहले दरजी की दूकान करता था, १९३७ में श्री सावरकर से मिला और उसने हिन्दू महासभा के भूतपूर्व अध्यक्ष के साथ, उनके निजी सेक्रेटरी के रूप में, देश का दौरा किया था। वह पहले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सदस्य था। किन्तु १९४१ में संघ से मतभेद हो जाने के कारण उसने हिंदूराष्ट्रीय दल नाम की एक अलग संस्था बनाई। १९४४ में उसने पूना से 'अग्रणी' नाम का एक मराठी पत्र निकाला और फिर उसको बन्द करके 'हिन्दू राष्ट्र' नामक एक अन्य पत्र का संपादक बन गया।

नारायण आप्टे, जो बी० एस० सी० व बी० टी० पास है, पहले अहमदनगर के एक स्कूल में अध्यापक था। उसने वहां रायफल क्लब की स्थापना की। उसने नाथूराम गोडसे के साथ मिल कर हिन्दू राष्ट्रदल स्थापित किया।

विष्णु रामचन्द्र करकरे अहमदनगर का रहने वाला है। उसने आप्टे को रायफल क्लब स्थापित करने में सहायता दी थी।

मदनलाल पहवा पाकिस्तान (पश्चिमी पंजाब) का शरणार्थी था और २० जनवरी १९४८ को महात्मा गांधी के भाषण देते समय लगभग १०० गज की दूरी पर बम फेकने के पश्चात् ही गिरफ्तार कर लिया गया था और महात्मा गांधी की हत्या ३० जनवरी को हुई।

शंकर किस्तैया बाडगे का घरेलू नौकर था।

गोपाल विनायक गोडसे नाथूराम गोडसे का छोटा भाई है और गत युद्ध में सेना में भर्ती हो गया था और बाद में वह पूना के पास किरकी के बारूद के कारखाने में काम कर रहा था।

दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे ग्वालियर का एक डाक्टर था जहां वह एक प्रमुख हिन्दू महासभाई था।

गांधी जी का मुकदमा

दिल्ली, ११ फरवरी। महात्मा गांधी की हत्या के मुकदमे में सरकार को पांच लाख रुपये खर्च करने पड़े। इस्तगासे की ओर से जो अफसर काम कर रहे थे उन्हें रोजाना निम्न लिखित दर सेभत्ता मिल रहा था।

प्रमुख सरकारी वकील श्री सी० के० दफ्तरी को १,५००) रु० प्रति दिन।

श्री जे० सी० शाह को १०००) रु० प्रति दिन।

श्री जे० सी० शाह को १०००) रु० प्रति दिन।

श्री पेट्टीगारा को ६५०) रु० प्रति दिन

श्री ज्वाला प्रसाद को ३५०) रु० प्रति दिन

श्री व्यवरकर को २५०) रु० प्रति दिन

इस प्रकार अफसरों का ही ३,५००) रु० प्रतिदिन का खर्च था इसके अलावा बहुत से कर्मचारी जिनमें डिप्टी इंसपैक्टर जनरल पुलिस, इस्तगासे के सुपरिन्टेण्डेण्ट पुलिस श्री नागरवाला, इस्तगासे के डी० एम० पी० अनेक इंसपेक्टर और तीन दुभाषिये भी अदालत की सहायता कर रहे थे।

सरकार ने एक अभियुक्त शंकर के लिए भी एक वकील लगाया जिसे कि ३०) रु० प्रतिदिन दिया जाता था।

सुरक्षा परिषद और लालकिले की कैम्प जेल के लिए भी सरकार को काफी खर्च करना पड़ा।

अभियुक्तों के बचाव के लिए प्रबंध करने में १,००,०००) रु० खर्च हुआ जो कि चन्दा करके जमा किया गया।

गांधी—हत्या का मुकदमा २७ मई से प्रारम्भ हुआ जब कि अपराधियों पर लगाये गये दोष सुनाये गये। २२ जून को प्रधान सरकारी वकील श्री सी० के० दफ्तरी ने मामला पेश किया और २४ जून से गवाही शुरू हुई और इसे पूरा होने में ८४ दिन लगे।

सरकारी पक्ष ने १४३ गवाह पेश किये। उनके बयान टाइप किये हुए ६९० पृष्ठों में हैं। सरकारी पक्ष ने ३५४ कागजात पेश किये और बचाव पक्ष ने ११८। शनाख्त करने के लिए अदालत में ८० चीजें रखी गई थीं।

प्रकाशन

भारत सरकार ने अभियुक्त नाथूराम गोडसे के बयान छापने पर पाबन्दी लगा दी है। इसलिए मुकदमें का पूरा विवरण भारत में नहीं छप सकता।

—सीताराम गोस्वामी